सत्यमेव जयते

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA

निर्णयों का सार-संग्रह

(1 अप्रैल, 2012-31 मार्च, 2013)

भारतीय प्रेस परिषद्, नई दिल्ली

भारतीय प्रेस परिषद्

निर्णयों का सार-संग्रह

(1 अप्रैल,2012-31 मार्च, 2013)

नई दिल्ली

Printed at : Chandu Press, D-97, Shakarpur, Delhi-110 092

विषय सूची

क्रम संख्या		पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	
1.	1 अप्रैल 2012 - 31 मार्च, 2013 के परिषद् के निर्णयों की सूची	-- 1
2.	परिषद् के निर्णय	-- 16

प्रस्तावना

संविधि के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद् की आवश्यकता न केवल प्रेस के स्तर को बढ़ावा देने के लिए अपितु प्रेस की स्वतंत्रता को किसी प्रकार के हमले या खतरे से सुरक्षित रखने के लिए भी है । ऐसे खतरे सामान्यतः सरकारी प्राधिकारियों से होते हैं । भारतीय प्रेस परिषद् सरकार के ऐसे किसी भी निर्णय/कार्रवाई पर न्याय-निर्णयन का अधिकार रखती है जो पत्रकारों की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का प्रयास हो सकता है, या प्रयास समझा भी जा सकता है ।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैंने, प्रेस परिषद् के अधिदेश के अनुरुप, पक्षों में समझौते या प्रतिवादियों को उनकी गलतियों में सुधार के लिए अनुमति देकर (दंड के बजाय) नैतिक लोकाचार को मन में बैठाने का प्रयास किया है । मुझे लगता है, परिषद् को, इसी तरह कार्य करना चाहिए क्योंकि मेरे विचार से, मध्यस्थता एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। पुनर्विलोकन अवधि के दौरान दिये गये निर्णयों, जिनमें वे न्याय निर्णय भी शामिल हैं जिनमें प्रेस और प्राधिकारियों के आचरण के मार्गदर्शन के लिए दूरगामी महत्त्व के सिद्धांतों को निर्दिष्ट किया गया था, को व्यापक रुप से इस सार-संग्रह में कवर किया गया है । मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि पाठक इसे भी पहले की तरह उपयोगी तथा सूचनाप्रद पायेंगे ।

मार्कण्डेय काटजू
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

1 अप्रैल 2012- 31 मार्च 2013 के
परिषद् के न्याय निर्णयों की सूची

क्र0 सं0.	पक्ष	निर्णय की तिथि
	समाचारकर्मियों का उत्पीड़न	
1.	श्री संदीप कुमार शुक्ला, संवाद्दाता, ब्लैक टाइगर, हिंदी दैनिक, खीरी, उत्तर प्रदेश की श्री के.पी.सिंह, फॉरेस्ट रेंजर, गोला रेंज खीरी, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	26 अप्रैल, 2012
2.	श्री कमलेश त्रिवेदी, संवाद्दाता, राहत टाइम्स, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश की श्री योगेन्द्र सिंह, एस एच ओ, थाना गोला, खीरी उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	,,
3.	श्री अली मोहम्मद, पत्रकार, अपराध टुडे, सीतापुर, उत्तर प्रदेश की श्री आर.पी.साही, एसएचओ, सरदार हरमीत सिंह, एवं अन्य स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों, सीतापुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	26 अप्रैल, 2012
4.	चौ0 वेद प्रकाश चहर, नगर प्रमुख, आज, आगरा, उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों और समाज विरोधी तत्वों के विरूद्ध शिकायत ।	,,
5.	श्री अनिल शुक्ला, रिपोर्टर, आज, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश की वन अधिकारी दक्षिणी वन विभाग, खीरी उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	
6.	श्री आनन्द सिंह, जिला प्रतिनिधि, आज, हिंदी दैनिक, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश की जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	,,
7.	श्री लल्लन प्रसाद गुप्ता, संवाद्दाता, अमर उजाला, चेराकूत, मऊ की समाज विरोधी तत्वों के विरूद्ध शिकायत ।	,,
8.	श्री विजय प्रकाश, प्रतिनिधि, शार्प रिपोर्टर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश की पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	,,
9.	श्री नरेश कुमार गुप्ता, संवाद्दाता, माया अवध, हरदोई, उत्तर प्रदेश की मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल, हरदोई, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	,,
10.	श्री रामानन्द सिंह चंदेल, जिला संवाद्दाता, सरल सहारा, उन्नाव, उत्तर प्रदेश की पुलिस अधीक्षक, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	,,

क्र0 सं0.	पक्ष	निर्णय की तिथि
11.	श्री ओम प्रकाश बाघेल, संपादक, दुनिया एक नज़र में, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश की समाज विरोधी तत्व, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	26 अप्रैल, 2012'
12.	मुजफ्फरनगर से पत्रकारों की गिरफ्तारी के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के विरूद्ध मूल कार्रवाई ।	''
13.	श्री अशोक रावत, मुख्य संपादक, बृज क्रान्ति, हाथरस, उत्तर प्रदेश की डिवीजनल संयुक्त शिक्षा निदेशक, हाथरस, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	''
14.	श्री राजीव यादव, पत्रकार, अमर उजाला, जिला फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध शिकायत ।	''
15.	श्री शशि भूषण दुबे, ब्यूरो प्रमुख/विंध्य भारत, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों और लिकर माफिया, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	26 अप्रैल, 2012
16.	श्री सुधीर जैन, पत्रकार, श्री स्वदेश, झांसी, उत्तर प्रदेश की श्री एन.सी. श्रीवास्तव, अपर जिलाधीश, मऊरानीपुर और श्री लालूराम दिवाकर, एसएचओ, मऊरानीपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	''
17	श्री गणेश कुमार शुक्ल, रिपोर्टर, आदर्श पंचायती राज, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश की (1) श्री अखिलेश पांडे, सीओ (2) श्री महेश सिंह, एसएचओ, राजपुर (3) श्री नंदलाल सिंह, एसएचओ, पहाड़ी, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	''
18.	श्री पी. दिल्ली बाबू रेड्डी, सम्पादक, आशा ज्योति एवं उपाध्यक्ष और मुख्य अध्यक्ष एपीडब्ल्यूजेएफ चित्तूर, आंध्र प्रदेश की श्री आई.वाई.आर.कृष्ण राव, कार्यपालक अधिकारी तिरमला तिरुपति देवस्थानम तिरुपति के विरुद्ध शिकायत ।	21 दिसम्बर 2012
19.	मो. हाशिम आजाद खान, मुख्य सम्पादक, आजाद पर जुल्म, कानपुर उत्तर प्रदेश की श्री संजय तिवारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कानपुर उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	''
20.	श्री सुरेश गांधी, संवाद्दाता, दैनिक हिन्दुस्तान और दैनिक आज तक चैनल, भदोई उत्तर प्रदेश की श्री आर.के.सिंह स्टेशन निरीक्षक और श्री राम बालि सरोज, चौकी नई बजार, भदोई उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	''

क्र0 सं0.	पक्ष	निर्णय की तिथि
21.	श्री संतोष कुमार दीक्षित, संवाद्दाता, अमर उजाला, जौनपुर, उत्तर प्रदेश की श्री राम चद्र गौतम एस.एच.ओ.सरपटहान, जौनपुर उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	21 दिसंबर, 2012
22.	श्री संजय कुमार, "पुन्नू" पत्रकार और अध्यक्ष शोभा क्लब, रोहतास (बिहार) की श्री रणजीत मिश्रा, पुलिस अधीक्षक सिटी, दरभंगा, बिहार के विरुद्ध शिकायत ।	''
23.	श्री रामानन्द सोनी, ब्यूरो प्रमुख, दैनिक पत्रिका, भिंड मध्य प्रदेश की श्री चंचल शेखर, पुलिस अधीक्षक, भिंड, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत।	''
24.	श्री जयप्रकाश भारद्वाज, संवाद्दाता, चेतना मंच, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र. की श्री चंदेव राम जाटव, राशन डीलर, गाजियाबाद के विरूद्ध शिकायत।	''
25.	श्री अमलेंदु उपाध्याय, सह-संपादक, स्वाभिमान टाइम्स, गाजियाबाद, उ. प्र. की श्री बनवारी लाल कुशवाहा, सीएमडी, गरिमा दुग्ध उद्योग एवं स्वाभिमान टाइम्स तथा श्री निर्मलेंदु साहा, संपादक, स्वाभिमान टाइम्स, दिल्ली के विरूद्ध शिकायत।	''
26.	श्री सी. एस. कालरा, संपादक, युनिवर्सिटी टुडे, नई दिल्ली की कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया के विरूद्ध शिकायत।	''
	प्रेस को सुविधायें	''
27.	श्री शिशिर कुमार गुप्ता, प्रकाशक, हुकूमत एक्सप्रेस, कंथ रोड, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की डीएवीपी, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	26 अप्रैल, 2012
28.	डॉ. एच.एच.माजिद हुसैन, मुख्य संपादक/प्रकाशक, डेली उर्दू एक्शन, भोपाल की विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) के विरुद्ध शिकायत ।	27 अगस्त, 2012
29.	श्री वीरभद्रप्पा लिंगप्पा झेरिकुंटे, मुख्य संपादक, जनताधीश, लातूर, महाराष्ट्र की सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, उदगिर और आरएनआई के विरुद्ध शिकायत ।	''
30.	डॉ. रवि रस्तोगी, सम्पादक/प्रकाशक, हिमालय और हिन्दुस्तान, ऋषिकेश, उत्तराखंड की महा निदेशक, सूचना और जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखंड सरकार देहरादून के विरुद्ध शिकायत ।	21 दिसम्बर 2012

क्र0 सं0.	पक्ष	निर्णय की तिथि
31.	श्री जय प्रकाश तमकोरिया, संपादक/प्रकाशक, दैनिक छत्तीसगढ़ वैभव, कोरबा, छत्तीसगढ़, रायपुर की निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, कोरबा, छत्तीसगढ रायपुर के विरुद्ध शिकायत ।	18 फरवरी, 2013
32.	श्री सुभाष जैन, मुख्य संपादक, आज की जनता, मध्य प्रदेश इंदौर, मध्य प्रदेश के जन सम्पर्क विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश, के विरुद्ध शिकायत ।	''
33.	श्री रघुनाथ सिंह, उप महाप्रबंधक, राजस्थान पत्रिका ,राजस्थान पत्रिका प्रा. लि., जयपुर की मेयर, जयपुर नगर निगम, जयपुर के विरुद्ध शिकायत ।	18 फरवरी, 2013
34.	श्री रघुनाथ सिंह, उप महाप्रबंधक, राजस्थान पत्रिका, प्रा. लि. जयपुर, की सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल, के विरुद्ध शिकायत ।	''
	सिद्धांत और प्रकाशन	
35.	श्री दीपक छाबरिया, अध्यक्ष, भारतीय कार्मिक रोजगार संवर्धन परिषद्, मुंबई की संपादक, ग्लोबल जॉब्स, (टाइम्स ऑफ इंडिया), मुंबई एसाइंगमेंट एब्रॉड टाइम्स, मुंबई मिरर, मुंबई के विरुद्ध शिकायत।	27 अगस्त, 2012
36.	श्रीमती सुचिता कुंभर, महासचिव, एचआईवी और एड्स से पिड़ित लोगों का नेटवर्क, मुंबई की संपादक मिड डे, मुंबई के विरुद्ध शिकायत ।	''
37.	श्री नारायण एस. नावति, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय, अल्तिन्हो, पणजी, गोवा की संपादक, नवप्रभा, पणजी, गोवा के विरुद्ध शिकायत ।	''
38.	श्री अबु आसिम आजमी, (पूर्व संसद सदस्य) अध्यक्ष विधायक, महाराष्ट्र, मुंबई की संपादक, दँ उर्दू टाइम्स, मुंबई के विरुद्ध शिकायत ।	27 अगस्त, 2012
39.	श्री पी.पी.कपूर, हरियाणा राज्य संयोजक, शाम संगठन आई.एफ.टी.यू. हरियाणा की सम्पादक (i) पंजाब केसरी, जालंधर (ii) दैनिक भास्कर, पानीपत और (iii) दैनिक जागरण, पानीपत के विरुद्ध शिकायत ।	21 दिसम्बर 2012
40.	श्री शमशेर सिंह, राज्य महासचिव, इंडियन जस्टिस पार्टी, अम्बाला, हरियाणा की सम्पादक पंजाब केसरी, अम्बाला कैंट, हरियाणा के विरुद्ध शिकायत ।	''

क्र0 सं0.	पक्ष	निर्णय की तिथि
41.	श्री लोकेश कुमार मलिक, एडवोकेट, सोनीपत, हरियाणा की सम्पादक दैनिक भास्कर, पानीपत, हरियाण के विरुद्ध शिकायत ।	21 दिसम्बर 2012
42.	श्री एन.कोंडा रेड्डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ता, कडप्पा जिला, आंध्र प्रदेश की सम्पादक साक्षी दैनिक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
43.	प्रो.एम.के.वसंत, अध्यक्ष, आकाशदीप एन्कलेव रेजीडेंस वेल्फेयर सोसायटी, रुडकी, उत्तर प्रदेश की सम्पादक, दैनिक जागरण हरिद्वार के विरुद्ध शिकायत ।	21 दिसम्बर 2012
44.	भारतीय चुनाव आयोग से संदर्भित होने पर दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, आज, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान टाइम्स, पूर्वांचल की राह और दैनिक उद्योग और व्यापार टाइम्स के विरुद्ध चुनाव के दौरान समाचार प्रकाशित करने की आड में कथित पेड न्यूज प्रकाशित करने पर स्व-प्रेरणा से कार्रवाई ।	,,
45.	श्री सुशांत स्वैन,की सम्पादक, संवाद, उड़िसा के विरुद्ध शिकायत ।	21 दिसम्बर 2012
46.	अध्यक्ष, एन.आर.आई.ग्रुप हाउसिंग पालम विहार, कंडोमिनियम, गुडगांव, हरियाणा की सम्पादक हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत।	,,
47.	श्री अरुण कुमार सेन, नई दिल्ली और अन्य की सम्पादक कम्यूनिटी संवाद, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	,,
48.	श्री रवीद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष,भ्रष्टाचार विरोधी समिति थाणे की सम्पादक आनन्द बाजार पत्रिका,कोलकाता के विरुद्ध शिकायत।	,,
49.	श्री रतनेश कुमार पाठक, एडवोकेट, पटना, बिहार की सम्पादक राष्ट्रीय सहारा, पटना, बिहार के विरुद्ध शिकायत ।	21 दिसम्बर 2012
50.	श्री रियाज़ अहमद खान, एडवोकेट, बदायूं की सम्पादक, हेल्थ प्लस, दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	,,
51.	श्री रमेश पाखले, इंदौर, मध्य प्रदेश की संपादक,पत्रिका जयपुर राजस्थान के विरुद्ध शिकायत ।	18 फरवरी, 2013
52.	श्री ओंकार सिंह बालागंज, मंडसौर, मध्य प्रदेश की संपादक दासपुर-दर्शन,मंडसौर, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
53.	श्री मनमीत सिंह गोइंदी, प्रशासक, भारतीय खेल प्राधिकरण डॉ0 कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, नई दिल्ली की संपादक,हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	,,

क्र0 सं0.	पक्ष	निर्णय की तिथि
54.	श्री अनिल सुब्रहमणियम, अवर सचिव, दिल्ली सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली की संपादक, रियल पॉलीटिक, अंग्रेजी पत्रिका, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत।	18 फरवरी, 2013
55.	श्री असगर हुसैन, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक जागरण, मेरठ, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	''
	प्रेस और मानहानि	
56.	श्री महेन्द्र त्रिपाठी, अध्यक्ष, प्रेस क्लब अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश की संपादक, श्री राम जन्म भूमि, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	26 अप्रैल, 2012
57.	श्री विमल चन्द्र श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक, वित्त एवं विकास निगम लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश की संपादक, डेली न्यूज एक्टीविस्ट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	''
58.	श्री सैयद मुस्तफा हुसैन नक्वी 'आसिफ जायसी', लखनऊ, की संपादक अवधनामा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	26 अप्रैल, 2012
59.	श्री राम बहादुर, लेक्चरर रामप्यारे शिव शंकर इंटर कॉलेज, बहराइच, उत्तर प्रदेश की संपादक, हिन्दुस्तान, लखनऊ के विरूद्ध शिकायत ।	''
60.	श्री ए.के.यादव, प्रबंध निदेशक का कार्यालय, आयुध उपस्कर कारखना, रक्षा मंत्रालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक हिन्दुस्तान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	''
61.	डॉ0 विजय अग्रवाल, सचिव/निदेशक, भारतीय शिक्षा परिषद्, कानपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक हिन्दुस्तान, पट ना, बिहार के विरूद्ध शिकायत ।	''
62.	श्री आर.बी. गुप्ते, सचिव/पंजीयक, ऋण वसूली न्यायाधिकरण लखनऊ, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवा विभाग की संपादक, वॉयस आफ लखनऊ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	''
63.	श्री शिवम शर्मा, एडवोकेट, लखनऊ की संपादक, इंडिया टुडे, पत्रिका, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत ।	''
64.	डॉ0 जे.एन.पांडे, अध्यक्ष, सेंट्रल वीमैन्स कॉलेज ऑफ एजूकेशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की संपादक (1) अमर उजाला (2) हिन्दुस्तान (3) दैनिक जागरण, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत ।	''

क्र0 सं0.	पक्ष	निर्णय की तिथि
65.	श्री कानुभाई जेठाभाई देसाई, संपादक/मालिक/प्रकाशक/मुद्रक, हेलो खेलारु, गुजरात की संपादक, दिव्य भास्कर, अहमदाबाद के विरुद्ध शिकायत ।	27 अगस्त, 2012
66.	डॉ. लिसा वांरडेन, निदेशक, डीओजीएसटीओपी. अहमदाबाद, गुजरात की संपादक, अहमदाबाद मिरर, गुजरात के विरुद्ध शिकायत।	''
67.	श्री युसूफ हाकिम, अध्यक्ष, इकरा चैरिटेबल फाउंडेशन, अहमदाबाद की संपादक, अहमदाबाद मिरर, अहमदाबाद, गुजरात के विरुद्ध शिकायत।	''
68.	श्रीमती निकी आर सिंह, राजकोट, गुजरात की संपादक सांझ समाचार, राजकोट, गुजरात के विरुद्ध शिकायत ।	''
69.	श्री धर्मेश ठाकुरभाई पटेल, सूरत, गुजरात की संपादक, जंग-ए-गुजरात, गुजरात के विरुद्ध शिकायत ।	27 अगस्त, 2012
70.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इच्छलकर्णजी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड कोल्हापुर, महाराष्ट्र, की संपादक, दैनिक लोकमत, पुणे के विरुद्ध शिकायत ।	''
71.	श्री रवींद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भ्रष्टाचार-विरोधी समिति, थाणे, महाराष्ट्र की संपादक, लोकसत्ता, मुंबई के विरुद्ध शिकायत ।	''
72.	श्री संदेश डी. करखानिस, जिला-थाणे, महाराष्ट्र की संपादकगण, (i) लोकसत्ता, महाराष्ट्र (ii) संकाल, बेलापुर (iii) नवशक्ति, नई मुंबई के विरुद्ध शिकायत ।	''
73.	श्री जय प्रकाश गुप्ता, सनदी लेखाकार, नागपुर की संपादक, सेल्स टैक्स रिव्यू, मुंबई के विरुद्ध शिकायत ।	''
74.	श्री परवेज जे वाजिफदार, जनरल काउंसेल-लिटिगेशन (अधिवक्ता मुल एंड मुल एवं अन्य, मुंबई) की संपादक, सिंगरौली का तूफान, सिंगरौली, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	''
75.	श्री दिलीप कुमार गोकुलचंद सनंदा, निर्वाचित विधायक महाराष्ट्र राज्य, खामगांव निर्वाचन क्षेत्र, बुलढाना, महाराष्ट्र की संपादक, प्रश्नकाल, सांध्य दैनिक के विरुद्ध शिकायत ।	''
76.	श्री सुनील मधुसुदन, गोलकुंडा, अध्यक्ष, बर्शी सिटी, सोलापुर, महाराष्ट्र की संपादक, बर्शी उदय, सोलापुर, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत ।	''
77.	श्री क्वारी मोहम्मद शहनवाज कादरी रिजवी, थाणे, महाराष्ट्र की संपादक, एक और जंग,उलहासनगर, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत।	''

क्र0 सं0.	पक्ष	निर्णय की तिथि
78.	श्री संजय सन्याल, एजीएम (एच.आर.) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. थाणे, महाराष्ट्र की संपादक, जगत भारती, थाणे, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत ।	27 अगस्त, 2012
79.	श्री आइरीन धर मलिक, मुंबई की संपादक, मुंबई मिरर, मुंबई के विरुद्ध शिकायत ।	,,
80.	श्री ओम प्रकाश, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और सहकारिता की सम्पादक सिवालिक ब्लिटज देहरादून, उत्तराखंड के विरुद्ध शिकायत ।	21 दिसम्बर 2012
81.	कर्नल संजय दीक्षित, जनरल स्टाफ, उत्तरी कमान जी.एस.(आई. डब्ल्यू.) मार्फत श्री के. स्कन्दन, संयुक्त सचिव (कें), गृह मंत्रालय की सम्पादक, कश्मीर टाइम्स, जम्मू (जम्मू-कश्मीर) के विरुद्ध शिकायत।	,,
82.	कर्नल सुशील मान, कर्नल जनरल स्टाफ, उत्तरी कमान (आई. डब्ल्यू) की सम्पादक, कश्मीर टाइम्स, जम्मू के विरुद्ध शिकायत ।	21 दिसम्बर, 2012
83.	श्री अमरीक सिंह, डी.आई.जी. (सेवानिवृत्त), मोगा, पंजाब की सम्पादक दी ट्रिब्यून, चंदीगढ के विरुद्ध शिकायत ।	,,
84.	श्री संजीव चतुर्वेदी, आई एफ एस, डिवीजनल फॉरेस्ट अफसर (पं) पंचकुला, हिसार, हरियाणा की सम्पादक, दी ट्रिब्यून, चंदीगढ के विरुद्ध शिकायत ।	,,
85.	श्री संजीव चतुर्वेदी, आई एफ एस डिवीजनल फॉरेस्ट अफसर (पं) पंचकुला, हिसार, हरियाणा की सम्पादक अमर उजाला, चंदीगढ के विरुद्ध शिकायत ।	,,
86.	श्री आर.एन.मनचंदा, प्रवक्ता, बिकी कर विभाग, हरियाणा सरकार, सोनीपत, हरियाणा की सम्पादक, दैनिक भास्कर, पानीपत के विरुद्ध शिकायत ।	,,
87.	श्री आर.एन.मनचंदा, प्रवक्ता, बिकी कर विभाग, हरियाणा सरकार, सोनीपत, हरियाणा की सम्पादक, दैनिक जागरण, पानीपत के विरुद्ध शिकायत ।	,,
88.	श्री वैद्य जगजीत सिंह, चंदीगढ आयुर्वेदिक केद्र, चंदीगढ की सम्पादक, दैनिक जागरण, जालंधर के विरुद्ध शिकायत ।	,,
89.	पंजीयक, श्रीमाता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कटरा की प्रबंध सम्पादक/रिपोर्टर, अर्ली टाइम्स, जम्मू के विरुद्ध शिकायत ।	,,

क्र0 संं0.	पक्ष	निर्णय की तिथि
90.	उपायुक्त, हमीरपुर जिला, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की सम्पादक, आपका फैसला हमीरपुर के विरुद्ध शिकायत ।	21 दिसम्बर 2012
91.	श्री वी.के.जावड, केरल, की सम्पादक, चद्रिका दैनिक केरल के विरुद्ध शिकायत ।	,,
92.	सुश्री पूजा बंदु पाटिल, कर्नाटक, की श्री एम.डी.मुल्ला, प्रेस रिपोर्टर और सम्पादक, साकाल, मराठी दैनिक कोल्हापुर, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत ।	,,
93.	कु. अन्नम्मा वर्गीज, कोट्टयाम की सम्पादक जाइमिन रियोटो, नैल्लोर के विरुद्ध शिकायत ।	,,
94.	प्रो. वाई. आर.हर गोपाल रेड्डी, पूर्व कुलपति, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यलय की सम्पादक, आंध्र ज्योति हैदराबाद के विरुद्ध शिकायत ।	21 दिसम्बर, 2012
95.	पंजीयक, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश की सम्पादक आंध्र ज्योति, हैदराबाद के विरुद्ध शिकायत ।	,,
96.	श्री राम सेवक वर्मा, लखनऊ की सम्पादक (i) दैनिक हिन्दुस्तान और (ii) अमर उजाला लखनऊ के विरुद्ध शिकायत ।	,,
97.	डॉ. जगदीश के. दधीच एस.ई.ओ., मुम्बई की सम्पादक मिड डे मुम्बई के विरुद्ध शिकायत ।	,,
98.	लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी.सावरकर, सेवानिवृत्त, सचिव, सेना कल्याण सहकारी आवास समिति पुणे की सम्पादक दैनिक न्यूज एवं एनालिसिस पुणे संस्करण के विरुद्ध शिकायत ।	,,
99.	सुश्री एम.सी.बोरवंकर, पुलिस आयुक्त पुणे, महाराष्ट्र की (i) सम्पादक पुणे मिरर, पुणे और (ii) सम्पादक मुम्बई मिरर,मुम्बई के विरुद्ध शिकायत ।	,,
100.	मैसर्स ऑरबिट कार्पोशन लि. मुम्बई की सम्पादक बिजनेस इन्डिया, मुम्बई के विरुद्ध शिकायत ।	,,
101.	श्री नवीन जिंदल, सांसद (लोक सभा) नई दिल्ली की सम्पादक पंजाब केसरी, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	,,
102.	श्री मितनराम प्रेमी, सब-इंस्पेक्टर (सेवानिवृत्त) उत्तर प्रदेश पुलिस की सम्पादक, आज, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
103.	श्रीमती मनोरमा घिलडियाल, प्रिंसिपल, प्राइमरी स्कूल, कठोला, पौढी गढवाल उत्तराखंड की सम्पादक, दैनिक जागरण देहरादून, उत्तराखंड के विरुद्ध शिकायत ।	,,

क्र0 सं0.	पक्ष	निर्णय की तिथि
104.	श्री सतीश कुमार शर्मा, ग्वालियर की, सम्पादक, राजस्थान पत्रिका, ग्वालियर मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	21 दिसम्बर 2012
105.	डां. आर.के. कोटनाला, सचिव, सोसायटी फाँर साइंटीफिक वैल्यूज, नई दिल्ली की सम्पादक, दी टाइम्स आँफ इंडिया, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत।	,,
106.	श्री रवीद्र द्विवेदी,राष्ट्रीय अध्यक्ष, भ्रष्टाचार विरोधी समिति, थाणे की सम्पादक तरुण भारत कोल्हापुर के विरुद्ध शिकायत ।	,,.
107.	श्री रवीद्र द्विवेदी,राष्ट्रीय अध्यक्ष, भ्रष्टाचार विरोधी समिति, थाणे की सम्पादक, भूमि, जामनगर, गुजरात, के विरुद्ध शिकायत ।	,,
108.	श्री परशुराम एम.दिवानंद, पुणे, महाराष्ट्र की सम्पादक, स्वर विहार, पुणे, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत ।	21 दिसम्बर, 2012
109.	डाँ. प्रभजोत कौर, गुरु नानक अस्पताल, करनाल, हरियाणा की सम्पादक, दी ट्रिब्यून चंदीगढ के विरुद्ध शिकायत ।	,,
110.	श्री इन्दर पाल सिंह, पंजीयक, इंजीनियरिंग काँलेज सेल, तकनीकी शिक्षा एवं प्रौद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय, चंडीगढ़ की सम्पादक, हिन्दुस्तान टाइम्स, मोहाली के विरुद्ध शिकायत ।	,,
111.	श्री मनोज मोंगा, प्राधिकृत हस्ताक्षरी, मैसर्स वीडियोकाँन उद्यौग लि. ओखला नई दिल्ली की सम्पादक, राज एक्सप्रेस, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
112.	श्री जवाहर शंकर कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य आशुलिपिक/लिपिक संघ, समस्तीपुर, बिहार की सम्पादक, प्रभात खबर, पटना, बिहार के विरुद्ध शिकायत ।	,,
113.	श्री विजय कुमार ओझा, उप-निदेशक खान और खनिज विभाग, रांची की सम्पादक, दैनिक जागरण, रांची के विरुद्ध शिकायत ।	,,
114.	डाँ. अशोक कुमार तोमर, सेवा-निवृत्त प्राचार्य, नेशनल इंटर कालेज मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश की सम्पादक दैनिक जागरण, झांसी के विरुद्ध शिकायत ।	,,
115.	प्रिंसिपल केद्रीय विद्यालय, मल्कानगिरी, (उडीसा) की सम्पादक नई दुनिया रायपुर मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,

क्र0 सं0.	पक्ष	निर्णय की तिथि
116.	श्रीमती लक्ष्मीप्रिया बेहेरा, जाजपुर, उडीसा की सम्पादक, संवाद उडीसा के विरुद्ध शिकायत ।	21 दिसम्बर 2012
117.	श्री दिलीप कुमार सिंह, उपाध्यक्ष, होटल व पर्यटन हेरीटेज इंस्टीट्यूट, आगरा की सम्पादक आज, आगरा के विरुद्ध शिकायत।	,,
118.	श्री इद्रजीत बिशनोई, सदस्य जिला परिषद्, श्रीगंगानगर की सम्पादक सांध्य बॉर्डर टाइम्स, श्रीगंगानगर, राजस्थान के विरुद्ध शिकायत।	,,
119.	श्री युशू नारंग, हनुमानगढ, राजस्थान की सम्पादक, कानून के रखवाले हनुमानगढ, राजस्थान के विरुद्ध शिकायत ।	,,
120.	श्री के. एल. सोनी, पूर्व जिला अध्यक्ष, बीजेपी यूनिट, मंडसौर, मध्य प्रदेश की संपादक, गुरू एक्सप्रेस, मंडसौर, मध्यप्रदेश के विरूद्ध शिकायत।	
121.	श्री रामेश्वर सोनी , सदस्य, रोगी कल्याण समिति, कुशी, जिला धर, मध्य प्रदेश की संपादक, नई दुनिया, इंदौर ,मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	18 फरवरी, 2013
122.	डॉ0 स्मृति रतन मिश्र, बीआरसीसी , जनपद शिक्षा केन्द्र, धर, मध्य प्रदेश की संपादक, (i) सिटी ब्लास्ट, (ii)सांध्य दैनिक, 6 पी.एम, इंदौर, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
123.	डॉ0 बीना सिंह, प्रमुख जीवविज्ञान विभाग, केआरजी सरकारी पीजी कॉलेज ग्वालियर मध्य प्रदेश की संपादक (i) पीपल्स समाचार (ii) दैनिक भास्कर (iii) राजस्थान पत्रिका (iv) नई दुनिया के विरुद्ध शिकायत ।	,,
124.	श्री श्रीकांत चौधरी, सिविल जज दमोह, मध्य प्रदेश की संपादक, दैनिक भास्कर, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
125.	श्री दया शंकर श्रीवास्तव, अपर कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, डिन्डोरी, मध्य प्रदेश की संपादक, राज एक्सप्रेस,जबलपुर,मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
126.	डॉ0 अनिल कुमार भार्गव, मध्य प्रदेश की संपादक,शब्द डॉट कॉम, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
127.	श्री बालचंद जैन, करेली, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश की संपादक, हरिभूमि, जबलपुर, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,

क्र0 सं0.	पक्ष	निर्णय की तिथि
128.	श्री एस. फहीम अहमद, महाप्रबंधक, अफीम एवं एल्केलॉयड कार्य सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नीमच, मध्य प्रदेश की संपादक,दैनिक भास्कर, रतलाम, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	18 फरवरी, 2013
129.	श्री अखिलेश झा, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश की संपादक,राज एक्सप्रेस, भोपाल,मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत।	,,
130.	श्री पी.वी. सुधाकरन, प्रशासक, यूनीवर्सल, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, भोपाल मध्य प्रदेश की संपादक, द हिन्दुस्तान टाइम्स, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
131.	श्रीमती नीता जैन, एडवोकेट, अध्यक्ष, जल कार्य विभाग, दुर्ग, छत्तीसगढ़ की संपादक, दैनिक नवभारत, रायपुर, छत्तीसगढ के विरुद्ध शिकायत ।	18 फरवरी, 2013
132.	श्री देवेन्द्र सिंह, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल,सीधी, अस्पताल रोड, सीधी मध्य प्रदेश की संपादक, नवभारत ,भोपाल, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
133.	श्री सुखदेव सिंह जांगिद, अध्यक्ष, अखिल भारतीय जांगिद, ब्राह्मण महासभा, इंदौर,मध्य प्रदेश, की संपादक, लॉर्ड विश्वकर्मा इंटरनेश्नल, टॉन्क, राजस्थान के विरुद्ध शिकायत ।	18 फरवरी, 2013
134.	श्री एन के जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश, की संपादक, राज एक्सप्रेस, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
135.	श्री उमाशंकर प्रसाद ठाकुर, एवं अन्य पटना, बिहार की सम्पादक, आज पटना के विरुद्ध शिकायत ।	,,
136.	श्री ललित श्रीवास्तव, कानपुर, उत्तर प्रदेश की सम्पादक, आज, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
137.	श्री अजय पाल सिंह, टेलीकॉम जिला प्रबंधक, भारत संचार निगम लि. फतेहपुर, उत्तर प्रदेश की संपादक, स्वतंत्र भारत, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
138.	श्री नरेन्द्र कुमार परमार, कार्यक्रम सहायक, और श्री श्याम सुन्दर सोलंकी, अपर जिला योजना समन्वयक, सांझा शिक्षा कार्यक्रम, जालौर, राजस्थान की संपादक, दिव्य दमक, जालौर, राजस्थान के विरुद्ध शिकायत ।	,,

क्र0 सं0.	पक्ष	निर्णय की तिथि
139.	डॉ0 चन्द्रपाल, जिला मूल शिक्षा अधिकारी, मऊ, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक मान्यवर, जौनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	18 फरवरी, 2013
140.	श्री अवदेश कुमार सिंह, गुडगांव, (अधिवक्ता के जरिये) की सम्पादक दैनिक जागरण , गुडगांव, हरियाणा के विरुद्ध शिकायत	,,
141.	श्री सुधीर कुमार शर्मा (उर्फ कल्लू) जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की संपादक, थान्वी मुजफ्फरनगर टाइम्स, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
142.	श्री सुखदेव शर्मा, अध्यक्ष, जांगिद ब्राह्मण महासभा, चांदनी चौक, दिल्ली की संपादक, सांझा लोकस्वामी, उज्जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
143.	डॉ0 सुधा सिंह, अध्यक्ष, यूनीक इंस्टीट्यूट ऑफ, मैनेजमेंट एंड टेक्नालॉजी एंड एजूकेशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक जनवाणी, मेरठ, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
144.	श्री प्रशान्त गौतम, पत्रकार, उम्मीदवार/समन्वयक, बहुजन समाज पार्टी, मेरठ, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक जनवाणी, मेरठ उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	18 फरवरी, 2013
145.	मैसर्स यूनीकॉर्न सीक्योरिटीज प्रा.लि, नई दिल्ली की संपादक, कर्णेश्वर, करनाल के विरुद्ध शिकायत ।	,,
146.	श्री आर.एस. राणा, महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संगठन नई दिल्ली की संपादक, संदेश, गुजराती दैनिक, गुजरात के विरुद्ध शिकायत ।	,,
147.	श्री के. वी. सिंह, एडवोकेट एवं प्रबंधक, श्रीमती तस्वीर कुंवर गर्ल्स इंटर कॉलेज, जालौन, उत्तर प्रदेश की संपादक, स्वतंत्र भारत, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
148.	डॉ0 विवेक चौरसिया, वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ, फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक जागरण, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
149.	श्री नरेश कुमार वर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश की संपादक, समय भास्कर, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,

क्र0 सं0.	पक्ष	निर्णय की तिथि
150.	श्री सूर्य प्रकाश पांडेय, सहायक अध्यापक , किसान इंटर कॉलेज, रसूलपुर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश की संपादक, स्वतंत्र चेतना, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	18 फरवरी, 2013
151.	श्री राम दयाल, अपने एडवोकेट, एसवाई. जुल्फिकार हुसैन नक्वी के जरिये, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश की संपादक, अमर उजाला, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
152.	श्री मल्खे दीक्षित, वरिष्ठ सब-इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश की संपादक, ललित मशाल, ललितपुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
153.	श्री अमिताभ ठाकुर, आईपीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश काडर डॉ0 नूतन ठाकुर, लखनऊ की संपादक, दैनिक जागरण, लखनऊ के विरुद्ध शिकायत ।	,,
154.	श्री भवनजी रामजी गाला, मुम्बई की संपादक, बॉम्बे समाचार, मुम्बई के विरुद्ध शिकायत ।	,,
	प्रेस और नैतिकता	
155.	श्री बी.एम.राय, कांडीवाली (पश्चिम), मुंबई की संपादक, मुंबई मिरर, मुंबई के विरुद्ध शिकायत ।	27 अगस्त, 2012
156.	सुश्री प्रतिभा नैथानी, मुंबई की संपादक, आउटलुक, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	,,
157.	श्री विक्रम इम्मान्युइल अमोलिक, एडवोकेट, पुणे की संपादक, दँ टाइम्स ऑफ इंडिया, पुणे के विरुद्ध शिकायत ।	,,
158.	श्रीमती अनिता वर्मा सिंह, सदस्य-सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
159.	श्री नलिन कांत वाजपेयी ,महासचिव, मध्य प्रदेश कार्यकारी पत्रकार संघ, भोपाल, मध्य प्रदेश की संपादक, बालाघाट टुडे,बालाघाट, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	18 फरवरी, 2013
160.	डॉ0 अरविंद जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश की संपादक, दैनिक भास्कर, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,
	सांप्रदायिक, जातीय, धर्मविरोधी और राष्ट्रविरोधी लेखन	
161.	डॉ. आई.ए. खान अंजाना, अध्यक्ष, खानकाहा सूफी दिदार शाह चिश्ती, जिला-थाणे, महाराष्ट्र की संपादक, सप्तपर्नी, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायत ।	27 अगस्त, 2012

क्र0 सं0.	पक्ष	निर्णय की तिथि
162.	श्री सोहन दास,राज्य सचिव, हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति, रोहतक, हरियाणा की सम्पादक दैनिक जागरण,हिसार के विरुद्ध शिकायत ।	21 दिसम्बर 2012
163.	श्री विनोद कुमार सिन्हा, धनबाद, झारखंड की सम्पादक पब्लिक मैगजीन नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	,,
164.	श्री एस.सी.कपूर, विंग कमांडर (सेवा निवृत) नोएडा,उत्तर प्रदेश की सम्पादक दी टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत।	,,
165.	श्री रूबाबुद्दीन शेख, उज्जैन, मध्य प्रदेश की संपादक,स्वदेश, इंदौर, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। श्री रूबाबुद्दीन शेख,	18 फरवरी, 2013
166.	प्रो0 एन.के. जैन, पंजीयक, डॉ0 हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर, मध्य प्रदेश की संपादक, दैनिक जागरण, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,

समाचार कर्मियों का उत्पीड़न

1)	**श्री संदीप कुमार शुक्ला** **संवाद्दाता, ब्लैक टाइगर** **खीरी, उत्तर प्रदेश**	*बनाम*	**मुख्य सचिव** **उत्तर प्रदेश सरकार** **लखनऊ** **सचिव** **गृह (पुलिस) विभाग** **उत्तर प्रदेश सरकार** **लखनऊ (उत्तर प्रदेश)** **जिलाधीश** **खीरी, उत्तर प्रदेश** **पुलिस अधीक्षक** **खीरी, (उत्तर प्रदेश)** **श्री के.पी. सिंह, वन क्षेत्र अधिकारी** **गोला रेंज, खीरी,** **लखनऊ उत्तर प्रदेश**

अधिनिर्णय

श्री संदीप कुमार शुक्ला, संवाद्दाता, 'ब्लैक टाइगर', हिन्दी सांध्य दैनिक, खीरी, उत्तर प्रदेश ने श्री के.पी. सिंह, फारेस्ट फील्ड अधिकारी, गोला रेंज, खीरी, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध यह शिकायत दिनांक 10.6.2009 दायर की जिसने 'ब्लैक टाइगर' में शीर्षक 'विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर गोला रेंजर की नाक के नीचे हुआ कटान' से एक आलोचनात्मक रिपोर्ट प्रकाशित करने के उपरांत जून 2009 में धमकी दी और गालियां दीं। उसने यह भी कहा कि प्रतिवादी ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी है। शिकायतकर्ता ने परिषद् से मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया,,

उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर में विवरण प्रस्तुत करने के लिये दिनांक 17.11.2009 को नोटिस भेजा गया। श्री के.पी. सिंह, वन अधिकारी, गोला, खीरी ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 10.12.2009 में शिकायतकर्ता द्वारा उस पर लगाये गए आरोपों से इंकार किया और उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने विज्ञापन प्रकाशित करने के लिये 4,000/- रु. मांगे किंतु उसने भुगतान करने से इंकार कर दिया और बताया कि वह समाचार पत्रों में कोई भी विज्ञापन देने के लिये प्राधिकृत नहीं है। इससे नाराज होकर, शिकायतकर्ता ने उससे बात किये बिना उसके विरूद्ध समाचार प्रकाशित कर दिया। श्री आर. के. भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक, खीरी ने

अपनी टिप्पणियों दिनांक 20.6.2010 में एक रिपोर्ट दिनांक 1.6.2010 प्रस्तुत की जो क्षेत्र एरिया अधिकारी, खीरी पुलिस द्वारा किया गया था। उसमें यह कहा गया कि शिकायतकर्ता ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर विज्ञापन प्रकाशित करने के लिये वन अधिकारी से रुपयों की मांग की थी किंतु उसने देने से इंकार कर दिया था। जांच करने पर आरोप गलत पाया गया।

शिकायतकर्ता ने अपना उत्तर दायर किया और अपने बयान को दोहराया। उसने उल्लेख किया कि प्रतिवादी वन अधिकारी ने बेबुनियाद रिपोर्ट दायर की और विज्ञापन की मांग करने का आरोप गलत है।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 26.3.2012 को मामले पर विचार किया जब दोनों पक्ष उपस्थित थे। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत को दोहराया जबकि प्रतिवादी के प्रतिनिधि श्री मनोज सिंह चौहान ने बयान दिया कि शिकायत गलत है। जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद पाया कि शिकायतकर्ता धमकी देने के आरोप के सबूत में कुछ भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका और न ही उसने पुलिस में एफआईआर दायर की। उसने परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

2.) श्री कमलेश त्रिवेदी *बनाम*
संवाद्दाता, राहत टाइम्स
लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

सचिव
गृह (पुलिस) विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

पुलिस अधीक्षक
लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश

श्री योगेन्द्र सिंह
एसएचओ, थाना-गोला
खीरी, उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

श्री कमलेश त्रिवेदी, संवाददाता, राहत टाइम्स, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि श्री योगेन्द्र सिंह, एसएचओ, थाना-गोला, खीरी ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी क्योंकि उसने एक आलोचनात्मक लेख प्रकाशित

किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने अपने समाचार पत्र में पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध अनेक समाचार प्रकाशित किये हैं। इससे नाराज होकर, प्रतिवादी ने आईपीसी की धारा 384/420 के तहत उसके विरूद्ध एक अन्य व्यक्ति की सहायता से एक झूठा केस सं. 960/096 दायर किया। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि माननीय न्यायालय ने दिनांक 25.8.2009 का मुकदमे का फैसला कर दिया और आदेश दिये कि प्रार्थी को इस मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। न्यायालय के निदेशों की अवहेलना करते हुए, प्रतिवादी ने उसे बिना किसी कारण के दिनांक 30.8.2009 को गिरफतार कर लिया और एक अपराधी की भांति हिरासत में रखा किंतु कुछ प्रतिष्ठित पत्रकारों के हस्तक्षेप के बाद उसे छोड़ा गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि जब उसने उच्च प्राधिकारियों से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी को थाना गोला से थाना धोरहारा स्थानान्तरित कर दिया गया जो खीरी जिले में था किंतु प्रतिवादी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, जिले के सभी पत्रकारों ने प्रतिवादी के विरूद्ध जिलाधीश तथा उच्च प्राधिकारियों को एक ज्ञापन दिया। इससे नाराज होकर, प्रतिवादी ने उसकी हत्या करने के लिये कुछ अपराधियों को ठेका दे दिया। शिकायतकर्ता ने अपने जीवन को खतरा होने के डर से परिषद् से मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

उत्तर में विवरण के लिये परिषद् के नोटिस दिनांक 30.11.2009 के उत्तर में, पुलिस अधीक्षक, खीरी ने अपने लिखित बयान दिनांक 22.10.2010 को सूचित किया कि सर्किल अधिकारी, गोला, खीरी द्वारा एक जांच की गई, उनकी रिपोर्ट दिनांक 7.10.2010 में उल्लेख किया गया कि दुर्घटना की एक रिपोर्ट किन्हीं श्री मेवा लाल द्वारा श्री चरणजीत के विरूद्ध आईपीसी की धारा 279/337/338 के तहत केस सं. 978/09 और दूसरा केस सं. 960/09 श्री चरणजीत के विरूद्ध आईपीसी की धारा 384/420 के तहत दायर किया गया। यह केस माननीय न्यायालय में दिनांक 28.8.2009 को पेश हुआ जो अभी विचाराधीन है। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के आरोप से इंकार किया कि न्यायालय छोड़े जाने के आदेशों के बावजूद उसे दिनांक 30.8.2009 को पुनः गिरफ्तार किया गया। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायत पूरी तरह झूठ और गलत है।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 26.3.2012 को मामले पर विचार किया और पाया कि शिकायतकर्ता मामले में अपना पक्ष रखने को प्रस्तुत नहीं हुआ तो शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

3) श्री अली मोहम्मद **पत्रकार, अपराध टुडे** **सीतापुर, उत्तर प्रदेश**	*बनाम*	**मुख्य सचिव** **उत्तर प्रदेश सरकार** **लखनऊ उत्तर प्रदेश** **सचिव,** **गृह (पुलिस) विभाग** **उत्तर प्रदेश सरकार** **लखनऊ, उत्तर प्रदेश** **पुलिस अधीक्षक** **सीतापुर, उत्तर प्रदेश** **श्री आर.पी. साही** **एसएचओ, सीतापुर, उत्तर प्रदेश** **सरदार हरमीत सिंह** **उप-निरीक्षक, कोतवाली** **सीतापुर, उत्तर प्रदेश**

अधिनिर्णय

श्री अली मोहम्मद, पत्रकार, अपराध टुडे, हिन्दी मासिक, सीतापुर, उत्तर प्रदेश ने यह शिकायत दिनांक 31.8.2009 श्री आर.पी. साही, एसएचओ, श्री हरमीत सिंह, एएसआई और सिपाही जिसने उसके परिवार के सदस्यों को पीटा था और आभूषण व नकदी छीन ली थी, के विरूद्ध दायर की है, क्योंकि उसने नवम्बर 2008 में अपने अंक में शीर्षक ''पुलिस, माफिया और राजनेताओं के संरक्षण में चल रहे है देशी कट्टे, रिवाल्वर और पिस्टल बनाने के कारखाने'' से एक आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किया था।

उत्तर में विवरण के लिये नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को 1.2.2010 भेजे गये थे। श्री हरमीत सिंह, एस.ओ.जी. सीतापुर ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 10.3.2010 में उस पर शिकायतकर्ता द्वारा लगाये आरोपों से इंकार किया और उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता के पिता और भाईयों की आपराधिक पृष्ठभूमि है और उनके विरूद्ध अनेक मामले दायर हैं। प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता, उसका भाई दो अन्य व्यक्तियों के साथ डा. अविनाश जायसवाले के क्लीनिक में दिनांक 22.8.2009 को घुस गये और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया व गालीगलौज की। जब डॉ. अविनाश ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो उन्होंने मारने की धमकी दी। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि उनके खिलाफ धारा 504/506 के तहत एनसीआर संख्र 228/09 दर्ज हैं और न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 107/116 के तहत एक चालान दायर किया गया। उसने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने यह शिकायत पहले से इसलिये की है ताकि उस केस में कार्रवाई रूक जाए। पुलिस अधीक्षक, सीतापुर ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 19.3.2010 में ऐसा ही उत्तर प्रस्तुत किया। श्री ज्ञान सिंह, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पत्र दिनांक 28.10.2010 में पुलिस अधीक्षक, सीतापुर द्वारा दायर विस्तृत रिपोर्ट का उल्लेख किया जिसमें एस.जी.ओ., सीतापुर के कथन को दोहराया गया है।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 26.3.2012 को मामले पर विचार किया और पाया कि शिकायतकर्ता मामले में अपना पक्ष रखने को प्रस्तुत नहीं हुआ अतः शिकायत खारिज की जाए।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

4. चौ0 वेद प्रकाश चहर **नगर प्रमुख, आज** **आगरा, उत्तर प्रदेश** **श्री विक्रम सिंह यादव** **वरिष्ठ संवाददाता, आज**	***बनाम***	**मुख्य सचिव** **उत्तर प्रदेश सरकार** **लखनऊ** **सचिव** **गृह (पुलिस) विभाग** **उत्तर प्रदेश सरकार** **लखनऊ, उत्तर प्रदेश** **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक** **आगरा, उत्तर प्रदेश** **एस.एच.ओ.** **स्टेशन न्यू आगरा** **आगरा, उत्तर प्रदेश**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 29.12.2009 चौ0 वेद प्रकाश चहर, नगर प्रमुख, आज, आगरा ने पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध उनके साथी संवाददाता श्री विक्रम सिंह यादव को एक झूठे मामले में फंसाने के विरोध में दायर की है क्योंकि उन्होंने दिनांक 10,10,2009, 12.10.2009, 13.10.2009, 15.10.2009, 23.12.2009, 27.12.2009 व 29.12.2009 के अंकों में आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित किये थे। उसके अनुसार, ग्रामीणों और दयालबाग के बीच एक विवाद चल रहा है। उनका संवाददाता, श्री यादव घटना के बारे में समाचार बिना किसी पक्षपात के अपने कैमरामैन के साथ प्रकाशित करता है। इन आलोचनात्मक समाचारों से नाराज होकर, पुलिस ने संवाददाता श्री विक्रम सिंह यादव के विरूद्ध किसी भूरी सिंह के साथ साठगांठ करके न्यू आगरा थाने में आईपीसी की धारा 427/395/147/ 148 / 323/504/506 के तहत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1) (1) के तहत एक झूठी एफआईआर अपराध सं. 681 दिनांक 22-12-2009 को दर्ज की।

उत्तर में विवरण के लिये परिषद् के नोटिस दिनांक 27.4.2010 के उत्तर में, श्री नवीन चन्द्र त्रिपाठी, उप सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 6.7.2010 में उल्लेख किया कि दिनांक 22.12.2009 को सिकन्दरपुर, लालगढ़ी के ग्रामीणों और राधा

स्वामी के अनुयायिओं के बीच झगड़ा हो गया और न्यू आगरा थाने में आईपीसी की धारा 427/395/147/ 148/ 323/504/506 के तहत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1) के तहत एक केस सं. 681 दायर किया गया। श्री विक्रम सिंह यादव, पत्रकार जिसे घटना की रिपोर्ट देने के लिये भेजा गया था, को भी एक आरोपी बनाया गया। उसने उल्लेख किया कि क्षेत्र अधिकारी, हरिपर्वत आगरा द्वारा जांच की गई तथा समाचार प्रकाशित करने के बारे में कोई दबाव डालने/धमकी देने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया। क्षेत्र अधिकारी, हरिपर्वत आगरा की रिपोर्ट दिनांक 22.5.2010 संलग्न करते हुए, उसने उल्लेख किया कि चूंकि श्री विक्रम सिंह यादव के विरूद्ध अभी जांच चल रही है अतः अभी उन्हें बेगुनाह घोषित करना जल्दबाजी होगी।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 26.3.2012 को मामले पर विचार किया और पाया कि शिकायतकर्ता मामले में अपना पक्ष रखने को प्रस्तुत नहीं हुआ अतः शिकायत खारिज की जाए।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

5. श्री अनिल शुक्ला
रिपोर्टर
आज, हिन्दी दैनिक
लखीमपुर खीरी,
(उत्तर प्रदेश)

बनाम

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

सचिव
गृह (पुलिस) विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ,

पुलिस अधीक्षक
लखीमपुर खीरी, (उत्तर प्रदेश)

वन अधिकारी
दक्षिणी वन विभाग
लखीमपुर खीरी, (उत्तर प्रदेश)

अधिनिर्णय

यह अदिनांकित शिकायत, परिषद् के सचिवालय में दिनांक 5.5.2009 को प्राप्त हुई, श्री अनिल शुक्ला, रिपोर्टर, आज, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश ने वन अधिकारियों, वन माफिया और पुलिस के विरूद्ध दायर की है, उनके समाचार पत्र 'आज' में हरेभरे पेड़ों को काटने के बारे में आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित करने के कारण उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार, लखीमपुर खीरी वन उत्पादों से भरा सम्पन्न क्षेत्र है। इस कारण, पुलिस, वन माफिया और वन अधिकारियों के बीच गठजोड़ रहता है जिसके कारण इस अमूल्य सम्पदा का दोहन करके अपनी कमाई का धंधा चलता रहता है। शिकायतकर्ता

ने यह भी उल्लेख किया कि इस भूमि की एक अन्य विशेषता भी है कि यहां ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोग भी जन्म लेते रहे हैं जैसे मधुमिता मंजूनाथ, मनोज गुप्ता आदि जिन्होंने एक अच्छे कार्य के लिये अपने प्राणों को न्योछावर करने तक की परवाह नहीं की, उनके वे कार्य भावी पीढ़ियों के लिये प्रेरणा का स्रोत बने। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वह भी समाज के हित के लिये अपना योगदान कर रहा है। हरे वृक्षों के लगातार कटान पर नजर रखते हुए उसने एक जांच की, जिससे वन माफिया के क्रोध का भाजन बनना पड़ा जिसने दिनांक 1.4.2009 को उसकी हत्या करने का प्रयास किया। हालांकि, वह सौभाग्य से बच ही गया, कुछ जख्मी हुआ। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि पुलिस, वन विभाग और वन माफिया का यह शक्तिशाली गठजोड़ इस मामले में कोई बचने का कोई रास्ता नहीं दे रहा है और उसकी जिन्दगी को लगातार खतरा बना हुआ है क्योंकि अनजान लोगों को उसके घर के आसपास घूमते हुए और उसके परिवार के सदस्यों का पीछा करते हुए, जब वे बाहर जाते हैं, देखा गया है। उसने परिषद् से मामले में जांच करने और उसे व उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया।

उत्तर में विवरण के लिये परिषद् के नोटिस दिनांक 5.6.2009 के उत्तर में, प्रतिवादी पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी ने अपने लिखित बयान दिनांक 9.7.2009 में सूचित किया कि इस मामले में उप पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी द्वारा जांच की गई जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 5.7.2009 में उल्लेख किया कि कुछ अनजान लोगों ने शिकायतकर्ता पर हमला किया था और शिकायतकर्ता द्वारा तीन अनजान व्यक्तियों के विरूद्ध दिनांक 1.4.2009 को थाना कोतवाली सदर में आईपीसी की धारा 324/504 के तहत एक एफआईआर केस सं. 1135/09 दायर की गई थी। प्रतिवादी ने यह भी सूचित किया कि किसी भी आक्रमणकर्ता के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं है, हालांकि, सर्किल अधिकारी, सदर को मामले में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता के अन्य आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

उप सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पत्र दिनांक 3.5.2010 में सूचित किया कि घटना के बारे में शीघ्र जांच की गई थी और शिकायतकर्ता के आरोप जांच के दौरान झूठे पाये गए।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 26.3.2012 को मामले पर विचार किया। श्री अंकेश कुमार श्रीवास्तव, रेंज वन अधिकारी प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। शिकायतकर्ता ने समिति को सूचित किया कि पुलिस ने उनकी एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं की।

जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुने। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने कोतवाली सदर में एक एफआईआर दिनांक 1.4.2009 को दायर की थी किंतु किसी भी जांच अधिकारी ने उसे बयान देने के लिये नहीं बुलाया और उचित ढंग से जांच नहीं की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने सकीरा बसु बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मुकदमे में निर्णय दिया था कि यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इंकार करती है और पंजीकृत एफआईआर पर उचित जांच पड़ताल नहीं की जाती है तब शिकायतकर्ता मैजिस्ट्रेट से सम्पर्क कर सकता है। यदि मैजिस्ट्रेट यह पाता है कि प्रथम दृष्टया केस बनता है तो मैजिस्ट्रेट पुलिस को नोटिस भेज

सकता है। वह पुलिस को एफआईआर दर्ज करने, जांच और निगरानी करने का भी निदेश दे सकता है हालांकि मैजिस्ट्रेट जांच नहीं कर सकता है। चूंकि एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी, तो शिकायतकर्ता अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत मैजिस्ट्रेट से शिकायत को खारिज करा सकता है।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

6) श्री आनन्द सिंह **जिला प्रतिनिधि** **आज, हिन्दी दैनिक** **फैजाबाद, (उत्तर प्रदेश)**	*बनाम*	**मुख्य सचिव** **उत्तर प्रदेश सरकार** **लखनऊ** **सचिव** **गृह (पुलिस) विभाग** **उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ** **जिलाधीश** **अम्बेडकर नगर, (उत्तर प्रदेश)** **पुलिस अधीक्षक** **अम्बेडकर नगर, (उत्तर प्रदेश)**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 4.2.2009 श्री आनन्द सिंह, जिला प्रतिनिधि, आज, हिन्दी दैनिक, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकर नगर के विरूद्ध राजनीतिक दबाव में आकर शिक्षा माफिया के कहने पर उसके विरूद्ध झूठी रिपोर्ट भेजने के आरोप में दायर की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, सरकारी अधिकारियों और पीड़ित व्यक्ति श्री अनिल कनोजिया द्वारा एक माफिया श्री ओम प्रकाश के विरूद्ध शिक्षा संस्थानों में अवैध घुसपैठ के आरोप में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने यह भी सूचित किया कि उसने माफिया की इन अवैध गतिविधियों के बारे में अपने समाचारपत्र में रिपोर्ट प्रकाशित की। इससे नाराज होकर, एक षड़यंत्र के तहत झूठे मामलों में उसे फंसाने के इरादे से उन्होंने जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकर नगर के माध्यम से एक झूठी रिपोर्ट कर दी जिसमें कहा गया कि वह भी शिक्षा माफिया श्री ओम प्रकाश का साथी है। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह गांव हरिवंशपुर पीठापुर, थाना अकबरपुर, अम्बेडनगर का निवासी है जो श्री ओम प्रकाश के निवास स्थल से लगभग 26 किमी दूर है किंतु प्रशासन ने उसे कथित माफिया से बलात सम्बद्ध कर दिया ताकि षड़यंत्र के तहत झूठे मामलों में उसे फंसाया जा सके। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक ने राजनीतिक दबाव में आकर प्रशासन को एक झूठी रिपोर्ट भेज दी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया

कि प्रतिवादी ने उसकी हत्या करने की भी कोशिश की। शिकायतकर्ता ने श्री ओमप्रकाश और श्री कनोजिया से कोई भी संबंध होने से इंकार किया। शिकायतकर्ता ने अपने जीवन को खतरे की आशंका से परिषद् से मामले में जांच करने का अनुरोध किया ताकि वह अपने कार्यों का निर्वहन बिना किसी भय या बाधा के सम्पन्न कर सके।

उत्तर में विवरण के लिये परिषद् के नोटिस दिनांक 29.6.2009 के उत्तर में, पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर ने अपने लिखित बयान दिनांक 7.8.2009 में पूर्व पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकर नगर की जिलाधीश को भेजी रिपोर्ट दिनांक 8.2.2009 का संदर्भ देते हुए उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता के श्री ए.के. कनोजिया के साथ परोक्ष रूप से संबंध हैं और वह मूलतः गांव हरिवंशपुर का ही निवासी है। अतएव, पिछली रिपोर्ट दिनांक 24.12.2008 जिसमें शिकायतकर्ता का निवास स्थान ग्राम मधुपुर, मीरनपुर बताया गया है, झूठ था। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि पूर्व पुलिस अधीक्षक ने जिलाधीश से इन तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल करने का अनुरोध किया था। उसने परिषद् से केस को खारिज करने का अनुरोध किया।

जिलाधीश, बाराबंकी ने अपने पत्र दिनांक 28.1.2010 में उक्त कथित लिखित बयान का संदर्भ देते हुए उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता और उसका व्यवसाय उनके द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ और उनके बीच कभी कोई संवाद भी नहीं हुआ। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायत पूरी तरह झूठी और अस्वीकार्य है। उसने परिषद् से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया।

प्रतिवादी ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 1.2.2010 में अपनी शिकायत का उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस अधीक्षक का लिखित बयान झूठा और बेबुनियाद है। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को भेजने के बजाय जिलाधीश, अम्बेडकर नगर को पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के माध्यम से सीधे भेजी गई जिसका कोई औचित्य नहीं था।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 28.3.2012 को इस मामले पर सुनवाई की। दोनों पक्ष उपस्थित थे। श्री आनन्द सिंह, शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि वह अपना नाम अपराधियों जिनके विरूद्ध अनेक मामले चल रहे हैं, के साथ जोड़े जाने से दुखी है। प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए श्री जितेन्द्र सिंह ने बयान दिया कि उन्होंने एफआईआर में आवश्यक संशोधन कर दिये थे और शिकायतकर्ता के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। जांच समिति ने शिकायत में कार्रवाई के लिये कोई कारण नहीं पाया और उसे खारिज करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

7) **श्री लल्लन प्रसाद गुप्ता** *बनाम* **मुख्य सचिव**
संवाददाता **उत्तर प्रदेश सरकार**
अमर उजाला **लखनऊ**
मऊ, (उत्तर प्रदेश)

सचिव
गृह (पुलिस) विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

पुलिस अधीक्षक
मऊ, (उत्तर प्रदेश)

जिलाधीश
मऊ, (उत्तर प्रदेश)

अधिनिर्णय

श्री लल्लन प्रसाद गुप्ता, संवाददाता, अमर उजाला, मऊ, उत्तर प्रदेश ने अपनी शिकायत दिनांक 11.3.2010 में आरोप लगाया कि अपने समाचार पत्र में कुछ आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित करने के कारण कुछ शरारती तत्वों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने अमर उजाला में दिनांक 23.2.2010 को शीर्षक ''दबंगों ने थाने में खींचकर दलित युवक को पीटा'' से एक समाचार प्रकाशित किया था। कथित समाचार प्रकाशित करने के कारण, अपराधियों के विरूद्ध एक केस दायर किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इससे नाराज होकर दिनांक 25.2.2010 को किन्हीं श्री अभय सिंह और उनके साथियों ने उनके साथ बदसलूकी की और उसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने इस मामले में एसएचओ, चिरायकोट थाने में एक आवेदन दिया किंतु न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही अपराधियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई। उसने परिषद् से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया ताकि वह अपनी पत्रकारिता ड्यूटी का बिना किसी भय या बाधा के निर्वहन कर सके।

परिषद् के पत्र दिनांक 1.6.2010 के उत्तर में, पुलिस अधीक्षक, मऊ ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 20.7.2010 में सूचित किया कि सर्किल अधिकारी, मोहम्मदाबाद, मऊ द्वारा मामले में जांच की गई जिसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.7.2010 में उल्लेख किया कि किन्हीं श्री अशोक कुमार पर दिनांक 22.2.2010 को हमला करने की एक घटना हुई और इस संबंध में चिरयाकोट थाने में 23-2-2010 को एक एफ.आई.आर.दर्ज की गयी थी । प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि इस घटना का समाचार अमर उजाला दिनांक 23.2.2010 में प्रकाशित किया गया था। इस संबंध में, श्री अभय और कुछ अन्य लोगों ने शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी और दिनांक 26.2.2010 को चिरायकूट थाने को लिखित सूचना दी किंतु एसएचओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रतिवादी ने सूचित किया कि जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता के आवेदन के आधार पर अपराधियों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 504/506 के तहत दिनांक 17.7.2010 को एक एफआईआर एनसीआर सं. 31/10 दर्ज की गई और उन्होंने सीआरपीसी की धारा 107/116 तथा गुंडा अधिनियम की धारा 110 के तहत अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की। तब यह

मामला माननीय न्यायालय में दिनांक 8.3.2010 को पेश हुआ। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि संबंधित एसएचओ को भविष्य में अधिक सतर्क रहने के लिये चेतावनी भी दी गई।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 14.10.2010 में प्रतिवादी की टिप्पणियों पर असंतोष व्यक्त करते हुए उल्लेख किया कि अपराधियों के विरूद्ध कथित एनसीआर दायर करने की एक भिन्न घटना है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी अगली कार्रवाई नहीं की गई है और श्री अभय सिंह और उनके साथी उस पर केस वापस लेने का दबाव डाल रहे हैं। उसने आशंका व्यक्त की कि प्रतिवादी कोई भी अवांछित घटना घटित कर सकते हैं जिससे उसे अपनी पत्रकारिता की ड्यूटी करने में बाधा होगी।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 26.3.2012 को इस मामले पर सुनवाई की। दोनों पक्ष उपस्थित थे। श्री लल्लन प्रसाद गुप्ता, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसे अपराधियों के बारे में समाचार प्रकाशित करने के कारण धमकियां दी जा रही हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

श्री मनोज कुमार संकर, अपर पुलिस अधीक्षक, मऊ ने पुलिस अधीक्षक, मऊ और रमायन चौहान, जिलाधीश की ओर से प्रतिनिधि ने प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए बयान दिया कि धारा 107/16 के तहत एनसीआर दायर की गई और खुली जांच के बाद निरोधात्मक कार्रवाई की गई।

जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुने। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने दिनांक 1.4.2009 को कोतवाली सदर में एक एफआईआर दायर की थी किंतु उस मामले में कोई उचित जांच नहीं की गई तथा सरकार द्वारा एक अन्य मामले से संबंधित ब्योरा भेज दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'सकीरा बसु मुकदमे'' में निर्णय दिया था कि यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने या पंजीकरण करने से इंकार करे, जांच न करे और यदि मैजिस्ट्रेट पाता है कि प्रथम दृष्टया केस बनता है तो मैजिस्ट्रेट पुलिस को नोटिस भेज सकता है। वह पुलिस को एफआईआर दर्ज करने, जांच और निगरानी करने का भी निदेश दे सकता है किंतु मैजिस्ट्रेट जांच नहीं कर सकता है।

सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मैजिस्ट्रेट से सम्पर्क करके शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत को खारिज कराया जा सकता है।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

8. श्री विजय प्रकाश
प्रतिनिधि, 'शार्प रिपोर्टर'
आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

बनाम

पुलिस अधीक्षक
आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 9.1.2010 श्री विजय प्रकाश, प्रतिनिधि, 'शार्प रिपोर्टर' द्वारा पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध दायर की गई है जिसमें दिनांक 8.1.2010

को उनके कार्यालय में कथित दुर्व्यवहार करने और धमकी देने के बारे में उल्लेख किया गया है जब वह उनसे कुछ सूचना प्राप्त करने के लिये वहां गया था।

उत्तर में विवरण के लिये नोटिस दिनांक 3.6.2010 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सचिव, गृह (पुलिस) विभाग और पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को भेजा गया। उत्तर में, प्रतिवादी श्री भगवान स्वरूप, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 15.6.2010 में सूचित किया कि प्रतिवादी श्री रमीत शर्मा (अब पुलिस अधीक्षक, रामपुर) हैं। उत्तर में विवरण के लिये नोटिस पत्र दिनांक 26.8.2010 द्वारा श्री शर्मा को रामपुर भेजा गया। उप सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पत्र दिनांक 5.8.2010 में उल्लेख किया कि उप महानिरीक्षक पुलिस, उत्तर प्रदेश द्वारा मामले में जांच की गई और शिकायतकर्ता का कोई भी आरोप सही सिद्ध नहीं हुआ।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 26.3.2012 को इस मामले पर सुनवाई की। प्रतिवादी श्री रमीत शर्मा, पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़, उपस्थित थे। चूंकि शिकायतकर्ता नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ अतः शिकायत खारिज किये जाने योग्य थी।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

9) श्री नरेश कुमार गुप्ता **संवाददाता** **माया अवध हरदोई,** **(उत्तर प्रदेश)**	***बनाम***	**मुख्य सचिव** **उत्तर प्रदेश सरकार** **हरदोई लखनऊ** **सचिव** **गृह (पुलिस) विभाग** **उत्तर प्रदेश सरकार,** **लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)** **जिलाधीश** **हरदोई (उत्तर प्रदेश)** **पुलिस अधीक्षक** **हरदोई, (उत्तर प्रदेश)** **मुख्य चिकित्सा अधिकारी** **जिला अस्पताल** **हरदोई, (उत्तर प्रदेश)**

अधिनिर्णय

श्री नरेश कुमार गुप्ता, संवाददाता, माया अवध, हिन्दी मासिक, हरदोई, उत्तर प्रदेश ने यह शिकायत दिनांक 26.9.2010 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध

दायर की है जिन्होंने उसे मारने या झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी है क्योंकि कुछ आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित किये गए थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसने अपने समाचारपत्र में अस्पताल में फैली अनियमितताओं, काले कारनामों और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। इन आलोचनात्मक समाचारों से नाराज होकर, प्रतिवादी ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया और जब वह वहां अपने फोटोग्राफर के साथ पहुंचा तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उसे गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।

डॉ. जे.पी. उपाध्याय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई ने अपने उत्तर दिनांक 10.7.2010 में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका माया अवध में 5,000/रु. के विज्ञापन देने के दबाव डाला। जब उसने रुपये देने से इंकार किया तो शिकायतकर्ता ने उक्त समाचार प्रकाशित कर दिये और प्रेस परिषद् को झूठी शिकायत करदी।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 26.3.2012 को इस मामले पर सुनवाई की। प्रतिवादी श्री राकेश कुमार मिश्रा, एडीएम, हरदोई और श्री आर.के. श्रीवास्तव, आईपीएस, एसएसपी हरदोई उपस्थित हुए। चूंकि शिकायतकर्ता नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं था अतः शिकायत खारिज किये जाने योग्य थी।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

10) श्री रामानन्द सिंह चंदेल
जिला संवाददाता, 'सरल सहारा'
उन्नाव, उत्तर प्रदेश

बनाम

पुलिस अधीक्षक
उन्नाव, उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 9.1.2010 श्री रामानन्द सिंह चंदेल, जिला संवाददाता, 'सरल सहारा', उन्नाव, उत्तर प्रदेश द्वारा पुलिस अधीक्षक, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध दायर की गई है जिसमें उसके समाचारपत्र में पुलिस विभाग के विरूद्ध एक आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित करने के कारण उसे मारने की धमकी दिये जाने का उल्लेख किया गया है।

उत्तर में विवरण के लिये परिषद् के नोटिस दिनांक 10.5.2010 के प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी श्री ए.के. शुक्ला, पुलिस अधीक्षक, उन्नाव ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 12.7.2010 में उल्लेख किया कि आरोप झूठे और मनगढंत हैं क्योंकि शिकायतकर्ता 'सरल सहारा' का संवाददाता होने के कारण ब्लैकमेल करने के लिये सरकारी अधिकारियों और पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के विभागों के विरूद्ध समाचार प्रकाशित करता रहता है। प्रतिवादी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गए आरोप जांच करने पर झूठे पाये गए।

पुलिस विभाग की दोनों टिप्पणियों की प्रतियां पत्र दिनांक 2.8.2010 और 2.2.2011 द्वारा शिकायतकर्ता को सूचनार्थ / प्रति टिप्पणियों के लिये भेजी गईं।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 26.3.2012 को इस मामले पर सुनवाई की। प्रतिवादी श्री विनोद कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक, उन्नाव, उत्तर प्रदेश की ओर से पेश हुए। चूंकि शिकायतकर्ता नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ अतः शिकायत खारिज किये जाने योग्य थी।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

11) श्री ओमप्रकाश बघेल संपादक
दुनिया एक नजर में
अलीगढ़

बनाम

समाज विरोधी तत्व
अलीगढ़

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 10.4.2010 श्री ओम प्रकाश बाघेल, संपादक, दुनिया एक नजर में, अलीगढ़ द्वारा उनके एसोशियट संपादक, श्री कुमार सेन लोधी को धमकी मिलने के कारण दायर की गई है क्योंकि उन्होंने एक चरित्रहीन महिला, पुष्पा देवी जो उसके छोटे भाई की पत्नी भी है, के विरूद्ध एक शिकायत दर्ज की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार,उन्होंने अपने समाचार पत्र दिनांक 6.3.2010 में शीर्षक ''कलयुगी पत्नी ने अवैध संबंधों में बाधक पति की कराई हत्या'' से एक समाचार भी प्रकाशित किया था और उसे पुलिस प्राधिकारियों को भेज दिया था। इससे नाराज होकर प्रतिवादी ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। इसी तारीख के अपने दूसरे पत्र में शिकायतकर्ता ने श्री सतेन्द्र प्रताप सिंह, ब्लाक प्रभारी, प्राथमिक शिक्षा विभाग के विरूद्ध शिकायत की क्योंकि उसने जिला शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़ को भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत की थी और अपने समाचारपत्र दिनांक 28.2.2010 को शीर्षक ''बौखलाये संकुल प्रभारी सोलंकी की प्रधान संपादक को जान से मारने की धमकी'' से समाचार प्रकाशित किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

अपनी टिप्पणियों दिनांक 11.4.2011 में, उप सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता और उसके साथी सनसनीखेज पत्रकारिता करते हैं और वे श्रीमती पुष्पा देवी पर मकान और भूमि को खाली करने के लिये दबाव डाल रहे हैं और वे उसे उसका हिस्सा देना भी नहीं चाहते हैं। प्रतिवादी ने एसएसपी की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत की जिसने सर्किल अधिकारी के द्वारा मामले में जांच कराई थी।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 26.3.2012 को इस मामले पर सुनवाई की। दोनों पक्ष उपसिथत थे। शिकायतकर्ता की ओर से श्री ओम प्रकाश वाघेल और प्रतिवादी की ओर से श्री जहांगीर अहमद, सहायक सूचना निदेशक पेश हुए। दोनों पक्षों ने जांच समिति को

सूचित किया कि मामले का निपटान कर लिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए जांच समिति ने शिकायत को बंद करने का निर्णय लिया।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

12) मुजफ्फरनगर के पत्रकारों की गिरफ्तारी के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के विरूद्ध मूल कार्रवाई ।

अधिनिर्णय

भारतीय प्रेस पषिद् ने जनसत्ता, हिन्दी दैनिक, (नई दिल्ली संस्करण) के दिनांक 21.4.2008 के अंक में शीर्षक "उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की चौतरफा घेरेबंदी - अपहरण को लेकर एक हिरासत में, दूसरा अपहर्ताओं के फंदे से निकला" के अंतर्गत प्रकाशित समाचार पर गौर किया। इसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में पत्रकार फिर निशाने पर थे। दिनांक 21.4.2008 को इलाहाबाद के पत्रकार श्यामेंद्र कुशवाहा अपहर्ताओं जिन्होंने 5 अप्रैल, 2008 को उनका अपहरण किया था के चंगुल से जान बचाकर भाग आए दूसरे वरिष्ठ पत्रकार मेहरूद्दीन खान को भी 5.4.2008 को गिरफ्तार किया गया, वे पिछले 15 दिन से जेल में थे। उन्हें अपहरण के मामले में शामिल बताया गया था। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मेहरूद्दीन खान की गिरफ्तारी और उनके परिवार के उत्पीड़न निंदा की और इस घटना के कारण मुजफ्फरनगर के लोगों को धक्का लगा था। श्री उत्तम चंद शर्मा, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद् को दिनांक 13.5.2008 की अपनी शिकायत में डॉ0 मेहरूद्दीन ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उन्हें तथा उनके परिवार को बुरी तरह उत्पीड़ित किया। पीड़ित पत्रकार ने आरोप लगाया कि दिनांक 5.4.2008 को पुलिस कर्मियों ने रात 9.30 बजे उनके घर पर हमला किया और उनके तथा उनके परिवार की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्हें तथा उनके बेटे को बिना किसी कारण गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी 6.4.2008 को सुबह 6.00 बजे दिखायी गयी थी। थाने में उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने पिंकी नामक लड़की का अपहरण कर लिया था और उनपर एक रात उन्हें शरण देने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस द्वारा लगाये गये सभी आरोपों का खंडन किया और अनुरोध किया कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस अधीक्षक मुजफ्परनगर से दिनांक 6.5.2008 को रिपोर्टें मँगवायी गयीं। डॉ0 मेहरूद्दीन खान से प्राप्त दिनांक 13.5.2008 की शिकायत की प्रति भी प्रतिवादियों को दिनांक 10.5.2008 को मामले में उनकी समेकित टिप्पणियों के लिए भेजी गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर ने दिनांक 27.8.2008 के पत्र के जरिये एस.पी. मुजफ्फरनगर की विस्तृत टिप्पणियाँ दीं जिनमें यह विवेचित किया गया था कि श्री विजयपाल की बेटी पिंकी का किसी बदमाश द्वारा अपहरण किया गया था और भा.दं.सं. की धारा 363/366/368 के अंतर्गत मामला सं0 159/2008 दर्ज़ किया गया था । अपहृत लड़की अभी

तक बरामद नहीं हुई थी । रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया था कि डॉ. मेहरूद्दीन खान और उनके परिवार के सदस्यों को अपहृत लड़की को शरण देने का दोषी पाया गया था और उन्हें भा.दं.सं. की धारा 368 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था । रिपोर्ट में आगे यह विवेचित किया गया था कि डॉ. मेहरूद्दीन खान ने पत्रकारिता की आड़ में पुलिस पर दबाव डालने के लिए शिकायत दर्ज़ की थी । उन्हें उनके बेटे सहित दिनांक 2.5.2008 को ज़मानत पर सत्र न्यायाधीश द्वारा 30,000/-रूपये प्रति स्वीय बंधपत्र (पर्सनल बॉन्ड) पर रिहा किया गया ।

डॉ0 मेहरूद्दीन खान ने दिनांक 26.5.2009 की अपनी प्रति-टिप्पणियों में प्रतिवादी द्वारा लगाये गये आरोपों का खंडन किया और निवेदन किया कि पिंकी नामक लड़की मेहताब के साथ दिनांक 17.3.2008 को भागी थी और जिसकी रिपोर्ट दिनांक 27.3.2008 को ही थाने में दर्ज़ की गयी थी । पुलिस ने अभियुक्त संजय और दो निर्दोष लोगों कय्यूम और अंसार को गिरफ्तार किया और उन्हें उत्पीड़ित किया। डॉ. खान ने निवेदन किया कि पत्रकार होने के नाते उन्होंने मुस्लिम युवाओं की अवैध गिरफ्तारी और उत्पीड़न के संबंध में दिनांक 4.5.2008 को शाह टाइम्स में समाचार प्रकाशित किया था । डॉ0 मेहरूद्दीन ने आरोप लोगाया कि समचार से क्रुद्ध होकर, पुलिस ने उन्हें तथा उनके बेटे को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया, दिनांक 5.4.2008 को थाने में हथकड़ी लगायी और दिनांक 6.4.2008 को उन्हें जेल भेज दिया उन्होंने आगे कहा कि अपहरण का षड्यंत्र रचने और लड़की के अपहरण के आरोप पूर्णतया झूठे और निराधार थे । उन्होंने आगे निवेदन किया कि किसी ने भी उनके विरूद्ध कोई बयान नहीं दिया था, जैसाकि पुलिस द्वारा आरोप लगाया गया था । उन्होंने प्रतिवादी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया ।

पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद ने दिनांक 16.10.2009 के अपने पत्र में विवेचित किया कि दैनिक जागरण के संपादक श्री श्यामेन्द्र सिंह खुशवाहा के भाई की शिकायत पर भा.दं.सं. की धारा 364 के अंतर्गत एक मामला दर्ज़ किया गया था । पुलिस कर्मियों की एक टीम ने संबद्ध संपादक को खोजने की कोशिश की परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली । जब पुलिस टीम श्री खुशवाहा को नहीं खोज पायी, तब इलाहाबाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष, राजनैतिक दलों के नेताओं ने पुलिस प्राधिकारियों की निष्क्रियता को लेकर विरोध किया। कुछ दिनों बाद श्री खुशवाहा घर लौटे और उनसे पता चला कि उनका अपहरण नहीं हुआ था बल्कि वे एकांत में चले गये थे। इस संबंध में अंतिम रिपोर्ट दिनांक 14.7.2008 को न्यायालय में दी गई और श्री खुशवाहा को उत्पीड़ित नहीं किया गया था ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर ने दिनांक 22.10.2009 के अपने पत्र में विवेचित किया कि इस मामले की छानबीन सी.ओ., कैराना द्वारा की गई थी । जाँच समिति की रिपोर्ट भेजते हुए प्रतिवादी ने निवेदन किया कि जाँच के दौरान आरोप सिद्ध नहीं हो सके ।

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 31.5.2010 को जांच समिति के समक्ष पेश किया गया । श्री मेहरूद्दीन खान संबंधित पत्रकार स्वयं उपस्थित हुए । श्री उदय सिंह, एस.डी. एम. कयकाना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश और श्री आलोक प्रियदर्शी, सी.ओ. सदर, मुजफ्फनगर क्रमशः प्रतिवादी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर जिला के पुलिस प्राधिकारियों की ओर से पेश हुए । पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, मुज़फ्फरनगर ने अपने फैक्स दिनांक 29.5.2010 द्वारा सूचित किया कि शिकायतकर्ता के विरूद्ध आई पी सी की धारा

363/366 के दायर फोजदारी केस सं0 159/2008 अंतिम सुनवाई के लिए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक, अदालत नं0 4, मुजफ्फरनगर के समक्ष दिनांक 31.5.2010 को पेश किया गया । केस के बारे में शिकायतकर्ता से जांच पड़ताल करने और उससे सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद, जांच समिति ने न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया और मामले को स्थगित कर दिया गया । पुलिस प्राधिकारियों को समिति द्वारा शिकायतकर्ता को प्रताड़ित नहीं करने का निदेश दिया गया ।

जाँच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 28.10.2010 को मामले पर विचार किया तब दोनों पक्षों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ । श्री संतोष कुमार यादव, जिलाधीश, मुजफ्फरनगर (प्रतिवादी) ने अपने पत्र दिनांक 21.10.2010 द्वारा स्थगन के लिये अनुरोध किया। जांच समिति ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और मामले को स्थगित कर दिया । जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 19.8.2011 को मामले पर सुनवाई की। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ जबकि श्री आर.पी. सिंह, उप निरीक्षक, थाना कैराना, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ने प्रतिवादियों की ओर से पेश होते हुए बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की अगली तारीख दिनांक 13.9.2011 है और श्री सुभाष चन्द्र गंगवार, पुलिस अधीक्षक, कैराना, मुजफ्फरनगर का पत्र दिनांक 19.8.2011 सौंपा जिसमें उन्होंने स्वयं उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और स्थगन के लिये अनुरोध किया। शिकायतकर्ता डॉ. मेहरूद्दीन खान ने अपने पत्र दिनांक 3.8.3011 में अदालत में मुकदमा विचाराधीन होने के कारण जिसमें निर्णय की प्रतीक्षा है, सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। जांच समिति ने एडीएसजे, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मुजफ्फरनगर के निर्णय की प्रतीक्षा करने का फैसला किया और सुनवाई स्थगित कर दी।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 28.3.2012 को मामले पर सुनवाई की। कोई भी पक्ष पेश नहीं हुआ। जांच समिति ने फैसला किया कि प्रताड़ना के केस चार वर्ष पुराना है अतएव मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार किये बिना सरकार को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता बनी रहे और पत्रकारिता संबंधी कार्यें के निवर्हन में कोई बाधा नहीं डाली जाए। उसने परिषद् से मामले में अगली कार्रवाई बंद करने और मुख्य सचिव, सचिव, गृह और पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार को इन निदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड पर विचार करने के बाद जांच समिति की ऊपर लिखे अनुसार, रिपोर्ट स्वीकार कर ली।

13½ Jh v'kksd jkor eq[; lEiknd cz t ØkfUr egkek;kuxj gkFkjl] mRrj izns'k	*cuke*	fMohtuy la;qDr f'k{kk funs'kd] gkFkjl mRrj izns'k

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 9.4.2008 श्री अशोक रावत, मुख्य संपादक, बृज क्रान्ति, हाथरस, उत्तर प्रदेश द्वारा डिवीजनल संयुक्त शिक्षा निदेशक, हाथरस के विरूद्ध की गई है जो उनके

दुर्व्यवहार और उसके एवं श्री दुर्गेश शर्मा, न्यूज ब्यूरो आफ स्टार न्यूज के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप में की गई है, उस समय वे दोनों प्रतिवादी से समाचार एकत्र कर रहे थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, जब उन्होंने प्रतिवादी से सम्पर्क किया और संस्थानों में फैले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के बारे में सूचना मांगी, तो उन्हें न केवल सूचना देने से वंचित रखा गया बल्कि उनके दुर्व्यवहार को भी सहना पड़ा।

टिप्पणियों के लिये एक नोटिस दिनांक 15.4.2009 प्रतिवादी श्री अशोक कुमार उपाध्याय, संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा को भेजा गया। प्रत्युत्तर में डिवीजनल संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ने अपने पत्र दिनांक 11.5.2009 द्वारा उल्लेख किया कि यह मामला तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक, श्री अशोक कुमार उपाध्याय से संबंधित है जो 28.2.2009 को सेवा निवृत्त हो गये हैं। फिर डिवीजनल संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा से पत्र दिनांक 13.8.2009 द्वारा मामले में विभाग की ओर से टिप्पणी भेजने के लिये कहा गया। कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर, प्रत्युत्तर में विवरण के लिये नोटिस दिनांक 8.4.2010 सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और डिवीजनल संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा को भेजा गया।

कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होने पर प्रतिवादियों को अनुस्मारक दिनांक 4.10.2010 भेजे गए और इसके जवाब में श्री संजय यादव, डिवीजनल संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा के पत्र दिनांक 14.10.2010 में मामले से संबंधित सभी दस्तावेज भेजने का अनुरोध किया गया जो पत्र दिनांक 1.2.2011 के साथ भेज दिये गए। मामले में अभी तक कोई टिप्पणियों प्राप्त नहीं हुई हैं।

यह मामला जांच समिति के समक्ष नई दिल्ली में दिनांक 19.8.2011 को सुनवाई के लिये पेश किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, हालांकि शिकायतकर्ता का एक पत्र दिनांक 16.8.2011 प्राप्त हुआ जिसमें उसकी पत्नी की बीमारी के कारण सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया गया जबकि श्री बी.के. शर्मा, प्रिंसिपल, किरन राजकीय इंटर कालेज, अलीगढ़ प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। प्रतिवादी का पत्र दिनांक 28.7.2011 जो शिकायतकर्ता को सम्बोधित है और परिषद् को प्रतिलिपि पृष्ठांकित की गई है, में उल्लेख किया गया है कि उनके विभाग को पेशी के लिये केवल नोटिस प्राप्त हुआ किन्तु शिकायत की प्रति प्राप्त नहीं हुई, अतः वे इस मामले में कोई स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं हैं। जांच समिति ने प्रतिवादी को शिकायत की प्रतिलिपि प्राप्त करने और चार सप्ताह में उत्तर प्रस्तुत करने का निदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 28.3.2012 को मामले पर सुनवाई की। श्री दुर्गेश शर्मा और श्री हरीश कुमार शर्मा, वरिष्ठ लिपिक संयुक्त निदेशक, शिक्षा, आगरा की ओर से और श्री बी.के. शर्मा, प्रिंसिपल, किरन राजकीय इंटर कालेज, अलीगढ़ और श्री अही बरन सिंह, संयुक्त निदेशक, अलीगढ़ प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। जांच समिति ने शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में अभियोजन न होने के लिये शिकायत को शुरू में खारिज करने का निर्णय लिया। हालांकि, शिकायतकर्ता यातायात में फंस जाने के कारण देरी से उपस्थित हुआ और उसने मामले पर विचार करने का अनुरोध किया। शिकायतकर्ता का बयान सुनने के बाद,

जांच समिति ने राय व्यक्त की कि शिकायत एक मामूली मुद्दे पर होने के कारण प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई योग्य नहीं है। उसने परिषद् से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार निर्णय लिया।

14) **श्री राजीव यादव**
पत्रकार
अमर उजाला
उत्तर प्रदेश

बनाम

पुलिस प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 3.3.2010 श्री राजीव यादव, पत्रकार, अमर उजाला द्वारा पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के विरूद्ध पुलिस विभाग की कार्य प्रणालियों से संबंधित समाचार प्रकाशित नहीं करने के लिये दबाव डालने के विरोध में की गई है। उसे स्टेशन हाउस अधिकारी के दुर्व्यवहार के कारण अपनी जिन्दगी और स्वतंत्रता को खतरे की आशंका है जिसने वर्ष 2009 में एक आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित किये जाने पर उसे गालियां दी थीं।

बयान के लिये भेजे नोटिस के उत्तर दिनांक 8.3.2011 में, प्रतिवादी उप-निरीक्षक, श्री विनोद कुमार ने अपनी अदिनांकित टिप्पणियों में उल्लेख किया कि उस पर लगाये गए सभी आरोप झूठे और मनगढंत है क्योंकि शिकायतकर्ता एक मुकदमे में अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 25.4.2011 में उल्लेख किया कि मामले में जांच की गई थी जिसमें शिकायतकर्ता की शिकायतों को सही नहीं पाया गया।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 28.3.2012 को मामले पर सुनवाई की। शिकायतकर्ता पेश नहीं हुआ जबकि श्री अभय कुमार गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक प्रतिवादी अपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वी.के. मिश्रा, फतेहगढ़ की ओर से पेश हुए। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ है अतः उसने अनाभियोग पर शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की ।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार निर्णय लिया।

15) **श्री शशि भूषण दुबे**
ब्यूरो प्रमुख/विशेष संवाददाता
विंध्य भारत मिर्जापुर,
(उत्तर प्रदेश)

बनाम

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

सचिव
गृह (पुलिस) विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

जिलाधीश
मिर्जापुर, (उत्तर प्रदेश)

श्री के. सत्य नारायण,
आईपीएस पुलिस अधीक्षक
मिर्जापुर, (उत्तर प्रदेश)

स्टेशन हाउस अधिकारी
लालगंज, मिर्जापुर,
(उत्तर प्रदेश)

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 25.1.2011 श्री शशि भूषण दुबे, ब्यूरो प्रमुख/विशेष संवाददाता, ''विंध्य भारत'', हिन्दी दैनिक, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश द्वारा पुलिस प्राधिकारियों और शराब माफिया के विरूद्ध उनके समाचार पत्र में एक आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित करने के कारण उन्हें झूठे मामलों में फंसाये जाने और परेशान करने की धमकियां दिये जाने के कारण की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने शराब माफिया के विरूद्ध दिनांक 24.9.2010, 16.11.2010 और 30.1.2011 को समाचार प्रकाशित किये थे जो जहरीली शराब पीने के कारण दर्जनों लोगों की मौत होने के बारे में थी और उन समाचारों के शीर्षक क्रमशः इस प्रकार थे - ''कई मौतों के बाद भी बिक रही जहरीली शराब'', ''समाचार छापने पर शराब माफिया ने दी धमकी'' और '' शराब माफिया के चुंगल में पुलिस''। इससे नाराज होकर, जहरीली शराब बनाने वाले श्री बच्चेलाल सोनकर और उसके बेटे ने उसे धमकी दी कि वे उसे झूठे मामलों में फंसा देंगे। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसने पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को दिनांक 29.10.2010 को लिखित/मौखिक रूप से सूचित किया था और उससे पहले दिनांक 21.10.2010 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक को भी सूचित किया था। पुलिस अधीक्षक ने उसकी एफआईआर एसएचओ, लालगंज को जांच करने के लिये भेज दी किन्तु उसने न तो कोई जांच रिपोर्ट दायर की और न ही अभी तक कोई कार्रवाई की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने शराब माफिया की मिलीभगत से उसे झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने एक समादेश याचिका सं. 7596/2011 माननीय इलाहाबाद न्यायालय में दायर की और अदालत ने अपने

आदेश दिनांक 10.2.2011 द्वारा उसे सुरक्षा प्रदान करने और अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया। इससे नाराज होकर, उसे सुरक्षा प्रदान करने के बजाय, डीआईजी/एसपी, मिर्जापुर ने एक बीएसपी के विधायक से सांठगांठ करके एक षड़यंत्र रचने के झूठे मामले में उसके विरूद्ध दिनांक 1.3.2011 को एक एफआईआर दायर की और तबसे उसे लगातार परेशान किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने अपनी जिंदगी को खतरा बताते हुए परिषद् से मामले में जांच पड़ताल करने का अनुरोध किया जिससे वह बिना किसी भय या बाधा के अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर सके।

बयान के लिये नोटिस के उत्तर दिनांक 8.7.2011 में पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 7.8.2011 में उल्लेख किया कि एसएचओ, लालगंज द्वारा मामले की जांच की गई और पाया कि शिकायतकर्ता सनसनीखेज पत्रकारिता करता है और उसने श्री बच्चेलाल सोनकर के पुत्र को रेलवे में नौकरी दिलाने के लिये उससे रुपये लिये किन्तु नौकरी नहीं दिला सका तो उससे रुपये लौटाने के लिये कहा गया तब शिकायतकर्ता ने उन्हें धमकी दी और दुर्व्यवहार किया। प्रतिवादी द्वारा शिकायतकर्ता के विरूद्ध आईपीसी की धाराओं 419,420,467,468,504,506 के तहत और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1) के तहत एक केस दायर किया गया। जब शिकायतकर्ता को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी श्री बच्चे लाल सोनकर ने उसके विरूद्ध शिकायत दर्ज की है तो उसने भी उसके विरूद्ध एक प्रति शिकायत दर्ज करा दी कि वह शराब माफिया है और उसके विरूद्ध विभिन्न क्षेत्रों में अनेक मामले दर्ज हैं किन्तु जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि उसके विरूद्ध कोई भी केस दर्ज नहीं था।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 9.9.2011 में उल्लेख किया कि प्रतिवादी द्वारा लगाये आरोप झूठे हैं। उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने घूस लेने के बाद शराब माफिया के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निदेशों का सम्मान नहीं किया जिसमें माननीय न्यायालय ने उसे निदेश दिया था कि शिकायतकर्ता को एक बंदूकधारी मुहैया कराया जाये जो आज तक उसे नहीं दिया गया है और उसके जीवन को खतरा बना हुआ है।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 28.3.2012 को मामले पर सुनवाई की। शिकायतकर्ता की ओर से डॉ. दया शंकर तिवारी और प्रतिवादी की ओर से श्री लल्लन राय, अपर पुलिस अधीक्षक (ओडी), श्री रमेश चौबे, श्री अनिल कुमार मिश्रा, डिप्टी कलैक्टर, मिर्जापुर जांच समिति के समक्ष पेश हुए। शिकायतकर्ता ने हलफनामा दायर किया कि वह प्रतिवादी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट है और अपनी शिकायत पर अगली कार्रवाई नहीं चाहता है। जांच समिति ने शिकायत को वापस लिये जाने के कारण उसे खारिज कर दिया।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया तथा मामले को बंद करने का निर्णय लिया।

16) श्री सुधीर जैन
पत्रकार
स्वदेश झांसी

बनाम

अपर जिलाधीश
झांसी, उत्तर प्रदेश

एसएचओ
मौरानीपुर,
झांसी उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 22.3.2010 श्री सुधीर जैन, पत्रकार, झांसी द्वारा उनके समाचारपत्र 'स्वदेश' में आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित होने के बाद अपर जिला मैजिस्ट्रेट, झांसी और एसएचओ, मौरानीपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश द्वारा धमकियां दिये जाने के आरोप में दायर की गई है। शिकायतकर्ता को आशंका थी कि उसे झूठे मामलों में फंसाया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। नोटिस के उत्तर में, एडीएम, झांसी ने दिनांक 21.7.2010 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि शिकायतकर्ता पर पुलिस/प्रशासन द्वारा कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है तथा शिकायतकर्ता द्वारा लगाये आरोप झूठे और भ्रामक हैं। प्रशासन ने शहर में साम्प्रदायिक सद्भाव, कानून व व्यवस्था को बनाये रखने के लिये कार्रवाई की।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 28.3.2012 को मामले पर सुनवाई की। प्रतिवादी की ओर से श्री महेन्द्र प्रताप तहसीलदार, मौरनीपुर, जिला झांसी और श्री सुखराम भारती, सी.ओ. मौरानीपुर पेश हुए। शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने के कारण, जांच समिति ने शिकायत को अनाभियोजन पर खारिज कर दिया।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार निर्णय लिया।

17) श्री गणेश कुमार शुक्ल
रिपोर्टर,
आदर्श पंचायती राज
चित्रकूट, उत्तर प्रदेश

बनाम

सर्किल अधिकारी
राजापुर,
चित्रकूट, उत्तर प्रदेश
एसएचओ
राजापुर थाना
उत्तर प्रदेश

एसएचओ
पहाड़ी, चित्रकूट
उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक शून्य परिषद् के सचिवालय में श्री गणेश कुमार शुक्ल, रिपोर्टर, आदर्श पंचायती राज, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश द्वारा सर्किल अधिकारी, राजापुर,

एसएचओ, राजापुर और पहाड़ी, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध उसे प्रताड़ित करने और धमकी देने के आरोप में दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वह दिनांक 23.3.2010 को गांव खटवाड़ा में एक विरोध प्रदर्शन के बारे में समाचार एकत्र कर रहा था जो किसी गिरोह के मानव अंगों के व्यापार में संलग्न होने के बारे में था। वहां सर्किल अधिकारी, राजापुर, एसएचओ, राजापुर और पहाड़ी, उत्तर प्रदेश ने उसे वहां समाचार एकत्र करने और फोट ोग्राफ लेने से रोक दिया और अपने समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित नहीं करने के बारे में धमकी भी दी। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख कि दिनांक 28.3.2010 को, प्रतिवादियों ने उसे थाना, राजापुर में बुलाया और सर्किल अधिकारी के निदेशानुसार उसका मोबाइल फोन, प्रेस कार्ड, 667/- रु. और अन्य दस्तावेज छीन लिये गए। उसने यह भी आरोप लगाया कि सर्किल अधिकारी द्वारा उसे धमकी दी गई, पीटा गया और नंगा किया गया तथा आईपीसी की धाराओं 147,148,283,341,904,506 के तहत और सीआरपीसी की धारा 255/10 के तहत एक झूठा मुकदमा भी दायर किया गया। शिकायतकर्ता ने परिषद् से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

उत्तर में बयान के लिये नोटिस प्रतिवादी, उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 9.6.2010 को भेजा गया। उत्तर में, एसएचओ, थाना, मुरकुंडी (तब एसएचओ, राजपुरा) ने अपनी टिप्पणियों दिनांक शून्य, दिनांक 17.9.2010 को प्राप्त, में उल्लेख किया कि उसे अपने मोबाइल पर दिनांक 23.3.2010 को एक सूचना मिली थी कि लगभग 50-60 आदमी लाठियां लिये बिजली घर, खटवाड़ा गांव के सामने धरना दिये हुए हैं और सड़क को जाम कर रखा है। तब पुलिस बल वहां पहुंचा और जमा लोगों से मार्ग से हटने के लिये कहा। लोगों ने पुलिस को गालियां देना शुरू कर दिया और बदसलूकी की। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि श्री गनेश कुमार शुक्ल भीड़ को उकसाने और सड़क जाम करने में अहम भूमिका निभा रहा था। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाये आरोप के अनुसार उससे मोबाइल फोन/प्रेस कार्ड/रुपये नहीं छीने। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि पुलिस को तब यह नहीं मालूम था कि शिकायतकर्ता एक मीडिया कर्मी है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि पुलिस प्राधिकारी प्रेस की आजादी और पत्रकारों की सुरक्षा का पूर्ण समर्थन करते हैं। शिकायतकर्ता ने यह शिकायत उसके विरूद्ध दायर मामलों की ओर से भटकाने के इरादे से दर्ज की है।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 28.3.2012 को मामले पर सुनवाई की। प्रतिवादी श्री अरूण चन्द्र, सी.ओ. राजापुर, श्री नंद लाल सिंह, डी.सी.आर.बी., चित्रकूट और श्री महेश सिंह, पुलिस कार्यालय से उपस्थित हुए। चूंकि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं था, अतः जांच समिति ने अनाभियोग पर शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार निर्णय लिया।

18) श्री पी. दिल्लीबाबू रेड्डी संपादक, आशा ज्योति एवं उपाध्यक्ष एपीडब्ल्यूजेएफ, चित्तूर, आंध्र प्रदेश	*बनाम*	**श्री आई.वाई.आर. कृष्ण राव कार्यपालक अधिकारी तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम तिरूपति आंध्र प्रदेश**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 28.12.2010 श्री पी. दिल्लीबाबू रेड्डी, संपादक, आशा ज्योति एवं आंध्र प्रदेश कार्यकारी पत्रकार संघ, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश के उपाध्यक्ष द्वारा तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम, चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया की ओर से तिरूपति में मीडिया पर हमला करने के आरोप में की गई है जो भंडाफोड़ समाचारों के प्रकाशन के कारण किया गया। उसके अनुसार, प्रतिवादी द्वारा तिरूपति में मीडिया पर हमला तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम के विभाग में चल रही आपत्तिजनक गतिविधियों को उजागर करने के कारण किया गया ।

चेन्नै में 28.2.2012 को जांच समिति के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिये पेश हुआ। सर्वश्री श्री पी. दिल्लीबाबू रेड्डी, पी. जय चन्द्र रेड्डी, पत्रकार, आशा ज्योति शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित हुए। श्री एम. दोरायराज, एडवोकेट कार्यपालक अधिकारी, तिरूमला तिरूपति देवस्थानम, आंध्र प्रदेश की ओर से पेश हुए। जांच समिति ने पाया कि प्रतिवादी ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की है। जांच समिति ने प्रतिवादी को एक माह के अंदर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का निदेश दिया और शिकायतकर्ता शिकायत की एक प्रति प्रतिवादी को अपना लिखित बयान दायर करने के लिए दे। सुनवाई स्थगित कर दी गई।

जांच समिति के निदेशों के अनुसरण में, प्रतिवादी, सरकार के विशेष मुख्य सचिव, कृषि विपणन एवं सहकारी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने एडवोकेट के द्वारा अपनी टिप्पणियां दिनांक 23.4.2012 दायर कीं। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि उसने जून 2009 से जून 2011 तक कार्यपालक अधिकारी/टीटीडी के रूप में कार्य किया और अब वह टीटीडी का कार्यपालक अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि प्रतिवेदन में लगाये गये सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। उसने उल्लेख किया कि तिरूपति और तिरूमला में भी मीडिया बहुत सक्रिय है और यदि प्रशासन में कोई भूल-चूक होती है तो वह उस मुद्दे को प्रकाश में लाता हैं और प्रशासन तुंत सुधारात्मक कार्रवाई करता है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि चूंकि लोग अक्सर टीटीडी के प्रशासनिक भवन में बेरोकटोक आकर के कार्यालय की कार्रवाई में बाधा डालते हैं, इसलिये सुझाव दिया गया कि कोई भी प्रशासनिक भवन में सुरक्षा कार्मिकों से उचित पास लिये बिना प्रवेश न करे। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि प्रेस की आजादी कोई भी काम, बिना प्रतिबंधों के करने का लाइसेंस नहीं होता है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि उसने मीडिया के विरूद्ध किसी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया और न ही उसे मीडिया से कोई शिकायत है।

रिपोर्ट

जांच समिति ने मामले पर नई दिल्ली में दिनांक 29.8.2010 को विचार किया। श्री एम. दोराय राज, एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। चूंकि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ। अतः जांच समिति ने परिषद् से सिफारिश की कि शिकायत को अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया जाये।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकर कर ली और तदनुसार, निर्णय लिया।

19) मो0 हाशिम आजाद खान
मुख्य संपादक,
आजाद पर जुल्म,
कानपुर, उत्तर प्रदेश

बनाम

श्री संजय तिवारी
सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
कानपुर, उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 01.08.2009 मो0 हाशिम आजाद खान, मुख्य संपादक, आजाद पर जुल्म, कानपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा श्री संजय तिवारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध कथित उत्पीड़न के आरोप में की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, कुछ समाचार पत्रों में समाचार थे कि परिवहन विभाग में अनियमितताएं हो रही हैं और जब वह वाहनों की गैर कानूनी हस्तांतरण की जानकारी लेने के लिये श्री संजय तिवारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कानपुर से मिलने गया तो प्रतिवादी अधिकारी ने उसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 5.12.2009 को लगभग 2.30 बजे, एसएचओ, चमनगंज थाना पुलिस बल के साथ उसके घर पर आया और उसे धमकी दी। एसएचओ ने उसे पुनः 5.12.2009 को टेलीफोन पर सूचित करके बुलाया और उसे फिर पुलिस अधिकारी द्वारा धमकियां दी गईं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी पुलिस के साथ सांठगांठ करके झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रहा है। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 18.8.2009 द्वारा मुख्य सचिव और राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश के अन्य प्राधिकारियों को इस संबंध में सूचित किया किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

प्रतिवादी सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, श्री संजय तिवारी ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 3.4.2010 में उल्लेख किया कि श्री दिनेश कुमार और श्री अजय सचान के बीच किसी ट्रक के स्वामित्व के हस्तांतरण के बारे में उठे विवाद में न्यायिक निर्णय वांछित है। हालांकि, शिकायतकर्ता ने विवाद को झूठा बताया और मामले में हस्तक्षेप किया। प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता दलाली करता है क्योंकि वह परिवहन विभाग में पहले दलाल था। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि समाचारों की कतरन से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि दलाल उससे नाराज रहते हैं क्योंकि उसने परिवहन विभाग के कार्यालय में दलालों की

अप्राधिकृत घुसपैठ रोकने के लिये मंडल आयुक्त को पत्र लिखा है। उसने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता द्वारा पेश समाचार कतरनों से यह भी पता लगता है कि प्रतिवादी ने दलालों के सिस्टम को समाप्त करने का प्रयास किया। प्रतिवादी ने धमकी देने के आरोप को यह कहते हुए गलत बताया कि शिकायत उसकी छवि और प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाने के इरादे से की गई है।

जिलाधीश, कानपुर ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 30.04.2010 में यह उल्लेख किया कि अपर जिलाधीश (नगर) द्वारा मामले की जांच पहले ही की जा चुकी है। अपर जिलाधीश (नगर), कानपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 20.8.2009 में उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता मो0 हाशिम आजाद खान को वाहन के कथित हस्तांतरण से कोई लेनादेना नहीं है, यह मामला किन्हीं अन्य दो पक्षों के बीच चल रहा है, हालांकि उसे उचित माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। उसने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता, मुख्य संपादक, आजाद पर जुल्म, पहले कभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में बतौर दलाल काम करता था और तब उसे कुछ अनियमितताओं के कारण हटा दिया गया था और अब, बदला लेने के इरादे से उसने अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज की है जिसका अप्रत्यक्ष उद्देश्य झूठे आरोप लगाना है।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रतिटिप्पणियों दिनांक 9.7.2010 में उल्लेख किया कि उसे परिवहन विभाग के कार्यालय, कानपुर में व्याप्त अनियमितताओं पर अपने साप्ताहिक समाचार पत्र 'आजाद पर जुल्म' में समाचार प्रकाशित करने के कारण प्रतिवादी सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कानपुर द्वारा धमकी दी जा रही है जिससे संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस मामले में जांच की जाए। उसने यह भी उल्लेख किया कि उसने इस मामले में अपर सिटी मैजिस्ट्रेट, कानपुर सिटी को अपना लिखित बयान दिनांक 28.4.2010 को प्रस्तुत कर दिया था।

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 20.9.2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता ने पत्र दिनांक 10.9.2011 द्वारा सूचित किया कि उसकी बेटी के विवाह के कारण वह पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था और स्थगन के लिये अनुरोध किया था। श्री संजय तिवारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कानपुर, उत्तर प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर अनुरोध किया कि उसके मौखिक तर्कों को दर्ज किया जाये और उसे अगली पेशी के समय व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जाये। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने उससे कभी भेंट नहीं की और शिकायतकर्ता को धमकी देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जहां तक वाहन हस्तांतरण का संबंध है, प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता का वाहन हस्तांतरण से कोई संबंध नहीं है जो किन्हीं अन्य दो पक्षों के बीच हो रहा है और यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो वे उसकी न्यायिक समीक्षा का अनुरोध कर सकते हैं। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाये आरोपों का खंडन किया जिनका एकमात्र उद्देश्य उसे बदनाम करना है, चूंकि शिकायतकर्ता एक दलाल है और अब समाचार पत्र का दुरूपयोग कर रहा है। प्रतिवादी ने वाहन के नकली हस्तांतरण के आरोप का भी खंडन किया और कहा कि मामले में किसी भी पक्ष द्वारा अपील की जा सकती है। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि प्रतिवादी

द्वारा टीवी कर्मियों पर हमला करने का आरोप भी झूठा है। उसने उल्लेख किया कि उसके अधिकारी रोजाना लगभग 30-40 लाख रु. नकद जमा करते हैं और वे रोकड़ चैम्बर में जबरन घुस गये और जब उसे इसके बारे में पता लगा तो उन्हें संवेदनशील विभाग में प्रवेश करने से सहजता से मना कर दिया। प्रतिवादी ने शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया जोकि मनगढंत हैं। जांच समिति ने प्रतिवादी का बयान सुनने के बाद उसे यह छूट देते हुए कि वह अगली पेशी पर उपस्थित हो या न हो, मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया।

शिकायतकर्ता ने अपने एक अन्य पत्र द्वारा परिषद् को सूचित किया कि उसे प्रतिवादी धमकियां मिल रही हैं और वे उस पर केस वापस लेने के लिये दबाव डाल रहे हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी गैर कानूनी कार्य करने का आदी है और किसी श्री संतोष द्विवेदी, संपादक, कल्प काया द्वारा एक एफआईआर धारा 323 और 506 के तहत दिनांक 5.8.2006 को बर्रा थाने में दर्ज कराई गई थी।

नई दिल्ली में 30.1.2012 को जांच समिति के समक्ष आगामी सुनवाई के समय शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुआ जबकि श्री आर.पी. यादव, वरिष्ठ सहायक, प्रतिवादी परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से उपस्थित हुए। जांच समिति ने निदेश दिया कि प्रतिवादी श्री संजय तिवारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को अगली सुनवाई के समय स्वयं पेश होना चाहिए।

fjikV

नई दिल्ली में 03.10.2012 को सुनवाई के लिये मामले को जांच समिति ने पुनः उठाया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। प्रतिवादी श्री संजय तिवारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी स्वयं पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता प्रेस की आजादी को खतरे के लिये प्राधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई के लिये पर्याप्त आधार से संतुष्ट नहीं था। शिकायतकर्ता ने पेशी के लिये भेजे गये नोटिस का भी उत्तर नहीं दिया और इस कारण, उसने परिषद् से मामले को खारिज करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के कारणों को स्वीकर कर लिया और मामले को खारिज करने का निर्णय लिया।

20) श्री सुरेश गांधी
संवाद्दाता
दैनिक हिन्दुस्तान और
दैनिक आजतक चैनल
भदोई, संत रविदास नगर
उत्तर प्रदेश

बनाम

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

सचिव
गृह (पुलिस) विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ

पुलिस अधीक्षक
संत रविदास नगर, उ.प्र.

श्री आर.के. सिंह
स्टेशन निरीक्षक, स्टेशन भदोई,
संत रविदास नगर, उ.प्र.

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 12.02.2010 श्री सुरेश गांधी, संवाद्दाता, दैनिक हिन्दुस्तान और दैनिक आजतक चैनल द्वारा श्री आर.के. सिंह, निरीक्षक, भदोई, अब जिला सोनभद्र में तैनाती और रामबली सरोज, चौकी नाई बाजार के विरूद्ध, उन्हें झूठे मामलों में फंसाने के आरोप में की गई है क्योंकि उन्होंने कुछ आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित किये थे। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने अपने समाचार पत्र दिनांक 29.6.2009, 30.6.2009 तथा अन्य में पुलिस की अनियमितताओं का भंडाफोड़ किया था। इन आलोचनात्मक समाचारों से नाराज होकर प्रतिवादी ने उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत झूठे केस दर्ज करा दिये। उसने यह भी उल्लेख किया कि उसने उस घटना (बलात्कार) को भी प्रकाशित किया जिसे उसके समाचार पत्र में 'संतोष-गुलाम' नाम से प्रकाशित किया गया था। इस आलोचनात्मक समाचार से नाराज होकर गुलाम रसूल ने दो पुलिस अधिकारियों से गठजोड़ करके उसे नोटिस भेजा और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि 28.12.2009 को 'ताजिया दफन' के अवसर पर हिन्दू-मुस्लिमों के बीच एक झगड़ा हो गया था, वह घटना स्थल पर गया और समाचार एकत्र किये। वहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे और पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की जिसमें शिकायतकर्ता का नाम जोड़ दिया गया। शिकायतकर्ता ने कहा है कि दोनों पक्षों (हिन्दू-मुस्लिम) ने एक हलफनामा दिया कि सुरेश गांधी का इस घटना से कोई संबंध नहीं था।

पुलिस अधीक्षक, संत रविदास नगर, भदोई ने अपने लिखित बयान दिनांक 30.6.2011 में उल्लेख किया कि उन्होंने मामले की जांच की और पाया कि श्री सुरेश गांधी की शिकायत झूठी और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि संतोष-गुलाम रसूल घटना और ताजिया दफन झगड़े को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। पहली घटना जनवरी 2008 में घटित हुई और सिविल कोर्ट में मामला विचाराधीन है जबकि ताजिया दफन की दूसरी घटना लगभग दो वर्ष बाद अर्थात 28.12.2009 की है। यह कहना गलत है कि प्रतिवादी ने जानबूझ कर शिकायतकर्ता को फंसाया। एफआईआर तथ्यों पर लिखी गई जो घटना के समय उनके समक्ष पेश किये गये।

रिपोर्ट

26.3.2012 को प्रथम स्थगन के बाद, यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 3.10.2012 को पुनः जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये पेश किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से

श्री वीरेन्द्र कुमार राय उपस्थित हुए। श्री सुरेन्द्र कुमार शुक्ला, सब-इंस्पेक्टर, भदोई प्रतिवादी पुलिस प्राधिकारियों की ओर से उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता ने समिति को बताया कि गलतीकर्ता पुलिस इंस्पेक्टर को डीआईजी के हस्तक्षेप से स्थानान्तरित कर दिया गया और अब पुलिस प्राधिकारी उसके साथ सहयोग कर रहे हैं। अतएव, वह इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है क्योंकि मामले को आपसी सहमति से निपटा लिया गया है। जांच समिति ने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किये और शिकायत को निपटाये जाने के कारण खारिज करने का निर्णय लिया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकर कर ली और मामले को निपटाये जाने के कारण खारिज करने का निर्णय लिया।

21) श्री संतोष कुमार दीक्षित
संवाद्दाता,
अमर उजाला
जौनपुर, उत्तर प्रदेश

बनाम

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

सचिव
गृह (पुलिस) विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

पुलिस अधीक्षक
जौनपुर, उत्तर प्रदेश

श्री राम चन्द्र गौतम
एसएचओ, सरपटहान थाना
तहसील शाहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

श्री संतोष कुमार दीक्षित, संवाद्दाता, अमर उजाला, हिन्दी दैनिक, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ने यह शिकायत दिनांक 10.3.2010 श्री राम चन्द्र गौतम, एसएचओ, सरपटहान थाना, जौनपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध दायर की है, जिसने उसे जान से मारने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने अपने समाचार पत्र में स्थानीय पुलिस में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया था। इन आलोचनात्मक समाचारों से नाराज होकर, प्रतिवादी ने इस प्रकार के समाचार प्रकाशित नहीं करने की धमकी दी अन्यथा वह उन्हें झूठे मामलों में फंसा देगा।

श्री राम चन्द्र गौतम, सब-इंस्पेक्टर, पुलिस थाना सरपटहान जौनपुर, उत्तर प्रदेश ने अपने लिखित बयान दिनांक 28.5.2010 में शिकायतकर्ता द्वारा उस पर लगाये गये आरोपों

से इंकार किया और उल्लेख किया कि उसके द्वारा ऐसी कोई धमकी नहीं दी गई और शिकायतकर्ता ने उस पर जानबूझकर आरोप लगाये हैं।

पुलिस अधीक्षक, जौनपुर ने अपनी टिप्पणियां दिनांक 11.6.2010 और अपर अधीक्षक (सिटी), जौनपुर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 8.6.2010 प्रस्तुत की। मामले की छानबीन करने पर, शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये किसी भी आरोप को सही नहीं पाया गया।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 18.6.2010 में उल्लेख किया कि प्रतिवादी श्री राम चन्द्र द्वारा दायर टिप्पणियां झूठी और भ्रामक हैं। प्रतिवादी श्री राम चन्द्र को स्थानान्तरित कर दिया गया लेकिन स्थानांन्तरण से पूर्व, उसने गवाहों को अपने बयान से मुकर जाने के लिये दबाव डाला, इस बारे में जांच अधिकारी और उच्च अधिकारियों द्वारा उसे बताया गया।

लखनऊ में दिनांक 26.3.2012 को जांच समिति के समक्ष यह मामला सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। श्री संतोष कुमार दीक्षित, शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। पुलिस अधिकारियों की ओर से श्री शैलेन्द्र कुमार राय, उप अधीक्षक पुलिस उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता ने धमकी देने का आरोप दोहराया।

जांच समिति ने शिकायतकर्ता को एक हलफनामा और आरोपों के बारे में अपने गवाह एक माह के अंदर प्रस्तुत करने का निदेश दिया। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी द्वारा उसके प्रत्युत्तर में अगले एक माह में अपना उत्तर प्रस्तुत किया जा सकता है। जांच समिति के निदेशों के अनुसरण में शिकायतकर्ता श्री संतोष कुमार दीक्षित, संवाद्दाता, अमर उजाला ने अपने पत्र दिनांक 6.4.2012 के साथ सर्वश्री मो0 अहमद पप्पू, संतोष कुमार पांडे, विकास कुमार विंद, रमेश विंद और मुलायम सिंह यादव के हलफनामों की प्रतियां अपने आरोपों के प्रमाण में प्रस्तुत कीं।

रिपोर्ट

नई दिल्ली में दिनांक 3.10.2012 को जांच समिति के समक्ष पुनः यह मामला विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता श्री संतोष कुमार दीक्षित, प्रेस रिपोर्टर स्वयं प्रस्तुत हुआ। श्री राम चन्द्र राम, सब-इंस्पेक्टर, आजमगढ़ और श्री रंजन सिंह, सर्कल अधिकारी, जौनपुर प्रतिवादी पुलिस प्राधिकारियों की ओर से प्रस्तुत हुए। शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि पुलिस ने गवाहों के बयान गलत ढंग से लिये हैं और उसका बयान नहीं लिया गया।

प्रतिवादी पुलिस अधिकारी ने जांच समिति के समक्ष पेश होकर समिति को आश्वासन दिया कि इस प्रकार की घटना भविष्य में नहीं होगी। जांच समिति ने प्रतिवादी द्वारा दिये आश्वासन और पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को रिकार्ड में शामिल कर लिया लिया तथा पुलिस प्राधिकारियों को सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी जाए अन्यथा ऐसा करने वाले पुलिस अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसने निर्णय लिया कि मामले में अगली कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, जांच समिति ने परिषद् से शिकायत को बंद करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और शिकायत को बंद करने का निर्णय लिया।

22) श्री संजय कुमार 'पुन्नू'	*बनाम*	**श्री रणजीत मिश्रा,**
पत्रकार और अध्यक्ष		**नगर पुलिस अधीक्षक**
शोभा क्लब		**दरभंगा, (सासाराम, रोहतास,)**
रोहतास, (बिहार)		**(बिहार)**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 13.10.2009 श्री संजय कुमार 'पुन्नू', पत्रकार और अध्यक्ष शोभा क्लब, रोहतास, बिहार द्वारा श्री रणजीत मिश्रा, पुलिस अधीक्षक सिटी, दरभंगा, तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक, सासाराम, रोहतास, बिहार के विरूद्ध दायर की गई है जिसमें असामाजिक तत्वों से गठजोड़ करके मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसे श्री रणजीत मिश्रा, एएसपी द्वारा तंग किया गया था जब वह बिजली शाईद दरगाह के भूमि विवाद पर समाचार एकत्र करने के लिये सासाराम सिटी गया था। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि श्री रणजीत मिश्रा ने उसे नकली पहचान कार्ड वाला नकली पत्रकार कहा और उससे किसी पत्रकार संघ का पहचान कार्ड दिखाने के लिये कहा। चूंकि शिकायतकर्ता किसी पत्रकार संघ का सदस्य नहीं है इसलिये श्री रणजीत मिश्रा ने उसे पत्रकार संघ का सदस्य बनने के लिये मजबूर किया। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसे श्री रणजीत मिश्रा द्वारा अनेक अवसरों पर अनेक बार परेशान किया गया।

प्रतिवादी श्री धीरेन्द्र मोहन झा, अवर सचिव, बिहार सरकार ने अपने पत्र दिनांक 18.8.2010 के साथ पुलिस महानिदेशक, बिहार सरकार, पटना का उत्तर दिनांक 28.7.2010 और श्री रणजीत मिश्रा, पुलिस अधीक्षक सिटी, दरभंगा का उत्तर दिनांक 12.7.2010 भी और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, रोहतास, सासाराम, बिहार का उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गए आरोपों से इंकार किया गया। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता से अपना पहचान कार्ड दिखाने के लिये कहा गया तो शिकायतकर्ता ने अपना पुराना पहचान कार्ड दिखाया जिसकी जांच की गई और उसे नकली पाया गया। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि ऐसी कोई अन्य घटना नहीं हुई जैसाकि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है।

रिपोर्ट

नई दिल्ली में दिनांक 4.10.2012 को जांच समिति के समक्ष मामला सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने एक पत्र दिनांक 21.9.2012 में यह लिखकर भेजा कि वह अपने खराब स्वास्थ्य और वित्तीय

समस्याओं के कारण मामले में आगे कार्रवाई नहीं करना चाहता है। अतः जांच समिति ने केस को बंद करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और शिकायत को बंद करने का निर्णय लिया।

23½ Jh jkekuUn lksuh C;wjks izeq[k nSfud if=dk fHkaM] ¼e/; izns'k½	*cuke*	Jh papy 'ks[kj iqfyl v/kh{kd fHkaM] ¼e/; izns'k½

mifLFkr

शिकायतकर्ता के लिये — कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये — कोई नहीं

vf/kfu.kZ;

यह शिकायत दिनांक 18.11.2010 श्री रामानन्द सोनी, ब्यूरो प्रमुख, दैनिक पत्रिका, भिंड, मध्य प्रदेश द्वारा श्री चंचल शेखर, पुलिस अधीक्षक, भिंड, (मध्य प्रदेश) के विरूद्ध दायर की गई है., क्योंकि उन्हें झूठे मामले में फंसाकर उनके परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यह कार्रवाई समाचारपत्र में दिनांक 6.7.2010 के अंक में उनके विरूद्ध प्रकाशित समाचार शीर्षक ''दिल्ली तक फैला कारोबार'' के कारण की जा रही है जिसमें पुलिस अधीक्षक को नोट गिनते हुए भी दिखाया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने उसके छोटे भाई की पत्नी की सहायता से दहेज के झूठे मामले में उसे फंसाया है और दहेज मामले में अदालत से जमानत मिलने के बाद, प्रतिवादी उसे व उसके परिवार के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देता रहता है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी श्री ए.के. दीक्षित, टी.आई., भिंड थाना की मदद से उसके विरूद्ध एक फौजदारी रिकार्ड तैयार कर रहा है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने पुलिस अधीक्षक के विरूद्ध कई लिखित शिकायतें पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश, गृह सचिव (पुलिस) और पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, मध्य प्रदेश को भेजी लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

यह मामला भोपाल में दिनांक 21.12.2012 को जांच समिति के समक्ष पेश किया गया जहां कोई भी पक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। जांच समिति ने अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज कर दिया।

fu.k;

परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और तदनुसार, निर्णय किया।

24½ Jh t; i:dk'k Hkkj}kt l:oknnkrk p:ruk e:p xkft;kckn	*cuke*	Jh pUnnso jke tkVo jk'ku Mhyj lkfgckckn] xkft;kckn

vf/kfu.k;

यह शिकायत दिनांक 12.10.2010 श्री जय प्रकाश भारद्वाज, संवाद्दाता, चेतना मंच और गंगा महिमा द्वारा श्री चन्द्रदेव राम, राशन डीलर के विरूद्ध एक आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित करने के कारण उन्हें परेशान करने के आरोप में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में प्रतिवादी की दुकान में राशन सामान की काला बाजारी करने की विधियों का उल्लेख किया गया था। यह कहा गया था कि लगभग 101 क्विंटल गेहूं को काला बाजारी में बेचने के लिये दिनांक 15.8.2010 की रात्रि को टाटा 407 में लादा गया था और इस घटना के बारे में उसने पुलिस को भी रिपोर्ट की थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने अपने समाचारपत्र गंगा महिमा दिनांक 21.8.2010 के अंक में गैर कानूनी गतिविधियों अर्थात डीलर द्वारा राशन की काला बाजारी का भंडाफोड़ किया था। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उस समाचार से नाराज होकर, प्रतिवादी ने उस पर हमला किया और जान से मारने की कोशिश की जो प्रेस की आजादी पर आक्रमण था। उसने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत एक झूठे मामले में भी उसे फंसाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 6.10.2010 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश, गाजियाबाद से मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 9.2.2011 में अपनी टिप्पणियों के साथ उल्लेख किया कि सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले की जांच पड़ताल की गई और यह पाया गया कि कथित समाचार प्रकाशित होने के बाद, प्रबंधन द्वारा श्री चन्द्रदेव राम जाटव की राशन दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और धारा 3/7 के तहत केस सं. 1362/10 थाने में दर्ज किया गया। उसने उल्लेख किया कि आईपीसी की धारा 107/116 के तहत दोनों पक्षों पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। उसने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें मामले में तब तक कार्रवाई नहीं करने का निदेश दिया गया है जब तक जांच पड़ताल चल रही है।

tkp lfefr dh fjikVZ fnukd 21-1-2013

mifLFkr

शिकायतकर्ता के लिये : श्री जयप्रकाश भारद्वाज, शिकायतकर्ता

प्रतिवादी के लिये : श्री नवल कांत तिवारी, स.नि. सूचना, गाजियाबाद, जिलाधीश, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि

जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुने। शिकायतकर्ता की शिकायत थी कि पुलिस प्राधिकारियों ने उसकी एफआईआर नहीं लिखी। आईओ रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस प्राधिकारियों के मतानुसार दोनों पक्षों के बीच मामले का निपटान हो गया था जिससे शिकायतकर्ता ने इंकार किया। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता शिकायत के निवारण के लिए समुचित विधि न्यायालय जा सकता है और वह सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा

दायर कर सकता है, यदि वह चाहे। मैजिस्ट्रेट मामले का शीघ्र निपटान कर देगा। जांच समिति ने इन टिप्पणियों के साथ केस को खारिज करने का निर्णय लिया।

fu.kZ;

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट में दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

25½ Jh veysUnq mik/;k; lgk;d laiknd LokfHkeku VkbEl xkft;kckn] mRrj izns'k	*cuke*	Jh cuokjh yky dq'kokg lh,eMh] xfjek nqX/k m|ksx ,oa e[; laiknd] LokfHkeku VkbEl fnYyh Jh fueZysUnq lkg laiknd LokfHkeku VkbEl] fnYyh

vf/kfu.kZ;

यह शिकायत दिनांक 21.3.2011 श्री अमलेंदु उपाध्याय, सहायक संपादक, स्वाभिमान टाइम्स, गाजियाबाद द्वारा श्री बनवारी लाल कुशवाह, सीएमडी एवं मुख्य सम्पादक, गरिमा दुग्ध उद्योग एवं स्वाभिमान टाइम्स और श्री निर्मलेन्दु साह, संपादक, स्वाभिमान टाइम्स के विरूद्ध दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि श्री बनवारी लाल कुशवाह, गरिमा दुग्ध उद्योग के मालिक, धौलपुर ने उन्हें समाचारपत्र के मुख पृष्ठ पर धौलपुर में उनके दुग्ध प्लांट के उद्घाटन की फोटो नहीं छापने के लिये टेलीफोन पर धमकी दी। शिकायतकर्ता ने इस बारे में दिल्ली स्थित संपादक यथा श्री निर्मलेन्दु साह से सम्पर्क करके स्पष्टीकरण मांगा लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सीएमडी ने उन्हें टेलीफोन पर धमकी दी और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसका समाचारपत्र के

धौलपुर संस्करण से कोई संबंध नहीं है। हालांकि, प्रतिवादी ने उन्हें टेलीफोन पर अनेकों बार गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जो प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है।

सीएमडी गरिमा दुग्ध उद्योग और निर्मलेन्दु साह, संपादक, स्वाभिमान टाइम्स ने अपने उत्तर दिनांक 1.6.2011 में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता के आरोप झूठे और निराधार हैं। शिकायतकर्ता ने उन पर इस प्रकार के झूठे आरोप पहले भी जानबूझकर अपने मकसद से लगाये थे। आरोप बेबुनियाद और मनगढंत हैं।

अपनी प्रति–टिप्पणियों दिनांक 3.8.2011 में, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत को ही दोहराया और आरोप लगाया कि प्रतिवादी परिषद् को गुमराह कर रहा है और वह इन टिप्पणियों से संतुष्ट नहीं था।

tkp lfefr dh fjikV fnukd 21-1- 2013

mifLFkr

शिकायतकर्ता के लिये	: श्री अमलेंदु उपाध्याय, शिकायतकर्ता
प्रतिवादी के लिये	: कोई नहीं

जांच समिति ने शिकायतकर्ता के बयान सुने। उसने पाया कि शिकायत में लगाये गये आरोप दो वर्ष पूर्व शिकायतकर्ता को मौखिक रूप से दी गई धमकी के बारे में हैं। उन्हें सिद्ध करने के लिये कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं और सत्यापन की जांच करना प्रेस परिषद् के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तदनुसार, उसने परिषद् से शिकायत को खारिज करने और शिकायतकर्ता को अदालत जाने की छूट देने, यदि चाहे, की सिफारिश की।

fu.k;

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों को स्वीकार और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

26½ Jh lh-,l- dkyjk likn d] ;uhofl Vh VM ub fnYyh	cuke	dqyifr tkfe;k fefy;k bLykfe;k fo'ofo|ky;] ub fnYyh

vf/kfu.k;

यह शिकायत दिनांक 27.11.2011 श्री सी.एस. कालरा संपादक, यूनीवर्सिटी टुडे, नई दिल्ली द्वारा कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया विष्वविद्यालय, नई दिल्ली के विरूद्ध दायर की गई है जिसमें उनकी पाक्षिक पत्रिका में संदिग्ध साहित्यिक चोरी का आरोप लगाये गये समाचारों को वापिस लेने के बारे में उनके एडवोकेट के माध्यम से टेलीफोन पर धमकियां दी जाती हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जामिया मिलिया विष्वविद्यालय भेदभाव पूर्ण नीति अपना रहा है क्योंकि कुछ गंभीर अपराधों जैसे साहित्यिक चोरी वाले लोगों को छोड़ दिया जाता है और जो

अल्पसंख्यक समुदाय के नहीं होते हैं उन्हें दंडित किया जाता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसे ज्ञात है कि डॉ0 दीपक केम, एसोसियट प्रोफेसर जामिया मिलिया विष्वविद्यालय को साहित्यिक चोरी के आरोप में सेवा से हटा दिया गया था लेकिन उसी अपराध के लिये डॉ0 शरीफ अहमद, प्रोफेसर कैमिस्ट्री को अभी तक दंडित नहीं किया गया है और वह अभी भी विभागाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने दो पत्र भेजे थे जिनमें से एक पत्र प्रतिवादी कुलपति को और दूसरा पत्र प्रो0 शरीफ अहमद को भेजा था। उसने उल्लेख किया कि डॉ0 अहमद ने पत्र का उत्तर अभी तक नहीं दिया है जबकि प्रतिवादी कुलपति ने बात करने के लिये सर्वप्रथम अपना एडवोकेट नियुक्त किया और 21.11.2011 को उसे टेलीफोन पर धमकी दी गई। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसके द्वारा आष्वासन देने के बावजूद भी कि उनकी कोई दुर्भावना नहीं है और कुलपति अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं जैसा वह उपयुक्त समझते हैं । कुलपति ने अपने एडवोकेट के माध्यम से एक ईमेल भेजा जिसके साथ 3 पृष्ठों का एक अनाप–शनाप सामग्री वाला अनुलग्नक संलग्न था जिसका ''यूनीवर्सिटी टुडे'' से कोई संबंध नहीं था। शिकायतकर्ता के अनुसार, दो पृष्ठों के पत्र के बाद एक पत्र (वस्तुतः कानूनी कार्रवाई की धमकी जो न्यूज स्टोरी को ''किल'' करने के लिये तैयार की गई थी) मैसर्स पैरीवेयर लि. को खराब कमोड के लिये भेजा गया था जिसे 5,000/– रु. की मोटी राशि में खरीदा गया था जिसका इस मुद्दे से कोई सम्बन्ध नहीं था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने एक सत्य छिपाने का घटिया प्रयास किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने पुनः एक पत्र दिनांक 24.11.2011 प्रतिवादी को भेजा किंतु उसने पूछे गये प्रष्नों का उत्तर देने की परवाह नहीं की।

पंजीयक, जामिया मिलिया इस्लामिया विष्वविद्यालय ने अपने अदिनांकित पत्र में टिप्पणियां प्रस्तुत की और उल्लेख किया कि संस्थान और उसके तत्कालीन कुलपति, प्रोफेसर मुशिरूल नासन ने वर्ष 2008 में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये विद्वेषपूर्ण आरोपों के बदले हर्जाने की वसूली के लिये दावा किया था। उसने यह भी उल्लेख किया कि श्री नजीब जंग उस समय कुलपति नहीं थे। शिकायतकर्ता टेलीफोन पर या अन्य प्रकार से सम्पर्क करके कथित मुकदमा वापस लेने के लिये कहता था। उसने उल्लेख किया कि प्रतिवादी को विष्व विद्यालय से उनके पत्र दिनांक 24.10.2010 के साथ विज्ञापन भी मिले थे, लेकिन फिर उसके लिए इंकार कर दिया गया और इसे ध्यान में रखते हुए श्री सी.एस. कालड़ा द्वारा की गई शिकायत पर विचार करना चाहिए। उसने यह भी उल्लेख किया कि श्री कालरा संस्थानों और व्यक्तियों को धमकियां देने और बदनाम करने के लिये अपने समाचारपत्र का दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। उसने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता और प्रतिवादी द्वारा लगाये गए आरोप मनगढंत और गलत हैं। यह आरोप गलत है कि एडवोकेट के माध्यम से पत्राचार करना धमकी देना है।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 11.06.2012 के जरिये प्रति टिप्पणियां प्रस्तुत कीं जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी द्वारा 'यूनीवर्सिटी टुडे' से 50 लाख रु. के हर्जाने की मांग के लिये किया गया मुकदमा अदालत के विचाराधीन है अतः उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। प्रतिवादी की वास्तविक मंशा 'यूनीवर्सिटी टुडे' को परेशान, अपमानित करना और भारी आर्थिक बोझ डालना है। उसने यह भी उल्लेख किया कि वे दोनों अदालत से बाहर आपस में समझौता करने को तैयार थे और इस संबंध में श्री नजीब जंग द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार जेएमआई के एडवोकेट को एक प्रारूप पत्र दिनांक 26.11.2009 दिया गया, श्री नजीब जंग ने आष्वासन दिया था

कि विष्वविद्यालय के उप कुलपति कुछ ही समय बाद भेंट करेंगे और वह मामले का निपटान कर देंगे किंतु, शिकायतकर्ता के अनुसार,, यह उसे ब्लैकमेल करने का एक धोखा ही था। शिकायतकर्ता ने श्री नजीब जंग से बारबार मिलने से भी इंकार किया। उसने बताया कि उसने केवल एक बार उससे संपर्क करने की कोशिश की थी। उसने यह भी बताया कि 'यूनीवर्सिटी टुडे' के विशेष वार्षिक अंक 2011 के लिये विज्ञापन मांगना कोई गलत नहीं था क्योंकि विज्ञापन श्री नजीब जंग की अपनी पाकेट से नहीं मांगा गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसने श्री नजीब जंग का कथन लेने का प्रयास किया जिन्होंने स्वयं उत्तर न देकर अपने एडवोकेट के माध्यम से उत्तर दिया, जो अपने आप में इस बात का संकेत है कि श्री जंग 'यूनीवर्सिटी टुडे' के साथ किस प्रकार निष्ठुर व्यवहार करते हैं। प्रतिवादी ने यह भी समझने की कोशिश नहीं की, कि शिकायतकर्ता 'यूनीवर्सिटी टुडे' के अंकों दिनांक 15.01.2012 और 01.02.2012 के द्वारा क्या कहने का प्रयास कर रहा है। अतः शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि जामिया मिलिया इस्लामिया के पंजीयक से प्राप्त टिप्पणियां न तो कानूनी दृष्टि से और न ही भावनात्मक आधार पर स्वीकार्य हैं, वे खारिज करने योग्य हैं और भारतीय प्रेस परिषद् को यह बात ध्यान में रखकर कार्रवाई करनी चाहिए जैसे प्रतिवादी ने अपने निजी क्रोध के कारण कोई भी उत्तर नहीं देने का निर्णय कर लिया हो।

tkp lfefr dh fjikV fnukd 21-01-2013

<u>उपस्थित</u>

शिकायतकर्ता के लिये : श्री सी.एस. कालरा शिकायतकर्ता

प्रतिवादी के लिये : श्री एम. आतयाब सिद्दकी, परामर्षदाता

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने उसे तीन कानूनी नोटिस भेजे थे और ऐसा करके उसने उसे धमकाने की कोशिश की। प्रतिवादी के परामर्शदाता ने शिकायतकर्ता को कोई भी धमकी दिये जाने से इंकार किया क्योंकि उसने उसे केवल एक कानूनी नोटिस भेजा था।

जांच समिति ने प्रतिवादी की ओर से भेज गये पत्र दिनांक 24.11.2011 पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जिसमें कहा गया था कि ''ध्यान दें कि यदि आप कुछ ऐसा प्रकाशित और मुद्रित करते हैं जो अभद्र, अवमाननापूर्ण हो और/या जिससे जामिया और उसके पदाधिकारियों की बदनामी होती हो,. हमारा मुवक्किल यह स्पष्ट करता है कि आप और 'यूनीवर्सिटी टुडे' (सभी सम्बद्ध पक्षों सहित) हर्जाने और दंडनीय कार्रवाई के लिये भी, उत्तरदायी होंगे, जिसके लिये आप उसके खर्चे और परिणामों के प्रति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे।'' जांच समिति बाद में की जा सकने वाली कानूनी कार्रवाई के लिये भेजे गये इस नोटिस को प्रेस की आजादी को खतरा नहीं मानती है। अतः जांच समिति ने इस मामले में कोई औचित्य नहीं पाया व तदनुसार, शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

fu.k;

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

27) श्री शिशिर कुमार गुप्ता *बनाम* **डीएवीपी**
प्रकाशक, हुकूमत एक्सप्रेस **नई दिल्ली**
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

श्री शिशिर कुमार गुप्ता, प्रकाशक 'हुकूमत एक्सप्रेस' हिन्दी दैनिक, मुरादाबाद, ने डीएवीपी के विरूद्ध दायर की है जिसमें उनके समाचार पत्र को सरकारी विज्ञापनों के लिये सूचीबद्ध नहीं करने के कारण भेदभाव का आरोप लगाया गया है। डीएवीपी ने अपने पत्र दिनांक 14.9.2009 द्वारा उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करने का कारण 12 व 13 जनवरी, 2009 के संपादकीय की पुनरावृत्ति को बताया गया जिसका उन्होंने विरोध किया कि डीएवीपी के नियमों के अनुसार समाचार/लेखों पर रोक लगाई गई है न कि संपादकीय पर। एक अन्य पत्र दिनांक 27.10.2009 में, डीएवीपी ने निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया (1) मुद्रक प्रेस/प्रकाशक का नाम और पता आरएनआई पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्शाये से भिन्न है और उसे इम्प्रिंट लाइनों में प्रकाशित किया गया तथा आवेदन फार्म/ आरएनआई पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया अथवा उचित नहीं है, (2) प्रिंटिंग भद्दी है (क) सामग्री पठनीय नहीं है, (ख) धब्बेदार है/फोटोग्राफ नहीं हैं, (ग) कट पेस्ट /कंप्यूटर प्रिंटआउट।

डीएवीपी ने शिकायत का कोई उत्तर नहीं दिया।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 26.3.2012 को मामले पर विचार किया और पाया कि शिकायतकर्ता मामले में अपना पक्ष रखने को प्रस्तुत नहीं हुआ अतः शिकायत खारिज की जाए।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

28) डॉ. एच. एम. माजिद हुसैन *बनाम* **महानिदेशक,**
मुख्य संपादक, दैनिक उर्दू एक्शन, **विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार**
भोपाल, मध्य प्रदेश **निदेशालय, नई दिल्ली**

अधिनिर्णय

दिनांक 01.05.08 की यह शिकायत डॉ एच.एच. माजिद हुसैन, मुख्य संपादक/ प्रकाशक, डेली उर्दू एक्शन, भोपाल द्वारा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), नई दिल्ली के खिलाफ दायर की गई है। इसमें डीएवीपी से प्राप्त प्रदर्शन विज्ञापनों के प्रकाशन के बारे में 3,547/- रुपए के दिनांक 13.01.1997 के विज्ञापन बिल की अदायगी से इनकार करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि डीएवीपी के रिलीज आदेश सं.3013/0003/1996 के अनुसार, उक्त प्रदर्शन विज्ञापन को प्रकाशित किए जाने के बाद

उन्होंने अदायगी का अनुरोध करते हुए बिल संख्या 3588 दिनांक 13.01.1997 प्रस्तुत किया था, लेकिन अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद इस बिल की अदायगी नहीं की गई है।

वक्तव्य देने के नोटिस के उत्तर में दिनांक 10.05.2010 के उत्तर में प्रतिवादी निदेशक डीएवीपी ने दिनांक 02.06.2010 के अपने लिखित बयान में निवेदन किया है कि तकनीकी चूक के कारण कई रिलीज आर्डर डेटाबेस से मिट गए हैं और इसके परिणामतः शिकायतकर्ता का बिल अस्वीकृत कर दिया गया था क्योंकि उसका डेटा उपलब्ध नहीं था। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि अनुरोध प्राप्त होने पर इस मामले की संवीक्षा की गई और रिलीज आदेश दिनांक 09.10.2002 को डीएवीपी के डेटाबेस में पुनः लोड कर दिया गया। प्रतिवादी ने कहा कि डीएवीपी द्वारा समय-समय पर कई परिपत्र जारी किए गए, जिनमें प्रकाशकों से अनुरोध किया गया कि वे अपने बाकी बिलों की अदायगी के लिए दूसरे बिल प्रस्तुत करें। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता से दिनांक 30.09.2004 का कोई दूसरा बिल प्राप्त होने से इनकार किया और निवेदन किया कि यदि शिकायतकर्ता भारतीय प्रेस परिषद् के माध्यम से बिल की दूसरी प्रति प्रस्तुत करेगा, तो नियमानुसार अदायगी कर दी जाएगी।

शिकायतकर्ता ने दिनांक 23.06.2010 को अपनी प्रति-टिप्पणियां दाखिल की हैं और निवेदन किया है कि प्रतिवादी डीएवीपी का यह वक्तव्य कि उसने बिल की दूसरी प्रति प्रस्तुत नहीं की, सही नहीं है। उसके अनुसार, उपर्युक्त बिल डीएवीपी के दिनांक 30.09.2004 के द्वारा जारी किए गए रिलीज आदेश के नए फार्मेट में दिनांक 01.11.2004 को उनके कार्यालय में और संयुक्त निदेशक, लेखा और महानिदेशक के कार्यालय में भी प्रस्तुत किया गया था। उसने यह भी कहा कि उसे बिल की दूसरी प्रति प्रस्तुत करने के लिए निदेशक, डीएवीपी से एक पत्र प्राप्त हुआ था और वह बिल तथा आवश्यक स्पष्टीकरण डीएवीपी को भेज दिए गए थे।

यह मामला दिनांक 18.11.2011 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं था। श्री एन.वी रेड्डी समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपने द्वारा पहले ही दिए गए उत्तर को दोहराया।

"समिति ने टिप्पणी की कि सरकार ने लगभग 14 वर्ष पहले दी गई सेवाओं के संबंध में समाचारपत्र को देय आयगी रोक कर रखी। अब तक यदि यह रकम समाचारपत्र के पास होती तो चार गुना बढ़ गई होती। सरकार को चाहिए कि वह तीन सप्ताह के अंदर अपना उत्तर दाखिल करे कि वह अब ब्याज सहित इस रकम की अदायगी क्यों न करे। यह उस पर दंड नहीं होगा अपितु देय रकम पर स्वाभाविक रूप से होने वाली वृद्धि होगी। इसे प्राधिकारियों के उत्तर के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा।''

जांच समिति के निदेश दिनांक 03.02.2012 को पक्षकारों को सूचित किए गए थे। परिषद् के दिनांक 03.02.2012 के पत्र के उत्तर में प्रतिवादी निदेशक, डी ए वी पी ने दिनांक 10.02.2012 के अपने उत्तर के जरिए परिषद् को सूचित किया है कि शिकायतकर्ता को इसकी अदायगी चैक सं.223618 दिनांक 17.09.2010 के जरिए सितंबर 2010 में पहले ही कर दी गई है और प्रकाशक ने दिनांक 24.11.2011 को टेलीफोन पर इस बात की पुष्टि भी कर दी है।

जांच समिति ने दिनांक 25.04.2012 को पुणे में इस मामले पर पुनः सुनवाई की। कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। जांच समिति को ऐसा लगा कि शिकायतकर्ता, जिसे

परिषद् द्वारा डीएवीपी के उत्तर की एक प्रति उपलब्ध करा दी गई थी, डीएवीपी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट था। अतः जांच समिति ने इस कार्यवाही को बंद करने के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें भेजने का निर्णय लिया है।

प्रेस परिषद् मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों और समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है और तदनुसार निर्णय लेती है।

29) श्री वीरभद्रप्पा लिंगप्पा झेरकुंटे, संपादक, जनताधीश वीकली, लातूर (महाराष्ट्र)	***बनाम***	**पंजीयक, आरएनआई, नई दिल्ली** **एस.डी.एम., उदगिर**

अधिनिर्णय

दिनांक 18.02.2011 की यह शिकायत श्री वीरभद्रप्पा लिंगप्पा झेरकुंटे, संपादक, जनताधीश वीकली, लातूर से रजिस्ट्रार, भारतीय समाचारपत्र पंजीयक और सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, उदगिर के खिलाफ प्राप्त हुई, जिसमें घोषणा प्रमाणपत्र जारी न किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे दिनांक 02.09.2009 को एसडीएम, उदगिर से आरएनआई का दिनांक 17/03/2008 का नाम सत्यापन पत्र और घोषणा प्राप्त हुई और उसने अपने साप्ताहिक समाचारपत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया है कि उसके समाचारपत्र द्वारा अर्जित लोकप्रियता के कारण उसे आरएनआई से दिनांक 12/11/2010 को एक पत्र प्राप्त हुआ कि दो वर्ष की अवधि के अंदर उसके समाचारपत्र का पंजीकरण न होने के कारण उसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है और आरएनआई ने उसे नए सिरे से आवेदन-पत्र देने का निदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसने एसडीएम, उदगिर के कार्यालय में सभी संबंधित दस्तावेज और घोषणा प्रस्तुत कर दी है, लेकिन उन्होंने उसे भारतीय समाचारपत्र पंजीयक को नहीं भेजा है।

प्रतिवादी ने दिनांक 13/04/2011 की अपनी टिप्पणी में निवेदन किया है कि शिकायतकर्ता ने जनताधीश नामक अपनी साप्ताहिक के संबंध में अपनी घोषणा के प्रमाणीकरण के लिए दिनांक 22/05/2008 को आवेदनपत्र दाखिल किया है। आवेदनपत्र की समीक्षा करने के बाद उसकी घोषणा को प्रमाणित कर दिया गया और दिनांक 26/05/2008 को उसे भेज दिया गया। उसने जिला मजिस्ट्रेट, लातूर को घोषणा के प्रमाणीकरण की दो प्रतियां प्रस्तुत की थीं। प्रतिवादी ने यह भी निवेदन किया है कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 31/01/2009 को दूसरा आवेदनपत्र दाखिल किया है और निवेदन किया है कि जनताधीश नामक उसकी साप्ताहिक पत्रिका की घोषणा का नया प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाए क्योंकि उसने अपनी पत्रिका का नाम बदल दिया है। उसने यह भी कहा है कि घोषणा का प्रमाणीकरण उसे दिनांक 02/02/2009 को जारी किया गया था और इसी प्रकार घोषणा के प्रमाणपत्र की प्रतियां

दिनांक 03/02/2009 को जिला मजिस्ट्रेट, लातूर को प्रस्तुत की गई थीं। उसने कहा है कि शिकायतकर्ता के आवेदनपत्र पर शिकायतकर्ता को 4-5 दिन के अंदर घोषणा का प्रमाणपत्र जारी किया गया था और उसकी ओर से इसमें कोई विलंब नहीं हुआ है।

टिप्पणियों के संबंध में परिषद् के दिनांक 24/03/2011 के नोटिस के उत्तर में प्रतिवादी उप-प्रेस रजिस्ट्रार, भारतीय समाचारपत्र रजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली ने दिनांक 27/04/2011 की अपनी टिप्पणियों के जरिए निवेदन किया है कि 'जनताधीश' नामक शीर्षक दिनांक 17/03/2008 को शिकायतकर्ता को जारी किया गया था। प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 27/08/2010 के अपने पत्र के जरिए इसी शीर्षक कोड को उसे जारी करने का पुनः अनुरोध किया था। उसने यह भी कहा कि समुचित संवीक्षा करने के बाद यह पाया गया कि शिकायतकर्ता ने दो वर्ष की अवधि के अंदर अपने समाचारपत्र का पंजीकरण नहीं करवाया था और दिनांक 17/03/2010 को कार्यालय के रिकार्ड में यह शीर्षक बंद/रद्द पाया गया और इसकी सूचना शिकायतकर्ता को दी गई।

शिकायतकर्ता ने अपने द्वारा की गई शिकायत को दोहराते हुए दिनांक 07/07/2011 के अपने पत्र के जरिए यह आरोप लगाया कि प्रतिवादी भारतीय समाचारपत्र पंजीयक और एसडीएम, उदगिर एक षडयंत्र के अधीन उसके समाचारपत्र को बंद करना चाहते थे। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसने एसडीएम, उदगिर के कार्यालय में समय पर सभी संगत कागज-पत्र प्रस्तुत कर दिए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें पंजीकरण के लिए भारतीय समाचारपत्र पंजीयक को अग्रेषित नहीं किया। उसने यह भी निवेदन किया कि वह प्रतिवादियों की टिप्पणियों से संतुष्ट नहीं है और उसने यह भी अनुरोध किया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

उत्तर में वक्तव्य देने संबंधी परिषद् के नोटिस के उत्तर में प्रतिवादी जिला मजिस्ट्रेट, लातूर ने दिनांक 27/09/2011 की अपनी टिप्पणी में निवेदन किया है कि एडीएम, उदगिर ने दिनांक 26/05/2008 और दिनांक 03/09/2009 को सूचना के लिए अपने कार्यालय में शिकायतकर्ता की घोषणा की दो प्रतियां प्रस्तुत की थीं। प्रतिवादी ने यह भी निवेदन किया है कि वे यह समझ बैठे थे कि एसडीएम, उदगिर ने भारतीय समाचारपत्र पंजीयक को समाचारपत्र के शीर्षक की घोषणा की प्रतियां सीधे भेज दी हैं। लेकिन ऐसा पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया है। प्रतिवादी ने यह भी निवेदन किया कि जहां तक लातूर जिले का संबंध है, उनके कार्यालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे यह घोषणा प्रस्तुत करें।

जांच समिति ने दिनांक 27/04/2012 को पुणे में इस मामले पर सुनवाई की। श्री सी. के. सिंह सहायक प्रेस रजिस्ट्रार, भारतीय समाचारपत्र पंजीयक का कार्यालय मुंबई और श्री पठान एल आई, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, उदगिर प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए। चूंकि शिकायतकर्ता इस मामले पर दबाव देने के लिए उपस्थित नहीं था, अतः जांच समिति ने यह शिकायत खारिज करने का निर्णय लिया।

प्रेस परिषद् मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों और समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है और तदनुसार निर्णय लेती है।

30) डॉ. रवि रस्तोगी
संपादक
हिमालय और हिन्दुस्तान
ऋषिकेश, उत्तराखंड

बनाम

महा निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
उत्तराखंड सरकार, देहरादून

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 09.2.2010 डॉ. रवि रस्तोगी, संपादक/प्रकाशक, हिमालय और हिन्दुस्तान, हिन्दी पाक्षिक, ऋषिकेश, उत्तराखंड द्वारा महानिदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून के विरूद्ध विज्ञापन नियमित रूप से नहीं दिये जाने और उसके विज्ञापन बिलों का भुगतान नहीं करने के आरोप में की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसका समाचार पत्र विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों के लिये अनुमोदित है लेकिन आईएंडपीआरडी ने उसके समाचार का नियमित प्रकाशन नहीं होने के कारण उसे विज्ञापन जारी नहीं करने के आदेश दिनांक 8.11.2009, 13.11.2009 और 26.11.2009 जारी किये। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वह अपने समाचार पत्र के अंकों की प्रतियां नियमित रूप से आईएंडपीआरडी निदेशालय, उत्तराखंड सरकार को डाक से भेजता रहता है। शिकायतकर्ता ने आगे उल्लेख किया कि उसे प्रतिवादी प्राधिकारियों को बारबार अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी, संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी का यह भेदभाव और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार न केवल प्रेस की आजादी पर कुठाराघात है बल्कि उसके समाचारपत्र को आर्थिक संकट में भी डालना है। उसने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी की दुर्भावनापूर्ण मंशा के कारण उसके समाचार पत्र को कोई विज्ञापन जारी नहीं किये जा रहे हैं हालांकि आईएंडपीआरडी निदेशालय को उसके समाचार पत्र की प्रतियां नियमित रूप से भेजी जा रही हैं। उसके लंबित बिलों का भुगतान भी प्रतिवादी द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने परिषद् से उत्तराखंड सरकार को यह निदेश जारी करने का अनुरोध किया कि उसके समाचार पत्र को विज्ञापन जारी किये जाएं और उसके लंबित बिलों का भी भुगतान किया जाए।

प्रतिवादी निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ने अपने उत्तर दिनांक 1.10.2010 में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गए आरोप सरासर झूठे और बदनीयती से पूर्ण हैं। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता अपना समाचार पत्र नियमित रूप से प्रकाशित नहीं करता है और अपने समाचार पत्र की प्रतियां भी आईएंडपीआर विभाग को समय पर प्रस्तुत नहीं की गईं अतः उसके समाचार पत्र को अनियमित के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया। उसने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने यह स्वीकार किया था कि जो समाचार पत्र आईएंडपीआरडी को नहीं मिले वे संभवतः डाक में गुम हो गये होंगे किंतु शिकायतकर्ता को पीआरबी अधिनियम के अनुसार, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समाचार पत्र की दो प्रतियां आईएंडपीआरडी निदेशालय को निःशुल्क 24 घंटे में मिल जानी चाहिए, शिकायतकर्ता द्वारा इसका भी ध्यान नहीं रखा गया। प्रतिवादी

ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने समाचार पत्र का नियमित प्रकाशन नहीं होने के कारण विज्ञापनों को समय पर प्रकाशित नहीं किया जिस कारण उसके समाचार पत्र को विज्ञापन नहीं दिये गये।

शिकायतकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर दिनांक 31.12.2010 में उल्लेख किया कि प्रतिवादी विभाग की कार्रवाई पूर्णतया पक्षपात पूर्ण और अन्याय पूर्ण है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वे आईएंडपीआर विभाग, उत्तराखंड सरकार को समाचार पत्र की प्रतियां नियमित रूप से प्रेषित करते रहे हैं और उसके समाचार पत्र को विज्ञापन विशेष अवसरों पर ही जारी किये गए और अन्य व निविदा विज्ञापन उन्हें जारी नहीं किये गए। उसने अंत में उल्लेख किया कि प्रतिवादी विभाग की यह डयूटी है कि छोटे और मझोले समाचार पत्रों को चलते रहने और उनकी मौजूदगी बनाये रखने के लिये विज्ञापन जारी किये जाएं।

रिपोर्ट

नई दिल्ली में 4.10.2012 को यह मामला जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 23.9.2012 द्वारा सूचित किया कि वह अपने पिता के बीमार होने के कारण पेश नहीं हो सकेगा और मामले को उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर निपटाने का अनुरोध किया। श्री नितिन उपाध्याय, सूचना अधिकारी, उत्तराखंड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए। प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने बयान दिया कि राज्य सरकार उन्हीं समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी करती है जिनका नियमित प्रकाशन होता है अर्थात् समाचार पत्र को विज्ञापन मान्यता नियमावली के अनुसार, 80 प्रतिशत नियमित होना चाहिए। प्रतिवादी ने बताया कि प्रतिवादी समाचार पत्र को प्रारंभ में विज्ञापन जारी किये गये थे लेकिन वे उन्हें समय पर प्रकाशित नहीं कर सके जिस कारण विज्ञापनों की महत्ता समाप्त हो गई। अतएव सरकार ने शिकायतकर्ता को विज्ञापन जारी करने बंद कर दिये।

जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता की यह शिकायत है कि उसके समाचार पत्र को विज्ञापन जारी नहीं किये गये हालांकि उसके समाचार पत्र की प्रतियां आईएंडपीआरडी को नियमित रूप से भेजी जाती रहीं और प्रतिवादी द्वारा उसके लंबित बिलों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। जांच समिति ने केस के रिकार्ड पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद प्रतिवादी को शिकायतकर्ता के बिलों का भुगतान करने का निदेश दिया जो नियमों के अनुसार, उसकी पूरी हकदारी है। जांच समिति की राय थी कि शिकायतकर्ता अगली किसी कानूनी मांग के लिये न्यायालय की शरण जा सकता है। उसने मामले का निपटान करने का निर्णय लिया और तदनुसार, परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकर कर ली और मामले को समाप्त करने का निर्णय लिया।

31) श्री जय प्रकाश तमकोरिया
संपादक/प्रकाशक
दैनिक छत्तीसगढ़ वैभव
कोरबा, छत्तीसगढ़

बनाम

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
छत्तीसगढ़ सरकार
रायपुर

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - श्री जयप्रकाश तमकोरिया, संपादक/प्रकाशक, छत्तीसगढ़ वैभव, कोरबा, छत्तीसगढ़

प्रतिवादी के लिये - श्री उमेश मिश्रा, संयुक्त निदेशक, जन सम्पर्क, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 16.5.2011 श्री जयप्रकाश तमकोरिया, संपादक/प्रकाशक, दैनिक छत्तीसगढ़ वैभव, कोरबा, छत्तीसगढ़ द्वारा निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर के विरूद्ध दायर की गई है जिसमें उनके समाचारपत्र को सरकारी विज्ञापनों की सूची में सूचीबद्ध नहीं करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह छत्तीसगढ़ वैभव का प्रकाशन करते है जबकि उनका भाई श्री अजय कुमार तमकोरिया सांध्य समाचारपत्र का मालिक है। शपथ पत्र देने के बावजूद भी कि दोनों भाइयों का पृथक कारोबार है लेकिन निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके समाचारपत्र को विज्ञापन जारी करने की राज्य सरकार की अनुमोदित समाचारपत्र सूची में सूचीबद्ध करने से इस आधार पर इंकार कर दिया कि दोनों समाचारपत्रों का एक ही कार्यालय, टेलीफोन नम्बर और मुद्रण प्रेस है तथा राज्य की नई विज्ञापन नीति के अनुसार, वह सूचीबद्ध कराने का दावा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने राज्य सरकार की विज्ञापन नीति को चुनौती दी जिस कारण परिवार प्रकाशन के दूसरे व्यक्ति को राज्य सरकार के विज्ञापनों से वंचित कर दिया गया। विज्ञापन विनियमावली, 2010 के अनुच्छेद 10(3) को नीचे उद्धृत किया जा रहा है

''जहां कोई परिवार एक से अधिक प्रकाशन एक ही भाषा में भिन्न नामों से प्रकाशित करता है, विज्ञापन प्रकाशित करने की पात्रता सामान्यता एक समाचारपत्र को ही दी जाएगी। किसी परिवार द्वारा एक या अधिक समाचारपत्रों के प्रकाशन के बारे में कोई सूचना/शिकायत मिलने पर, ऐसे मामलों में आवश्यक जांच पड़ताल करने के बाद सूची में समाचारपत्र को शामिल करने या शामिल नहीं करने के बारे में अंतिम निर्णय आयुक्त/निदेशक जन सम्पर्क द्वारा लिया जाएगा।''

शिकायतकर्ता के अनुसार, अपनी विज्ञापन नीति में उक्त खंड को शामिल करके राज्य सरकार ने न केवल भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा निर्मित मॉडल विज्ञापन नीति, पीआरबी अधिनियम के प्रावधानों को अनदेखा किया है बल्कि भारतीय संविधान की भी पूर्णतया उपेक्षा की है। शिकायतकर्ता ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की विज्ञापन नीति के प्रावधान को हटाने और उनके समाचारपत्र को प्रत्यापन के लिये परिषद् से अनुरोध किया।

प्रतिवादी निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, रायपुर ने अपना उत्तर दिनांक 27.6.2011 प्रस्तुत किया और अनुरोध किया कि दैनिक छत्तीसगढ़ वैभव और सांध्य समीक्षक कोरबा से एक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि क्रीनिंग समिति ने यह भी पाया कि दोनों समाचारपत्रों के संपादकीय के साथ-साथ प्रमुख शीर्ष रेखायें शब्दशः समान होती हैं और समाचारपत्रों का प्रकाशन एकान्तर आधार पर किया जाता है। जब समिति ने प्रतिदिन बिक्री होने वाले समाचारपत्रों की संख्या के बारे में पूछताछ की तो एजेंसी कोई संतोषजनक उत्तर भी नहीं दे सकी। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप का खंडन किया कि विज्ञापन नीति, 2010 जल्दबाजी में बनाई गई थी क्योंकि, यह खंड पिछली नीति में भी शामिल था (नियम 14(3))।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने कोई उचित उत्तर नहीं दिया और 2.11.2010 को प्रत्यायन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की मात्र प्रति ही भेजी गई। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि नियम 14(3) को निरस्त या बदलने के उनके अनुरोध पर प्रतिवादी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, ऐसे अन्य अनेक समाचारपत्र हैं जो एक ही प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं और भाईयों द्वारा उनका संचालन किया जाता है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि समाचार एजेंसियां समाचारपत्रों को कम्पोज्ड तरीके से सामग्री उपलब्ध कराती हैं और उन्हें शब्दशः प्रकाशित किया जाता है, यदि यह अवैध है तो राज्य सरकार को उन समाचार एजेंसियों की सेवाएं लेने के लिये समाचारपत्रों पर दबाव नहीं डालना चाहिए।

यह मामला भोपाल में दिनांक 21.12.2012 को जांच समिति के समक्ष पेश किया गया। जांच समिति ने पाया कि इस मामले में शिकायतकर्ता ने छत्तीसगढ़ सरकार की विज्ञापन विनियमावली, 2010 के खंड 10(3) की वैधता को चुनौती दी है। कथित नियम में इस संबंध में स्पष्ट कहा गया है *''जहां कोई परिवार एक से अधिक प्रकाशन एक ही भाषा में भिन्न नामों से प्रकाशित करता है, विज्ञापन प्रकाशित करने की पात्रता सामान्यतया एक समाचारपत्र को ही दी जाएगी। किसी परिवार द्वारा एक या अधिक समाचारपत्रों के प्रकाशन के बारे में कोई सूचना/ शिकायत मिलने पर, ऐसे मामलों में आवश्यक जांच पड़ताल करने के बाद सूची में समाचारपत्र को शामिल करने या शामिल नहीं करने के बारे में अंतिम निर्णय आयुक्त/निदेशक जन सम्पर्क द्वारा लिया जाएगा।''* जांच समिति की प्रथम दृष्ट्या यह राय है कि नियम 10(3) संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उदाहरणार्थ, यदि परिवार के दो सदस्य हों जो हिन्दी भाषा में अपने अलग समाचारपत्रों का प्रकाशन करते हों तो नियम 10(3) के अनुसार, केवल एक को प्रत्यायन मिलेगा। जांच समिति ने कहा कि यह स्पष्ट मनमानी और भेदभावपूर्ण है क्योंकि परिवार का प्रत्येक सदस्य भारत का नागरिक है और दोनों पृथक संगठन हैं। केवल इस कारण कि वे एक ही परिवार के सदस्य हैं तो दूसरे को विज्ञापन देने से इंकार नहीं करना चाहिए। हालांकि, नियम 10(3) यह विभेद नहीं करता है। अतएव, जांच समिति ने निर्णय दिया कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है और कोई भी नीति संविधान का अतिक्रमण नहीं कर सकती है। चूंकि प्रेस परिषद् को नियम बदलने की शक्ति नहीं है और वह केवल टिप्पणी कर सकती है, अतः इन टिप्पणियों के साथ मामले का निपटान किया जाता है। शिकायतकर्ता उचित कार्रवाई के लिये उपयुक्त न्यायालय में जा सकता है, यदि वह चाहे।

निर्णय

परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और इन टिप्पणियों के साथ मामले का निपटान करने का निर्णय किया।

32) श्री सुभाष जैन
मुख्य संपादक
आज की जनता,
इंदौर, मध्य प्रदेश

बनाम

जन सम्पर्क विभाग
मध्य प्रदेश सरकार
मध्य प्रदेश

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - श्री सुभाष जैन

प्रतिवादी के लिये - श्री लाजपत आहुजा, अपर सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल
श्री प्रकाश गौड़, ओएसडी एवं एएमडी, जन सम्पर्क विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 8.2.2012 श्री सुभाष जैन, मुख्य संपादक, आज की जनता, इंदौर, मध्य प्रदेश द्वारा जन सम्पर्क विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के विरूद्ध उनके समाचारपत्र को विज्ञापन नहीं देने का आरोप लगाते हुए दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जन सम्पर्क विभाग पिछले 30 वर्षों से उनके समाचारपत्र को लगातार विज्ञापन देता रहा है किंतु अब उसने केवल इस कारण विज्ञापन देने बंद कर दिये हैं क्योंकि समाचारपत्र आज की जनता अपने समाचारपत्र के माध्यम से आरएसएस (भाजपा) के विचारों का प्रचार नहीं करता है। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार केवल उन्हीं समाचारपत्रों को विज्ञापन देती है जो आरएसएस (भाजपा) के विचारों का प्रचार करते हैं। उसने उल्लेख किया कि उसके समाचारपत्र को विज्ञापन न देने के कारण सरकार द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है। शिकायतकर्ता प्रतिवादी प्राधिकारियों को वर्ष 2007 से अनेक पत्र भेज चुका है किन्तु किसी का भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

यह मामला भोपाल में दिनांक 21.12.2012 को जांच समिति के समक्ष पेश किया गया। शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि जन सम्पर्क विभाग की नीति है कि विज्ञापन आवेदन करने पर जारी किये जाएंगे। शिकायतकर्ता ने विज्ञापनों के लिये आवेदन किया किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसने बताया कि उसका समाचारपत्र 41 वर्ष पुराना है।

प्रतिवादी ने कहा कि विज्ञापन प्रत्येक आवेदन पर नहीं दिये जा सकते हैं, लेकिन समाचारपत्र को लगभग प्रत्येक माह एक विज्ञापन दिया जाता रहा था । उसने यह भी कहा कि उसे पिछले चार माह से शिकायतकर्ता से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उसने यह भी बताया कि वर्ष 2007 में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि न्यायालय सरकार के नीतिगत

मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हालांकि, उसने मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया कि विज्ञापन दिये जाएं या नहीं।

जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुने। जांच समिति ने पाया कि प्रतिवादी श्री लाजपत आहूजा, अपर सचिव, मध्य प्रदेश सरकार ने बयान दिया कि शिकायत में लगाये गये आरोप निराधार हैं किंतु वे विज्ञापन देने के उसके आवेदन पर गुणाधार पर विचार करेंगे और विज्ञापन जारी करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तदनुसार, जांच समिति ने राज्य सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार, मामले का निपटान करने का निर्णय लिया और तदनुसार, परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, मामले का निपटान करने का निर्णय लिया।

33) श्री रघुनाथ सिंह
उप महाप्रबंधक
राजस्थान पत्रिका
राजस्थान पत्रिका प्रा. लि.
जयपुर, राजस्थान

बनाम

आयुक्त
जयपुर नगर निगम
जयपुर, राजस्थान

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - सर्व/श्री महेश विजय और गोपाल शर्मा, एडवोकेट
प्रतिवादी के लिये - श्री कमल किशोर शर्मा, एडवोकेट

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 7.4.2011 श्री रघुनाथ सिंह, उप महाप्रबंधक, मैसर्स राजस्थान पत्रिका प्रा. लि., केसरगढ़, जेएलएन मार्ग, जयपुर द्वारा मेयर, जयपुर नगर निगम के विरूद्ध उनके समाचारपत्र 'राजस्थान पत्रिका' को गैस-कानूनी और अनुचित ढंग से विज्ञापन रोक देने का आरोप लगाते हुए दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी उनके समाचारपत्र को नियमित रूप से विज्ञापन देता था किन्तु निगम ने उनके समाचार पत्र तथा अन्य समाचारपत्रों को कोई भी विज्ञापन पिछले सात दिनों से नहीं दिया है। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि निगम उसके समाचारपत्र को विज्ञापन जारी करने में भेदभाव कर रहा है क्योंकि राजस्थान पत्रिका ने अपने समाचारपत्र में कुछ घोटालों को प्रकाशित किया था जो जयपुर नगर निगम के मेयर पर सीधे आरोप थे। शिकायतकर्ता ने पुनः विज्ञापन जारी करने का अनुरोध करते हुए दिनांक 31.3.2012 को प्रतिवादी का ध्यान आकर्षित किया था किंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने राज्य विकास विभाग को भी दिनांक 30.4.2012

को पत्र भेजा था जिसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव और मुख्य मंत्री, राजस्थान जयपुर को आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी गई थी लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

परिषद् द्वारा प्रतिवादी जयपुर नगर निगम को दिनांक 6.7.2012 को उत्तर विवरण के लिये नोटिस भेजा गया था लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

यह मामला भोपाल में दिनांक 22.12.2012 को जांच समिति के समक्ष पेश किया गया। प्रतिवादी अपना बचाव पेश करने में असमर्थ रहा। जांच समिति ने मामले के रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद संतोष व्यक्त किया कि शिकायतकर्ता समाचारपत्र को प्रतिवादी द्वारा विज्ञापनों का रोका जाना अनुचित था। तदनुसार, जांच समिति ने शिकायत की अनुमति दी और प्रतिवादी को निदेश दिया कि शिकायतकर्ता को पिछले बकाया विज्ञापनों सहित सभी देय विज्ञापन जारी करे। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और तदनुसार, निर्णय लिया।

34) श्री रघुनाथ सिंह
उप महाप्रबंधक
राजस्थान पत्रिका
राजस्थान पत्रिका प्रा. लि.
केसरगढ़, जवाहरलाल नेहरू मार्ग
जयपुर - 302 004

बनाम

मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश सरकार
भोपाल, मध्य प्रदेश

आयुक्त
जनसम्पर्क निदेशालय
जनसम्पर्क भवन, टैगोर मार्ग
बाणगंगा, भोपाल, मध्य प्रदेश

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - सर्व/श्री महेश विजय और गोपाल शर्मा, एडवोकेट

प्रतिवादी के लिये - श्री लाजपत आहुजा, अपर सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल
श्री प्रकाश गौड़, ओएसडी एवं एएमडी, जनसम्पर्क विभाग मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 23.12.2011 श्री रघुनाथ सिंह, उप महाप्रबंधक, मैसर्स राजस्थान पत्रिका प्रा. लि., जयपुर द्वारा मध्य प्रदेश सरकार और उसके विभाग यथा जनसम्पर्क निदेशालय के विरूद्ध'राजस्थान पत्रिका' को विज्ञापन देने के मामले में भेदभाव बरते जाने का आरोप लगाते हुए दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उनके समाचारपत्र का परिचालन लगभग 7.5 लाख है किंतु इसके बावजूद राज्य के विज्ञापनों में दूसरे समाचारपत्रों की हिस्सेदारी बहुत अधिक है। शिकायतकर्ता ने आयुक्त, जनसम्पर्क निदेशालय, भोपाल, मध्य प्रदेश को एक पत्र दिनांक 11.01.2012 को भेजा था किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

परिषद् द्वारा प्रतिवादी को दिनांक 2.2.2012 को उत्तर में विवरण के लिये नोटिस भेजा गया था। प्रत्युत्तर में श्री अनिल माथुर, उप निदेशक (विज्ञापन), मध्य प्रदेश ने अपनी टिप्पणी दिनांक 7.3.2012 भेजी और शिकायतकर्ता द्वारा लगाय गये आरोपों का खंडन किया तथा उल्लेख किया कि विज्ञापन जारी करने के मामले में राजस्थान पत्रिका के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा था। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि उन्होंने चालू वित्त वर्ष में राजस्थान पत्रिका, भोपाल को बड़ी संख्या में विज्ञापन दिये जबकि सभी अन्य समाचारपत्रों को कम विज्ञापन जारी किये गये। अतः इस अंतर का संतुलन करने के लिये, पिछले दो माह के दौरान राजस्थान पत्रिका को कम संख्या में विज्ञापन दिये गये। प्रतिवादी के अनुसार, उन्होंने विज्ञापनों को देने के मामले में राजस्थान पत्रिका के साथ कभी भेदभाव नहीं किया है।

यह मामला भोपाल में दिनांक 22.12.2012 को जांच समिति के समक्ष पेश किया गया। जांच समिति को बताया गया है कि शिकायतकर्ता को मध्य प्रदेश सरकार से उचित मात्रा में विज्ञापन मिल रहे हैं। अतः जांच समिति शिकायत पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती है। उसने परिषद् से शिकायत को बंद करने की सिफारिश की।

निर्णय

परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और मामले को बंद करने का निर्णय लिया।

सिद्धांत और प्रकाशन

35) अध्यक्ष,
भारतीय कार्मिक रोजगार
संवर्धन परिषद्
मुंबई

बनाम

संपादक
ग्लोबल जॉब्स,
(टाइम्स ऑफ इंडिया की
सहायक कंपनी) मुंबई

संपादक
असाइनमेंट अब्रोड टाइम्स,
मुंबई

संपादक
मुंबई मिरर,
मुंबई

अधिनिर्णय

दिनांक 09/09/2009, 08/02/2011 और 02/02/2011/ 16/02/2011 की ये तीन अलग शिकायतें अध्यक्ष, भारतीय कार्मिक रोजगार संवर्धन परिषद्, मुंबई द्वारा (1) ग्लोबल जॉब्स, (2) असाइनमेंट अब्रोड टाइम्स, और (3) मुंबई मिरर के खिलाफ दायर की गई हैं। इन शिकायतों में उपर्युक्त समाचारपत्रों के क्रमशः दिनांक 02/09/2009, 05/02/2011 और 30/01/2011/ 13/02/2011 में अनधिकृत विदेशी नियोजकों/भर्ती एजेंटों द्वारा समुद्रपारीय नौकरियों के बारे में विज्ञापन प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है।

शिकायत में कहा गया है कि इन विज्ञापनों में कुछ कंपनियों ने विदेशों में कई रिक्तियों की आवश्यकता के बारे में विज्ञापन दिया था। जबकि केवल ऐसे पंजीकृत भर्ती एजेंट और वाजिब विदेशी नियोजकों को यह अनुमति है कि वे समुद्रपारीय नौकरियों के लिए ऐसे विज्ञापन दें और ऐसे भारतीय नागरिकों को भर्ती करें जिनके पास विधिमान्य परमिट हों। पंजीकृत भर्ती एजेंटों के लिए यह भी अनिवार्य है कि विज्ञापन देते समय वे विज्ञापनों में अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्याओं का भी उल्लेख करें और इसी प्रकार विदेशी नियोजक भी अपने परमिट नंबर का उल्लेख करें। कोई भी व्यक्ति उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 के अधीन समुद्रपारीय भारतीय कार्य मंत्रालय का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ऐसा विज्ञापन जारी नहीं कर सकता है। इस अधिनियम में इन प्रावधानों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी प्रेस पर भी डाली गई है। प्रेस परिषद् ने अपनी ओर से एक अधिनिर्णय में प्रेस के लाभ के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी किए थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादियों ने इस प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित करके उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 और परिषद् के दिनांक 12/07/2006 के निर्णय का उल्लंघन किया है।

प्रतिवादी - (1) ग्लोबल जॉब्स (2) असाइनमेंट अब्रोड टाइम्स, और (3) मुंबई मिरर को क्रमशः दिनांक 10/02/2010, 23/05/2011 और 11/08/2011 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

इसके उत्तर में प्रतिवादी असाइनमेंट अब्रोड टाइम्स ने दिनांक 01/06/2011 के अपने लिखित वक्तव्य में अनुरोध किया है कि शिकायतकर्ता से पत्र प्राप्त होने पर उन्होंने अपने समाचारपत्र में विज्ञापन जारी करने के लिए सभी विदेशी नियोजकों से परमिट नंबर देने के लिए बल दिया है और पिछले दो माह से बिना परमिट नंबर वाले विदेशी नियोजकों के किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित नहीं किया है। यह सूचित करते हुए कि सभी अन्य समाचारपत्र इस प्रकार के विज्ञापनों को लगातार प्रकाशित करते रहे हैं, उन्होंने परिषद् से अनुरोध किया कि वह उत्प्रवासन नियमावली का पालन करने के लिए सभी समाचारपत्रों को आदेश जारी करे।

शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी असाइनमेंट अब्रोड टाइम्स के उत्तर पर दिनांक 06/06/2011 को दी गई अपनी प्रति-टिप्पणी में कहा है कि प्रतिवादी ने अपने उत्तर में भारतीय प्रेस परिषद् के दिशानिर्देशों के उल्लंघन की बात स्वीकार की है और विज्ञापन जारी करने के लिए सभी विदेशी नियोजकों से परमिट नंबर का उल्लेख करने पर बल दिए जाने का उपचारात्मक उपाय किया है। समाचारपत्र के कार्यालय द्वारा यह बात स्वीकार किए जाने से उत्प्रवासन अधिनियम के उल्लंघन के गलत कार्य से वे मुक्त नहीं हो जाते हैं।

जांच समिति ने दिनांक 25/04/2012 को पुणे में इस मामले की सुनवाई की। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादियों में से केवल असाइनमेंट अब्रोड टाइम्स प्रतिवादी की ओर से श्री टी श्रीहरि, महाप्रबंधक (विपणन) ने उनका प्रतिनिधित्व किया। जांच समिति ने नोट किया कि परिषद् ने अपंजीकृत भर्ती एजेंटों और इस प्रकार के तत्त्वों की इच्छानुसार उन्हें छोड़कर लोकहित के खिलाफ इस प्रकार के विज्ञापनों के मामले को स्वीकार किया है। अतः उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समुद्रपारीय रोजगार संबंधी विज्ञापनों को स्वीकार करने के बारे में प्रेस के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में जांच

बिंदु तय किए हैं। ये दिशानिर्देश प्रेस नोट के जरिए और समाचारपत्र संगठनों के माध्यम से व्यापक रूप से परिचालित किए गए हैं। इसके बावजूद, इस प्रकार के विज्ञापनों का प्रकाशित होना चिंता का एक विषय है। जनता के हित के संरक्षक के रूप में प्रेस से अपेक्षा की जाती है कि वह इन अपेक्षाओं को ध्यान में रखे। यह भी आवश्यक है कि केवल संपादकीय विभाग नहीं अपितु समाचारपत्रों के विज्ञापन विभाग भी इन प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करे। इस शिकायत को बनाए रखने के संबंध में परिषद् से सिफारिश करते समय जांच समिति ने निर्णय लिया है कि वह प्रेस के लाभ के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों को पुनः जारी करेः

"उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 के अनुसार समुद्रपारीय विज्ञापनों को प्रकाशित करने के लिए आदर्श दिशानिर्देश'':

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परिषद् से अनुरोध किया है कि वह इस अधिनियम, 1983 का उल्लंघन करते हुए विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित की जा रही समुद्रपारीय नौकरियों के विज्ञापनों के परिणामतः प्रकाशकों के लिए दिशानिर्देश जारी करे। परिषद् ने उत्प्रवासी महासंरक्षक से परामर्श करके निम्नलिखित आदर्श दिशानिर्देश तैयार किए हैः

1. उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी नियोजक भारत से बाहर किसी देश या स्थान में रोजगार के लिए भारत के नागरिक की भर्ती नहीं कर सकता है परंतु (क) इस प्रकार की भर्ती करने के लिए अधिनियम के अधीन सक्षम भर्ती एजेंट के माध्यम से, या (ख) इस संबंध में जारी किए गए विधिमान्य परमिट के अनुसार इस प्रकार की भर्ती की जा सकती है।

2. उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 की धारा 10 में यह प्रावधान किया गया है कि समुद्रपारीय रोजगार के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती करने के कारोबार संबंधी कार्य कोई भी भर्ती एजेंट नहीं करेगा, परंतु पंजीकरण प्राधिकरण अर्थात समुद्रपारीय भारतीय कार्य मंत्रालय के उत्प्रवासी महासंरक्षक द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र के अधीन और के अनुसार ऐसा किया जा सकता है।

3. इसी प्रकार, विदेशी नियोजक या परियोजना निर्यातक भारतीय नागरिकों की भर्ती उस देश के भारतीय मिशन की अनुमति प्राप्त करने, जिसमें नौकरी के लिए उन्हें भर्ती किया जा रहा है या श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विदेश में रोजगार के लिए उनकी भर्ती कर सकता है।

4. पंजीकृत भर्ती एजेंटों के लिए यह अनिवार्य है कि वे भर्ती के लिए विज्ञापन देते समय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या का उल्लेख करें। इसी प्रकार, विदेशी नियोजक और परियोजना निर्यातक भी विज्ञापन देते समय परमिट नंबर का उल्लेख करेंगे।

5. भर्ती एजेंटों के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र और विदेशी नियोजकों एवं परियोजना निर्यातकों के मामले में अनुमति पत्र की एक प्रति विज्ञापन के साथ संलग्न करनी होगी, जो उनके वाजिब व्यक्ति होने का एक सबूत होगा।

6. सभी विज्ञापनदाताओं से कहा जाएगा कि वे अपने विज्ञापन में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख करेः

(क) पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या/परमिट नंबर;

(ख) पूरा पता और टेलीफोन नंबर, पोस्ट बॉक्स नंबर, ई-मेल पता (ये सब पते पूरे पते के अतिरिक्त होंगे, लेकिन पत्राचार के तरीके के रूप में नहीं);

(ग) आवेदनपत्र की प्रक्रिया या किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा;

(घ) पदों/नौकरियों का नाम;

(ङ) प्रत्येक श्रेणी में पदों/रिक्तियों की संख्या; और

(च) प्रत्येक श्रेणी की नौकरी के लिए प्रस्तावित वेतन।

7. यदि कोई शंका हो तो प्रकाशक मांगपत्र और मुख्तारनामे की प्रतियों की भी मांग कर सकता है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि विदेशी नियोजक या एजेंट के प्रायोजकों द्वारा ये अभिलेख प्रस्तुत किए गए होंगे, क्योंकि इन्हीं के आधार पर उक्त विज्ञापन जारी किया जाएगा।

8. उत्प्रवासी महासंरक्षक, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली से या दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, चंडीगढ़ और हैदराबाद स्थित उत्प्रवासन संरक्षक के आठ कार्यालयों से भी स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

9. पंजीकृत भर्ती एजेंटों की सूची समुद्रपारीय भारतीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् http://moia.gov.in में भी देखी जा सकती है।

जांच समिति परिषद् से सिफारिश करती है कि वह इन अधिनिर्णयों को संबंधित मंत्रालय/सरकार को व्यापक प्रचार के लिए भेजे। प्रेस परिषद् इस मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों और समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है और तदनुसार, निर्णय लेती है।

36) सुश्री सुचित्रा कुंभार,
महासचिव,
एचआईवी और एड्स से पीड़ित लोगों का
नेटवर्क, मुंबई

बनाम

संपादक,
मिड-डे,
मुंबई

अधिनिर्णय

दिनांक 26/08/2010 की यह शिकायत सुश्री सुचित्रा कुंभार, महासचिव, एचआईवी और एड्स से पीड़ित लोगों का नेटवर्क, मुंबई द्वारा मिड-डे, मुंबई के खिलाफ दायर की गई है, जिसने दिनांक 15/05/2010 के अपने अंक में आपत्तिजनक 'सार्वजनिक सूचना' प्रकाशित की थी। इस

सूचना में श्री अफसर शेख का फोटोग्राफ छपा था। उसके फोटोग्राफ के साथ यह बात लिखी गई थी कि वह एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति है और लोगों को उससे सचेत रहने को कहा गया था।

दिनांक 16/12/2010 के परिषद् के कारण बताओ नोटिस के उत्तर में प्रतिवादी संपादक, मिड-डे के वकील ने दिनांक 13/01/2011 के अपने लिखित वक्तव्य में अनुरोध किया है कि उसके ग्राहक को प्रकाशन के लिए प्रतिदिन लगभग 3000 विज्ञापन/सार्वजनिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह उनकी जांच करे और प्रत्येक विज्ञापन/सार्वजनिक सूचना पर नजर रखे। उसने अनुरोध किया है कि दिनांक 15/05/2010 की सार्वजनिक सूचना श्री एन. खलील द्वारा प्रकाशन के लिए प्राप्त की गई थी, जिन्होंने इस आशय का शपथपत्र दाखिल किया था कि वे उक्त सार्वजनिक सूचना के लिए जिम्मेदार होंगे और तदनुसार, इस सूचना के नीचे खलील के नाम का उल्लेख भी किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि श्री अफसर शेख, जिनके बारे में यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी, ने इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई थी और न ही उसने भारतीय प्रेस परिषद् या शिकायतकर्ता से संपर्क किया था। उसने कहा कि एचआईवी/एड्स से पीड़ित किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन का कोई प्रश्न ही नहीं है, जैसाकि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है। क्योंकि उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना आम जनता के एचआईवी/एड्स से पीड़ित होने के बारे में नहीं है अपितु यह एक व्यक्ति विशेष अर्थात श्री अफसर शेख के बारे में है जिसने इसके बारे में कभी कोई शिकायत नहीं की है।

जांच समिति ने दिनांक 27/04/2012 को पुणे में इस मामले पर विचार किया। श्री शिवकुमार वर्मा, मुल्ला एंड मुल्ला एंड क्रेजी ब्लंट एंड कैरो, प्रधान प्रशासन और श्री विपुल बिलवे प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए। चूंकि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ और आरोपित प्रकाशन विज्ञापन/सार्वजनिक सूचना थी, अतः जांच समिति ने एचआईवी/एड्स की रिपोर्टिंग के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों को दोहराते हुए यह शिकायत खारिज कर दी और इस बात पर बल दिया कि एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार मीडिया के रूप में प्रेस ने लोगों के दिमाग कें पूर्वाग्रह और सोच को हटाने के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और तदनुसार निर्णय लिया।

37) श्री नारायण एस. नावति
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
पणजी,
गोवा

बनाम

संपादक,
नवप्रभा,
गोवा

अधिनिर्णय

दिनांक 11/10/2010 का एक पत्र श्री नारायण एस. नावति, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पणजी, गोवा से प्राप्त हुआ है, जिसके साथ उन्होंने मराठी दैनिक नवप्रभा में दिनांक 10/10/2010 को प्रकाशित समाचार परिषद् द्वारा जांच करने के लिए संलग्न किया है। इस समाचारपत्र का शीर्षक है *"विश्वजीत की विजय के लिए केवल अंतिम मुहर अपेक्षित।"*

शिकायतकर्ता के अनुसार, इस लेख में वालपोई निर्वाचन क्षेत्र के उप-चुनाव से एक सप्ताह पहले कांग्रेस उम्मीदवार श्री विश्वजीत का पक्ष लिया गया था। ऐसा लगता है कि यह समाचार या तो पैसे लेकर प्रकाशित किया गया या उम्मीदवार के दबाव में।

दिनांक 30/11/2010 के कारण बताओ नोटिस के उत्तर में प्रतिवादी संपादक, नवप्रभा ने दिनांक 19/12/2010 के अपने लिखित वक्तव्य में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि संबंधित लेख उस सप्ताह के दौरान राजनीतिक स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण था। प्रतिवादी ने यह भी निवेदन किया है कि यह पूर्वाग्रह से रहित था और गोवा के सत्तारी तालुका की राजनीतिक स्थिति और उप-चुनावों का विश्लेषण करने का प्रयास था, जो बाद में यह साबित हुआ कि ये टिप्पणियां सही थीं। प्रतिवादी ने सूचित किया कि शिकायतकर्ता पहले उनकी कंपनी अर्थात नवहिंद पेपर्स एंड पब्लिकेशन का कर्मचारी था और ऐसा प्रतीत होता है कि यह शिकायत अपने आप में एक पूर्वाग्रह है।

शिकायतकर्ता ने दिनांक 25/01/2011 की अपनी प्रति टिप्पणियों में अनुरोध किया है कि प्रतिवादी का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि संपादक द्वारा इसका कोई औचित्य नहीं बताया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार के शीर्षक से ऐसा पता चलता है कि यह वास्तविक निर्वाचन होने से पहले ही उम्मीदवार विशेष के विजय की घोषणा हो जिससे समाचारपत्र की निष्पक्षता पर संदेह होता है। प्रतिवादी ने दिनांक 16/02/2011 के अपने अन्य पत्र में कहा है कि आक्षेपित रिपोर्ट के खिलाफ स्थानीय पेड न्यूज समिति से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उसने यह भी कहा कि समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित किए गए समाचार में प्रत्येक राजनीतिक दल और उम्मीदवार का उल्लेख किया गया था और आक्षेपित प्रकाशन स्थिति के संबंध में उनका विश्लेषण था।

जांच समिति ने दिनांक 27/04/2012 को पुणे में इस मामले पर विचार किया। श्री सुशील निंबकर प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए। चूंकि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं था और समिति के समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिससे यह स्थापित हो सके कि यह पेड न्यूज था। अतः जांच समिति ने शिकायत को खारिज कर दिया।

प्रेस परिषद् इस मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों और समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है और मामले को बंद करने का निर्णय लेती है।

38) श्री अबु आज़मी
(भूतपूर्व संसद सदस्य),
मुंबई,

बनाम

संपादक,
दॅ उर्दू टाइम्स,
मुंबई

अधिनिर्णय

दिनांक 20/02/2010 की यह शिकायत श्री अबू असीम आजमी, पूर्व संसद सदस्य और तत्कालीन विधायक, महाराष्ट्र, मुंबई द्वारा 'दॅ उर्दू टाइम्स', उर्दू दैनिक के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें 'समाजवादी पार्टी और शिव सेना - बीजेपी की अुंदरुनी मित्रता का रहस्य'

और 'मेयर के चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के म्युनिसिपल काउंसलर की अनुपस्थिति - सामुदायिक ताकतों की मिलीभगत के कारण बाबरी मस्जिद मुद्दे पर लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट निरर्थक - इसे केवल न्यायालय द्वारा सुलझाया जा सकता है.-आजम खान के साथ उर्दू टाइम की विशेष बातचीत शीर्षकों से घृणित, आपत्तिजनक, झूठी, पीड़ादायक, काल्पनिक और अप्रिय समाचार प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है। ये दोनों शीर्षक उक्त समाचारपत्र के दिनांक 03.12.2009 और 04.12.2009 के अंकों में प्रकाशित किए गए थे।

जांच समिति ने दिनांक 27.04.2012 को पुणे में इस मामले पर विचार किया। श्री फारूक अंसारी, मुख्य रिपोर्टर प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुआ, हालांकि कारण बताओ नोटिस के उत्तर में कोई बचाव दाखिल नहीं किया गया। चूंकि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ, अतः जांच समिति ने परिषद् से सिफारिश की कि इस शिकायत को खारिज कर दिया जाए।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और तदनुसार, निर्णय लिया।

39) श्री पी.पी. कपूर
हरियाणा राज्य संयोजक
श्रम संगठन आईएफटीयू
हरियाणा

बनाम

संपादक
पंजाब केसरी, जालंधर
दैनिक भास्कर, पानीपत
दैनिक जागरण, पानीपत

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 19.10.2009 श्री पी.पी. कपूर, हरियाणा राज्य संयोजक श्रम संगठन आईएफटीयू, हरियाणा द्वारा संपादक, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण के विरूद्ध हरियाणा की विधान सभा के चुनाव में एक उम्मीदवार के पक्ष में झूठे और भ्रामक समाचार प्रकाशित करने के आरोप में की गई है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादियों ने उम्मीदवारों से मोटी रकम ली और आम जनता को गुमराह करने के लिये उन उम्मीदवारों के पक्ष में समाचार प्रकाशित किये। वे समाचार पूरी तरह झूठे हैं और पीत पत्रकारिता के भाग हैं।

प्रतिवादियों को बयान देने के लिये नोटिस दिनांक 16.4.2010 को भेजे गये।

परिषद् के नोटिस दिनांक 16.4.2010 के उत्तर में, प्रतिवादी संपादक, पंजाब केसरी, अंबाला कैंट ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 19.5.2010 में शिकायतकर्ता के आरोपों का खंडन करते हुए शिकायत करने की उनकी अधिकारिता को चुनौती दी। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायत प्रेस की आजादी का अतिक्रमण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन है। उसके अनुसार, शिकायत गलत है और शिकायतकर्ता कुछ निजी कारणों व प्रयोजन से समाचार पत्र पर संदेह कर रहा है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि

आक्षेपित समाचार सामान्य रूप से प्रकाशित होने वाला एक विज्ञापन मात्र है। समाचार पत्र ने यह सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा कि आक्षेपित विज्ञापनों को बॉक्स में समाचार पत्र के नियमित फॉन्ट से भिन्न प्रकार के फॉन्ट में प्रकाशित किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया कि पाठ सामग्री का साइज भी समाचार पत्र के नियमित पाठ से भिन्न हो। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि विज्ञापनों को समाचार पत्र के पृष्ठों पर सबसे नीचे दिया जाए जैसे कि अन्य विज्ञापनों के लिये आमतौर से किया जाता है। समाचार पत्र ने विज्ञापनों को नियमित समाचार मदों से भिन्न रूप में प्रकाशित करने का पूरा ध्यान रखा और सुनिश्चित किया कि पाठकगण सामान्य समाचारों को इन विज्ञापनों से अलग स्पष्ट देख सकें। प्रतिवादी के अनुसार, आक्षेपित विज्ञापन भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पूरी तरह अनुपालन करते हैं जैसेकि पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2005 के नियम 36 में दिया गया है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि चुनावों और उनके उम्मीदवारों के बारे में विज्ञापन सभी स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाते हैं और यह प्रत्येक समाचार पत्र की सामान्य क्रिया होती है।

शिकायतकर्ता ने दिनांक 13.10.2010 को चुनौती दी और इस उत्तर पर असंतोष व्यक्त किया।

अन्य प्रतिवादियों यथा दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर ने कोई उत्तर नहीं दिये।

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 31.1.2012 को जांच समिति के समक्ष पेश किया गया। श्री पी.पी. कपूर स्वयं उपस्थित हुए। श्री बी.के. मिश्रा, एडवोकेट दैनिक जागरण की ओर से उपस्थित हुए। प्रतिवादी पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने राज्यों में चुनाव होने के कारण मामलों की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। शिकायतकर्ता ने जांच समिति के समक्ष उल्लेख किया कि सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के मुख्य शीर्षक समान थे और विषय वस्तु पूरी तरह एक दूसरे के समान थी और ऐसा लगता था कि ये समाचार रुपया लेकर प्रकाशित किये गये हैं।

जांच समिति ने पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर के संयुक्त अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी।

स्थगन के बारे में परिषद् के पत्र दिनांक 9.4.2012 द्वारा सभी पक्षों को सूचित कर दिया गया।

रिपोर्ट

यह मामला चंडीगढ़ में दिनांक 13.8.2012 को जांच समिति के समक्ष पुनः पेश किया गया। इस अवसर पर शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। सर्वश्री राजेश कुमार दुबे, प्रबंधक (विधिक), दैनिक जागरण की ओर से और बी.सी. साहनी, एडवोकेट और मदन मोहन थापर, अनुभाग प्रमुख पंजाब केसरी की ओर से उपस्थित हुए। दैनिक भास्कर की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि आक्षेपित समाचार विज्ञापन थे न कि समाचार और समिति को सूचित किया कि वे प्रेस परिषद् द्वारा 2010 में पेड न्यूज संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं। समिति ने गुणदोषों के आधार पर मामले पर विचार किया और पाया कि पेड न्यूज का आरोप वर्ष 2009 से संबंधित है उसके बाद इस बारे में प्रेस परिषद् द्वारा 2010 में दिशानिर्देश निर्धारित किये गए, अतएव उसने प्रतिवादियों को लिखित वचनबद्धता का निदेश दिया कि वे प्रेस परिषद् द्वारा 2010 में पेड न्यूज पर निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे। यही निदेश इन टिप्पणियों के साथ दैनिक भास्कर को भी दिये गये । समिति ने परिषद् से केस बंद करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट स्वीकर कर ली और मामले को बंद करने का निर्णय लिया।

40) श्री शमशेर सिंह
राज्य महासचिव
इंडियन जस्टिस पार्टी
अम्बाला, हरियाणा

बनाम

संपादक
पंजाब केसरी
अम्बाला कैंट, हरियाणा

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 26.9.2009 श्री शमशेर सिंह आर्य, राज्य महासचिव, इंडियन जस्टिस पार्टी, हरियाणा द्वारा संपादक, पंजाब केसरी, अम्बाला के विरूद्ध उनके समाचार पत्र में दिनांक 4.10.2009 से 12.10.2009 के बीच राज्य विधान सभा के चुनाव के दौरान कथित गलत और भ्रामक समाचारों की श्रखला के विरोध में दायर की गई है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचारों को समाचार के रूप में प्रकाशित किया गया जबकि वे वस्तुतः विज्ञापन है और जिन्हें चुनाव में आम जनता को गुमराह करने के लिये ही प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि समाचार पत्र ने झूठा और बेबुनियाद समाचार उस उम्मीदवार के पक्ष में प्रकाशित किया जो चुनाव लड़ रहा था। समाचार पत्र ने उन गरीब उम्मीदवारों के बारे में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किये जो विज्ञापनों पर हजारों रुपये खर्च नहीं कर सकते थे। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि समाचार पत्र मालिकों ने अयोग्य व्यक्तियों को भर्ती किया है।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.4.2010 के प्रत्युत्तर में संपादक, पंजाब केसरी ने अपने लिखित बयान दिनांक 19.5.2010 में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता को शिकायत दायर करने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि शिकायत प्रेस की आजादी का अतिक्रमण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन है। उसके अनुसार, शिकायत गलत की गई है और शिकायतकर्ता कुछ निजी उद्देश्य और कारणों से समाचार पत्र के प्रति ईर्ष्या भाव रखता है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि आक्षेपित विज्ञापन सामान्य तरीके से अपने व्यवसाय के अनुसार, प्रकाशित किया गया

और समाचार पत्र ने यह सुनिश्चित करने के प्रति विशेष सावधानी बरती थी कि आक्षेपित विज्ञापन बॉक्स में हों और उन्हें समाचार पत्र के नियमित फॉन्ट से भिन्न फॉन्ट में प्रकाशित किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया कि उसकी विषय वस्तु समाचार पत्र की नियमित विषय वस्तु के समान न हो। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि विज्ञापन समाचार पत्र के पृष्ठ पर सबसे नीचे की ओर दिये गये हैं जैसेकि सामान्य तौर से अन्य विज्ञापन दिये जाते हैं। समाचार पत्र ने विज्ञापनों को नियमित समाचारों से भिन्न दर्शाने के प्रति पूरी सावधानी बरती और सुनिश्चित किया कि पाठकगण इन विज्ञापनों को सामान्य समाचारों से अलग पहचान सकें। प्रतिवादी के अनुसार, आक्षेपित विज्ञापन भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार हैं जैसाकि पत्रकारिता के आचरण के मानक के नियम 36 में दिया गया हैं। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि चुनाव और उनके उम्मीदवारों के बारे में विज्ञापन सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों द्वारा भी प्रकाशित किये जाते हैं और सभी समाचार पत्रों द्वारा सामान्य रूप से ऐसा ही किया जाता है। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों से इंकार किया कि समाचार पत्र के मालिक अपने रिपोर्टरों का शोषण करते हैं और उल्लेख किया कि समाचार पत्र ने शिकायतकर्ता की सेवाओं का कभी लाभ नहीं उठाया और इस कारण वह उनके संगठन की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी कैसे रख सकता है, समाचार पत्र ने हमेशा गलत बातों को उजागर किया और पत्रकारिता के आदर्श सिद्धान्तों व पत्रकारिता की नीतियों का पालन करते हुए बड़ी-बड़ी कुर्बानियां दीं।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रति-टिप्पणियां दाखिल नहीं की गयीं।

तर्क

यह मामला चंडीगढ़ में दिनांक 13.8.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। श्री एन.सी. साहनी, एडवोकेट और श्री मदन मोहन, अनुभाग प्रमुख प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि, शिकायतकर्ता की ओर से स्थगन के लिये अनुरोध प्राप्त हुआ जिसमें उसने सूचित किया कि वह अस्वस्थ है, जिसके साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः समिति ने स्थगन का अनुरोध अस्वीकार कर दिया और शिकायत खारिज कर दी।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निश्कशों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

41) श्री लोकेश कुमार मलिक
एडवोकेट सोनीपत,
हरियाणा

बनाम

संपादक
दैनिक भास्कर
पानीपत, हरियाणा

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 13.3.2008 श्री लोकेश कुमार मलिक, एडवोकेट, सोनीपत, हरियाणा द्वारा संपादक, दैनिक भास्कर, पानीपत, हरियाणा के विरूद्ध उनके समाचार पत्र

के अंकों क्रमशः 5 व 15 सितम्बर, 2008 में शीर्षक ''14 की उम्र में ब्रिटनी ने किया था सेक्स' और 'सार्वजनिक रूप से कौमार्य नीलाम करेगी छात्रा' से प्रकाशित समाचार अभद्र और आपत्तिजनक समाचार होने के आरोप में दायर की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रथम समाचार प्रकाशित होने के बाद, उसने प्रतिवादी संपादक को एक पत्र दिनांक 5.9.2008 भेजा लेकिन कोई सावधानी बरतने के बजाय उसने एक और ऐसा ही समाचार प्रकाशित कर दिया। उसने आरोप लगाया कि विचाराधीन समाचार का समाज के किशोरों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि न तो समाचार स्वीकार्य है और न ही समाचार पत्र को वयस्क घोषित किया गया और आरोप लगाया कि प्रतिवादी समाचार पत्र ने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट करने की ठान ली है।

कार्यकारी संपादक, दैनिक भास्कर ने अपनी लिखित टिप्पणियों दिनांक 16.1.2009 में उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार लोगों को यह बताने के लिये प्रकाशित किया गया था कि बच्चे किस प्रकार अपनी किशोरावस्था में नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और एक गरीब लड़की की व्यथा को चित्रित किया गया जो अपनी पढ़ाई के लिये रुपये जुटाने के लिये भटक रही थी।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 12.3.2009 में प्रतिवादी के विचारों का खंडन किया कि समाचार का प्रकाशन जानकारी देने और जागरूकता के लिये किया गया था।

दिनांक 18.8.2011 को प्रथम स्थगन के बाद, चंडीगढ़ में 13.8.2012 को जांच समिति के समक्ष केस विचारार्थ पेश होने के समय भी जब कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ तो समिति ने परिषद् से केस को बंद करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

42) श्री एन. कोंडा रेड्डी *बनाम* **संपादक**
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ता **साक्षी दैनिक**
कडपा जिला आंध्र प्रदेश **हैदराबाद, आंध्र प्रदेश**

अधिनिर्णय

मुख्य चुनाव अधिकारी और प्रधान सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने पत्र दिनांक 19.5.2011 के साथ जिलाधीश वाईएस.आर. जिला, कडपा से प्राप्त पत्र दिनांक 23.3.2011 की प्रतिलिपि, जिसके साथ श्री एन. कोंडल रेड्डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ता की साक्षी समाचार पत्र के विरूद्ध शिकायत की प्रतिलिपि संलग्न थी जो श्री एन. वरादराजुला रेड्डी, कडप्पा स्थानीय प्राधिकारी चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार, के विरूद्ध समाचार पत्र दिनांक 2 मार्च, 2011 से 11 मार्च, 2011 तक झूठे आरोपों की श्रृंखला प्रकाशित की गई, भेजी।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.7.2011 के जवाब में, प्रतिवादी संपादक, साक्षी, तेलुगू दैनिक ने अपने लिखित बयान दिनांक 24.8.2011 में सभी रिपोर्टों के बारे में उल्लेख किया कि उनमें कुछ भी आपत्तिजनक और झूठ नहीं है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि सभी समाचार सामान्य प्रकृति के हैं और सार्वजनिक हित में हैं। सभी समाचारों में केवल उन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है जो आम लोगों से संबंधित हैं तथा पार्टियों के विभिन्न नेताओं की टिप्पणियों को शामिल किया गया है जो सामान्य हित में हैं। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि विचाराधीन किसी भी समाचार का विरोध नहीं किया जा सकता है कि उनसे पत्रकारिता के आदर्शों या सार्वजनिक हित का उल्लंघन हुआ है। इन समाचारों में ऐसा कुछ भी दर्शाने को नहीं है कि जिनसे व्यावसायिक कदाचार हुआ हो और इसके आधार पर शिकायत खारिज करने योग्य है। उसने यह भी उल्लेख किया कि विचाराधीन समाचार सद्भाव से और बिना किसी दुर्भावना के पूरी सावधानी बरतते हुए और तथ्यों का सत्यापन करने के बाद सार्वजनिक हित में प्रकाशित किये गये।

यह मामला चेन्नै में दिनांक 28.2.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। श्री पी. सुभाष, एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। जांच समिति ने शिकायतकर्ता को अंतिम अवसर देने के लिये सुनवाई स्थगित कर दी।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 27.8.2012 को पुनः जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। श्री पी. सुभाष, एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। चूंकि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं था अतः शिकायत खारिज करने योग्य समझी गई।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

43) प्रो0 एम0 के0 वसंत
अध्यक्ष आकाशदीप एन्कलेव
रेज़ीडेंट्स वेल्फेयर सोसायटी
रूड़की, (उत्तर प्रदेश)

बनाम

संपादक
दैनिक जागरण
हरिद्वार

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 8.10.2010 प्रो0एम0के0 वसंत, अध्यक्ष, आकाशदीप एन्कलेव रेजीडेंस वेल्फेयर सोसायटी, रूड़की द्वारा संपादक, दैनिक जागरण, हरिद्वार के विरूद्ध

उनके समाचार पत्र में दिनांक 5.10.2008 को शीर्षक ''मस्जिद तोड़ रातोंरात मलवा किया गायब'' से प्रकाशित समाचार के विरोध में दायर की गई है जो गैर मौजूद मस्जिद को गिराये जाने के बारे में थी जिसके फलस्वरूप इलाके में हजारों मुसलमानों ने प्रदर्शन किया।

दिनांक 19.8.2011 को यह मामला जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। शिकायतकर्ता ने पत्र दिनांक 1.8.2011 में मामले की पेशी के समय उपस्थित हो पाने में अपनी असमर्थता सूचित कर दी थी तथा प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दायर नहीं करने पर चिंता व्यक्त की। श्री बी.के. मिश्रा, एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से पेश हुए और बयान दिया कि शिकायत वस्तुतः गलत है क्योंकि ''अकबरी मस्जिद'' पूरी तरह मौजूद थी जिसे कुछ समाज विरोधी तत्वों द्वारा रातोंरात तोड़ दिया गया। उसने उल्लेख किया कि अन्य अनेक समाचार पत्रों यथा राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और हिन्दुस्तान टाइम्स ने भी यह समाचार प्रकाशित किया।उसने लिखित बयान दायर करने के लिये समय मांगा। जांच समिति ने शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 1.8.2011 से विषय वस्तु को नोट किया और प्रतिवादी को एक अवसर देने के लिये, सुनवाई, प्रतिवादी को यह निदेश देते हुए स्थगित कर दी कि चार सप्ताह में लिखित बयान दर्ज किया जाए।

यह मामला लखनऊ में दिनांक 28.3.2012 को पुनः जांच समिति के विचारार्थ पेश किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ जबकि श्री आर.के. दुबे, प्रबंधक विधिक प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता ने रिकार्ड के आधार पर फैसला देने का अनुरोध किया है। प्रतिवादी ने सुनवाई स्थगित करने की मॉग की जांच समिति ने अंतिम अवसर के रूप में सुनवाई स्थगित की।

रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 27.8.2012 को जांच समिति के समक्ष पेश किया गया। किसी भी पक्ष से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। चूंकि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं था और लिखित बयान का प्रतिरोध भी नहीं किया था, अतः शिकायत खारिज करने योग्य समझी गई।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

44) भारतीय चुनाव आयोग से संदर्भित होने पर दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, आज, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान टाइम्स, पूर्वांचल की राह और दैनिक उद्योग और व्यापार टाइम्स के विरूद्ध चुनाव के दौरान समाचार प्रकाशित करने की आड़ में कथित 'पेड न्यूज' प्रकाशित करने पर स्व-प्रेरणा से कार्रवाई।

अधिनिर्णय

भारतीय चुनाव आयोग ने अपने पत्र दिनांक 31.5.2011 के द्वारा बिहार विधान सभा के 2010 के आम चुनाव के दौरान 'पेड न्यूज' के मामलों की विवरणी भेजी। ये रिपोर्टें जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति, जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त व्यय पर्यवेक्षकों की टिप्पणियों पर आधारित हैं। परिषद् ने निम्नलिखित समाचार पत्रों दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, आज, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान टाइम्स, पूर्वांचल की राह और दैनिक उद्योग और व्यापार टाइम्स के विरूद्ध कथित 'पेड न्यूज' प्रकाशित करने पर स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया।

1. दैनिक हिन्दुस्तान

क्रम सं.	शीर्षक	दिनांक
1	नरकटिया में कांग्रेस की लहर - सोनू	21.10.2010
2	विवेक कुमार होंगे नगर विधायक	22.10.2010
3	मुजफ्फरपुर में नीतिश लहर, सुरेश शर्मा होंगे विधायक	23.10.2010

2. दैनिक जागरण

क्रम सं.	शीर्षक	दिनांक
1	बसपा की नहीं किसी से लड़ाई	13.10.2010
2	दरौदी क्षेत्र को करूंगा विकसित - प्रभुनाथ	19.10.2010
3	बीएसपी का लक्ष सर्वजन हिताय सर्वजन - प्रभुनाथ	20.10.2010
4	मेरी लड़ाई किसी से नहीं - प्रभुनाथ	24.10.2010

3. प्रभात खबर

क्रम सं.	शीर्षक	दिनांक
1	चारों तरफ चल रही है ब्रजेश की लहर	8.10.2010
2	ब्रजेश ने गांवों का भ्रमण किया	16.10.2010

4. दैनिक आज

क्रम सं.	शीर्षक	दिनांक
1	दरौदा की जनता का सेवक बनके काम करूंगा शासक बनकर नहीं - ब्रजेश	20.10.2010

5. राष्ट्रीय सहारा

क्रम सं.	शीर्षक	दिनांक
1	कांग्रेस के पक्ष में हवा - सोनू	14.10.2010
2	तेजी से जुड़ रहे कांग्रेस के परम्परागत मतदाता	15.10.2010

6. हिन्दुस्तान टाइम्स

क्रम सं.	शीर्षक (हिन्दी अनुवाद)	दिनांक
1	पासवान का हेलिकाप्टर मंच के पास उतरा, 8 घायल	25.10.2010
2	पटना रोड का नितीश को श्रेय	25.10.2010
3	सारन में मुस्लिम मत विभाजन	25.10.2010
4	नितीश हमारे हीरो हैं किंतु उनके उम्मीदवार जीरो हैं	25.10.2010

7. पूर्वांचल की राह

क्रम सं.	शीर्षक	दिनांक
1	विभिन्न समाचार (कुल 32)	1-2.10.2010

8. दैनिक उद्योग व्यापार टाइम्स

क्रम सं.	शीर्षक	दिनांक
1	डॉ. भरत सिंह के समर्थन में गांव-गांव दौड़े समर्थक	8.11.2010
2	भाजपा प्रत्याशी का तूफानी दौरा, दर्जनों गांवों में मांगे वोट	9.11.2010

भारतीय चुनाव आयोग ने उल्लेख किया कि उक्त सभी मामलों में उम्मीदवारों को नोटिस जारी किये गये और उनके उत्तर में उम्मीदवारों ने चुनाव में हुए अपने व्यय में इन समाचारों पर हुए व्यय का ब्योरा शामिल किया। जिला चुनाव अधिकारी एवं जिलाधीश, मुजफ्फरपुर, बिहार के अनुसार समाचार पत्रों ने भुगतान को लेकर समाचार प्रकाशित किये और उन्हें 'पेड न्यूज' विज्ञापनों के लिये उम्मीदवारों के स्वीकृति पत्रों की प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं।

परिषद् ने प्रतिवादी समाचार पत्रों (प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा और उद्योग व्यापार टाइम्स) को दिनांक 22.7.2011 को और दिनांक 22.9.2011 को (दैनिक हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक आज और पूर्वांचल की राह) को कारण बताओ नोटिस भेजे।

प्रभात खबर का लिखित बयान

कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.7.2011 के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी संपादक, प्रभात खबर ने अपने लिखित बयान दिनांक 9.8.2011 में उल्लेख किया कि उसने भारतीय चुनाव आयोग के आरोप

के अनुसार, पेड न्यूज प्रकाशित नहीं कीं। भारतीय चुनाव आयोग के पास पेड न्यूज का कोई साक्ष्य नहीं है और यदि भारतीय चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई दस्तावेज हो तो वह उन्हें भेजा जाए। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि यदि भारतीय चुनाव आयोग के पास उनके द्वारा पेड न्यूज का कोई साक्ष्य नहीं हो तो भारतीय प्रेस परिशद् से अनुरोध किया जाता है कि उसे भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लगाये गये आरोप से मुक्त किया जाए। प्रतिवादी ने अंत में कहा कि यदि भारतीय चुनाव आयोग अपने आरोप के समर्थन में कोई दस्तावेज भेजकर आरोप सिद्ध कर देता है तो वे अपने पर लगाये गये आरोप अर्थात् पेड न्यूज के प्रकाशन के लिये क्षमा मांग लेंगे।

राष्ट्रीय सहारा का लिखित बयान

कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.7.2011 के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी संपादक, राष्ट्रीय सहारा ने अपने लिखित बयान दिनांक 30.8.2011 में उल्लेख किया कि उसके समाचार पत्र में प्रकाशित विचाराधीन समाचार पेड न्यूज नहीं थी जैसाकि ईसीआई द्वारा आरोप लगाया गया है और उसने न तो भारतीय प्रेस परिषद् के किसी नियम और न ही भारतीय चुनाव आयोग के किसी नियम का उल्लंघन किया है।

दैनिक उद्योग व्यापार टाइम्स, अलीगढ़ का लिखित बयान

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.7.2011 के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी संपादक, दैनिक उद्योग व्यापार टाइम्स, अलीगढ़ ने अपने लिखित बयान दिनांक 28.10.2011 में उल्लेख किया कि उसने आज की तारीख तक कोई भी पेड न्यूज प्रकाशित नहीं किया है और यह उनकी कार्य संस्कृति में शामिल नहीं है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि यदि किसी अन्य समाचार पत्र ने भी उन्हीं के अनुसार, कोई समाचार प्रकाशित किया हो तो उससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह पेड न्यूज है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि यह बात भी सही है कि अन्य समाचार पत्रों ने उनकी कंप्यूटर साइट को हैक किया था और संभवतः उसी समाचार को प्रकाशित कर दिया होगा। उसने परिषद् को आश्वासन दिया कि वे भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे।

अन्य प्रतिवादियों यथा दैनिक हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक आज और पूर्वांचल की राह ने अपने लिखित बयान दायर नहीं किये।

जांच समिति के समक्ष पेशी

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 27.8.2012 को उक्त मामलों पर विचार किया। सर्वश्री बीके मिश्रा, व आर के दुबे, दैनिक जागरण, राजेन्द्र तिवारी- प्रभात खबर, पीएम पॉकडे प्रभा नाथ यादव-परामर्शदाता, राष्ट्रीय सहारा, अनिरूद्ध सिंह राजवत-दिल्ली-हिन्दुस्तान टाइम्स, प्रभदेव नारायण, संवाद्दाता-पूर्वांचल की राह और मनोज जादों - दैनिक उद्योग व्यापार टाइम्स समिति के समक्ष पेश हुए और इस बात से इंकार किया कि उनके द्वारा प्रकाशित समाचार पेड न्यूज थे। प्रभात खबर के प्रतिनिधि ने बयान दिया कि उनके समाचार पत्र ने ही पेड न्यूज के विरूद्ध सबसे पहले अभियान चलाया था। उसने यह भी उल्लेख किया कि उम्मीदवार ने भी इससे इंकार किया है।

रिपोर्ट

जांच समिति ने रिकार्ड का अवलोकन करने और प्रतिवादियों के बयान सुनने के बाद पाया कि दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, दैनिक आज, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान टाइम्स, पूर्वांचल की राह, दैनिक उद्योग व्यापार टाइम्स के विरूद्ध पेड न्यूज से संबंधित बहुत मामले हैं। इन सभी मामलों में, प्रभात खबर के सिवाय, विचाराधीन उम्मीदवारों ने भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष यह स्वीकार किया था कि उन्होंने आक्षेपित समाचारों के लिये भुगतान किया था। अतएव जांच समिति ने आयोग पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाया। जांच समिति ने पाया कि आक्षेपित सामग्री समाचार के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की गई जिनमें उम्मीदवार के विज्ञापन/स्व प्रचार होने का कोई संकेत नहीं दिया गया। यह कार्य प्रेस परिषद् के दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है जैसाकि पेड न्यूज रिपोर्ट में दिया गया है और रिपोर्ट प्रस्तुत करने और जनता को जारी करने के बाद प्रकाशित किये गये, जो समाचार पत्रों द्वारा जनता और हमारे संविधान में निहित लोकतंत्र के सिद्धान्तों के प्रति असम्मान का सूचक है। जांच समिति ने परिषद् की पेड न्यूज रिपोर्ट को स्मरण करते हुए टिप्पणी की -''पेड न्यजू'' की प्रवृति एक गंभीर मामला है क्योंकि यह स्वतंत्र प्रेस की कार्यशैली को प्रभावित करती है। मीडिया जनता को सही और सत्य सूचना देने वाले और जनता के विश्वास को दर्शाने वाले केन्द्र के रूप में कार्य करती है। हालांकि, जब रुपया देकर कोई सूचना समाचार के रूप में दी जाती है तो उससे जनता गुमराह हो सकती है और सही राय बना कर निर्णय लेने में बाधक हो सकती है। 'पेड न्यूज' का विचार भारतीय लोकतंत्र को दोहरा नुकसान पहुंचा सकता है पहले तो मीडिया की स्वतंत्र कार्यप्रणाली प्रभावित होगी और फिर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित होगी। अतएव जनता के सही और निष्पक्ष सूचना प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षित करने की शीघ्र आवश्यकता है।'' सभी पणधारकों से परामर्श करने के बाद परिषद् ने 'पेड न्यूज' को इस प्रकार परिभाषित किया, "किसी भी मीडिया (प्रिंट और इलैक्ट्रानिक) में नकद या वस्तु में भुगतान करके मिलने वाला कोई भी समाचार या विश्लेषण।"

भारतीय चुनाव आयोग ने भारतीय प्रेस परिषद् की सिफारिश के आधार पर पेड न्यूज की प्रवृति को रोकने के लिये अनेक उपाय किये। उसने आरपी एक्ट की धारा 127ए(3)(बी) के दायरे को विस्तृत कर दिया जो 'अन्य दस्तावेज' की परिभाषा के तहत 'चुनाव इश्तहार या पोस्टर' में 'पेड न्यूज' को भी शामिल करता है। अतः यदि विज्ञापन उम्मीदवार की सहमति से दिया जाता है तो उसे उसके चुनाव व्यय में शामिल किया जाएगा। विभिन्न पणधारकों द्वारा अथक प्रयास करने के बावजूद भी, यह प्रवृत्ति जारी रही और जब तक कोई प्रभावी कार्रवाई शीघ्र नहीं की जाती तब तक अंतिम नुकसान भारत के लोगों को ही होगा। इन टिप्पणियों के साथ जांच समिति ने परिषद् से सिफारिश की, कि प्रभात खबर द्वारा पेड न्यूज के खिलाफ चलाये गये अभियान और संबंधित उम्मीदवारों द्वारा इंकार को ध्यान में रखते हुए समाचार पत्रों को भविष्य के लिये चेतावनी दी जाए। अन्य समाचार पत्रों नामतः दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक आज, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान टाइम्स, पूर्वांचल की राह, दैनिक उद्योग व्यापार टाइम्स, जो उन समाचारों को प्रकाशित करने के दोषी हैं, जिन्होंने चुनाव में खड़े उम्मीदवारों द्वारा अपने प्रचार के लिये दी गई सामग्री को प्रकाशित किया, के बारे में

जांच समिति ने परिषद् से सिफारिश की, कि उन्हें पत्रकारिता के आचरण और प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 14 (i) के तहत उत्तरदायित्व का उल्लंघन करने का दोषी ठहराए और उन प्रावधानों के तहत परिनिंदा का सबसे बड़ा दंड दिया जाए।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, परिनिंदा/ क्षमा करने का निर्णय लिया।

45) श्री सुशांत स्वैन *बनाम* **संपादक**
तत्कालीन सरपंच गौतमी ग्राम पंचायत **संवाद भुवनेश्वर उड़ीसा**
गौतमी (गंजम) उड़ीसा

अधिनिर्णय

rF;

यह शिकायत दिनांक 7.3.2012 श्री सुशांत स्वैन, उड़ीसा द्वारा संपादक, संवाद, भुवनेश्वर के विरूद्ध उनके अंक दिनांक 18.1.2012 में शीर्षक 'आधी सदी का इतिहास बदल जाएगा' से प्रकाशित गलत समाचार के आरोप में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में कहा गया है कि आठ ग्रामों के निवासियों ने एक बैठक में गौतमी पंचायत के पिछले दिनों हुए पंचायत चुनाव के किसी उम्मीदवार विशेष को वोट डालने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि जो कोई भी बैठक में लिये निर्णय का विरोध करेगा उसे समाज बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान सरपंच की पत्नी को सरपंच का उम्मीदवार चुन लिया गया किंतु गांव की एक शिक्षित महिला ने ग्रामीणों के निर्णय का विरोध किया और सरपंच के लिये अपना नामांकन भर दिया। समाचार पत्र ने समाचार शीर्षक ''लोगों को पता लगेगा कि प्रजातंत्र क्या होता है'' फोटोग्राफ के साथ प्रकाशित कर दिया।

fjiksV

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 27.8.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। श्री रणजीत कुमार गुरू, संपादक, संवाद स्वयं उपस्थित हुआ। चूंकि शिकायतकर्ता अनुपस्थित था अतः शिकायत को अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

46) अध्यक्ष *बनाम* **संपादक**
एनआरआई ग्रुप हाउसिंग पालम विहार **हिन्दुस्तान टाइम्स**
कंडोमिनियम गुड़गांव, हरियाणा **नई दिल्ली**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 23.3.2011 एवीएम (सेवानिवृत्त) जे. एस. गंडयोक, अध्यक्ष, एनआरआई ग्रुप हाउसिंग पालम विहार, गुड़गांव, हरियाणा द्वारा संपादक, हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के विरूद्ध उनके अंक दिनांक 23.2.2011 में शीर्षक 'बिल्डर इन लाइन ऑफ रेजीडेंट्स फायर'' से प्रकाशित भ्रामक और आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई है।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 18.11.2011 और 27.8.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। दोनों ही अवसरों पर किसी भी पक्ष की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। चूंकि शिकायतकर्ता अनुपस्थित था और न ही पेशी के लिये भेजे गये नोटिस के उत्तर में कोई लिखित बयान दायर किया, अतः शिकायत अनुपस्थिति के कारण खारिज हो गई।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

47) श्री अरुण कुमार सेन एवं अन्य *बनाम* **संपादक**
सफदरजंग एन्कलेव **कम्यूनिटी संवाद**
नई दिल्ली **नई दिल्ली**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 24.5.2010 श्री अरुण कुमार सेन, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली एवं अन्य द्वारा संपादक, 'कम्यूनिटी संवाद', अंग्रेजी मासिक पत्रिका, दिल्ली के विरूद्ध उनके समाचार पत्र के अंक मार्च 2010 में 'चुनाव प्रक्रिया लड़खड़ायी' शीर्षक से कथित गलत, असत्यापित और भ्रामक समाचार प्रकाशित करने के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार (हिन्दी अनुवाद) इस प्रकार है :

''हमारा विश्वास है कि बी-4, आरडब्ल्यूए के चुनाव 9 मार्च, 2010 के लिये निर्धारित थे लेकिन कुछ निवासियों के अनियंत्रित व्यवहार के कारण नहीं हो सके जो मंच पर चढ़ गये, माइक छीना और चुनाव प्रक्रिया को तहस नहस कर दिया। चुनाव अधिकारी ने पुनः चुनाव के लिये 14 मार्च, 2010 की तारीख निर्धारित की और इस बार भी उसी प्रकार से हंगामा हुआ। हमारे विचार

से कुछ निवासियों ने एक मत से चुनाव के लिये आग्रह किया था। हालांकि, आम धारणा यही थी कि कुछ लोग नामांकन कागजात भरे बिना ही आरडब्ल्यूए में पुनः घुसना चाहते हैं।''

आक्षेपित समाचार में लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि पत्रिका के वितरण के बाद, एक पत्र दिनांक 29.3.2010 जिस पर रेजीडेंट वेल्फेयर एसोशियशन के 20 से अधिक निवासियों /सदस्यों के हस्ताक्षर थे, प्रतिवादी संपादक को शीघ्र ही भेजा गया जिसमें उस दिन घटित घटना की सही जानकारी दी गई। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी को चुनाव अधिकारी का सम्पर्क नम्बर भी दिया गया जो चुनाव कराने के लिये प्राधिकृत थे और तत्कालीन आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष भी थे, उसने 7.3.2010 को आयोजित आम सभा की अध्यक्षता की थी, पत्रिका में प्रकाशित समाचारों की उस दिन की सही घटनाओं की जांच की जा सकती थी। इसके बावजूद भी, चुनाव को पुनः 14.3.2010 को कराने की गलत खबर प्रकाशित की गई और पुनः हंगामा होने की बात कही गई, इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी कि 14.3.2010 को ऐसी कोई बैठक नहीं की गई थी तो हंगामा होने का प्रश्न ही कहां उठता है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने तथ्यों की जांच किये बिना आक्षेपित लेख प्रकाशित करके प्रकाशन के व्यावसायिक आदर्शों के प्रति कदाचार किया। इन तथ्यों का स्पष्टीकरण देने के बाद, प्रतिवादी संपादक से अपनी पत्रिका के आगामी अंक में उसका एक उपयुक्त शुद्धिपत्र प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, गलत समाचार प्रकाशित करने के मामले के बारे में एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत तौर पर, आरडब्ल्यूए के पूर्व-अध्यक्ष की हैसियत से अपने ईमेल दिनांक 4.4.2010 द्वारा भी प्रतिवादी संपादक को सूचित किया गया जो आरडब्ल्यूए से जुड़े कॉलोनी के एक बहुत ही वरिष्ठ निवासी हैं। उससे अप्रैल 2010 अंक में एक उपयुक्त शुद्धिपत्र के लिये भी कहा गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया प्रतिवादी संपादक ने न तो कोई शुद्धिपत्र प्रकाशित किया और न ही कोई पावती या उत्तर दिया।

प्रतिवादी संपादक, कम्यूनिटी संवाद ने अपने लिखित बयान दिनांक 30.1.2012 में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि 14 मार्च, 2010 को आयोजित बैठक हंगामे के साथ समाप्त हुई थी और पदाधिकारियों द्वारा संभवतः उसका रिकार्ड नहीं रखा गया। आरडब्ल्यूए के दो ग्रुपों के बीच हितों के टकराव के कारण, दोनों गुटों द्वारा अलग-अलग बात कही गई और पत्रिका में दोनों गुटों द्वारा फैलाये गये भ्रम के बारे में ही समाचार प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि आरडब्ल्यूए के दोनों गुटों द्वारा ही भ्रामक स्थिति फैलायी गई और पत्रिका को अकारण ही दोषी ठहराया जा रहा है।

यह मामला नई दिल्ली में 30.1.2012 को जांच समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता प्रस्तुत नहीं हुआ। श्री श्रवण कुमार सिंह, प्रबंधक प्रतिवादी, कम्यूनिटी संवाद की ओर से पेश हुए और लिखित बयान की एक प्रति दायर की। शिकायतकर्ता को उसका उत्तर देने के लिये सुनवाई स्थगित कर दी गई।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में 3.10.2012 को पुनः जांच समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। श्री श्रवण कुमार सिंह, प्रबंधक प्रतिवादी, कम्यूनिटी संवाद की ओर से पेश हुए और लिखित बयान की एक प्रति दायर की। जांच समिति ने शिकायतकर्ता से प्राप्त पत्र दिनांक 28.9.2012 पर विचार किया जिसमें उल्लेख किया गया था कि वह दो वर्ष पुराने मामले में कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। तदनुसार, जांच समिति ने शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

48) श्री रवीन्द्र द्विवेदी
राष्ट्रीय अध्यक्ष
भ्रष्टाचार विरोधी समिति थाणे

बनाम

संपादक
आनन्द बाजार पत्रिका
कोलकाता

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 20.3.2009 श्री रवीन्द्र द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भ्रष्टाचार विरोधी समिति, थाणे द्वारा संपादक, आनन्द बाजार पत्रिका, कोलकाता के विरूद्ध रैली का समाचार प्रकाशित नहीं करने के कारण की गई जिसका आयोजन उनके संगठन द्वारा उनके अंक दिनांक 21.2.2009 में शीर्षक ''स्कूल बंद करने के लिये समारोह शुरू'' से प्रकाशित समाचार में स्कूल बंद करने के विरोध में किया गया था। समाचार में कहा गया कि शुक्रवार को देबड़ा, पानीगरदिया स्कूल को बिना किसी कारण के बंद कर दिया गया था। पानीगरदिया स्कूल के हेडमास्टर, श्री लखनचन्द्र जाना ने बताया कि संगठन ने स्कूल को कंकरीट की सड़क से जोड़ने के लिये सड़क निर्माण करने का आश्वासन दिया था और साथ ही एक पुल की व्यवस्था करने का भी प्रावधान किया गया था। शुक्रवार को, यह विशेष कारण बताते हुए स्कूल बंद कर दिया गया और शनिवार को स्कूल समारोह के कारण बंद कर दिया था।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उनकी समिति भ्रष्टाचार के विरूद्ध समस्त भारत में कार्य कर रही है। उसने बताया कि पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल ने रैली की अनुमति दे दी थी लेकिन मिदनापुर पुलिस ने डीजीपी के आदेशों की अवहेलना की और रैली को रोकने की कोशिश की, प्राप्त अनुमति का उल्लेख नहीं किया गया और समिति को बदनाम करने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 5.3.2009 द्वारा प्रतिवादी संपादक का इस ओर ध्यान आकर्षित किया और खंडन प्रकाशित करने का अनुरोध किया किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। दिनांक 10.6.2010 को कारण बताओ नोटिस व तदनंतर अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

यह मामला पुणे में दिनांक 24.4.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सर्वश्री शंकर पी. पाटिल, अध्यक्ष, विश्वजीत एस. दियाम्ड्रे, राज्य अध्यक्ष, भ्रष्टाचार विरोधी समिति, थाणे शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित हुए। प्रतिवादी आनन्द बाजार पत्रिका, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। जांच समिति ने प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दर्ज करने के लिये एक माह का समय दे दिया जिसकी प्रतिलिपि प्रतिवादी द्वारा शिकायतकर्ता को सीधे भेज दी जाएगी।

रिपोर्ट

24.4.2012 को एक स्थगन के बाद, उस समय शिकायतकर्ता का प्रतिनिधि पेश हुआ था। यह मामला पुनः नई दिल्ली में दिनांक 3.10.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी सूचना नहीं मिलने के कारण और समाचार पत्र के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये कारण स्पष्ट नहीं होने पर, परिषद् से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

49) श्री रतनेश कुमार पाठक *बनाम* **संपादक**
एडवोकेट पटना बिहार **राष्ट्रीय सहारा पटना, बिहार**

अधिनिर्णय

यह शिकायत श्री रतनेश कुमार पाठक, एडवोकेट, पटना द्वारा संपादक, राष्ट्रीय सहारा, पटना के विरूद्ध उनके समाचार पत्र दिनांक 2.2.2010 में 'खोली पोल : सड़क की जांच करते निगरानी विभाग के अधिकारी' शीर्षक से फोटोग्राफ के साथ शीर्षक ''सड़क की गुणवत्ता की जांच'' के तहत आधारहीन और उकसाने वाले समाचार प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई। आक्षेपित समाचार में कहा गया कि सतर्कता विभाग की एक तकनीकी विंग ने ग्रामीणों की ठेकेदार द्वारा निर्मित सड़क की गुणवत्ता की जांच करने के लिये की गई शिकायत पर बांकीपुर मोहल्ला स्थल का दौरा किया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि ठेकेदार ने कथित सड़क का निर्माण नहीं कराया था। इसका निर्माण फतुहा नगर पंचायत द्वारा कराया गया था और फिलहाल यह मामला सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के बारे में सार्वजनिक आयुक्त के यहां विचाराधीन है। उसने यह उल्लेख किया कि प्रकाशित समाचार सरासर गलत और बेबुनियाद है और उसका फोटोग्राफ उसकी सहमति के बिना प्रकाशित किया गया। यह उसे परेशान करने के लिये प्रकाशित गया गया। शिकायतकर्ता ने एक कानूनी नोटिस प्रतिवादी संपादक को दिनांक 3.2.2010 और 28.2.2012 को भेजा था लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।

प्रतिवादी संपादक ने अपने लिखित बयान दिनांक 8.5.2010 में आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि प्रकाशित समाचार जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा जांच के समय किये गये वार्तालाप पर पूरी तरह आधारित है जिनके स्थल पर फोटोग्राफ स्थानीय लोगों के साथ समाचारों में प्रकाशित किये गये। उसने यह भी उल्लेख किया कि यदि समाचार झूठे तथ्यों पर आधारित था तो जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा आपत्ति की गई होती लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। प्रतिवादी के अनुसार, लोकायुक्त को की गई शिकायत और लोकायुक्त से प्राप्त उत्तर से संबंधित कुछ भी प्रकाशित नहीं किया गया।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रतिटिप्पणियों दिनांक 15.7.2010 में आरोप लगाया कि प्रकाशित समाचार एक पक्षीय था और उल्लेख किया कि प्रतिवादी की स्थानीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी है और परिषद् को गुमराह करने के लिये फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किये गए।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 4.10.2012 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता ने एक पत्र दिनांक 27.9.2012 द्वारा रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर मामले में निर्णय देने का अनुरोध किया। सर्वश्री राजीव सक्सेना, संपादक, राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली संस्करण, नुईनेल एस. सहरावत, सहायक प्रबंधक एडवोकेट सिमरनजीत सिंह के साथ प्रतिवादी की ओर से पेश हुए।

जांच समिति ने केस के गुणदोषों के आधार पर विचार करते हुए पाया कि शिकायतकर्ता के नाम का उल्लेख 2.2.2010 को प्रकाशित समाचार में विशेष रूप से नहीं किया गया। समाचार के साथ प्रकाशित फोटोग्राफ भी मौजूद अधिकारियों व स्थानीय लोगों के हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत नहीं किया गया है। अतः उसने शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया और तदनुसार, परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

50) श्री रियाज़ अहमद खान
एडवोकेट बदायूं
उत्तर प्रदेश

बनाम

संपादक
हेल्थ प्लस, दिल्ली

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 19.11.2009 श्री रियाज अहमद खान, एडवोकेट, बदायूं द्वारा संपादक, हेल्थ प्लस, दिल्ली के विरूद्ध दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि संपादक ने अपनी पत्रिका के आवरण पृष्ठ पर प्रकाशित किया कि आगामी अंक 'किडनी और गॉल-ब्लैडर स्टोन' के नाम पर होगा। चूंकि उसकी बेटी गॉल ब्लैडर स्टोन से ग्रस्त थी तो

उसने उक्त पत्रिका का वह अंक खरीद लिया। पत्रिका के उस अंक को देखने के बाद पाया कि उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन पर कोई भी लेख नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने अपनी पत्रिका की बिक्री बढ़ाने के लिये लोगों को धोखा देने हेतु पत्रिका के आवरण पृष्ठ पर गॉल-ब्लैडर स्टोन के उपचार प्रकाशित कर दिये जबकि लेख में किडनी स्टोन की बीमारी के बारे में ही वर्णन किया गया था।

कोई लिखित बयान नहीं

प्रतिवादी संपादक, हेल्थ प्लस, दिल्ली को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.4.2011 को भेजा गया किंतु कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 4.10.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता श्री रियाज अहमद खान स्वयं उपस्थित हुआ और अपनी शिकायतें बयान कीं। प्रतिवादी हेल्थ प्लस की ओर से एडवोकेट पेश हुए। जांच समिति ने केस के रिकार्ड और दोनों पक्षों द्वारा दिये गये बयानों को सुनने पर पाया कि प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत कार्रवाई करने की शिकायतकर्ता की मांग के लिये दिये कारणों से संतुष्ट नहीं थी और उसने परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

51) श्री रमेश पाखले	***बनाम***	**संपादक**
इंदौर, मध्य प्रदेश		**पत्रिका**
		इंदौर, मध्य प्रदेश

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये : कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये : श्री महेश विजय और स्वप्निल तेलंग, एडवोकेट

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 29.01.2010 श्री रमेश पाखले, इंदौर द्वारा संपादक, पत्रिका, इंदौर के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 4.11.2009 में शीर्षक ''बी.एस.एन.एल. कंपनी के टॉवर अपनी जमीन/छतों पर लगवायें किराया 25000/- रु. प्रति माह प्लस 8.5 लाख एडवांस प्लस 20 वर्षीय एग्रीमेंट : संपर्क करें : 09716558247, 09716557547'' से प्रकाशित एक झूठे वर्गीकृत विज्ञापन के आरोप में दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि विज्ञापन

पढ़ने के बाद उसने कंपनी से सम्पर्क किया और उन्होंने दूर संचार अधिनियम, 1972 के तहत 6,800/- रु. बतौर जमानत और सरकारी कर के रूप में 7,000/- रु. और जमा करने के लिये कहा। शिकायतकर्ता ने उनके खाते में 13,800/- रु. जमा करा दिये किंतु कंपनी ने उन्हें कोई सुविधा प्रदान नहीं की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि समाचारपत्र जिसने यह झूठा विज्ञापन प्रकाशित किया, ने उसे ठगा। शिकायतकर्ता ने आक्षेपित समाचार की ओर दिनांक 29.1.2010 को संपादक का ध्यान आकर्षित किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उप संपादक, राजस्थान पत्रिका ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि वे यह नहीं बता सकते हैं कि उनके समाचारपत्र में प्रकाशित वर्गीकृत विज्ञापन झूठा था क्योंकि उसे चौकस विज्ञापन एजेंसी द्वारा 31.10.2009 को बुक कराया गया था। उसने यह भी कहा कि वर्गीकृत विज्ञापन में यह स्पष्ट तौर से लिखा गया था कि पाठकों को विज्ञापन पर कोई कार्रवाई करने से पूर्व सभी महत्वपूर्ण सूचना पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि समाचारपत्र वर्गीकृत विज्ञापन में दिये गये मामले में किसी दावे/प्रस्तुति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। इसके बावजूद यदि शिकायतकर्ता ने जोखिम लेकर कोई नुकसान उठाया तो समाचार पत्र उसके लिये उत्तरदायी नहीं है। प्रतिवादी ने आगे यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जिनसे यह सिद्ध हो कि आक्षेपित विज्ञापन के प्रकाशन के कारण उसके साथ धोखा हुआ। उसने यह भी उल्लेख किया कि पाठकों को वर्गीकृत विज्ञापनों की प्रमाणिकता के बारे में स्वयं निर्णय लेना होता है क्योंकि समाचारपत्र के पास विज्ञापन की प्रमाणिकता की जांच करने का कोई उपाय नहीं होता है सिवाय इसके कि कोई कदम उठाने से पहले सभी ब्योरों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिये डिसक्लेमर चेतावनी प्रकाशित करे।

जांच समिति ने भोपाल में दिनांक 21.12.2012 को मामले पर सुनवाई की। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ तथा रिकार्ड पर विचार करने के बाद मामले में आगे कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं पाया। तदनुसार, उसने इस चूक के लिए शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा इस चूक के लिए केस को खारिज करने का निर्णय लिया।

52) श्री ओंकार सिंह
ब्रह्मा कॉमप्लेक्स
दत्त मंदिर मार्ग बालागंज, मंडसौर
मध्य प्रदेश

बनाम

संपादक
दासपुर-दर्शन मंडसौर
मध्य प्रदेश

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - श्री ओंकार सिंह, शिकायतकर्ता स्वयं
प्रतिवादी के लिये - श्री सौभाग्यमल जैन

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 21.2.2011 श्री ओंकार नाथ, द्वारा संपादक, दासपुर-दर्शन के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 7.2.2011 के अंक में शीर्षक ''रेखा बैठी आमरण अनशन पर'' से प्रकाशित समाचार के विरोध में दायर की गई। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि रेखा बैरागी नाम की लड़की का धर्मेन्द्र नामक व्यक्ति ने बलात्कार किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी संपादक ने अपने समाचारपत्र में पीड़ित का नाम और फोटोग्राफ प्रकाशित किया जो पत्रकारिता आचरण के मानक 2010 की धारा 6(ii) के विरूद्ध है जो इस प्रकार है, ''जब महिला/लड़की के बलात्कार, भगाने या अपहरण या बच्चों के यौन शोषण संबंधी कोई समाचार दे रहे हों, या किसी महिला के सतीत्व, चरित्र या एकांतता के बारे में कोई संदेह और प्रश्न उठा रहे हों तो पीड़ितों के नाम, फोटोग्राफ या उनकी पहचान संबंधी अन्य ब्योरे प्रकाशित नहीं किये जाएंगे।'' उसने यह भी उल्लेख किया कि बलात्कार पीड़ित का नाम देना आवश्यक ही हो तो संपादक अपने समाचारपत्र में नकली नाम प्रकाशित कर सकता है लेकिन उसने असली नाम प्रकाशित किया।

प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान दिनांक 14.7.2011 में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए उल्लेख किया कि बलात्कार पीड़ित लड़की रेखा बैरागी ने अपना फोटो समाचारपत्र में प्रकाशित करने के लिये उसे स्वयं भेजा था ताकि अपराधी को जेल भेजा जा सके, इस प्रकार उसने बलात्कार पीड़ित लड़की का नाम और फोटोग्राफ प्रकाशित करके अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया। उसने यह भी उल्लेख किया कि पीड़ित लड़की ने स्थानीय टी.वी. चैनलों पर कई इंटरव्यू दिये जिनमें उसने पुलिस से संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया। मीडिया और समाचारपत्रों द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद ही पुलिस द्वारा अपराधी को गिरफ्तार किया गया।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 19.8.2011 में आरोप लगाया कि दासपुर-दर्शन समाचारपत्र का वितरण बहुत कम होने के बावजूद भी, संपादक उसे इस प्रकार बढ़ाचढ़ा कर प्रदर्शित कर रहा है ताकि विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों से धोखाघड़ी करके विज्ञापन लिये जा सकें।

जांच समिति ने भोपाल में दिनांक 22.12.2012 को मामले पर सुनवाई की। जांच समिति ने रिकार्ड पर विचार करने के उपरांत कहा, हालांकि इस मामले में पीड़ित लड़की ने स्वयं आगे आकर फोटोग्राफ और नाम प्रकाशित करने के लिये कहा, सामान्यतया ऐसा नहीं करना चाहिए। जांच समिति मामले में अन्य असम्बद्ध विषयों पर विचार करना नहीं चाहती है अतः इन टिप्पणियों के साथ शिकायत का निपटान करने का निर्णय लिया।

निर्णय

परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार, शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

53) श्री मनमीत सिंह गोइंदी *बनाम* **संपादक**
प्रशासक, भारतीय खेलकूद प्राधिकरण **हिन्दुस्तान टाइम्स**
डॉ0 कर्णी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली **नई दिल्ली**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 28.7.2011 श्री मनमीत सिंह गोइंदी, प्रशासक, भारतीय खेलकूद प्राधिकरण, डॉ0 कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, नई दिल्ली द्वारा संपादक, हिन्दुस्तान टाइम्स के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 18.7.2011 के अंक में फोटो सहित शीर्षक ''शूटिंग रेंज मिसिंग दि मार्क'' से प्रकाशित झूठे और भ्रामक समाचार के विरोध में दायर की गई।

प्रतिवादी संपादक, हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 17.8.2011 को भेजा गया किंतु कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 21.1.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं

प्रतिवादी के लिये - कोई नहीं

दोनों पक्षों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। अतः जांच समिति ने अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

54) श्री अनिल सुब्रमणियम *बनाम* **संपादक**
अवर सचिव, भारत सरकार **रियल पॉलीटिक**
खान मंत्रालय, नई दिल्ली **अंग्रेजी मासिक पत्रिका, नई दिल्ली**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 19.8.2011 श्री अनिल सुब्रमणियम, अवर सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संपादक, रियल पॉलीटिक, नई दिल्ली के विरूद्ध उनके अगस्त, 2011 के अंक में शीर्षक ''यूपीए एक्टर्स इन बैल्लरी सागा'' से प्रकाशित झूठे और अपमानजनक समाचार के विरोध में दायर की गई है।

प्रतिवादी संपादक, रियल पॉलीटिक ने पत्र दिनांक 29.3.2012 के जरिये अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया और उल्लेख किया कि यह लेख अगस्त 2011 में प्रकाशित किया गया था और पत्रिका के आगामी अंक यथा सितम्बर 2011 में ही प्रत्युत्तर शब्दशः प्रकाशित कर दिया गया था। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि विचाराधीन लेख उन दस्तावेजों के आधार पर लिखा गया था जिन्हें देने से मंत्रालय ने इंकार नहीं किया था।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 21.01.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - कोई नहीं

दोनों पक्षों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। प्रतिवादी ने एक स्थगन अनुरोध भेजा था। जांच समिति ने पाया चूंकि शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ और प्रत्युत्तर भी प्रकाशित किया जा चुका है, तो उसने अनुपस्थिति के कारण केस को खारिज करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

55) श्री असगर हुसैन *बनाम* **संपादक**
मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश **दैनिक जागरण, मेरठ**
उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 21.12.2009 श्री असगर हुसैन, मुजफ्फरनगर द्वारा श्री कृष्ण कुमार, संवाददाता, दैनिक जागरण, हिन्दी दैनिक, मेरठ के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 30.11.2009 के अंक में शीर्षक ''मुंबई का कारोबारी भी हो गया पात्र'' से प्रकाशित झूठे और बेबुनियाद समाचार के विरोध में दायर की गई है।

प्रतिवादी संपादक दैनिक जागरण को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 26.2.2010 को भेजा गया और इसके पश्चात् दिनांक 28.4.2010 को अनुस्मारक भेजा गया परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.01.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - श्री बी.के. मिश्रा, एडवोकेट

शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। जांच समिति ने अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने के लिये परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

प्रेस और मानहानि

56) श्री महेन्द्र त्रिपाठी **अध्यक्ष** **प्रेस क्लब, फैजाबाद** **उत्तर प्रदेश**	*बनाम*	**श्री युगलकिशोर शरण शास्त्री** **संपादक, श्री राम जन्म भूमि** **अयोध्या फैजाबाद,** **उत्तर प्रदेश**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 27.1.2010 श्री महेन्द्र त्रिपाठी, अध्यक्ष, प्रेस क्लव, अयोध्या, फैजाबाद द्वारा श्री युगलकिशोर शरण शास्त्री, संपादक, 'श्री राम जन्म भूमि', हिन्दी साप्ताहिक के विरूद्ध दिनांक 17.6.2009 और 1.7.2009 के अंकों में क्रमशः शीर्षकों 'अयोध्या के महापापी' और 'अयोध्या के शातिर ब्लैकमेलर' से प्रकाशित कथित बेबुनियाद, अवमाननापूर्ण और अभद्र समाचारों के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचारों में यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता घृणित कार्य और ब्लू फिल्मों का कारोबार करता है। उसे आईपीसी की धारा 498-ए/506 के तहत गिरफ्तार किया गया था और जेल में बंद किया गया जहां जेल के कैदियों द्वारा उसकी पिटाई की गई। किसी लड़की को छेड़ते समय जनता द्वारा भी उसे पीटा गया था और उसे अक्सर पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेल करते हुए पाया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अवमाननापूर्ण समाचार अभद्र भाषा में प्रकाशित किये गए थे तथा प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी। समाचार इतने अधिक अभद्र थे कि जिला प्रशासन ने भी प्रेस परिषद् से शिकायत करके आवश्यक कार्रवाई करने के लिये लिखना उचित समझा। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने प्रतिवादियों श्री युगलकिशोर, श्री शीतल सिंह और सुश्री सुमन गुप्ता के विरूद्ध लेख अपनी पत्रिका 'भारतीय लहर' में अप्रैल 2007 और जून 2009 में प्रकाशित किये जिसमें उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त बताया गया। इन लेखों से नाराज होकर, प्रतिवादियों ने झूठे और अवमाननापूर्ण लेख अभद्र भाषा में प्रकाशित करके समाज में उन्हें बदनाम किया। जब उसने प्रतिवादी से स्वयं शिकायत की तो उनमें से एक ने परिषद् के सदस्य के रूप मं अपने स्टेटस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें धमकी दी।

कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.3.2010 के उत्तर में, प्रतिवादी संपादक, श्री युगलकिशोर शरण शात्री ने प्रारम्भिक आपत्तियां उठाईं और बताया कि जिला प्रशासन द्वारा परिषद् से दोनों (अर्थात शिकायतकर्ता और प्रतिवादी) के विरूद्ध की गई शिकायत निजी विवादों को सुलझाने के लिये आक्षेपित लेख प्रकाशित करने पर की गई थी। अतएव, दोनों के विरूद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और किसी एक को शिकायतकर्ता और दूसरे को प्रतिवादी नहीं समझा जाए। हालांकि, वह अभद्र भाषा पर आपत्ति करते हुए शिकायतकर्ता से स्पष्टीकरण प्रकाशित करने के लिये कह सकता है। उसने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने झूठी घोषणा की, कि यह मामला मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, फैजाबाद की अदालत में विचाराधीन है। शिकायत में ऐसे अनेक आरोप लगाये गए हैं जो प्रेस परिषद् के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। अन्य दो प्रतिवादियों ने आक्षेपित रिपोर्ट प्रकाशित करने में प्रतिवादी समाचारपत्र से कोई भी सम्बन्ध होने से इंकार किया।

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 20.9.2011 को इस मामले पर सुनवाई की। कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं था। हालांकि श्री शीतला सिंह, संपादक, जनमोर्चा, फैजाबाद, जिन्होंने प्रतिवादी होने का दावा किया, जांच समिति के समक्ष पेश हुए और बयान दिया कि शिकायतकर्ता एक पत्रकार होने के नाते अपने निजी विवादों को निपटाना चाहता है जैसेकि उसके अन्य साथी पत्रकारों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी पत्रकारिता की सेवाओं के लिये 5 लाख रु. प्रदान किये गए थे। श्री शीतला सिंह ने इस मामले में उन्हें स्वयं पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया।

जांच समिति ने पाया कि प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के अनुसार, किसी संपादक या पत्रकार को कोई आक्षेपित समाचार प्रकाशित करने के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मामले में किसी का भी हित निहित होना रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। अतः श्री शीतला सिंह और सुश्री सुमन गुप्ता के नाम प्रतिवादियों की सूची से काटने का निर्णय लिया।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 26.3.2012 को मामले पर पुनः सुनवाई की। प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ। श्री महेन्द्र त्रिपाठी, शिकायतकर्ता ने स्वयं उपस्थित होकर स्वीकार किया कि आक्षेपित समाचार के विरोध में उसने न्यायालय में चुनौती दी है।

जांच समिति ने पाया कि यह आपराधिक केस मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, फैजाबाद की अदालत में विचाराधीन है, अतः न्यायालय द्वारा मुकदमे में निर्णय लिये जाने तक कोई अगली कार्रवाई करना उचित नहीं होगा।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और मामले को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का निर्णय लिया।

57) श्री विमल चन्द्र श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक
उ.प्र. अल्पसंख्यक, वित्त एवं विकास
निगम लि., लखनऊ
उत्तर प्रदेश

बनाम

संपादक
डेली न्यूज एक्टीविस्ट
लखनऊ
उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 25.5.2010 श्री विमल चन्द्र श्रीवास्तव, उ.प्र. अल्पसंख्यक, वित्त एवं विकास निगम लि., लखनऊ द्वारा संपादक, डेली न्यूज एक्टीविस्ट, लखनऊ के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 24.5.2010 में शीर्षक ''करोड़ों कमीशन देख खिल उठे फूलबाबू'' से प्रकाशित कथित झूठे, भ्रामक और अवमाननापूर्ण समाचार के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में यह कहा गया कि राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारी भारी कमीशन के लालच में अल्पसंख्यक, वित्त एवं विकास निगम लि. को बेच देना चाहते हैं। यह भी कहा गया कि संस्थान के अधिकारी निगम के बकाया ऋणों की वसूली करने के बजाय उसकी शेष परिसम्पत्तियों को बेच देना चाहते हैं। आक्षेपित समाचार में यह भी प्रकाशित किया गया कि मंत्री महोदय ने निगम के 'नेशनल इंटीग्रेशन सेंटर, नोयडा को अपने एक रिश्तेदार को पट्टे पर दे दिया है और इस संबंध में तत्कालीन सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2008 को निर्णय लिया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचार पूर्णतया झूठा और भ्रामक है।

कारण बताओ नोटिस दिनांक 7.10.2010 के उत्तर में प्रतिवादी स्थानीय संपादक, डेली न्यूज एक्टिविस्ट, लखनऊ ने अपने लिखित बयान दिनांक 18.10.2010 में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि समाचार तथ्यों पर आधारित था। उसने यह भी उल्लेख किया कि समाचारपत्र में प्रकाशित सामग्री तथ्यात्मक दृष्टि से सही थी और समाचार निष्पक्ष इरादे से प्रकाशित किया गया। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि निगम भवन के बारे में जब उसने प्रबंध निदेशक के विचार ज्ञात करने के लिये सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं किंतु अभी स्वीकृति नहीं दी गई है, और शिकायतकर्ता ने इमारत को पट्टे पर देने से संबंधित प्रश्न पर एतराज नहीं किया। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार प्रकाशित करने पर निगम में चल रहे सभी अवैध क्रियाकलाप बंद हो गये और संबंधित दस्तावेज उचित समय पर उपलब्ध करा दिये जाएंगे।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 26.3.2012 को मामले पर सुनवाई की। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ अतः शिकायत को खारिज करना उचित समझा। हालांकि, प्रतिवादी की ओर से श्री प्रकाश तिवारी, रिपोर्टर, श्री सुभाष राय, मुख्य संपादक और श्री अरविंद चतुर्वेदी, संपादक पेश हुए और कहा कि पिछली सरकार के समय अधिकारियों द्वारा उन्हें बहुत परेशान किया गया था। यह शिकायत नहीं है और यदि वह शिकायत दायर करता है तो इस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

58) श्री सैयद मुस्तफा हुसैन नकवी *बनाम* **संपादक**
आसिफ जायसी लखनऊ, उ० प्र० **अवधनामा, लखनऊ**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 15.5.2010 श्री सैयद मुस्तफा हुसैन नकवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा संपादक, अवधनामा, उर्दू दैनिक, लखनऊ के विरूद्ध उनके समाचारपत्र में दिनांक 15.2.2010 और 20.3.2010 को शीर्षक 'एक बाहुनर मौलवी के कासिफ कारनामे' और 'बा-हुनर मौलवी फिर उम्मीद से' से प्रकाशित कथित अवमाननापूर्ण समाचारों के विरोध में दायर की गई है।

कारण बताओ नोटिस दिनांक 8.9.2010 के उत्तर में, अवधनामा के ब्यूरो प्रमुख ने अपने लिखित बयान दिनांक 20.9.2010 में उल्लेख किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संपादक से त्यागपत्र ले लिया गया और संबंधित संवाददाता को सेवा से निकाल दिया गया। प्रतिवादी ने अपने दूसरे पत्र दिनांक 28.1.2011 में उल्लेख किया कि उन्होंने दिनांक 28.1.2011 के अपने समाचारपत्र में शिकायतकर्ता का यथाअपेक्षित स्पष्टीकरण प्रकाशित कर दिया था जिसे बाद में शिकायतकर्ता को दिनांक 23.2.2011 को भेज दिया गया।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 26.7.2012 को मामले पर सुनवाई की। प्रतिवादी श्री सैयद वकार मेंहदी रिजवी, ब्यूरो प्रमुख उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ। चूंकि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं था अतः लिखित बयान के आधार पर शिकायत खारिज किये जाने योग्य थी।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

59) श्री राम बहादुर *बनाम* **संपादक**
लेक्चरर **हिन्दुस्तान, लखनऊ**
रामप्यारे शिव शंकर इंटर कॉलेज
बहराइच, उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 18.12.2009 श्री राम बहादुर, लेक्चरर, रामप्यारे शिव शंकर इंटर कालेज, बहराइच द्वारा संपादक, हिन्दुस्तान, लखनऊ के विरूद्ध उनके समाचारपत्र में दिनांक 5.12.2009 को शीर्षक 'मनरेगा में हो रहे अजब-गजब खेल' से प्रकाशित कथित

अवमाननापूर्ण समाचार के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में शिकायतकर्ता ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत फर्जी जॉब कार्ड बना कर पैसा कमाने का आरोप लगाया है।

प्रतिवादी हिन्दुस्तान के संवाददाता ने बयान दिया कि समाचार उचित जांच करने के बाद प्रकाशित किया गया था और वास्तव में शिकायतकर्ता इस रिपोर्ट को वापस लेने के लिये दबाव डाल रहा था। जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 26.3.2012 को मामले पर सुनवाई की। प्रतिवादी श्री अनिल सिंह चौहान, वरिष्ठ कार्यपालक-एचआर-लखनऊ उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ। चूंकि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं था अतः जांच समिति ने शिकायत को खारिज करने योग्य पाया।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

60) Jh ,-d- ;kno icU/k funs'kd vk;q/k miLdj dkj[kkuk dkuiqj] dkuiqj] mRrj izns'k	*cuke*	lEikn d nSfud fgUnqLrku mRrj izns'k

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 11.12.2008 श्री ए. के. यादव, प्रबंध निदेशक, आयुध उपस्कर कारखाना, कानपुर द्वारा दैनिक हिन्दुस्तान, कानपुर के विरूद्ध उनके दिनांक 10.11.2008 के अंक में शीर्षक 'फिर भी डाला बूट का टेंडर' से प्रकाशित कथित आपत्तिजनक समाचार के विरोध में की गई है। आक्षेपित समाचार में यह आरोप लगाया गया कि आयुध उपस्कर कारखाना ने एक कंपनी मैसर्स स्वदेशी कार्पोरेशन को छूट दी जो पिछले कुछ वर्षों से उत्पादन नहीं कर रही है और उसे बूट की आपूर्ति के लिये टेंडर दे दिया गया। आक्षेपित समाचार रक्षा सचिव, को इंडिया रबरिंग एंड एलाइड इंडस्ट्रीज द्वारा भेजी शिकायत पर आधारित है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उस कंपनी को निविदा दी गई जिसके पास मशीनरी भी नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया कि क्षमता नहीं होने के बावजूद भी, वित्तीय मूल्यांकन अनुबंध देने की दृष्टि से किया गया, इस प्रकार नियमों की अनदेखी करते हुए कंपनी के पक्ष में निर्णय लेने पर विभाग पर दाषारोपण किया गया।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि समाचार झूंठा है और उनसे तथ्यों का सत्यापन किये बिना प्रकाशित कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने अपने पत्रों दिनांक 12.11.2008 और 3.12.2008 द्वारा प्रत्युत्तर भेजते हुए अनुरोध किया कि उनका स्पष्टीकरण प्रकाशित किया जाए किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। उसके स्पष्टीकरण में, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है कि स्वदेशी कार्पोरेशन नाम की कोई फर्म नहीं है। हालांकि, स्वदेशी एजेंसी को अनुबंध सौंपने

के बारे में दो अधिकारियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि इन दो अधिकारियों की टीम ने क्षमता मूल्यांकन किया और तत्पश्चात पांच सदस्यों की समिति ने तकनीकी मूल्यांकन किया और फिर विस्तृत विचार विमर्श और मूल्यांकन के बाद, फर्म का चयन किया गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि समाचार तथ्यों से बहुत दूर है क्योंकि बूट फैब्रीकेशन में नियमों का पालन किया गया है।

कारण बताओ नोटिस प्रतिवादी संपादक, दैनिक हिन्दुस्तान, लखनऊ और कानपुर को दिनांक 15.1.2009 को भेजा गया किन्तु कोई लिखित बयान प्राप्त नहीं हुआ।

यह मामला परिषद् की जांच समिति के समक्ष दिनांक 19.8.2011 को सुनवाई के लिये पेश किया गया। शिकायतकर्ता के विभाग की ओर से श्री अनिल अस्थाना, यूडीसी, आयुध उपस्कर कारखाना, कानपुर ने पेश होते हुए बयान दिया कि उनके विभाग अभी हाल ही में पेशी के लिये नोटिस प्राप्त हुआ, इस कारण उन्हें केस के तथ्यों की जानकारी नहीं है। इसका कारण था कि शिकायतकर्ता श्री ए.के. यादव, प्रबंध निदेशक का स्थानान्तरण हो चुका है। उन्होंने शिकायत की प्रतिलिपि की मांग की ताकि विभाग मामले में अगली कार्रवाई कर सके।

जांच समिति ने पाया कि प्रतिवादी ने ना तो लिखित बयान दायर किया और ना ही उपस्थित हुआ। जांच समिति ने सुनवाई को स्थगित करते हुए शिकायतकर्ता को शिकायत की प्रतिलिपि लेने का निदेश दिया और प्रतिवादी को लिखित बयान दायर करने का भी निदेश दिया। शिकायत की प्रति शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि को बैठक के दौरान दे दी गई।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 28.3.2012 को मामले पर सुनवाई की और निम्नलिखित आदेश पारित किये।

‘‘यद्यपि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है, प्रतिवादी ने स्थगन की मांग की। जांच समिति मामले को स्थगित करना नहीं चाहती है। उसने पाया कि प्रतिवादी ने अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी लिखित बयान दायर नहीं किया। जांच समिति ने परिषद् से सिफारिश की, कि प्रतिवादी को शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उत्तर शीघ्र प्रकाशित करने का निदेश दिया जाए ताकि प्रेस परिषद् अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई से बचा जा सके।’’ इस प्रकार उसने परिषद् से सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार निर्णय लिया।

61) Mk0 fo t ; vxoky lfpo@fun'kd Hkkjrh; f'k{kk ifj"kn y[kuÅ mRrj in'k	*cuke*	l ikn d nfud fgUnLrku iVuk] fcgkj

अधिनिर्णय

डॉ0 विजय अग्रवाल, सचिव/निदेशक, भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ ने अपनी शिकायत दिनांक 4.10.2008 द्वारा दिनांक 27.8.2008 को हिन्दुस्तान, हिन्दी दैनिक, पटना में शीर्षक ''इस बार जाली डिग्री से शिक्षक नहीं बन पाएंगे'' से प्रकाशित कथित भ्रामक समाचार पर आपत्ति व्यक्त की है क्योंकि उसमें नकली संस्थान के रूप में उनके संस्थान का नाम दिया गया है कि जिसकी डिग्री सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। आक्षेपित समाचार में आरोप लगाया गया है कि शिक्षा विभाग को नकली संस्थानों के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और शिकायतकर्ता के संस्थान सहित ऐ 28 संस्थानों की पहचान की गई जिनकी परीक्षाएं और डिग्रियां मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

एक कारण बताओ नोटिस प्रतिवादी संपादक, दैनिक हिन्दुस्तान, पटना को दिनांक 28.1.2009 को भेजा गया किंतु कोई लिखित वक्तव्य प्राप्त नहीं हुआ।

यह मामला जांच समिति के समक्ष दिनांक 19.8.2011 को सुनवाई के लिये पेश किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से श्री अनुज गोयल, कोआर्डिनेटर पेश हुए जबकि श्री मनसिमरन सिंह, विधि विभाग, एचटी मीडिया लि. दैनिक हिन्दुस्तान की ओर से पेश हुए। शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने सूचित किया, चूंकि डॉ0 विजय अग्रवाल का स्थानान्तरण हो चुका है, विभाग को मामले के ब्योरे की जानकारी नहीं है। जांच समिति ने मामले को स्थगित कर दिया और लखनऊ में दिनांक 28.3.2012 को मामले पर पुनः सुनवाई की । दोनों ही पक्षों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। जाँच समिति ने अनभियोग पर शिकायत खारिज करने की सिफारिश। की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार निर्णय लिया।

62) श्री आर.बी. गुप्ते *बनाम* **संपादक**
सचिव/पंजीयक **वायस ऑफ लखनऊ**
ऋण वसूली न्यायाधिकरण लखनऊ **लखनऊ, उत्तर प्रदेश**

अधिनिर्णय

श्री आर.बी. गुप्ते, सचिव/पंजीयक, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ ने यह शिकायत दिनांक 20.4.2010 वायस आफ लखनऊ, लखनऊ के विरूद्ध निम्नलिखित वेबुनियाद, भ्रामक और अपमानजनक प्रकाशित समाचार श्रृंखला के विरोध में दायर की है :

क्रम सं.	शीर्षक	दिनांक
1	सरकारी बैंकों को चूना लगाने वाले डिफाल्टरों को मदद पहुंचा रहे हैं डीआरटी प्रमुख	16.4.2010
2	डीआरटी में सेटिंग है तो बैंक का पैसा चाहे दो या ना दो	17.4.2010
3	डीआरटी में गोरखधंधा-चहेतों का जोर तो नियम कानून कमजोर	18.4.2010

कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.5.2010 के जवाब में, प्रतिवादी संपादक, वायस ऑफ लखनऊ ने अपने लिखित बयान दिनांक 28.5.2010 में आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि ये पूरी तरह झूंठे हैं और जोरदार ढंग से उनसे इंकार किया। प्रतिवादी के अनुसार विचाराधीन समाचार किसी भी प्रकार से अनादरपूर्ण नहीं है और वह पीठासीन अधिकारी, डीआरटी, लखनऊ की कार्यप्रणाली की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करता है। प्रकाशन के पीछे कोई बुरा इरादा नहीं था बल्कि न्याय सम्मत व उचित था। पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वविवेक का प्रयोग करते हुए पक्षपात के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों को नुकसान हो रहा है तथा स्वविवेक का प्रयोग डिफाल्टरों के पक्ष में किया जा रहा है जिससे किसी न किसी बहाने उनसे सरकारी धन की वसूली में देरी करके उनकी सहायता की जाती है, ये कार्रवाई उनके द्वारा प्रस्तुत झूठी व वेबुनियाद याचिकाओं को स्वीकार करके की जाती है। डीआरटी, लखनऊ के समक्ष 1000 से अधिक ऐसे मामले लंबित हैं जिनमें 10 बिलियन से अधिक रुपये की वसूली रुकी है।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 21.6.2010 में उल्लेख किया कि प्रतिवादी संपादक ने डीआरटी में पीठासीन अधिकारी नियुक्ति के लिये अपने ही मानदंड बना रखे हैं। उसने ऋण वसूली न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति प्रक्रिया) नियमावली, 1998 की एक प्रतिलिपि उसे संबंधित नियमों को चिन्हित करके भेजी।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 28.3.2012 को मामले पर सुनवाई की। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ जबकि प्रतिवादी की ओर से श्री नरेन्द्र प्रकाश संगल उपस्थित हुए। जांच समिति ने अनभियोजन के कारण शिकायत खारिज करने की परिषद् से सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार निर्णय लिया।

63) **श्री शिवम शर्मा**
एडवोकेट, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश

बनाम

संपादक
इंडिया टुडे
नई दिल्ली

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 7.2.2011 श्री शिवम शर्मा, एडवोकेट, लखनऊ द्वारा संपादक, 'इंडिया टुडे, नई दिल्ली के विरूद्ध उनके अंक दिनांक 13.12.2010 में शीर्षक 'कानून का उल्लंघन' (हिन्दी अनुवाद) से प्रकाशित कथित झूठे, षड़यंत्रकारी और आपत्तिजनक लेख के विरोध में की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आक्षेपित समाचार में उसके परिवार के सदस्यों के नाम प्रकाशित होने से उसका परिवार परेशान है कि उसने 80 लाख रु. की आयकर विवरणी प्रस्तुत की, इस तथ्य के विपरीत कि,2,60,000 और 3,81,000 की विवरणी वास्तव में उन्होंने प्रस्तुत की थी ।

प्रतिवादी संपादक 'इंडिया टूडे' को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.5.2011 भेजा गया। जिसके उत्तर में, प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान दिनांक 10.6.2011 में उल्लेख किया कि मामले में जांच करने के लिये कोई पर्याप्त आधार नहीं है क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता के आदर्शों या सार्वजनिक रूचि के विरूद्ध कुछ भी प्रकाशित नहीं किया है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता को प्रकाशन के कथित उद्धरण के शुद्धिपत्र भेज कर सूचित कर दिया गया था और तत्पश्चात उसने शिकायतकर्ता के नोटिस का उत्तर भी दिनांक 25.2.2011 को भेज दिया था।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 18.7.2011 में उल्लेख किया कि प्रतिवादी द्वारा लगाये गए सभी आरोप पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं क्योंकि उन्होंने कहानी मामले के तथ्यों का सत्यापन किये बिना प्रकाशित कर दी थी और परिषद् से अनुरोध किया कि प्रतिवादी से उसके मामले के पूरे और निष्पक्ष तथ्यों को प्रकाशित करते हुए खेद प्रकाशित करने के लिये कहा जाये।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 28.3.2012 को मामले पर सुनवाई की।

तर्कों के दौरान, शिकायतकर्ता के एडवोकेट ने बयान दिया कि पत्रिका ने शिकायतकर्ता द्वारा कथित 80 लाख रु. की विवरणी दायर करने की अशोक पांडे द्वारा गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी प्रकाशित करके उनकी निष्ठा और ईमानदारी को ठेंस पहुंचाई। इंडिया टुडे द्वारा प्रकाशित शुद्धिपत्र अपर्याप्त था, शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी से क्षमा मांगने के लिये कहा। श्री अभिषेक मल्होत्रा, एडवोकेट ने प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए बयान दिया कि उन्होंने श्री अशोक पांडे द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के आधार पर लेख प्रकाशित किया था और मानदंडों के अनुसार शुद्धिपत्र भी प्रकाशित कर दिया गया था। हालांकि, उसने यह स्वीकार किया कि तथ्यों की पुष्टि कराने के लिये प्रकाशन पूर्व शिकायतकर्ता से सम्पर्क नहीं किया गया।

जांच समिति ने प्रतिवादी एडवोकेट को अपने मुवक्किल से परामर्श करने का अवसर दिया कि क्या वे खेद प्रकट करते हुए प्रत्युत्तर प्रकाशित करने के लिये सहमत है। प्रतिवादी एडवोकेट ने अपने मुवक्किल से परामर्श करने के बाद समिति को सकारात्मक उत्तर दिया और जांच समिति ने संपादक, इंडिया टुडे को आक्षेपित समाचार के संदर्भ में प्रत्युत्तर प्रकाशित करने का निदेश दिया जिसे पत्रिका के कॉलमों में प्रमुखता से प्रकाशित किया जाए।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार निर्णय लिया।

पाद टिप्पणी : माननीय न्यायमूर्ति मा०. काटजू को शिकायतकर्ता के परिवार से परिचित होने के कारण कार्यवाही से अलग कर दिया गया। केस की सुनवाई जांच समिति के वरिष्ठतम सदस्य श्री शीतला सिंह द्वारा की गयी।

64) डॉ0 जे.एन. पांडे
अध्यक्ष
सेंट्रल वीमैन्स कॉलेज
ऑफ एजूकेशन
शारदा नगर
लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)

बनाम

संपादक
अमर उजाला, लखनऊ

संपादक हिन्दुस्तान,
हिन्दी दैनिक लखनऊ

संपादक
दैनिक जागरण लखनऊ

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 22.4.2010/5.5.2010 डॉ0 जे.एन. पांडे, अध्यक्ष, सेंट्रल वीमैन्स कालेज आफ एजूकेशन लखनऊ द्वारा 1. अमर उजाला, 2. हिन्दुस्तान, 3. दैनिक जागरण, लखनऊ के संपादकों के विरूद्ध उनके समाचार पत्रों में नीचे दिये विवरण के अनुसार कथित झूठे, बेबुनियाद और अवमानना पूर्ण समाचार प्रकाशित करने के विरोध में दायर की गई है:

क्र.सं.	शीर्षक	समाचार पत्र	दिनांक
1	कालेज की पोल खोली बी. एड की छात्राओं ने	अमर उजाला	16.4.2010
2	सेंट्रल वीमैन की छात्राओं ने वसूली का आरोप लगाया	हिन्दुस्तान	16.4.2010
3	बी.एड कालेज पर वसूली का आरोप	दैनिक जागरण	16.4.2010

4	सेंट्रल वीमैन कालेज के खिलाफ जांच	दैनिक जागरण	18.4.2010
5	छात्राओं को प्रवेश ना देने की धमकी	दैनिक जागरण	5.5.2010

समाचारौं के अनुसार, कालेज विद्यार्थियों से देरी से आने पर 50 रु. की वसूली करता है। यह भी आरोप लगाया गया कि 40 दिन के बजाय 20 दिन की पढ़ाई की जाती है। कालेज विद्यार्थियों से पुस्तकालय शुल्क के नाम पर 3500/-रु. वसूलता है। एक विद्यार्थी को बर्खास्त कर दिया और दुबारा भर्ती के लिये 50,000/- रु. की मांग की। जब एक अध्यापक ने विद्यार्थी की मदद की तो उसे यौनाचार का आरोप लगाकर निकाल दिया। यह भी प्रकाशित किया गया कि कालेज प्रशासन एक सादे कागज पर भी हस्ताक्षर कराता है।

शिकायतकर्ता ने समाचारों में लगाये आरोपों से इंकार किया और आरोप लगाया कि प्रतिवादी समाचार पत्रों ने कालेज की प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाने के इरादे से झूठे, बेबुनियाद और अवमानना पूर्ण समाचार प्रकाशित किये। उसने यह भी उल्लेख किया कि संबंधित समाचार रिपोर्टरों के पास कोई साक्ष्य नहीं है और उन्होंने कालेज प्रशासन से भी सम्पर्क नहीं किया। शिकायतकर्ता ने अपने पत्रों दिनांक 5.5.2010 द्वारा प्रतिवादी संपादकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और अनुरोध किया कि उनका बयान भी प्रकाशित करें। उसने याचिका में यह उल्लेख नहीं किया कि प्रतिवादी संपादकों से क्या कोई उत्तर मिला या उसका बयान प्रकाशित कर दिया गया। उसने परिषद् से मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

प्रतिवादी संपादक अमर उजाला ने अपने लिखित बयान दिनांक 28.7.2010 में शिकायतकर्ता के आरोपों से इंकार करते हुए अनुरोध किया कि उसने पत्रकारिता के आदर्शों का उल्लंघन नहीं किया या सार्वजनिक रूचि के विरूद्ध कुछ नहीं किया या कोई व्यावसायिक कदाचार भी नहीं किया। आक्षेपित समाचार उद्देश्य मूलक हैं और बिना किसी दुर्भावना के और तथ्यों के आधार पर सार्वजनिक हित में प्रकाशित किया गया। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार में बालिका विद्यार्थियों के विरोध को प्रकाशित करके उसने अपने पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया।

प्रतिवादी संपादक हिन्दुस्तान ने अपने लिखित बयान दिनांक 29.6.2010 में उल्लेख किया कि उसने पत्रकारिता के आदर्शों के किसी भी मानदंड का उल्लंघन नहीं किया और शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाने के लिये शिकायत दर्ज की है। उसने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार विद्यार्थियों के बयानों पर आधारित था और वे साक्ष्य पास सुरक्षित हैं। उसने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार में सेंट्रल वीमैन कालेज आफ एजूकेशन, लखनऊ के अध्यक्ष का बयान भी प्रकाशित किया गया है। उसने सभी आरोपों का खंडन किया और परिषद् से शिकायत को खारिज करने और झूठी बनावटी और मनगढंत शिकायत करने के अपराध में अनुकरणीय कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

प्रतिवादी संपादक दैनिक जागरण ने अपने लिखित बयान दिनांक 25.10.2011 में उल्लेख किया कि शिकायत झूठी और बेबुनियाद है। उसने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार विद्यार्थी के बयानों पर आधारित है। उसने यह भी कहा कि आक्षेपित समाचार सेंट्रल वीमैन कालेज आफ एजूकेशन के अध्यक्ष के कथन के आधार पर प्रकाशित किया गया। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता का बयान कि उन्होंने पत्रकारिता के आदर्शों के विरूद्ध कार्य किया है, पूर्णतया गलत है और शिकायत खारिज करने योग्य है।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 20.10.2010 और 21.10.2010 और 29-10-2010 में उल्लेख किया कि सभी समाचार पत्रों यथा अमर उजाला, हिन्दुस्तान, और दैनिक जागरण ने उसे बदनाम करने की दुर्भावना से झूठे और बेबुनियाद समाचार प्रकाशित किये। उसने उल्लेख किया कि प्रतिवादियों ने शिकायतकर्ता से पुष्टि किये बिना ही समाचार प्रकाशित कर दिये। प्रतिवादियों पर लगाये गए आरोप गलत, असंतोषजनक और भ्रामक हैं।

जांच समिति ने लखनऊ में दिनांक 28.3.2012 को मामले पर सुनवाई की।

श्री त्रिदीप नारायण पांडे, विधिक सलाहकार, केन्द्रीय महिला शिक्षा कालेज और सर्वश्री सुनील कुमार अवस्थी और पी.आर. राजहंस, एडवोकेट अमर उजाला और श्री पारितोश मिश्रा, रिपोर्टर दैनिक जागरण, उत्तर प्रदेश ने अपने-अपने बयान दिये। दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद, जांच समिति ने फैसला दिया कि समाचार पत्रों ने विद्यार्थियों द्वारा लगाये आरोपों के आधार पर समाचार प्रकाशित किये जिसका रिकार्ड उपलब्ध थ्ा॥। उसने यह भी पाया कि समाचारपत्र में से एक समाचारपत्र ने कालेज के प्रबंधक का बयान भी प्रकाशित किया था। अतः जांच समिति ने अनुभव किया कि प्रेस ने एक शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों की शिकायतों को जन हित में पूरे उत्तरदायित्व के साथ प्रकाशित किया। अतएव उसने शिकायतों में कोई औचित्य नहीं पाया और परिषद् से शिकायत खारिज करने की सिफारिश की ।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार निर्णय लिया।

65) श्री कानुभाई जेठाभाई देसाई,
संपादक, हेलो खेलारु वीकली,
मेहसाना, गुजरात

बनाम

संपादक,
दिव्य भास्कर, अहमदाबाद
गुजरात

अधिनिर्णय

दिनांक 19/12/2008 की यह शिकायत श्री कानुभाई जेठाभाई देसाई, संपादक, हेलो खेलारु वीकली, मेहसाना, गुजरात द्वारा तथाकथित गलत समाचार प्रकाशित करने के कारण दिव्य भास्कर, अहमदाबाद के खिलाफ दायर की गई है। "सिनेमा के क्लाइमैक्स सीन की भांति पुलिस अधीक्षक के खिलाफ सत्तलासना की अपहृत लड़की का द्वेष रखना", "अपहरण की गई लड़की ने 15 दिन के अदंर अपने अपहरणकर्ता के साथ शादी की" शीर्षकों से प्रकाशित समाचार और बॉक्स में दिए गए समाचार "खेलारु के रिपोर्टर पर अपहरणकर्ता होने का संदेह" शीर्षक से प्रकाशित

दिनांक 29/07/2008 के दिव्य भास्कर के अंक में प्रकाशित समाचार पर आपत्ति जताई थी। इस समाचार में यह प्रकाशित किया गया था कि पायल नाम की एक लड़की जो सतलासना के भीकाभाई पटेल की पुत्री है, जिसने दसवीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी है एक सामाजिक समारोह में चेतनपटेल से मिली थी और यह दोनों पहली ही नजर में एक-दूसरे से प्यार करने लग गए। जब चेतन पटेल के साथ शादी करने के उसके प्रस्ताव का उसके माता-पिता ने विरोध किया तो वह उसके साथ भाग गई। उसके बाद पायल नामक वह लड़की, अपने प्रेमी/पति के साथ मेहसाना पुलिस मुख्यालय आई और उन्होंने पुलिस अधीक्षक से कहा कि उसने अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ शादी की है और उसका अपहरण नहीं किया गया है। जब पुलिस अधीक्षक ने उन्हें इसकी सूचना सतलासना पुलिस थाने को देने को कहा तो वे गायब हो गए। बॉक्स में दिए गए समाचार में यह भी प्रकाशित किया गया था कि एक ग्रे रंग की कार, जिसकी पंजीकरण सं. एनएच 04 एएक्स 198 है, बिलिमोरा पुलिस को मिली। संभवतः यह कार चेतन पटेल की थी और ऐसा विश्वास किया जाता है कि पायल नामक लड़की के अपहरण में इसका उपयोग किया गया था और इस संबंध में पुलिस श्री कानूभाई जेठाभाई देसाई, संपादक, हेलो खेलारू से पूछताछ करने वाली है।

शिकायतकर्ता ने लड़की के कथित अपहरण-भागने में अपना नाम घसीटे जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि संबंधित समाचार को पढ़ने के बाद उसने संबंधित पुलिस प्राधिकारी से संपर्क किया था लेकिन उन्होंने शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी जांच के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया है। उसने दिनांक 03/02/2009 को प्रतिवादी को एक पत्र जारी किया था जिसके जरिए इस मामले की ओर प्रतिवादी का ध्यान आकर्षित किया गया था और उनसे प्रत्युत्तर प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया था। लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

प्रतिवादी ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं दिया और मौखिक सुनवाई का अवसर देने पर वकील की अनुपलब्धता के कारण मामले को स्थगित करने की मांग की।

जांच समिति ने अभिलेखों को देखा। यह नोट किया जाता है कि प्रतिवादी लिखित वक्तव्य दाखिल करने में असफल रहा और वह किसी बचाव के लिए भी तैयार नहीं है। अतः मामले को स्थगित करने के अनुरोध से इनकार किया जाता है और मामले के गुण-दोषों के आधार पर इस शिकायत पर आगे विचार किया जाएगा। प्रथम दृष्टया यह नोट किया जाता है कि प्रतिवादी ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाया जिससे इस प्रकरण से शिकायतकर्ता का कोई संबंध स्थापित होता हो। इसलिए इस आरोपित प्रकाशन से शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा है। जहां तक पत्रकारिता के मापदंडों का संबंध है, प्रतिवादी संपादक दिव्य भास्कर संबंधित लोगों से प्रकाशन से पहले ही अवस्था में तथ्यों का सत्यापन करने में असफल रहा। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के इनकार किए जाने को भी प्रकाशित न करके इस अपराध की गंभीरता को बढ़ा दिया है। जांच समिति की राय है कि ऐसा प्रतीत होता है कि संपादक, दिव्य भास्कर ने समाज में शिकायतकर्ता की छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जानबूझ कर ऐसा किया है। अतः वह इसे संपादक, दिव्य भास्कर, अहमदाबाद की निंदा के लिए उपयुक्त मामला समझती है। समिति ने तदनुसार, परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

जांच समिति की रिपोर्ट पूर्ण परिषद् द्वारा स्वीकार और अंगीकार की गई।

पुनर्विलोकन याचिका

परिषद् का दिनांक 30 जुलाई, 2010 का निर्णय प्राप्त होने पर प्रतिवादी ने दिनांक 14/09/2010 को एक पुनर्विलोकन याचिका दाखिल की है, जिसमें परिषद् से अनुरोध किया गया है कि वह भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा समाचारपत्र की निंदा करते हुए परिषद् के निर्णय का पुनर्विलोकन करने की कृपा करे। उसके अनुसार, परिषद् के समक्ष अभ्यावेदन सदाशयपूर्ण कारण से प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी ने यह भी निवेदन किया है कि दिव्य भास्कर का भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करने का कोई इतिहास नहीं रहा है। आरोपित रिपोर्ट को प्रकाशित करने में इसकी कोई दुर्भावना नहीं थी, यह तो एफआईआर पर आधारित थी। प्रतिवादी के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए और उसे बचाव प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए परिषद् ने दिनांक 29.10.2010 को पुनर्विलोकन याचिका स्वीकार की।

पुनः सुनवाई

दिनांक 18/08/2011 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए यह मामला रखा गया। उस दिन दोनों पक्षकार उपस्थित थे। शिकायतकर्ता ने निवेदन किया कि एफआईआर से उसका कुछ भी संबंध नहीं है और पुलिस ने उसे कभी भी किसी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। उसके अनुसार, इंदौर में उसकी सुनवाई के बाद परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता नहीं है और प्रतिवादी द्वारा दाखिल किया गया पुनर्विलोकन आवेदनपत्र को सबूतों के अभाव में खारिज करने की आवश्यकता है।

श्री ऋत्विक त्रिवेदी, उप संपादक प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए और उन्होंने निवेदन किया कि यह समाचार एफआईआर पर आधारित था और पुलिस ने सूचित किया था कि जो कार मिली थी, वह शिकायतकर्ता की थी। जांच समिति ने पक्षकारों को सुनने के बाद यह नोट किया कि प्रतिवादी ने गुण-दोषों के आधार पर लिखित वक्तव्य दाखिल नहीं किया था। चूंकि एफआईआर गुजराती भाषा में था, अतः जांच समिति ने प्रतिवादी को निदेश दिया कि वह गुण-दोषों के आधार पर लिखित वक्तव्य दाखिल करे और एफआईआर का अंग्रेजी पाठ भी प्रस्तुत करे। उनके अनुरोध को दिनांक 25/08/2011 के लिखित वक्तव्य में पुनः दोहराया गया।

दिनांक 25/04/2012 को पुणे में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष यह मामला पुनः प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षकार उपस्थित थे। शिकायतकर्ता ने समिति के समक्ष निवेदन किया कि पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे कभी नहीं बुलाया था। उसका नाम प्रकाशित होने से समाज में उसकी बदनामी हुई है। श्री राज कुमार, जी सिंह एडवोकेट, दिव्य भास्कर ने निवेदन किया कि पुलिस ने शिकायतकर्ता - श्री कानूभाई जेठाभाई देसाई, संपादक, हेलो खेलारु को दिनांक 28/07/2008 को पूछताछ के लिए बुलाया था और उसने यह भी स्वीकार किया कि एफआईआर में उल्लिखित श्री चेतन पटेल उसके समाचारपत्र हेलो खेलारु में पत्रकार था। उसने यह भी अनुरोध किया कि इस संबंध में स्पष्टीकरण पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।

पक्षकारों की सुनवाई करने पर जांच समिति ने नोट किया कि शिकायतकर्ता के आरोप केवल मानहानिकारक थे। यह सही है कि पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की गई थी। जांच समिति ने यह भी पाया कि समाचारपत्र ने पुलिस द्वारा दिए गए वक्तव्य पर विश्वास किया और इसलिए उसने बाद में एक स्पष्टीकरण प्रकाशित करके इसमें संशोधन किया जिसमें समाचारपत्र को निंदा का दंड देने संबंधी आदेश वापस लिया जाना उचित समझा जाता है। तदनुसार, परिषद् से सिफारिश की जाती है।

मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने पर प्रेस परिषद् कारणों और समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है और तदनुसार, निर्णय लेती है।

66) डॉ. लिसा वरदेन,
निदेशक, डीओजीएसटीओपी,
अहमदाबाद, गुजरात

बनाम

संपादक,
अहमदाबाद मिरर,
अहमदाबाद

अधिनिर्णय

दिनांक 19/04/2010 की यह शिकायत डॉ. लिसा वरदेन, निदेशक, 'डीओजीएसटीओपा', अहमदाबाद द्वारा ''अहमदाबाद मिरर '' के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें दिनांक 04/12/2009 के 'अहमदाबाद मिरर' के अंक में "बंध्यीकृत कुतिया ने बच्चों को जन्म देने के बाद 5 लोगों को काटा शीर्षक के अधीन गैर-जिम्मेदार, अदूरदर्शितापूर्ण, निरर्थक, असत्य लेख प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया था। इस लेख में बताया गया था कि दो सप्ताह पहले एक बंध्यीकृत कुतिया ने तीन पिल्लों को जन्म दिया और यह एक अपवाद नहीं है, इस क्षेत्र में अन्य बंध्यीकृत कुतियों ने भी हाल ही में बच्चों को जन्म दिया है। इस कुतिया ने इस क्षेत्र में कम से कम 6 लोगों को काटा है। लोगों को नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे बंध्यीकरण अभियान पर शंका करने का पूरा कारण है। शिकायतकर्ता जो कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के क्षेत्र में कार्यरत है, ने दावा किया है कि यह रिपोर्ट गलत है और इसे सत्यापन किए बिना प्रकाशित किया गया है।

प्रतिवादी ने दिनांक 14/07/2010 के अपने लिखित वक्तव्य में निवेदन किया है कि आरोपित लेख अहमदाबाद नगरपालिका (एएमसी) द्वारा कुत्तों के बंध्यीकरण अभियान के बारे में है। लेख लिखने से पहले उन्होंने स्थानीय निवासियों और नगरपालिका के पार्षद श्री इमरान खडावाला से बात की थी। प्रतिवादी ने इस आरोप से इनकार किया कि उसने इस लेख का प्रकाशन करके किसी एजेंसी/संगठन को लक्ष्य बनाया था और इससे शिकायतकर्ता को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था और उसने यह भी कहा कि यह प्रकाशन लोकहित में और सदाशयता से किया गया था।

जांच समिति ने दिनांक 25/04/2012 को पुणे में इस मामले पर सुनवाई की। चूंकि कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं था, अतः समिति ने गैर-अभियोजन के कारण इस शिकायत को खारिज कर दिया।

प्रेस परिषद् मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों और समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है और तदनुसार, निर्णय लेती है।

67) श्री युसुफ हाकिम,
अध्यक्ष,
इकरा चैरिटेबल फाउंडेशन,
अहमदाबाद

बनाम

संपादक,
अहमदाबाद मिरर,
अहमदाबाद

अधिनिर्णय

दिनांक 23/06/2010 की यह शिकायत श्री युसुफ हाकिम, अध्यक्ष, एच पीर मोह. शाह जनरल अस्पताल, जिसका प्रबंधन आईक्यूआरएए चैरिटेबल फाउंडेशन, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा किया जाता है, ने अहमदाबाद मिरर के खिलाफ दायर की है। इस पर आरोप लगाया गया है कि इसके दिनांक 22/06/2010 के अंक में "डॉ. ने मेरे अंदर कपड़ा छोड़ा एक महिला" शीर्षक से अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है। आरोपित समाचार में यह बताया गया कि एक महिला ने आरोप लगाया कि इकरा अस्पताल के डॉ ने शल्यचिकित्सा के बाद उसकी छाती के बाएं हिस्से में जालीदार कपड़े के दो टुकड़े छोड़ दिए थे।

दिनांक 07/10/2010 के परिषद् के कारण बताओ नोटिस के उत्तर में प्रतिवादी अहमदाबाद मिरर, अहमदाबाद ने दिनांक 29/11/2010 के अपने लिखित वक्तव्य में निवेदन किया है कि उसने वही प्रकाशित किया जो शल्यचिकित्सा करने वाले डॉ. ने अपने शल्यचिकित्सा संबंधी नोट में लिखा है कि जब उसने आपरेशन किया तब क्या निकला था। यह नहीं लिखा गया था कि पहली शल्यचिकित्सा में यह जालीदार कपड़ा वहां रह गया था या उस महिला की लापरवाही के कारण यह वहां था। उसने केवल यह लिख था कि उसे घाव में जालीदार कपड़े के दो टुकड़े मिले थे जिनमें से दुर्गंध आ रही थी, जिसे उसने निकाल दिया और वह सब किया जो घाव भरने के लिए आवश्यक था।

जांच समिति ने दिनांक 25/04/2012 को पुणे में इस मामले में सुनवाई की थी। चूंकि कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं था, अतः जांच समिति ने निर्णय लिया कि गैर-अभियोजन के कारण इस शिकायत को खारिज किया जाए। इसी प्रकार उन्होंने परिषद् को रिपार्ट की।

प्रेस परिषद् मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों और समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है और तदनुसार, निर्णय लेती है।

68) सुश्री निकी आर सिंह,
राजकोट (गुजरात)

बनाम

संपादक,
सांझ समाचार, राजकोट
(गुजरात)

अधिनिर्णय

यह शिकायत सुश्री निकी आर. सिंह, राजकोट द्वारा "सांझ समाचार, राजकोट" के खिलाफ दायर की गई है। इसमें दिनांक 30/06/2009 को झूठा और भ्रामक समाचार प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है। इसमें बताया गया है कि एक अन्य राज्य की विवाहित महिला एक्टिवा पर तीसरी सवारी के रूप में बैठकर जा रही थी जो बहुत तेज गति से जा रहा था और एक डिवाइडर से टकरा गया। यह दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि इस एक्टिवा पर दो लोगों के साथ बैठी विवाहित महिला नीचे गिर गई और सड़क पर टकरा गई। इस दुर्घटना के घटित होने पर एक्टिवा पर बैठे दो अन्य लोग आश्चर्यजनक ढंग से जल्दी में भाग गए। इस विवाहित महिला को एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया और उसका नाम निकी आर. सिंह बताया गया। शिकायतकर्ता ने निवेदन किया है कि प्रतिवादी ने इस आरोपित प्रकाशन में दो अलग-अलग घटनाओं को मिलाकर रिपोर्ट प्रकाशित की जिससे उसके मित्रों, संबंधित समाज की आंखों में उस महिला के नाम और चरित्र की छवि धूमिल हो। इस समाचारपत्र ने बाद में एक स्पष्टीकरण प्रकाशित किया, लेकिन किसी ने उस महिला पर विश्वास नहीं किया और उनके साथ संबंध तोड़ दिए तथा उसके चरित्र पर धब्बा लगाया ओर उसका बहिष्कार कर दिया।

प्रतिवादी समाचारपत्र सांझ समाचार, राजकोट के संपादक को दिनांक 30/11/2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन कोई लिखित वक्तव्य दाखिल नहीं किया गया।

जांच समिति ने दिनांक 25/04/2012 को पुणे में इस मामले की सुनवाई की। चूंकि कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ, अतः प्रतिवादी ने एक आवेदनपत्र भेजा कि उसने पुराने मालिक से हाल ही में यह समाचारपत्र खरीदा है, इसलिए उसे इस मामले की जानकारी नहीं है। जांच समिति ने परिषद् से गैर-अभियोजन के कारण इस शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों और समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है और तदनुसार निर्णय लेती है।

69) श्री धर्मेश ठाकुरभाई पटेल, सूरत, गुजरात *बनाम* **संपादक, जंग-ए-गुजरात, गुजरात**

अधिनिर्णय

दिनांक 11/09/2010 की यह शिकायत श्री धर्मेश ठाकुरभाई पटेल, सूरत (गुजरात) द्वारा श्री धनंजय उमेश चंद्र झावेरी, स्वामी/संपादक, जंग-ए-गुजरात, गुजराती साप्ताहिक के खिलाफ दायर की गई है। यह शिकायत इस साप्ताहिक के दिनांक 14/07/2008 के अंक में "ठाकुर के बेटे के दुष्कर्म" शीर्षक से झूठा और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है। परिषद् के दिनांक 08/02/2011 के कारण बताओ नोटिस के उत्तर में प्रतिवादी ने दिनांक 26/02/2011 को अपना लिखित वक्तव्य दाखिल किया है, जिसमें उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया गया है और बताया गया है कि

यह शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 (1) के अधीन किए गए अपराधों के लिए भडूच सिटी ए डिविजन पुलिस थाने में उसके खिलाफ की गई शिकायत बदले की भावना से दायर की गई है।

जांच समिति ने दिनांक 25/04/2012 को पुणे में इस मामले की सुनवाई की। श्री धनंजय यू जायेन, संपादक, जंग-ए-गुजरात प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुआ। चूंकि शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ था, जिसने कि प्रतिवादी के वक्तव्य का विरोध भी नहीं किया था, जांच समिति ने गैर-अभियोजन के कारण शिकायत को खारिज करने के लिए परिषद् से सिफारिश की।

प्रेस परिषद् मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों और समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है और तदनुसार, निर्णय लेती है ।

70) मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इच्छलकर्णजी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड,
कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

बनाम

संपादक,
दैनिक लोकमत,
कोल्हापुर महाराष्ट्र

अधिनिर्णय

दिनांक 12/10/2009 की यह शिकायत श्री वी एन कुलकर्णी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इच्छलकर्णजी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) द्वारा 'दैनिक लोकमत' मराठी के खिलाफ दायर की गई है। इस शिकायत में इस पत्रिका के दिनांक 10/10/2009 के अंक में "इच्छलकर्णजी महिला बैंक लाइसेंस रद्द (रिजर्व बैंक ने ऋण स्थगन लगाया)" शीर्षक से झूठा और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया है कि दिनांक 11/10/2009 को प्रतिवादी समाचारपत्र ने जनता में और भ्रम पैदा करने के लिए "इच्छलकर्णजी महिला बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया" शीर्षक से दूसरा समाचार प्रकाशित किया। चूंकि उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि यह दिनांक 10/10/2009 को प्रकाशित गलत समाचार के संबंध में स्पष्टीकरण है या माफी। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि प्रतिवादी ने 'माफी' शीर्षक के अधीन यह समाचार प्रकाशित किया होता तो वे उसे स्वीकार कर लेते, लेकिन प्रतिवादी ने जिस तरीके से इसे प्रकाशित किया है, उससे उनकी गलती स्पष्ट रूप से इस प्रकार ढक जाती है कि वह कानूनी कार्रवाई से बच जाए।

परिषद् के दिनांक 11/03/2010 के कारण बताओ नोटिस के उत्तर में प्रतिवादी संपादक लोकमत कोल्हापुर ने दिनांक 15/02/2012 के अपने लिखित वक्तव्य के जरिए अनुरोध किया है कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 05/04/2010 के अपने पत्र के जरिए सूचित किया है कि उनके प्रतिनिधि संवाद्दाता द्वारा माफी संबंधी पत्र दिए जाने के बाद वे अपनी शिकायत पर बल नहीं देना चाहते हैं और इस शिकायत को वापस ली गई समझते हैं।

जांच समिति ने दिनांक 25/04/2012 को पुणे में इस मामले की सुनवाई की। श्री एम जी कुलकर्णी, गोपीनाथ पाटिल पार्सिक बैंक शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित हुए जबकि सर्व श्री मारुति एन भोसले, सहायक प्रबंधक, मानव संसाधन और प्रशासन, राजा माने, संपादक, लोकमत प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए। दोनों पक्षकारों ने जांच समिति को सूचित किया कि मामले का समाधान हो गया है और इस शिकायत को वापस लेने की अनुमति दी जाए। पाँच समिति ने इसके लिए स्वीकृति दे दी।

प्रेस परिषद् इस मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों और समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है और मामले को बंद करने का निर्णय लेती है।

71) श्री रवींद्र द्विवेदी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
भ्रष्टाचार-रोधी समिति, थाणे

बनाम

संपादक,
लोकसत्ता, मुंबई

अधिनिर्णय

दिनांक 09/07/2009 की यह शिकायत श्री रवींद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भ्रष्टाचार-रोधी समिति, थाणे द्वारा संपादक, लोकसत्ता, मुंबई के खिलाफ की गई है। इस शिकायत में उक्त समाचारपत्र के दिनांक 27/06/2009 के अंक में "भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के कार्यालय में अश्लील नृत्य करने वाले 22 लोग गिरफ्तार" शीर्षक से निराधार, झूठा और भ्रामक समाचार प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है ताकि उसकी और उसकी संस्था की बदनामी हो। इस समाचार में यह आरोप लगाया गया था कि स्थानीय निवासियों ये शिकायतें प्राप्त होने के बाद कि भ्रष्टाचार-रोधी समिति के कार्यालय में जोर-जोर से संगीत बजाया जा रहा था। पुलिस ने उक्त परिसर में छापा मारा और 22 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें समिति के अध्यक्ष, 7 महिलाएं, 12 कारोबारी और 2 दलाल भी शामिल थे जो अश्लील नृत्य पार्टी में भाग ले रहे थे। यह भी आरोप लगाया गया कि अन्य लोगों के साथ-साथ, समिति का अध्यक्ष सलीम सदरोही भी गिरफ्तार किया गया। उस समाचार में यह भी आरोप लगाया गया कि सलीम सदरोही प्रत्येक रात में पार्टी का आयोजन करता है और प्रत्येक व्यक्ति से 3000 रुपए की रकम लेता है। पुलिस के अनुसार, इस छापे में 40,000 रुपए नकद जब्त किए गए। इसके अलावा, 65,00,000 रुपए भी जब्त किए गए, जिनमें 1000 रुपए के नकली नोट थे।

दिनांक 11/08/2009 के कारण बताओ नोटिस के उत्तर में प्रतिवादी संपादक लोकसत्ता ने दिनांक 03/02/2012 के अपने लिखित वक्तव्य में कहा है कि यह समाचार सदाशयता से, लोकहित में प्रकाशित किया गया था, जो बिना किसी दुर्भावना के विश्वसनीय स्रोत द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित था। उसने यह भी कहा कि समाचार में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह समाचार पुलिस अधिकारियों से प्राप्त सूचना पर आधारित है जिसने एक ऐसे संगठन के परिसर में अंबोली में छापा मारा था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। अन्य समाचारपत्रों में भी इसी प्रकार की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी।

प्रतिवादी ने दिनांक 07/02/2012 के अपने अगले पत्र के जरिए परिषद् को सूचित किया है कि उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए एक स्पष्टीकरण प्रकाशित किया था (जैसाकि शिकायतकर्ता चाहता था)। यह उनके समाचारपत्र मुंबई संस्करण के दिनांक 07/02/2012 के अंक के पृष्ठ के सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया गया था।

जांच समिति ने दिनांक 25/04/2012 को पुणे में इस मामले की सुनवाई की। सर्व/ श्री शंकर पांडुंग पाटिल, तालुका - अध्यक्ष, विश्वजीत एस. डियाम्ड्रे, राज्य अध्यक्ष भ्रष्टाचार-रोधी समिति शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित हुए। लोकसत्ता के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष कहा कि खेद व्यक्त करने से स्पष्टीकरण हो गया है, लेकिन शिकायतकर्ता इस बात से संतुष्ट नहीं था क्योंकि उसके संगठन का नाम गलत तरीके से लिखा गया था। जांच समिति ने इस शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लिया और प्रतिवादी को निदेश दिया कि वह खेद व्यक्त करते हुए सही स्पष्टीकरण प्रकाशित करे।

प्रेस परिषद् इस मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों और समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है और मामले को बंद करने का निर्णय लेती है।

72) श्री संदेश डी. करखानिस, थाणे, महाराष्ट्र *बनाम* **संपादकगण,**
(i) लोकसत्ता,
(ii) नवशक्ति
(iii) सकाल, मुंबई महाराष्ट्र

अधिनिर्णय

ये शिकायतें श्री संदेश डी. करखानिस, थाणे, महाराष्ट्र द्वारा (i) लोकसत्ता (ii) नवशक्ति; और (iii) सकाल के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें दिनांक 07/04/2009 के इसके अंक में "बम की अफवाह से कल्याण अदालत में भागम भाग" नामक शीर्षक से झूठा, निराधार, मानहानिकारक और भ्रामक समाचार प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने निवेदन किया है कि दिनांक 07/04/2009 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण न्यायालय के खुलने की संभावना संदिग्ध है। शिकायत के अनुसार, भूमि के विवाद का उसका मामला न्यायालय में लंबित था और उसकी सुनवाई दिनांक 08/04/2009 को तय की गई थी। लेकिन इस मामले को कमजोर करने के लिए इसे एक दिन पहले प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता ने निवेदन किया है कि पहले भी उक्त समाचारपत्र ने इस प्रकार के समाचार प्रकाशित किए हैं जो केवल उसे परेशान करने के लिए और उत्तेजित करने के लिए प्रकाशित किए गए, क्योंकि वह इस बात से मानसिक रूप से परेशान है कि उसका मामला न्यायालय में लंबित पड़ा है। शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया है कि उसने समाचारपत्र के संपादकों को लिखा था लेकिन उसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

प्रतिवादी संपादक, लोकसत्ता ने शिकायतकर्ता के आरोपों से इनकार करते हुए दिनांक 08/06/2010 की अपनी टिप्पणी में यह आरोप लगाया है कि यह शिकायत उत्पीड़क, अस्पष्ट और असंगत है और उसके खिलाफ किसी व्यथा के लिए कोई आधार नहीं है। उसके अनुसार, उसने संबंधित फोटोग्राफर - श्री दीपक जोशी से पूछताछ की थी जिसने उसे आश्वासन दिया कि 'थाणे वृत्तांत', जो 'लोकसत्ता', मुंबई संस्करण का पूरक है, में प्रकाशित फोटोग्राफ दिनांक 07/04/2009 को लिए गए थे और यह शीर्षक तथ्यात्मक रूप से सही है। हालांकि दिनांक 07/04/2009 को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया था और न्यायालय बंद था। माननीय न्यायाधीश श्री चंद्रहास महत्रे को किसी अज्ञात व्यक्ति से टेलीफोन आया था कि न्यायालय के परिसर में बम रखा गया है। इसके परिणामतः, थाणे पुलिस का बम डिटेक्शन स्कवॉड ने कल्याण न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया था और पूरी खोजबीन की थी। प्रतिवादी ने यह भी निवेदन किया है कि दिनांक 26/11/2008 को मुंबई में कई स्थानों पर एकसाथ आतंकवादियों के हमले के बाद, जिसमें कई सौ जानें चली गई थीं, मुंबई पुलिस इस प्रकार की धमकियों को गंभीरता और तत्परता से लेती है। अन्य प्रतिवादियों ने अपने बचाव में उत्तर दाखिल नहीं किए।

जांच समिति ने दिनांक 25/04/2012 को पुणे में इस मामले की सुनवाई की। शिकायतकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बताया कि वह उस न्यायालय के परिसर में बम होने की झूठी खबर के प्रकाशित होने से मानसिक रूप से पीड़ित हुआ, जहां उसका मामला विचाराधीन है। लेकिन उसने यह बात स्वीकार की, कि उसे बाद में पता चला कि ये रिपोर्टें सही थीं। श्री पवलास मुगुजमल लोकसत्ता की ओर से उपस्थित हुआ और उसने पहले ही दाखिल उत्तर को दोहराया। जांच समिति ने अभिलेखों और अनुरोध पर विचार करने के बाद यह राय व्यक्त की, कि इस शिकायत में कोई गंभीरता नहीं है। इसलिए, परिषद् से यह सिफारिश की जाती है कि इस शिकायत को खारिज कर दिया जाए।

प्रेस परिषद् इस मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों और समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है और मामले को बंद करने का निर्णय लेती है।

73) श्री जय प्रकाश गुप्ता,
सनदी लेखाकार,
नागपुर

बनाम

संपादक,
सेल्स टैक्स रिव्यू,
मुंबई

अधिनिर्णय

दिनांक 20/03/2009 की यह शिकायत श्री जय प्रकाश गुप्ता, सनदी लेखाकार, नागपुर द्वारा मासिक पत्रिका 'सेल्स टैक्स रिव्यू', जो सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित की जाती है, के खिलाफ की गई है। इस पत्रिका के दिसंबर 2008 के अंक में प्रकाशित लेख के बारे में उसका प्रत्युत्तर प्रकाशित नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2002 दिनांक 01/04/2005 से लागू किया गया। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी एक वित्त वर्ष में 40,00,000 रुपए से अधिक का

कारोबार करने वाले राज्य के पंजीकृत व्यापारियों की लेखापरीक्षा अनिवार्य रूप से की जाएगी, जिसके अनुसार, सनदी और लागत लेखाकार को प्राधिकृत किया गया है कि वह इस प्रकार की लेखापरीक्षा कर सकते हैं। अन्य व्यावसायिक अर्थात एडवोकेट और बिक्री कर व्यावसायिकों ने सरकार को अभ्यावेदन भेजकर दावा किया है कि उन्हें भी वैट लेखापरीक्षा करने दी जानी चाहिए। अपने प्रयास में असफल होने पर उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय में मामला दायर किया और उसके बाद भारत के उच्चतम न्यायालय में तथा उनकी याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया गया। उनके दावे को न्यायिक रूप से अस्वीकार किए जाने के बावजूद प्रतिवादी एडवोकेट्स और सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन (एसटीपीएएम) ने पिछले तीन वर्षों के "सेल्स टैक्स रिव्यू" में इस एसोसिएशन के अध्यक्षीय, संपादकीय और अन्य समाचारों के माध्यम से सनदी लेखाकारों के प्रति द्वेष व्यक्त करना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस एसोसिएशन के मुखपत्र का इस प्रकार दुराशय से उपयोग बहुत अधिक किया गया है ताकि सनदी लेखाकारों के प्रति दुर्भावना व्यक्त की जा सके और यह सीमा उस समय और भी बढ़ गई जब इस पत्रिका में अध्यक्ष, एसटीपीएएम का बिक्री कर आयुक्त, महाराष्ट्र को संबोधित प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया। इस प्रतिवेदन की विषय-वस्तु इस प्रकार थी

"यह अब स्पष्ट है कि सेल्स टैक्स कानून संबंधी व्यवसाय करने वाले सनदी लेखाकारों की संख्या नगण्य है। इसलिए अधिकांश लेखापरीक्षा एसटीपी और एडवोकेट द्वारा की जाती है और विश्वास के आधार पर फार्म 704 में रिपोर्टें दी जाती हैं तथा सनदी लेखाकारों द्वारा अलिखित भागीदारी पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।"

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष (एसटीपीएएम) का वक्तव्य केवल चरित्रहनन और सनदी लेखाकार की सत्यनिष्ठा पर शंका व्यक्त करना ही नहीं है अपितु उन्हें अव्यावसायिक कार्यों में लिप्त होना भी बताया गया है क्योंकि सनदी लेखाकारों द्वारा ऐसा कार्य करना उनका व्यावसायिक कदाचार है और इसके कारण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया है कि दिनांक 13.01.2009 को उसने इस पत्रिका के अध्यक्ष और संपादक की ओर से ऐसे आचरण के खिलाफ ई-मेल के जरिए विरोध प्रकट करते हुए एक पत्र भेजा था और यह अनुरोध किया था कि उस पत्र को इस पत्रिका के जनवरी अंक में प्रकाशित किया जाए। लेकिन दिनांक 13/01/2009 और 14/02/2009 के अनुस्मारक पत्रों के बावजूद प्रतिवादी ने अपना स्पष्टीकरण प्रकाशित नहीं किया। उन्होंने सही बात से इनकार करने के खिलाफ यह विरोध प्रकट किया क्योंकि यह सनदी लेखाकार के खिलाफ अनुचित और अनावश्यक बात ही नहीं है अपितु सनदी लेखाकार को गलत रूप में प्रदर्शित करके और अधिवक्ताओं के हितों का संवर्धन करना भी है।

प्रतिवादी संपादक, सेल्स टैक्स रिव्यू, मुंबई को दिनांक 20/08/2009 को कारण बताओ नोटिस भेजा गया, लेकिन उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

जांच समिति ने दिनांक 27/04/2012 को पुणे में इस मामले की सुनवाई की। सर्व/ श्री अनिल वखारिया, सदस्य, सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन और श्री एम पी भगवत, एडवोकेट और सदस्य, सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन प्रतिवादी की ओर से उपस्थित

हुए। जांच समिति ने पाया कि दिनांक 11/04/2012 के पत्र में की गई शिकायत में इस मामले को वापस लेने का अनुरोध किया गया था। जांच समिति ने परिषद् से यह सिफारिश करने का निर्णय लिया कि वह दोनों पक्षकारों के बीच हुई सुलह के कारण इस शिकायत को खारिज कर दे।

प्रेस परिषद् इस मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों और समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है और मामले को बंद करने का निर्णय लेती है।

74) मैसर्स फुलर्टन इंडियन क्रेडिट कं. लि, मुंबई *बनाम* **संपादक, सिगरौली का तूफान, सिंगरौली, मध्य प्रदेश**

अधिनिर्णय

दिनांक 21/10/2009 की यह शिकायत मैसर्स फुलर्टन इंडियन क्रेडिट कं. लि., मुंबई द्वारा 'सिंगरौली का तूफान', सिंगौराली, मध्य प्रदेश के खिलाफ दायर की गई है। यह शिकायत 'फुलर्टन इंडिया में चल रही गुण्डागर्दी' और 'प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों की जांच की मांग उठी' शीर्षकों से क्रमशः दिनांक 06/07/2009 और 31/08/2009 के अंक में प्रकाशित झूठे, मनगढंत, आधारहीन और अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है। पहली आक्षेपित समाचार रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता की कंपनी में ऋण की प्रतिशतता तय नहीं है और इसके ऋण देने की प्रक्रिया भी संदिग्ध है और समय-समय पर लोगों की पिट ाई की जाती है। कंपनी ने गुंडों को भर्ती कर रखा है और वे लोगों से तथा रास्ते में पैसा ऐंठने की योजना बनाते हैं। दूसरे समाचार में बताया गया है कि यह कंपनी 'सूदखोर' की भांति ही ऋ ण देती है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर ऋण का ब्याज तय किया जाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि इस बात की भी जानकारी नहीं है कि यह कंपनी एक कानूनी प्रतिष्ठान है या नहीं। जिला प्रशासन को चाहिए कि वह वास्तविकता की जांच करे।

आरोपों से इनकार करते हुए शिकायतकर्ता ने कहा कि फुलर्टन फाइनेंसियल होल्डिंग प्रा. लिमिटेड, सिंगापुर टेमसेक होल्डिंग, सिंगापुर सरकार की पूर्णतः स्वामित्व की सहायक कंपनी है। शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया है कि उनकी कंपनी दो प्रमुख शीर्षों अर्थात 'व्यापार' और परिवार के अधीन ग्राहकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। व्यापार शीर्ष के अधीन वे स्वरोजगार वाले लोगों/भागीदारी फर्म/ कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं ताकि वे अपने कारोबार, अपने छोटे कारोबार समुदाय के जीवन और ग्राहकों के लिए उत्पादों और कारोबार समुदाय की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके समाधान में सुधार कर सकें। परिवार शीर्ष के अधीन वे वेतनभोगी लोगों की विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार, उत्पाद और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। वित्तीय उत्पादों में अप्रतिभूत व्यक्तिगत ऋण, दुपहिया वाहनों के लिए ऋण, घरेलू वित्त और संपत्ति के आधार पर ऋण भी शामिल है। शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया है कि यह समाचार झूठा, आधारहीन, मानहानिकारक, द्वेषपूर्ण

और मनगढंत था और यह आरोप सच्चाई से बहुत दूर है और इसे असावधानी से और कंपनी की प्रतिष्ठा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, कारोबार परिमंडल के सदस्यों और ऐसी काफी बड़ी आम जनता में इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रकाशित किया गया था जो इसके प्रति बहुत उच्च भावनाएं रखते हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी निवेदन किया है कि उनकी कंपनी एक प्रतिष्ठित वित्तीय कंपनी है और उसके खिलाफ कभी कोई बड़ी शिकायत नहीं की गई है, झगड़ें, गाली-गलौच और गुंडों के जरिए किस्तें वसूलने वाला आरोप झूठा और भ्रामक ही नहीं है अपितु चालाकी से उन्हें परेशान करने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी का ध्यान दिनांक 21/10/2009 को इस ओर आकर्षित किया था, लेकिन उससे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

दिनांक 04/02/2010 को प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन दिनांक 19/12/2011 को अनुस्मारक जारी करने के बावजूद कोई लिखित वक्तव्य प्राप्त नहीं हुआ।

जांच समिति दिनांक 27/04/2012 को पुणे में इस मामले की सुनवाई की। शिकायतकर्ता की ओर से विपुल बिलवे, एडवोकेट, मुल्ला एंड मुल्ला एंड क्रेजी ब्लंट एंड कैरो उपस्थित हुए और उन्होंने अनुरोध किया कि यह समाचारपत्र स्थानीय क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है। यह उनके प्रतिद्वदियों का कार्य है कि उनकी कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठा समाचार प्रकाशित किया जाए। शिकायतकर्ता के वकील ने समिति को इस बात की पुष्टि की, कि प्रतिवादी ने स्पष्टीकरण प्रकाशित नहीं किया है।

अभिलेखों को देखने पर समिति ने नोट किया कि प्रतिवादी ने कभी भी लिखित वक्तव्य दाखिल नहीं किया और वह इस प्रकाशन के बचाव में उपस्थित भी नहीं हुआ जिससे जांच समिति को यह कहना पड़ा कि प्रतिवादी के पास बचाव में कोई बात नहीं है। क्योंकि इस शिकायत में लगाया गया आरोप अभी भी लंबित पड़ा हुआ है, अतः जांच समिति की राय है कि प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता कंपनी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए थे ताकि उनकी प्रतिष्ठा और कारोबार को नुकसान पहुंचे। जांच समिति ने प्रेस को इस बात की याद दिलाई कि यह उनका दायित्व है कि वे लोकहित में उचित आलोचना कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही उसे किसी सामग्री के प्रकाशन से पहले संबंधित लोगों से उसका समुचित सत्यापन करने में पत्रकारिता के मानदंडों का पालन करना होगा। प्रकाशन के बाद उसने शिकायतकर्ता कंपनी को प्रकाशन से पहले अपने स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर नहीं दिया, यहां तक कि आरोपों के संबंध में परिषद् को भी कोई उत्तर नहीं दिया। जांच समिति ने पाया कि संपादक, सिंगरौली का तूफान ने प्रकाशन से पहले सत्यापन की नैतिकता और उत्तर देने के अधिकार का उल्लंघन किया है। जांच समिति ने परिषद् से यह सिफारिश करने का निर्णय लिया है कि वह पत्रकारिता के आचरण के मापदंडों का उल्लंघन करने के कार्य के लिए संपादक, सिंगरौली का तूफान की परिनिंदा करे।

परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने पर संपादक, सिंगरौली का तूफान, मध्य प्रदेश की भर्त्सना करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद् के अधिनिर्णय की प्रति डी ए वी पी, आर एन आई और सूचना तथा जन संपर्क विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले में यथा अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए भेजी जाए।

75) श्री दिलीप कुमार गोकुलचंद सनंदा, एमएलए, बुलढाना महाराष्ट्र *बनाम* **संपादक, प्रश्नकाल, खामगांव, महाराष्ट्र**

अधिनिर्णय

दिनांक 22/05/2009 की यह शिकायत श्री दिलीप कुमार गोकुलचंद सनंदा, विधायक, खामगांव निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र द्वारा सांध्य दैनिक समाचारपत्र प्रश्नकाल, खामगांव के खिलाफ की गई है, जिसमें अनुचित, निराधार और घोटाले संबंधी समाचार निम्नलिखित शीर्षकों से प्रकाशित किया गया थाः

क्रम सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	विधायक सनंदा के गैर-कानूनी धन उधार देने के पक्ष में मुख्य मंत्री के पद का दुरुपयोग	06.03.2009
2.	एक शिकायत ..... केवल	07.03.2009
3.	चुनाव से पहले सनंदा का धन उधार देना कांग्रेस के लिए हानिकारक	07.03.2009
4.	याचिकाकर्ता और माननीय मुख्य मंत्री विलासराव के पुतले जलाना	10.03.2009

दिनांक 22/09/2009 के कारण बताओ नोटिस के उत्तर में प्रतिवादी संपादक, प्रश्नकाल ने दिनांक 29/10/2009 को अपनी प्राथमिक आपत्ति दायर की है और प्राथमिक आपत्ति के निर्णय के बाद ही विस्तृत उत्तर दाखिल करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है। यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक आपत्तियों को बनाए नहीं रखा जा सकता। मामले के गुणों के आधार पर लिखित वक्तव्य मांगा गया था, जो दाखिल नहीं किया गया।

जांच समिति ने दिनांक 27/04/2012 को पुणे में इस मामले पर विचार किया। श्री रमेश भट्टड, एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुआ। चूंकि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ और उसने कोई पत्र भी नहीं भेजा, अतः जांच समिति ने परिषद् से इस शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद इस शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

76) श्री सुनिल मधुसुदन गोलकोंडा
अध्यक्ष दॅ बर्शी सिटी
गोल्डस्मिथ एसोसिएशन
बर्शी सोलापुर (महाराष्ट्र)

बनाम

संपादक,
बर्शी उदय, सोलापुर (महाराष्ट्र)

अधिनिर्णय

यह शिकायत श्री सुनील मधुसुदन, गोलकोंडा, अध्यक्ष, दॅ बर्शी सिटी गोल्डस्मिथ एसोसिएशन, बर्शी, सोलापुर (महाराष्ट्र) द्वारा इसके अध्यक्ष श्री चेतन कोठारी की ओर से संपादक, बर्शी उदय, सोलापुर (महाराष्ट्र) के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें निम्नलिखित झूठे, तुच्छ, मानहानिकारक और आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है

क्रम सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	तस्करी का सोना खरीदने वाला ज्वैलर : चेतन कोठारी ने विधायक बनने का सपना देखा	06.07.2009
2.	चेतन कोठारी भले ही तुम बेईमानी के धन से कई काल्पनिक कार्य कर लो, लेकिन मैं तुम्हें जनता के सामने उजागर करने से नहीं चूकूंगा।	16.07.2009
3.	बर्शी के साधारण और अनुभवहीन कारीगर : चेतन कोठारी	23.02.2009/2008

इन आक्षेपित समाचारों में यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता चुराए गए सोने का कारोबार करता है, चोरों को अपने घर में शरण देता है और लुटेरों के गिरोह का साथ देता है। यह भी आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता जेवरात बाजार में बहुत बेकार है और वह काला धन बना रहा है और उसे चोरी के सोने की खरीद में रंगे हाथों पकड़ा गया। यह भी आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता, जो तस्करी के सोने का खरीदार है, विधायक बनने का सपना देखता है और बर्शी शहर के लोग उसे भ्रष्ट और बेशर्म समुदाय का प्रतिनिधि मानते हैं। इस आक्षेपित समाचार में शिकायतकर्ता को ब्लैक मार्किटिंग विशेषज्ञ कारोबारी के रूप में बताया गया है जो बेईमानी के तरीकों, कपटपूर्ण व्यवहार और लाभकारी लेन-देन से पैसा कमाता रहा है।

उपर्युक्त समाचार में लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हुए शिकायतकर्ता एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि श्री कोठारी महाराष्ट्र में वर्ष 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार थे और उसके अनुसार उपर्युक्त समाचार पेड न्यूज था और लोगों की नजरों में उसकी छवि गिराने के लिए प्रकाशित किया गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि पहले उन्होंने एसडीओ, सोलापुर के पास शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने प्रतिवादी को ऐसे आचरण के लिए चेतावनी दी। लेकिन वह एसडीओ, सोलापुर के निर्णय से संतुष्ट नहीं था। शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया है कि दिनांक 01/06/2009 को एक कानूनी नोटिस प्रतिवादी को जारी किया गया था, लेकिन उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

प्रतिवादी संपादक, बर्शी उदय ने दिनांक 16/03/2011 के अपने लिखित वक्तव्य में कहा है कि यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि वह झूठी, बेबुनियाद और निरर्थक है। प्रतिवादी ने कहा कि यह शिकायत चेतन कोठारी के अपने दुष्कर्मों और गलत कार्यों को छिपाने के लिए दायर की गई है। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि उसने लोगों के सामने सत्य लाकर अपने पत्रकारिता संबंधी दायित्वों का निष्पादन किया है। प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने उसके खिलाफ मुआवजे के लिए सिविल मुकदमा भी दायर किया है और न्यायालय के समक्ष मामला लंबित न होने के बारे में एक झूठी घोषणा भी दाखिल की है।

जांच समिति ने दिनांक 27/04/2012 को पुणे में इस मामले पर विचार किया और शिकायतकर्ता श्री सुनील मधुसुदन और प्रतिवादी संपादक श्री अप्पासाहिब बालकृष्ण पवार की सुनवाई की। जांच समिति ने शिकायतकर्ता के खिलाफ शिकायत में प्रयोग की गई गाली-गलौच की भाषा पर बहुत चिंता जताई। मुआवजे के लिए मुकदमे के लंबित रहने की बात को ध्यान में रखते हुए इन आरोपों के गुण-दोष पर विचार किए बिना जांच समिति ने संपादक, बर्शी उदय की समाचार में अनैतिक और गाली-गलौजपूर्ण रिपोर्टिंग के लिए भर्त्सना करने और उसे चेतावनी देने का निर्णय किया कि भविष्य में वह ऐसी भाषा का प्रयोग न करे।

प्रेस परिषद् इस मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों और समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है और मामले को बंद करने का निर्णय लेती है।

77) श्री क्वारी मोहम्मद शहनवाज, कादरी रिजवी, थाणे, महाराष्ट्र *बनाम* **संपादक, एक और जंग, उलहासनगर, महाराष्ट्र**

अधिनिर्णय

दिनांक 05/07/2010 की यह शिकायत श्री क्वारी मोहम्मद शहनवाज कादरी रिजवी, थाणे, महाराष्ट्र द्वारा उल्हासनगर, महाराष्ट्र के 'एक और जंग' नामक समाचारपत्र के खिलाफ दायर की गई है जिसमें इसके विभिन्न अंकों में प्रकाशित झूठी और मानहानिकारक समाचार को प्रकाशित करने का आरोप लगाया है जिनके शीर्षकों का अनुवाद नीचे दिया जा रहा है:

क्रम सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	मदरसा के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला	05.03.2010
2.	चोर का साथी गिरहकट	12.03.2010
3.	महासचिव द्वारा अन्य अधिकारियों को धमकी	15.03.2010
4.	शाहनवाज शाह कब सलाखों के पीछे होंगे	17.03.2010

5.	शाहनवाज शाह कानूनी कार्रवाई से कब तक बचते रहेंगे	18.03.2010
6.	मुस्लिम समाज के लोग घोटाले बाज शाह नवाज शाह से नाराज	19.03.2010

जांच समिति ने दिनांक 27.04.2012 को पुणे में इस मामले की सुनवाई की। शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुआ और श्री समशीद एम अली, संपादक एक ओर जंग प्रतिवादी की ओर से समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। इन पक्षकारों ने सूचित किया कि इस मामले को आपसी सुलह से सुलझा दिया गया है और इस शिकायत को वापस ली गई माना जाए। जांच समिति ने इस शिकायत को वापस लेने की अनुमति दी।

प्रेस परिषद् ने मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मामले पर तदनुसार, कार्रवाई की।

78) श्री संजय सान्याल,
एजीएम (एचआर),
न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ
इंडिया लि., थाणे, महाराष्ट्र

बनाम

संपादक,
जगत भारती, बॉयसर,
थाणे महाराष्ट्र

अधिनिर्णय

दिनांक 31/12/2010 की यह शिकायत श्री संजय सान्याल, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन), न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिला थाणे द्वारा संपादक जगत भारती, बॉयसर के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें इस पत्र के 17-23 दिसंबर, 2010 के अंकों में 'एनपीसीआईएल में 100 करोड़ रुपए का एलटीसी घोटाला' शीर्षक से झूठा, निराधार और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है। परिषद् के दिनांक 09.03.2011 के कारण बताओ नोटिस के उत्तर में प्रतिवादी ने आरोपों से इनकार करते हुए दिनांक 25.03.2011 के अपने बिंदु-वार लिखित वक्तव्य के जरिए निवेदन किया है कि आक्षेपित समाचार सही है और शिकायतकर्ता तथ्यों को छिपाने का प्रयास कर रहा है।

जांच समिति ने दिनांक 27/04/2012 को पुणे में इस मामले पर विचार किया। चूंकि कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए जांच समिति ने परिषद् से गैर-अभियोजन के कारण इस शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की है।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और तदनुसार, निर्णय लिया।

79) सुश्री आइरीन धर मलिक *बनाम* **संपादक,**
मुंबई **मुंबई मिरर, मुंबई**

अधिनिर्णय

दिनांक 25/01/2011 की यह शिकायत सुश्री आइरीन धर मलिक, मुंबई द्वारा संपादक, मुंबई मिरर के खिलाफ दायर की गई है। इस पत्रिका पर आरोप लगाया गया है कि उसने अपने दिनांक 15/01/2011 के अंक में 'एक्टर्स स्लर ऑन गे फिल्ममेकर स्टर्स बॉलीवुड' शीर्ष के अधीन एक निंदनीय कहानी प्रकाशित की गई थी। इस समाचार में बताया गया था कि महत्त्वाकांक्षी युवा एक्टर जिसने हाल ही में समलैंगिक प्यार की थीम पर आधारित फिल्म में कार्य किया था, ने आरोप लगाया है कि उसके साथ फिल्म निदेशक ओनिर ने छेड़छाड़ की थी। यह भी बताया गया कि निदेशक ने सशक्त तरीके से इस आरोप से इनकार किया और ऐसे कारण बताए कि उसका एक्टर के साथ मिलन पारस्परिक सहमति से हुआ था।

शिकायतकर्ता, जो निदेशक की बहन है, ने आरोप लगाया है कि यह समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया के अन्य संस्करणों द्वारा पीत पत्रकारिता के संवेदनशील भाग के रूप में प्रकाशित किया गया है और अन्य समाचारपत्रों ने भी इसे प्रकाशित किया है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि लोकप्रिय एक्टर जिसने ओनिर पर अपने साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है, को चाहिए था कि वह पुलिस से संपर्क करता न कि पत्रिका से और रिपोर्टर (भारती दूबे) को चाहिए था कि वह मुख पृष्ठ पर इस कहानी को प्रकाशित नहीं करता। इस प्रकार उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है, वह व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही नुकसानदायक है और इसके जरिए पत्रकारिता की नैतिकता का भारी उल्लंघन किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, यह मामला तब और भी जटिल हो गया जबकि आरोपी व्यक्ति लैंगिक अल्पसंख्यक समाज का था और उसके लिए इसके खिलाफ लड़ना या अपना बचाव करना बहुत मुश्किल था। चूंकि कानून विधिमान्य होने के कारण उसकी कामुकता का संज्ञान नहीं लेता है। इसके कारण उसको भारी सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ा और सत्ता में काबिज अनैतिक तत्त्वों द्वारा उसे लक्ष्य बनाए जाने के लिए वह बहुत संवेदनशील है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा ओनिर को बिना किसी शर्त के माफीनामा लिखने के बाद और इस आरोप को वापस लेने के बाद मुंबई मिरर ने पिछले लेख के बारे में खेद प्रकट नहीं किया और ओनिर तथा उसके परिवार को बहुत क्षति पहुंचाई। शिकायतकर्ता ने 17, 22 और 28 जनवरी, 2011 के ई-मेल के जरिए प्रतिवादी संपादक का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने परिषद् से अनुरोध किया है कि वह इस मामले में कार्रवाई करे।

जांच समिति ने दिनांक 27/04/2012 को पुणे में इस मामले पर विचार किया। चूंकि कोई भी अपने मामले पर बल देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ, अतः जांच समिति ने गैर-अभियोजन के कारण इस शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और तदनुसार, निर्णय लिया।

80) श्री ओम प्रकाश
सचिव सूचना प्रौद्योगिकी,
ग्रामीण विकास पंचायती राज और सहकारिता
सिविल सचिवालय देहरादून, उत्तराखंड

बनाम

संपादक
शिवालिक ब्लिट्ज
देहरादून
उत्तराखंड

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 11.05.2009 श्री ओम प्रकाश, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और सहकारिता, उत्तराखंड सरकार द्वारा संपादक, शिवालिक ब्लिट्ज, देहरादून में कथित झूठा, बेबुनियाद और अवमाननापूर्ण निम्नलिखित समाचार प्रकाशित करने के आरोप में की गई है।

संख्या	शीर्षक (हिन्दी अनुवाद)	दिनांक
1	ब्लिट्ज का सनसनीखेज खुलासा। सतर्कता को चुनौती। कृषि निदेशालय में करोड़ों का घोटाला। पूर्व कृषि सचिव ओम प्रकाश और वैयक्तिक सचिव कपूर की प्रश्रय देने में मुख्य भूमिका	2.4.2009
2	सतर्कता जांच से बचने का उद्देश्य	2.4.2009
3	कृषि निदेशक के बिचौलिये ने प्रेस संवाददाता को भ्रष्ट कहा शिवालिक ब्लिट्ज को रिश्वत देने का असफल प्रयास	9.4.2009
4	कृषि निदेशालय में बढ़ता भ्रष्टाचार	9.4.2009

आक्षेपित समाचारों में आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता जब कृषि सचिव के पद पर कार्यरत थे, भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त थे और अपने वैयक्तिक सचिव श्री कपूर के साथ किन्हीं डी.के. शर्मा को जमानत देकर छुड़ाया था जो लाखों रुपयों की खरीद के आरोपी थे। उन पर अक्षम, भ्रष्ट, अनैतिक होने और रिश्वत व कमीशन लेने के आरोप थे। आक्षेपित समाचारों में यह भी कहा गया कि समाचार पत्र द्वारा जांच किये जाने के दौरान तथ्यों का पता लगा कि कृषि निदेशक श्री मदन लाल और कृषि सचिव श्री ओम प्रकाश, शिकायतकर्ता ने 41 लाख रु. की भारी धोखाधड़ी की और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस मामले में कोई जांच पड़ताल नहीं की गई।

आरोपों का खंडन करते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचारों में लगाये गए आरोप पूरी तरह झूठे, शरारतपूर्ण, अवमानना पूर्ण और अपमानजनक हैं जिन्हें बिना किसी आधार के प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि न तो ऐसा कोई घोटाला हुआ और न ही उन्होंने किसी घोटालेबाज को प्रश्रय दिया या अपने वैयक्तिक सचिव की सहायता से कुछ अनुचित काम किया।

कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.11.2009 के उत्तर में, मुख्य संपादक, शिवालिक ब्लिट्ज, देहरादून ने अपने लिखित बयान दिनांक 3.12.2009 में उल्लेख किया कि विचाराधीन

समाचार प्रकाशित करने से पहले, पूरे मामले की जांच की गई थी और आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करके तथ्यों का पुनर्सत्यापन किया गया जिसकी पुष्टि विभागीय अधिकारी, श्री डी.के. शर्मा द्वारा भी की गई। उसने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने के इरादे के बिना सार्वजनिक हित में प्रकाशित किये गए थे। कानूनी नोटिस दिनांक 11.5.2009 में लगाये गये सभी आरोपों का उत्तर दिनांक 28.5.2009 पत्र में दिया गया और अनुच्छेद-वार आरोपों का खंडन किया गया। प्रतिवादी ने पुनः पुष्टि की, कि विचाराधीन समाचार विश्वसनीय स्रोतों और दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है जो शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाने के इरादे से प्रकाशित नहीं किये गये। वे शिकायतकर्ता के बयान को प्रकाशित करने को सहमत हैं यदि प्राधिकृत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ अपना स्पष्टीकरण भेजे। प्रतिवादी ने प्रकाशित सामग्री के सत्यापन के लिये प्राप्त विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत कीं और उल्लेख किया कि इनसे सिद्ध होता है कि समाचार मात्र सुने हुए पर आधारित नहीं थे।

प्रतिवादी संपादक, ने अपने पत्र दिनांक 20.3.2010 में मामले की प्रगति के बारे में जानकारी मांगी क्योंकि उसे केवल मौखिक रूप से बताया गया था कि शिकायतकर्ता मामले में आगे कार्रवाई करना नहीं चाहता है।

प्रतिवादी से प्राप्त सभी उत्तरों की प्रतियां शिकायतकर्ता को दिनांक 15.12.2009 और 5.4.2010 को सूचनार्थ भेज दी गई।

प्रथम स्थगन

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 27.4.2010 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जब दोनों पक्ष उपस्थित थे। शिकायतकर्ता के एडवोकेट ने कहा कि आक्षेपित समाचार शिकायतकर्ता के चरित्र का हनन करने के लिये प्रकाशित किया गया जो एक बहुत ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और जिन्होंने देहरादून में जिलाधीश के रूप में भी कार्य किया। एडवोकेट ने कहा कि लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत शिकायत मदन लाल के विरूद्ध थी न कि उसके मुवक्किल के विरूद्ध थी लेकिन समाचार पत्र ने शिकायतकर्ता पर भ्रष्टाचार और 41 करोड़ रु. के घोटाले के आरोप यह कहते हुए मढ़ दिये कि शिकायतकर्ता सचिव, कृषि इन घोटालों को अपने सामने होते हुए देखकर भी चुप थे।

प्रतिवादी संपादक ने अपने मौखिक बयान में कहा कि शिकायतकर्ता लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में सह-आरोपी था और उसने अपने विरूद्ध जांच के बारे में उच्च न्यायालय से रोक लगवा दी थी। प्रतिवादी के अनुसार, यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है और परिषद् को जांच करने से रोक दिया गया।

जांच समिति ने पाया कि दोनों पक्षों ने पेशी के समय अपने बयानों के प्रमाण में दस्तावेज प्रस्तुत किये और दोनों को उनके कथनों का उत्तर देने से वंचित होना पड़ा। जांच समिति ने दोनों पक्षों को दस्तावेजों को एक दूसरे को देने का और अपना पक्ष एक पखवाड़े में प्रस्तुत करने का निदेश दिया। सुनवाई स्थगित कर दी गई।

प्रतिवादी संपादक ने अपने उत्तर दिनांक 6.5.2010 में अपने मौखिक बयान का पुनः उल्लेख किया और लोकायुक्त देहरादून के पत्र दिनांक 21.10.2009 और निदेशक, कृषि जो लोकायुक्त, देहरादून को भेजा गया था, के पत्र दिनांक 3.10.2009 और उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल की रोक लगाने के आदेश दिनांक 11.1.2008 की प्रतियां प्रस्तुत कीं। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है और परिषद् शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती है।

28.7.2010, 22.11.2010, 18.8.2011 और 30.1.2012 के चार स्थगनों के बाद, यह मामला चंड़ीगढ़ में दिनांक 13.8.2012 को जांच समिति के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। श्री एस.के. गुप्ता, एडवोकेट शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत हुए। प्रतिवादी ने अस्वस्थ होने के कारण पेश होने से छूट मांग ली थी तथा जांच समिति के निदेशों का अनुपालन करने में अपनी असमर्थता जाहिर की थी।

शिकायतकर्ता के एडवोकेट ने उल्लेख किया कि यह आरोप 'कि जब शिकायतकर्ता कृषि सचिव के पद पर कार्यरत था, भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त था और भारी रकम की घोखाधड़ी की,' पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद है। समिति ने शिकायतकर्ता के बयान को सुनने के बाद और केस पर विचार करने के बाद पाया कि रिकार्ड में शिकायतकर्ता के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के सबूत में कोई प्रमाण परिषद् को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव समिति ने परिषद् से सिफारिश की, कि ऐसे लापरवाही पूर्ण और अपमानजनक समाचारों के लिये प्रतिवादी की परिनिंदा की जाए।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के कारणों और रिपोर्ट को स्वीकर कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

81) कर्नल संजय दीक्षित
कर्नल जनरल स्टाफ
उत्तरी कमान जीएस (आईडब्ल्यू)
मार्फत 56 एपीओ

श्री के. स्कन्दन
संयुक्त सचिव (के)
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली

बनाम

संपादक
कश्मीर टाइम्स
जम्मू (जम्मू-कश्मीर)

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 19.7.2010 कर्नल संजय दीक्षित, कर्नल जनरल स्टाफ, उत्तरी कमान जीएस (आईडब्ल्यू), मार्फत 56 एपीओ द्वारा कश्मीर टाइम्स, जम्मू, श्रीनगर के विरूद्ध उनके समाचार पत्र दिनांक 30.6.2010 में शीर्षक ''भारतीय सेना पाकिस्तान की राह पर'' (हिन्दी अनुवाद) से प्रकाशित सनसनीखेज, शरारती और भड़काऊ समाचार के विरोध में दायर की गई है।

शिकायतकर्ता ने अपने एक दूसरे पत्र दिनांक 9.9.2010 में यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने अपने समाचार पत्र दिनांक 1.9.2010, 6.10.2010 और 12 व 13.10.2010 में पुनः शीर्षकों 'भारत की नृशंसता ने कश्मीर को एक साक्षात नरक बनाया', 'कश्मीर की रक्त रंजित सड़कें बोल रही हैं' और 'लोकतंत्र कश्मीर स्टाइल । और ।।' के तहत विकृत समाचार प्रकाशित किये।

श्री के. स्कन्दन, संयुक्त सचिव (के), गृह मंत्रालय ने अपनी शिकायत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से दिनांक 4.10.2010 को संपादक, कश्मीर टाइम्स के विरूद्ध उनके समाचार पत्र के दिनांक 1.9.2010 के अंक में प्रकाशित कथित झूठे और अवमाननापूर्ण समाचार के आरोप में दायर की, समाचार में सरकार द्वारा राज्य में दूरभाष, इंटरनेट और अन्य सेवाओं पर लगाये गए प्रतिबंध पर सीघे हमला किया गया है। इसमें सरकार बर्बरता पूर्ण होने और व्यावसायिक बल होने का आरोप लगाया गया है।

शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति किया गया समाचार इस प्रकार है :

''इस राज्य में सेनाओं ने सैकड़ों औरतों से बलात्कार किया, हजारों लोगों को मार दिया और बहुत से मामलों में वे शक्तियों के हाथों के औजार मात्र हैं, ये सब एएफएसपीए के तहत दिये संरक्षण के कारण है। सभ्य समाज में एएफएसपीए का कोई स्थान नहीं है और उसे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी सेना इसे अपना पवित्र ग्रंथ मानती है।'' (हिन्दी अनुवाद)

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि समाचार सनसनीखेज, शरारती और भड़काऊ है तथा सेना पर लगाये गये आरोप पूरी तरह झूठे हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार ने सचाई से कोसों दूर होते हुए भारतीय सेना की व्यावसायिक प्रतिष्ठा को भारी क्षति पहुंचाई है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी, कश्मीर टाइम्स कार्यपालिका और सेना के बीच मतभेद पैदा करना चाहता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, लेफ्टिनेन्ट जनरल बी.एस. जसवाल, पीवीएसएम, एवीएसएम**, वीएसएम, जीओसी-इन-सी उत्तरी कमान का फोटोग्राफ प्रतिवादी के समाचार पत्र में प्रकाशित करके गलत संदेश दे रहा है। उनका पदनाम भी सेना कमांडर उत्तरी कमान के बजाय कोर कमांडर गलत प्रकाशित किया गया। प्रकाशित समाचार विकृत तथ्यों के साथ दुर्भावना पूर्ण है और भारतीय सेना की प्रतिकूल छवि प्रदर्शित की गई। लेख का संकेत, भावना और भाषा भड़काऊ है। यह राष्ट्र विरोधी भावनाओं को महिमा मंडित और प्रोत्साहित करता है और विद्रोही प्रकृति का है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि श्रीनगर में कानून और व्यवस्था बहाल करने में भारतीय सेना कोई भूमिका नहीं निभा रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने अपनी एक शिकायत प्रतिवादी संपादक, कश्मीर टाइम्स, जम्मू श्रीनगर को दिनांक 30.6.2010 और पुनः 2.9.2010 को जन संपर्क अधिकारी के माध्यम से भेजी थी किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

dkbZ fyf[kr c;ku ugh

एक कारण बताओ नोटिस प्रतिवादी संपादक, कश्मीर टाइम्स को दिनांक 1.9.2010 को भेजा गया, बाद में एक अन्य पत्र दिनांक 20.10.2010 भेजकर अपना एक समेकित लिखित बयान भेजने के लिये सूचित किया गया किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

दिनांक 23.11.2010, 8.8.2011 और 30.1.2012 को तीन स्थगनों के बाद यह मामला चंडीगढ़ में जांच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिये दिनांक 13.8.2012 को प्रस्तुत किया गया। कर्नल एस.एन. डाल्वी, कर्नल जीएस (आईडब्ल्यू), उत्तरी कमान मुख्यालय शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित हुए। प्रतिवादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।

कर्नल एस.एन. दल्वी ने अपनी आपत्तियों को दोहराया। समिति ने प्रकाशित समाचार को पढ़ा और पाया कि उत्तरी कमान मुख्यालय द्वारा समाचार पत्र कश्मीर टाइम्स के विरूद्ध तीन शिकायतें भेजी गईं। नोटिस भेजे गये लेकिन कोई भी लिखित या मौखिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। समिति ने प्रकाशनों को भारतीय सेना द्वारा निभाई ड्यूटी के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक आपत्तिजनक पाया। शीर्षक 'भारतीय सेना पाकिस्तान की राह पर' दर्शाता है कि सेनाओं ने सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार किया, हजारों लोगों की हत्या की और अनेक मामलों में कुछ एक को गयाब करने में यंत्रबद्ध काम करती है, ये सब एएफएसपीए के तहत संरक्षण प्राप्त होने से हो रहा है। सभ्य समाज में एएफएसपीए का कोई स्थान नहीं है और इसे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी सेना इसे पवित्र ग्रंथ मानती है।' दूसरा समाचार 'पवित्र ग्रंथ', 'पवित्र युद्ध' और 'पवित्र लोग' को दर्शाता है। तीसरा समाचार शीर्षक 'भारत की नृशंसता ने कश्मीर को एक साक्षात नरक बनाया' से प्रकाशित किया गया। इन समाचारों में अनेकों आरोप लगाये गये हैं किंतु किसी का भी कोई आधार नहीं दिया गया। समिति ने पाया कि प्रतिवादी द्वारा समाचार पत्र में अस्वीकरण प्रकाशित कर दिया गया कि इन प्रकाशनों में व्यक्त विचार संपादक के नहीं बल्कि लेखक के हैं। समिति ने निर्णय दिया कि इस प्रकार से झूठी और बनावटी सामग्री किसी के विरूद्ध प्रकाशित कर देना बचाव का कोई औचित्य नहीं होता है, देश की सेनाओं को क्षति हुई। पीआरबी अधिनियम 1867 की धारा 7 के तहत, संपादक प्रकाशित सामग्री के लिये उत्तरदायी होता है और इस कारण वह जिम्मेदारी को समाचार पत्र के किसी अंशदानी पर नहीं डाल सकता है। इस परिस्थितियों में, समिति ने परिषद् से सिफारिश की, कि वह प्रतिवादी को 'परिनिदां' का दंड दे और भविष्य में उन्हें सावधानी सुनिश्चित करने के लिये निदेश दे।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

82) कर्नल सुशील मान *बनाम* **संपादक**
कर्नल जनरल स्टाफ **कश्मीर टाइम्स, जम्मू**
उत्तरी कमान (आईडब्ल्यू)

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 28.10.2010 कर्नल सुशील मान, कर्नल जनरल स्टाफ, उत्तरी कमान द्वारा संपादक, कश्मीर टाइम्स, जम्मू के विरूद्ध उनके समाचार पत्र दिनांक 12 और 13

अक्तूबर, .2010 में शीर्षक ''लोकतंत्र कश्मीर स्टाइल - I व II'' व उप-शीर्षक 'सशत्र सेना विशेष शक्ति अधिनियम (एएफएसपीए), कश्मीर में सेनाओं की कार्य प्रणाली, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र द्वारा अनुमोदित मानव इतिहास में सर्वाधिक कठोर कानून' और 'एएफएसपीए के विरूद्ध प्रस्तुत एक केस' प्रकाशित कथित सनसनीखेज, शरारतपूर्ण, भड़काऊ समाचार के विरोध में दायर की गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, समाचार सत्य से दूर और भारतीय सेना की व्यावसायिक प्रतिष्ठा को गहरी क्षति पहुंचाने वाला है और साथ ही कार्यपालिका और सेना के बीच द्वेष पैदा करने वाला है। आक्षेपित समाचार में यह उल्लेख किया गया कि कश्मीर जिसे कभी पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता था, अब वहां लगभग 7 मिलियन आबादी वाले कश्मीर में एएफएसपीए के दुष्प्रवृति वाले कामी 7 लाख सैनिक तैनात हैं, सेनाओं का यह प्रशिक्षण स्थल बन गया है और जो भारत में बढ़ती जनसंख्या की समस्या को और विकट बना रहा है। कानूनविदों के अनुसार, मनुष्यों द्वारा बनाया यह अब तक का सबसे कठोर कानून है, एएफएसपीए में वैश्विक घोषणा के अनुसार, सभी मानवाधिकारों और सिविल व राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय घोषणाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले दो दशकों से कश्मीर में चल रही कार्रवाई में, एएफएसपीए द्वारा सेनाओं को अपने निर्णयानुसार किसी को भी मारने, गिरफ्तार करने, प्रताड़ित करने और मनमर्जी करने के लिये बिना अनुमति के घरों में घुसने का लाइसेंस दिया गया है। मानवाधिकार वॉच ग्रुप द्वारा इसे दमनकारी व भेदभाव करने वाला राज्य का हथियार बताया गया है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल द्वारा इसे एक ऐसा कानून बताया गया जो सभी मानवाधिकारों का हनन करता है।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि समाचार सनसनीखेज, शरारतपूर्ण, भड़काऊ है तथा सेना पर लगाये आरोप सरासर झूठे हैं। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 15.10.2010 में प्रतिवादी संपादक से एक स्पष्टीकरण प्रकाशित करने का अनुरोध किया था किंतु प्रतिवादी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

यह मामला चंडीगढ़ में दिनांक 13.8.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। कर्नल एन.एन. दल्वी, जीएस (आईडब्ल्यू), उत्तरी कमान मुख्यालय शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित हुए। प्रतिवादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।

शिकायतकर्ता ने समिति को बताया कि आक्षेपित समाचार प्रकाशित करने के लिये कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और इस प्रकार के समाचारों से भारतीय सेना की छवि धूमिल होती है। उसने यह भी उल्लेख किया कि इन सभी समाचारों में अनेक आरोप लगाये गये हैं किंतु किसी का भी कोई ठोस आधार नहीं है। संपादक का तर्क था कि ये प्रकाशन संपादक के विचार नहीं थे किंतु लेखक पीआरबी अधिनियम की धारा 7 के तहत जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है, संपादक किसी भी प्रकाशन के लिये उत्तरदायी होता है।

समिति ने शिकायतकर्ता का बयान सुनने और उनके अनुरोध पर विचार करने के बाद मत व्यक्त किया कि समाचार प्रथम दृष्टया भड़काऊ है, संपादक भारतीय सेना के प्रति अपनी जिम्मेदारी से इंकार नहीं कर सकता है। इन परिस्थितियों में, समिति ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी की आक्षेपित समाचार प्रकाशित करने के लिये प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 14 के तहत परिनिंदा की जाए और परिषद् से इसकी सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और कश्मीर टाइम्स की परिनिंदा करने का निर्णय लिया।

83) श्री अमरीक सिंह
डीआईजी (सेवानिवृत्त)
मोगा, पंजाब

बनाम

संपादक
दि ट्रिब्यून
चंडीगढ़

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 17.8.2009 श्री अमरीक सिंह, डीआईजी (सेवानिवृत्त), मोगा, पंजाब, द्वारा संपादक, दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़ के विरूद्ध उनके समाचार पत्र दिनांक 14.8.2009 में शीर्षक 'कभी व्यापार का केन्द्र गांव, अब अतिक्रमण करने वालों का स्वर्ग' (हिन्दी अनुवाद) से प्रकाशित झूठे, गलत और भ्रामक समाचार के विरोध में दायर की गई है, समाचार मे कहा गया है कि अनेक बाहुबलियों और प्रभावशाली व्यक्तियों ने सालीन गांव, मोगा जिला, पंजाब में गैर कानूनी ढंग से भूमि हथिया ली है।आक्षेपित समाचार में यह भी कहा गया है कि गुरशरणवीर सिंह और हरशरणवीर सिंह, दोनों शिकायतकर्ता के पुत्रों, ने क्रमशः 60 कैनाल और 176 कैनाल चरागाह की जमीन पर कब्जा कर लिया है।

सभी आरोपों से इंकार करते हुए शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसका उस भूमि पर कानूनी कब्जा है और उसके पास सभी संबंधित दस्तावेज और सभी राजस्व प्राधिकारियों के आदेश उपलब्ध हैं और माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के भी आदेश मौजूद हैं जो उस भूमि पर उनका कानूनी और हकदारितापूर्ण स्वामित्व सिद्ध करते हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि रिपोर्टर ने आरोपों की पुष्टि करने के लिये उससे कभी सम्पर्क नहीं किया और समाचार पत्र में पूरी तरह गलत तथ्य दे दिये। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी, दि ट्रिब्यून को दिनांक 17.8.2009 को पत्र लिखा था लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें अतिक्रमणी बता कर यह समाचार समाज में उनके परिवार की छवि धूमिल करने के लिये ही प्रकाशित किया गया।

प्रतिवादी संपादक ने अपने लिखित बयान दिनांक 17.7.2012 में उल्लेख किया कि समाचार स्थानीय तहसीलदार द्वारा उपायुक्त को दिनांक 8.8.2009 को प्रस्तुत की गई शासकीय रिपोर्ट पर आधारित है। जब प्रतिवादी संवाददाता ने शिकायतकर्ता के बेटों का बयान

लेने की कोशिश की थी तो उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के बजाय मामले को भूल जाने के लिये कहा। प्रतिवादी मुख्य संपादक ने भी उल्लेख किया कि पूरा समाचार रिपोर्ट पर आधारित है और लेखक या संपादक की ओर से शिकायतकर्ता या उसके बेटों या किसी अन्य की छवि धूमिल करने का यह जानबूझकर किया गया कोई प्रयास नहीं है। प्रतिवादी ने परिषद् से अनुरोध किया कि शिकायत में उल्लिखित आरोप बेबुनियाद हैं और परिषद् से उसे सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

यह मामला चंडीगढ़ में दिनांक 13.8.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। शिकायतकर्ता श्री अमरीक सिंह, डीआईजी अपने एडवोकेट श्री एच. एस. हुंडल के साथ प्रस्तुत हुआ। श्री अमित शर्मा, उप प्रबंधक, विधिक, दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़ प्रतिवादी की ओर से पेश हुआ।

प्रतिवादी के परामर्शदाता ने बयान दिया कि उन्होंने पटवारी द्वारा दिये गये दस्तावेजों और सरकारी बयान पर विश्वास किया। शिकायतकर्ता की ओर से, यह तर्क दिया गया कि वह भूमि वर्ष 1991 में खरीदी गई थी लेकिन समाचार पत्र ने 1982 में दिये एक निर्णय के आधार पर गलत समाचार प्रकाशित कर दिया। समिति ने शिकायतकर्ता से जमीन का बिक्री विलेख प्रस्तुत करने के लिये कहा। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने उच्च न्यायालय के आदेशों की एक प्रति प्रतिवादी को उपलब्ध करा दी थी, बिक्री विलेख नहीं। यह बताया गया कि वे जमीन के मालिक हैं न कि अवैध कब्जाधारी।

समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद शिकायतकर्ता को बिक्री विलेख की प्रति प्रतिवादी संपादक को भेजने का निदेश दिया जो उसकी सत्यता की जांच करने के बाद स्पष्टीकरण प्रकाशित करे। इस टिप्पणी के साथ समिति ने परिषद् से मामले को बंद करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

84) श्री संजीव चतुर्वेदी, आईएफएस मंडल वन अधिकारी (पं) हिसार हरियाणा *बनाम* **संपादक, दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 2.2.2012 श्री संजीव चतुर्वेदी, आईएफएस, मंडल वन अधिकारी (पी), हिसार, हरियाणा द्वारा संपादक, दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़ के विरूद्ध उनके समाचार पत्र में दिनांक 16.1.2012 के शीर्षक 'राज्य द्वारा सीबीआई जांच की संभावना नहीं' (हिन्दी अनुवाद)

कथित अवमाननापूर्ण और विकृत समाचार प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में यह कहा गया है कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की संभावना नहीं है और तब भारतीय वन सेवा अधिकारी, श्री संजीव चतुर्वेदी द्वारा कुछ परियोजनाओं की निधियों में अनियमितताओं और गबन के लगाये आरोपों के बारे में सीबीआई द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने चतुर्वेदी द्वारा लगाये आरोपों की जांच कराई। जांच रिपोर्ट में चतुर्वेदी के आरोप सही पाये गए और उनके विरूद्ध चार्जशीट निरस्त कर दी। यद्यपि, राज्य सरकार ने रिपोर्ट अस्वीकार कर दी थी और मंत्रालय से मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था ..... चतुर्वेदी ने नहर निर्माण के लिये, जो राज्य सरकार की एक प्रतिष्ठित परियोजना थी, वाहनों की आवाजाही पर इस आधार पर रोक लगा दी कि यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। इस मुद्दे पर सीईसी द्वारा भी विचार किया गया जिसने किसी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की ..... चतुर्वेदी ने मामले पर ठीक प्रकार और कानूनी दृष्टि से विचार किये बिना अपना निष्कर्ष निकाल लिया कि भूमि निजी है और काम रोक दिया .... सीईसी ने इस मामले में कोई अनियमितता नहीं पाई..... प्रथम जांच पड़ताल के बाद 40 कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया ..... चतुर्वेदी ने भी झझर में वनीकरण कार्यक्रम के तहत 42.14 लाख रु. खर्च किये थे जब वह वहां उप वन अधिकारी के रूप में नियुक्त थे। उन्होंने कहा कि विभाग ने सरकार से उनके तथा एक अन्य उप वन अधिकारी श्री एम. एस. मलिक के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये कहा।

आरोपों का खंडन करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचार न केवल अति अवमाननापूर्ण है बल्कि विकृत तथ्यों से भरपूर है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसकी नौ वर्ष की सेवावधि में, उसने राज्य के उच्च और शक्तिशाली लोगों द्वारा गंभीर रूप से सताये जाने के बावजूद भी राज्य के सर्वोच्च हित में अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया, उसने 5.5 करोड़ रु. के लक्षित राजस्व के स्थान पर 9 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया। उसकी ईमानदारी और समर्पण के लिये, उसे पिछले वर्षों में अनेक पुरस्कार प्रदान किये गये। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचार से उसकी प्रतिष्ठा को भारी क्षति हुई और प्रतिवादी/संबंधित संवाद्दाता ने आक्षेपित समाचार प्रकाशित करने से पहले उसका बयान लेना भी उचित नहीं समझा। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित संवाददाता श्री योगिन्दर गुप्ता ने उसके खिलाफ पहले भी एक ऐसा ही अपमानजनक समाचार प्रकाशित किया था। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने मुख्य संपादक, दि ट्रिब्यून को एक स्पष्टीकरण दिनांक 16.1.2012 को भेजा था लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 15.3.2012 के उत्तर में प्रतिवादी मुख्य संपादक, दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़ ने अपने लिखित बयान दिनांक 6.4.2012 में उल्लेख किया कि समाचार पत्र में दिनांक 16 जनवरी, 2012 को प्रकाशित समाचार पत्रकारिता के आदर्शों के अनुरूप था जिसके अनुसार, समाचार पत्र के कॉलम विवाद के सभी पक्षों के लिये खुले होने

चाहिए। उसने उल्लेख किया कि यदि 12.1.2012 को प्रकाशित समाचार शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों से संबंधित था तो 16.1.2012 का समाचार राज्य सरकार द्वारा दिया गया उत्तर था। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार में कुछ भी अवमाननापूर्ण नहीं था। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता का पूरा केस केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दो अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर आधारित था जिन्होंने शिकायतकर्ता के विरूद्ध हरियाणा सरकार द्वारा जारी चार्जशीट को निरस्त करने के लिये भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश की थी और केन्द्रीय सतर्कता आयोग से यह भी पूछा गया था कि अगली कार्रवाई क्या की जाये। लेकिन हरियाणा सरकार ने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पाया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इस मामले में जांच आदेश देने के लिये सक्षम नहीं था और इस कारण, मामले में जांच करना उनके अधिकारों का उल्लंघन था और इस कारण कोई कानून प्रभावी नहीं होता। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि कथित रिपोर्ट जिस पर शिकायतकर्ता ने विश्वास किया था, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश दिनांक 17.2.2012 द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार स्पष्ट रूप से प्रभावहीन हो गये और यह सब उसके परिणामस्वरूप हुआ। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति किया जा रहा समाचार पहला ही नहीं है बल्कि दि ट्रिब्यून इस मुद्दे पर शुरू से समाचार दे रहा है जो उस उद्देश्यपरकता को झलकाता है जिससे ट्रिब्यून किसी मुद्दे पर कार्य करता है।

लिखित बयान की प्रति शिकायतकर्ता को दिनांक 16.7.2012 को भेज दी गई।

तर्क

यह मामला चंडीगढ़ में दिनांक 13.8.2012 को पुनः जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया जब शिकायतकर्ता ने स्थगन के लिये अनुरोध किया। श्री अमित शर्मा, उप प्रबंधक (विधिक) प्रतिवादी की ओर से पेश हुआ।

समिति ने प्रतिवादी के बयान सुने और मामले के मुद्दों पर भी विचार किया। समिति ने पाया कि दि ट्रिब्यून की रिपोर्ट मानदंडों के अनुरूप है जिसकी जांच की जरूरत है और उत्तर प्राप्त करना है। अतः वह संतुष्ट नहीं थी कि मामले पर प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत कार्रवाई अपेक्षित है। उसने परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

85) श्री संजीव चतुर्वेदी, आईएफएस
पंचकुला हरियाणा

बनाम

संपादक
अमर उजाला
चंडीगढ़

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 19.11.2010 श्री संजीव चतुर्वेदी, आईएफएस, पंचकुला, हरियाणा द्वारा संपादक, अमर उजाला, चंडीगढ़ के विरूद्ध उनके समाचार पत्र में दिनांक 30.10.2010 और 17.11.2010 को शीर्षक 'कन्जर्वेटर की रिपोर्ट से हुआ खुलासा-हांसी के जंगलों से काटे डेढ़ करोड़ के पेड़' और 'दो अफसरों की जंग का नतीजा है पेड़ काटने की रिपोर्ट' कथित झूठी, भ्रामक और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी रिपोर्टर नामतः श्री सुरेन्द्र धीमन ने घटना के तथ्यों के बारे में उससे सत्यापन किये बिना ही समाचार प्रकाशित कर दिया।

आक्षेपित समाचारों में यह आरोप लगाया गया कि श्री वी. के. झाझड़िया, हिसार कन्जर्वेटर प्रादेशिक, की रिपोर्ट के अनुसार, डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य के पेड़ों को हांसी रेंज के जंगलों से अवैध तरीके से काट कर बेच दिया गया। उड़न दस्ते द्वारा जांच की गई और पाया गया कि चतुर्वेदी और उनके कर्मचारी इस कांड के लिये उत्तरदायी हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यह पूरी कहानी समाचार पत्र के प्रमुख पृष्ठ पर प्रकाशित की गई, अतएव आक्षेपित समाचार प्रकाशित करने से पूर्व प्रतिवादी को भलीभांति उद्देश्यपरक ढंग से जांच करनी चाहिए थी। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार प्रकाशित करने के बाद उसने एक पत्र दिनांक 31.10.2010 संपादक को भेजकर तथ्यों को ठीक करने के लिये कहा किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचार इसी मुद्दे पर पुनः दिनांक 17.11.2010 को प्रकाशित कर दिया गया, उसमें भी उसके द्वारा बताये गए मुख्य तथ्यों को शामिल नहीं किया गया, विशेषकर श्री झाझड़िया की भूमिका और बिना कोई जांच पड़ताल किये बिना। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने उसका बयान भी प्रकाशित किया था जो उसने कभी दिया ही नहीं। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार पूर्णतया अवमाननापूर्ण है और किसी भी रिकार्ड पर आधारित नहीं है, बिना किसी जांच पड़ताल के केवल उसे बदनाम करने के लिये प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता ने परिषद् से अनुरोध किया कि संबंधित रिपोर्टर और संपादक के विरूद्ध कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 10.3.2011 के उत्तर में प्रतिवादी अमर उजाला ने अपने लिखित उत्तर दिनांक 12.4.2011 में आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार बिना किसी दुर्भावना के ड्यूटी निर्वहन करते हुए सद्भाव से प्रकाशित किये गए। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार न तो आपत्तिजनक थे और न ही उसने पत्रकारिता के आदर्शों या लोक रूचि का उल्लंघन किया या कोई व्यावसायिक कदाचार किया। प्रतिवादी के अनुसार, समाचार दिनांक 30.10.2010 प्रकाशित करने से पहले उसने सभी संबंधितों जैसे श्री वी.के. झाझड़िया, कन्जर्वेटर वन, हिसार, श्री संजीव चतुर्वेदी

(शिकायतकर्ता) और डॉ. परवेज अहमद, प्रधान मुख्य कन्जर्वेटर वन हरियाणा, के बयानों को समाचारों के साथ प्रकाशित करते हुए उपयुक्त सावधानी बरती थी। शिकायतकर्ता का बयान इस प्रकार से दिया गया था *'पिछले एक साल में मेरे समेत 7 डी.एफ.ओ. तैनात रह चुके हैं। ऐसी कौन सी मशीन है जो यह बता दे कि मेरे कार्यकाल में यह अवैध कटाई हुई है। मैं फरवरी में चार्ज छोड़ चुका था। अब 8 महीने बाद रिपोर्ट क्यों भेजी गई - संजीव चतुर्वेदी'।* प्रतिवादी ने इंकार किया कि उसने शिकायतकर्ता पर कोई टिप्पणी की। उसके अनुसार, आक्षेपित समाचार दिनांक 17.11.2010 में भी शिकायतकर्ता का बयान इस प्रकार दिया गया था, *'चतुर्वेदी ने झाझड़िया रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगाया है ... चतुर्वेदी की दलील है कि हांसी रेंज के वन दरोगा हनुमान दास को निलंबित कर दिया गया था। उसके खिलाफ चतुर्वेदी ने पेड़ कम पाये जाने पर पुलिस में मामला दर्ज करा दिया था .....''* । प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के इस आरोप का भी खंडन किया कि उसने तथ्यों की भली प्रकार जांच नहीं की और समाचार गलत प्रकाशित कर दिया। प्रतिवादी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा शिकायतकर्ता के विरूद्ध एक कदाचार के आरोप को वापस लेने का भी बयान जारी किया गया था। प्रतिवादी के अनुसार, उसने शीर्षक 'आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की चार्जशीट वापस' के साथ शीघ्र ही एक समाचार दिनांक 22.1.2011 को प्रकाशित किया और इस प्रकार शिकायतकर्ता का यह आरोप कि रिपोर्टर झाझडिया के कथनानुसार कार्य कर रहा है और उसे बदनाम करने के लिये समाचार प्रकाशित किया, पूरी तरह गलत है।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 9.5.2011 में उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार, विशेषकर दिनांक 30.10.2010 को प्रकाशित समाचार शरारतपूर्ण था और जिसका उद्देश्य श्री झाझड़िया के बहकावे में उसे बदनाम करना था जिनके कारनामों को उसके द्वारा पहले उजागर किया गया था। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादियों द्वारा लगाये गये आरोपों से इंकार किया।

शिकायतकर्ता की प्रति टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 14.7.2011 में शिकायतकर्ता के आरोपों का मदवार खंडन किया। उसने उल्लेख किया कि समाचार पत्र का कार्य सचाई और वास्तविक तथ्यों को ज्ञात करके जनता की जानकारी में लाना है और यह कार्य करते हुए सभी संबंधितों को समान अवसर प्रदान किये जाते हैं तथा उनके बयानों को शामिल किया जाता है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि समाचार पत्र ने अपना कोई कथन नहीं दिया बल्कि राज्य सरकार के अधिकारियों के बयान और शिकायतकर्ता के बयानों को ही प्रकाशित किया गया।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 23.8.2011 में उल्लेख किया कि प्रतिवादी यह स्पष्ट नहीं कर सका कि उसने ऐसी झूठी और बनावटी रिपोर्ट बिना जांच पड़ताल किये या साधारण बुद्धि का भी इस्तेमाल किये बिना और श्री झाझड़िया के कथन को 75 प्रतिशत स्थान देकर और उसके कथन में से केस से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों की उपेक्षा करते हुए केवल 12.5 प्रतिशत स्थान देकर प्रकाशित क्यों किया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप

लगाया कि आक्षेपित समाचार विभागीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित था जो पूरी तरह मनगढंत थी और जिस पर समिति के दोनों सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे, यह रिपोर्टर और श्री झाझड़िया के बीच साठगांठ दर्शाती है। उसने श्री जयराम रमेश, तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री द्वारा लिखा एक पत्र भी दिखाया जो उसके पक्ष में बतौर साक्ष्य था।

रिपोर्ट

यह मामला चंडीगढ़ में दिनांक 13.8.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। श्री अमित कुमार चौधरी, सहायक प्रबंधक (विधिक) प्रतिवादी की ओर से पेश हुआ। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। हालांकि, सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था।

समिति ने प्रतिवादी के बयान सुने और मामले के मुद्दों पर भी विचार किया। समिति ने शिकायत को पत्रकारिता के मानदंडों के अनुपालन की दृष्टि से विचार करने योग्य नहीं पाया और परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

86) श्री आर.एन. मनचंदा
प्रवक्ता, बिक्री कर विभाग
हरियाणा सरकार सोनीपत, हरियाणा

बनाम

संपादक
दैनिक भास्कर पानीपत

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 30.11.2010 श्री आर.एन. मनचंदा, प्रवक्ता, बिक्री कर विभाग, हरियाणा सरकार, सोनीपत, हरियाणा द्वारा संपादक, दैनिक भास्कर, पानीपत के विरूद्ध उनके समाचार पत्र दिनांक 28.11.2010 में शीर्षक ''एक साल में 10 करोड़ रुपये बढ़ी बिक्री कर की आय- इंडस्ट्री उगल रही है धन'' से प्रकाशित झूठे, गलत, निराधार और एक पक्षीय समाचार प्रकाशित करने के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में कहा गया है कि राज्य के बिक्री कर विभाग ने बिक्री कर के द्वारा भारी आय प्राप्त की। *जिले में हर महीने 45 करोड की आय केवल बिक्री कर द्वारा होती थी।* यह उल्लेख किया गया कि पिछले छः माह में 30 प्रतिशत अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई जो कि एक रिकार्ड है। समाचार में कहा गया कि एलजी और सैमसंग इंडिया ऐसी दो बड़ी कंपनियां हैं जो प्रत्येक माह 2 से 5 करोड़ रु. के बीच बिक्री कर का भुगतान करती हैं। आक्षेपित समाचार में यह भी कहा गया कि बड़े उद्यमियों ने गेट पर अपने नाम लिख दिये हैं जिसके लिये कोई सरकारी आदेश जारी नहीं किये गये है तथा उन्हें प्रपत्र 'सी' और प्रपत्र 38 लेने के लिये रिश्वत (सुविधा शुल्क) देनी पड़ती है।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि पिछले एक वर्ष में विभाग ने केवल 10 करोड़ रु. नहीं बल्कि 133 करोड़ रु. से अधिक आय अर्जित की, प्रत्येक माह विभाग 45 करोड़ रु. की अनुमानित आय की जगह 55 करोड़ रु. से अधिक राजस्व प्राप्त कर रहा है, सोनीपत जिले में ही 17000 से अधिक व्यापारी हैं, आईटीसी लि., कुंडली और हिन्दुस्तान यूनीलिवर राज्य में सर्वाधिक बिक्री कर लगभग 7 करोड़ रु. और 5 करोड़ रु. का भुगतान करने वाले उद्यम हैं जबकि आक्षेपित समाचार में इनके बजाय एलजी और सैमसंग को बताया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं जिन्हें पिछले एक वर्ष के दौरान व्यापारियों को उपलब्ध कराया गया तथा किसी ने भी रिश्वत की शिकायत नहीं की। शिकायतकर्ता ने आक्षेपित समाचार की ओर स्वयं प्रतिवादी का ध्यान आकर्षित किया और प्रतिवादी संपादक ने उन्हें उसका प्रतिवाद प्रकाशित करने का आश्वासन भी दिया था किंतु अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

एक कारण बताओ नोटिस प्रतिवादी संपादक, दैनिक भास्कर को दिनांक 23.5.2011 को जारी किया गया किंतु अनुस्मारक दिनांक 9.7.2012 भेजने के बावजूद भी कोई उत्तर नहीं मिला।

रिपोर्ट

यह मामला चंडीगढ़ में दिनांक 13.8.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुआ। प्रतिवादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।

समिति ने शिकायतकर्ता के बयान सुने और गलत तथ्यों के बारे में मामले पर विचार किया। उसने पाया कि विवाद मामूली प्रकृति का है जिसके लिये प्रेस परिषद् अधिनियम के अधीन दैनिक भास्कर के विरूद्ध कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

87) श्री आर.एन. मनचंदा	***बनाम***	**संपादक**
प्रवक्ता, बिक्री कर विभाग		**दैनिक भास्कर**
हरियाणा सरकार सोनीपत, हरियाणा		**पानीपत (हरियाणा)**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 13.6.2011 श्री आर.एन. मनचंदा, प्रवक्ता, बिक्री कर विभाग, हरियाणा सरकार, सोनीपत, हरियाणा द्वारा संपादक, दैनिक भास्कर, पानीपत के विरूद्ध उनके समाचार पत्र दिनांक 13.6.2011 में शीर्षक ''टैक्स चोरी में तीन गाड़ियां पकड़ी"

से प्रकाशित झूठे, गलत, मनगठंत और अवमानना पूर्ण समाचार आरोप में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में यह कहा गया है कि उसी परिवहन चालक कार बचाने वाला त्के तीन वाहनों की बिक्री कर विभाग द्वारा पकड़ा गया जबकि उस कंपनी की केवल एक गाड़ी को पकड़ा गया तथा किसी अन्य परिवहन चालक के अन्य दो वाहनों को किसी अन्य अनाके पर दूसरी टीम द्वारा पकडा गया। उसने यह भी कहा कि विभाग इस संबंध में स्वयं ही सक्रिया है। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार प्रकाशित करने से पहले उससे सम्पर्क नहीं किया गया था शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आक्षेपित झूठे और अवमानना पूर्ण समाचार से बिक्री कर विभाग की छवि जनता की नजरों में धूमिल हुई।

कारण बताओ नोटिस प्रतिवादी संपादक, दैनिक जागरण, हिसार, हरियाणा को दिनांक 30.8.2011 को भेजा गया किंतु कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया।

रिपोर्ट

यह मामला चंडीगढ़ में दिनांक 13.8.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया शिकायतकर्ता स्वयं प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।

समिति ने शिकायतकर्ता के बयान सुने और केस पर गुणदोषों के आधार पर विचार किया और शिकायत में कोई संगतता नहीं पाई गई। तदनुसार, उसने शिकायत को खारिज कर दिया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार,, निर्णय लिया।

88) श्री वैद्य जगजीत सिंह *बनाम* **संपादक**
चंडीगढ़ आयुर्वेदिक केन्द्र चंडीगढ़ **दैनिक जागरण**
जलंधर

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 18.4.2010 श्री वैद्य जगजीत सिंह,, चंडीगढ़ आयुर्वेदिक केन्द्र, चंडीगढ़ द्वारा संपादक, दैनिक जागरण, जलंधर के विरूद्ध उनके समाचार पत्र दिनांक 29.3.2010 में शीर्षक ''वैद्य जगजीत को प्रतिनिधि बनाने पर रोक'' से प्रकाशित झूठे और अवमाननापूर्ण समाचार के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में यह कहा गया कि भारतीय औषधि केन्द्रीय परिषद् (सीसीआईएम) के सदस्य जो आयुर्वेदिक शिक्षा कालेज की नीतियां अनुमोदित करते हैं, को गलत सूचना के आधार पर की गई हवाई यात्रा के लिये भुगतान करना पड़ा। सीसीआईएम, नई दिल्ली के सचिव द्वारा जारी

पत्र में, वैद जगजीत सिंह, सदस्य, पंजाब से वसूलनीय 7.78.349/- रु. भुगतान नहीं मिलने पर हरी नगर थाना, नई दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज की गई और अध्यक्ष, आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम औषधि बोर्ड, पंजाब द्वारा वैद जगजीत सिंह को बोर्ड का प्रतिनिधि बनने पर भी रोक लगा दी गई।

आरोपों का खंडन करते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने झूठा और अवमानना पूर्ण समाचार प्रकाशित किया क्योंकि दिल्ली पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। समाचार उसके विरोधियों द्वारा दी गई झूठी सूचना के आधार पर प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी द्वारा झूठा, मनगढंत और कपटपूर्ण समाचार प्रकाशित करके उसकी प्रतिष्ठा और स्वच्छ छवि को ठेंस पहुंचाई गई।

कारण बताओ नोटिस दिनांक 15.6.2010 के उत्तर में, प्रतिवादी प्रबंधक, विधिक, दैनिक जागरण ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता के बयान को पूरा महत्व दिया गया और उसे समाचार का हिस्सा बनाया गया। प्रतिवादी के अनुसार, आक्षेपित समाचार प्रकाशित करने से पूर्व सभी संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर लिये गये थे और उन पर विचार किया गया, दस्तावेजों में सचिव, भारतीय औषधि केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली का राशि के बारे में पत्र, भारतीय औषधि केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की नई दिल्ली में दिनांक 18.12.2008 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त शामिल थे। इसके अतिरिक्त, एसएचओ, हरी नगर, नई दिल्ली को भी एक शिकायत श्री सूबे सिंह, सहायक सचिव, प्रशासन, के माध्यम से, सचिव की ओर से, भारतीय औषधि केन्द्रीय परिषद् द्वारा की गई थी। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि समाचार पत्र के संबंधित रिपोट र का शिकायतकर्ता के साथ कोई व्यक्तिगत मनमुटाव नहीं है और आक्षेपित समाचार रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री और प्राधिकारियों द्वारा दिये गये बयान पर प्रकाशित किया गया था और आक्षेपित समाचार में शिकायतकर्ता का बयान भी शामिल किया गया था।

fjikV

यह मामला चंडीगढ़ में दिनांक 13.8.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। श्री के.के. अरोड़ा, एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए और श्री राम शरण दास श्री वैद्य जगजीत सिंह, शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए।

शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि श्री राम शरण ने एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें शिकायतकर्ता ने सुनवाई को 'अपरिहार्य परिस्थितियों' के कारण स्थगित करने का अनुरोध किया। समिति ने पाया कि 'अपरिहार्य परिस्थितियों' को सुनवाई स्थगित करने के लिये पर्याप्त आधार नहीं समझा गया। स्थगन से इंकार कर दिया गया और समिति ने अनुपस्थिति के कारण परिषद् से मामले को खारिज करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

89) पंजीयक *बनाम* **प्रबंध संपादक**
श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा **अर्ली टाइम्स**
जम्मू और कश्मीर **जम्मू**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 28.3.2012 पंजीयक, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, द्वारा प्रबंध संपादक और रिपोर्टर 'अर्ली टाइम्स' जम्मू के विरूद्ध उनके समाचार पत्र में दिनांक 25.1.2012 को शीर्षक 'श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय अपनी चमक तेजी से खो रहा है, कुलपति जांच के अधीन'' (हिन्दी अनुवाद) से प्रकाशित कथित झूठे, भ्रामक, और अवमाननापूर्ण समाचार के विरोध में दायर की गई है जिसकी प्रकाशन पूर्व वास्तविक स्थिति की जांच नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने गुमराह करने वाले और अवमाननापूर्ण समाचारों को श्रृंखलाबद्ध प्रकाशित किया और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विरूद्ध विद्वेषपूर्ण और निन्दनीय अभियान चलाया हुआ है, वर्ष 2011 में विभिन्न तारीखों यथा 16 मई, 31 मई, 2 सितम्बर और 2 अक्तूबर को ऐसे ही प्रकाशन किये। आक्षेपित समाचारों में कहा गया कि विश्वविद्यालय के कुछ असंतुष्ट अधिकारियों ने एक शिकायत राज्य के राज भवन को भेजी जिसकी प्रतियां भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी को भेजी गईं जिसमें आरोप लगाया गया कि कुलपति, विश्वविद्यालय की अक्षमता के कारण 'कैट' द्वारा एमबीए की सीटों को भरने के लिये कम आवेदन मिल रहे हैं। केवल 145 प्रपत्र बैंक द्वारा और ऑनलाइन बिके जबकि पहले इस कोर्स के लिये उम्मीदवार भारी संख्या में आवेदन करते थे। शिकायत में यह भी कहा गया कि यूको बैंक शाखा ट्रंसपोर्ट नगर के शाखा प्रबंधक को लाभ पहुंचाने के लिये, विश्वविद्यालय के कुलपति ने इसी शाखा के द्वारा विश्वविद्यालय में फीस जमा करने के निदेश जारी किये, हालांकि विश्वविद्यालय परिसर में अन्य दो पंजीकृत बैंकों की शाखाएं भी हैं। यह निर्णय यूको बैंक के शाखा प्रबंधक को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ही जारी किये गये जो कुलपति के घनिष्ठ रिश्तेदार हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि कुलपति भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना, जो फेल हो गई है, के लिये आवंटित वाहनों का दुरूपयोग करते हैं और इन गाड़ियों की लॉगबुक को नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया जाता है जिससे भारत सरकार और विश्वविद्यालय को आर्थिक हानि होती है। शिकायतकर्ता ने इसके रखरखाव के लिये उच्च स्तरीय जांच के लिए भारत सरकार की दूसरी परियोजना - इन्सपायर - से जांच कराने की मांग की है जबकि उन्होंने दो और गाडियों को किराये पर लिया है, एक गाड़ी का किराया 1500 रु. प्रतिदिन है लेकिन बिल 3000 रु. प्रतिदिन की दर से प्रस्तुत किये।

शिकायतकर्ता ने आरोपों से इंकार करते हुए उल्लेख किया कि एमबीए कार्यक्रम का संचालन **कैट, सीएमएटी** व **मैट** के आधार पर चलाया जाता है, जिनमें प्राप्त अंकों के आधार पर ग्रुप डिस्कशन और व्यैक्तिक साक्षात्कार लिया जाता है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उन्हें **कैट** में प्राप्त सही अंकों के आधार पर 139 फार्म अभी तक मिल चुके हैं और प्रवेश अभी जारी है क्योंकि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 11 मई, 2012 है।

विश्वविद्यालय की फीस के बारे में, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वह चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वह परिसर में स्थित जेएंडके बैंक लि. और ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के माध्यम से विद्यार्थियों से प्राप्त की जाती है। आरोपों से इंकार करते हुए शिकायतकर्ता ने कहा कि एसएमवीडीयू के लिये निर्धारित पायलट चरण पूरा कर लिया गया है और फेल नहीं हुआ है। वाहनों के दुरूपयोग के संबंध में, शिकायतकर्ता ने आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि वाहनों को आईआईटीआर (भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, रूड़की) को दिनांक 8.1.2012 को सभी सम्बद्ध सामान के साथ सौंप दिया गया था जिन्हें यथाविधि आईआईटीआर द्वारा प्राप्त किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस बात से भी इंकार किया कि वाहनों को स्थानीय बाजार से किराये पर लिया गया बल्कि 'ईवेंट मैनेजमेंट समिति' द्वारा विभिन्न ट्रैवल ऑपरेटरों से निविदाएं प्राप्त करने के बाद वाहन 1400 रु. प्रति दिन (गैर एसी) और 1600 रु. प्रति दिन (एसी) की दर से किराये पर लिये गए। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी संपादक का ध्यान आकर्षित करने के लिये दिनांक 27.1.2012, 30.1.2012, 31.1.2012 और 3.2.2012 को पत्र भेजे किंतु प्रतिवादी ने उन्हें स्वीकार करने से हर बार इंकार कर दिया।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 5.6.2012 के उत्तर में, प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान दिनांक 3.7.2012 में उल्लेख किया कि उस पर लगाये गये आरोप सरासर झूठे और बेबुनियाद हैं। पैरावार उत्तर देते हुए प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने मौजूदा शिकायत के संदर्भ में उठाये गये मुद्दों पर कभी भी सटीक उत्तर नहीं दिया और इसके बजाय वह उन मुद्दों से बचता रहा। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि यदि विचाराधीन समाचार, शिकायतकर्ता के अनुसार, आधार हीन और पृष्ठभूमि के बिना है तो शिकायतकर्ता ने उसे एक साधारण मामला मानने के बजाय स्वयं स्पष्टीकरण देने का प्रयास क्यों किया, जबकि वह उन्हें झूठा और बनावटी बताता है। किस कारण से एसएमवीडी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा समाचारों को झूठा बताने के लिये तुंत शासकीय प्रेस विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी की गई। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने वाहनों के प्रयोग करने का ब्योरा और खर्च के विवरण से संबंधित कोई दस्तावेजी सबूत शिकायत के साथ संलग्न नहीं किये और अभी भी अपना मौखिक बयान ही देकर उचित ठहरा रहे हैं, इंकार कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त विचाराधीन समाचार पर रोक लगाने का प्रयास किया गया जैसेकि प्रेस की स्वतंत्रता एसएमवीडी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की प्रशंसा और मनोरंजन के लिये है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि एसएमवीडी विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारियों से संबंधित मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिये अनेकों बार मोबाइल पर कॉल की गईं लेकिन उत्तर लालफीताशाही ढंग से और टालने के ढंग से दिया जाता था या फिर कॉल सुनी ही नहीं जाती थी। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि एसएमवीडी विश्वविद्यालय विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र के लिये ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू-कश्मीर राज्य के लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है तथा उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी को जनता की नजरों से दूर नहीं रखा जा सकता है और प्रतिवादी ने इसी दिशा में प्रयास किया है जिसमें उसकी एसएमवीडी विश्वविद्यालय या उसके प्राधिकारियों के विरूद्ध कोई व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं है।

रिपोर्ट

यह मामला चंडीगढ़ में दिनांक 13.8.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। श्री साहिल गुप्ता, एडवोकेट और श्री राजेश शर्मा, एसओ (विधिक) शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए। श्री सुमित शर्मा, क्राइम पत्रकार प्रतिवादी संपादक की ओर से पेश हुआ।

समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुने। केस के रिकार्ड पर विचार करने के बाद समिति ने पाया कि आक्षेपित समाचार एक लिखित शिकायत पर आधारित था। शिकायतकर्ता द्वारा उस शिकायत के होने से इंकार नहीं किया गया। उन्होंने समाचार प्रकाशन से पूर्व अपना बयान देने के अवसर का लाभ नहीं उठाया। सार्वजनिक प्राधिकरण होते हुए, ऐसे संस्थान को अपनी रिपोर्टों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। अतः जांच समिति ने शिकायत पर विचार करने के लिये पर्याप्त आधार नहीं पाया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और शिकायत को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

90) उपायुक्त
हमीरपुर जिला
हमीरपुर, (हिमाचल प्रदेश)

बनाम

संपादक
आपका फैसला
हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 12.6.2010 उपायुक्त, हमीरपुर जिला, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश द्वारा 'आपका फैसला' हमीरपुर के विरूद्ध उनके समाचार पत्र में दिनांक 12.6.2010 को 'हमीरपुर में सीमेंट बैंचों की खरीद में घोटाला' शीर्षक से प्रकाशित झूठे और बेबुनियाद समाचार के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में यह आरोप लगाया गया है कि 30 सीमेंट बैंचों को खरीदने के लिये समाचार पत्र में दिनांक 20 जून, 2009 को विज्ञापन दिया गया था और निविदा प्राप्त करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई, 2009 थी। किंतु प्रशासन को विज्ञापन जारी करने से पूर्व दो कोटेशनें मिली थीं और उन्हें भी कोटेशनों की तुलनात्मक विवरणी में शामिल किया गया था। आक्षेपित समाचार में यह भी आरोप लगाया गया कि उपायुक्त, हमीरपुर ने अपने पत्र दिनांक 4 सितम्बर, 2009 द्वारा 70 अतिरिक्त सीमेंट बैंचों की खरीद के लिये एक नया विज्ञापन देने की बजाय उसी ठेकेदार को निविदा दे दी। क्रय समिति ने बिडों को दो बार खोला लेकिन एक बार ही आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला।

शिकायतकर्ता ने आरोपों से इंकार करते हुए उल्लेख किया कि सीमेंट बैंचों की खरीद के लिए विज्ञापन समाचार पत्र में दिये गए थे और सभी निविदाएं प्राप्त होने के बाद एडीएम की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति ने मानदंडों के अनुसार, निविदा का चयन किया जो मूल्य में सबसे कम थी। समाचार तुलनात्मक विवरणी पर आधारित था जिसे उपायुक्त, हमीरपुर द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी रिपोर्टर को यह सभी सूचना आरटीआई अधिनियम के तहत उपलब्ध कराई गई थी और सभी संगत रिकार्ड दिखाकर इसके बारे में विस्तार से भी सूचित किया गया था किंतु प्रतिवादी ने जिला प्रशासन को बदनाम करने की मंशा से यह झूठा, दुर्भावनापूर्ण और गलत समाचार प्रकाशित कर दिया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि यह पूरा कार्य बेबुनियाद है।

कारण बताओ नोटिस दिनांक 18.10.2010 के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी संवाद्दाता, आपका फैसला, हमीरपुर ने अपने लिखित बयान दिनांक 11.11.2010 में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये सभी आरोप सरासर झूठे हैं। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि समाचार आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त सूचना पर आधारित था। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि उपायुक्त का पूर्ण बयान भी कहानी के अंत में प्रकाशित किया गया था।

लिखित बयान की एक प्रति शिकायतकर्ता को दिनांक 25.11.2010 को भेजी गई थी।

तर्क

यह मामला चंडीगढ़ में दिनांक 13.8.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। दोनों ही पक्षों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही स्थगन के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुआ। अतएव जांच समिति ने अनुपस्थिति के कारण शिकायत खारिज कर दी।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट और कारणों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

91) श्री वी. के. जावद *बनाम* **संपादक**
केरल **चन्द्रिका दैनिक केरल**

अधिनिर्णय

यह शिकायत प्रतिवादी के दिनांक 12.12.2009 के अंक में शीर्षक ''एनडीएफ लीडर कोडियेरी के घर में नजीर के साथ रात्रि भोज - कटघरे में' से प्रकाशित अवमानना पूर्ण, झूठे और आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार

में यह कहा गया है कि शिकायतकर्ता एनडीएफ, एक आतंकवादी संगठन, को धन उपलब्ध कराने का स्रोत है और नजीर एक आतंकवादी है।

यह मामला चेन्नई में दिनांक 27.2.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर न तो शिकायतकर्ता की ओर से और न ही प्रतिवादी की ओर से कोई पेश हुआ। जांच समिति ने पाया कि प्रतिवादी ने न तो अपना उत्तर भेजा और न ही जांच समिति के समक्ष पेश हुआ। प्रतिवादी को अपना लिखित बयान दायर करने का अंतिम अवसर देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी गई। इसके प्रत्युत्तर में प्रतिवादी ने अपना लिखित बयान दिनांक 10.4.2012 को प्रस्तुत किया और उल्लेख किया कि जिस प्रकाशित समाचार को संदर्भित किया गया है तो उसके लिये विश्वसनीय स्रोतों से सूचना प्राप्त हुई थी किंतु उसका उद्देश्य शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाना नहीं था। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि यह कहना सरासर गलत है कि उन्होंने पत्रकारिता नीति के आदर्शों का उल्लंघन किया है और व्यावसायिक कदाचार किया। समाचारपत्र की मंशा शिकायतकर्ता को बदनाम करने या नुकसान पहुंचाने की नहीं थी और वे इसके लिये खेद व्यक्त करने को तैयार हैं।

रिपोर्ट

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 27.8.2012 को मामले पर अंतिम सुनवाई की। श्री हरीश बीरन, एडवोकेट ने प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए शिकायतकर्ता और प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक लिखित बयान दिनांक 26.7.2012 दायर किया जिसमें कार्रवाई समाप्त करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि दोनों पक्षों का आपस में समझौता हो गया है। अतः समिति ने परिषद् से शिकायत को बंद करने की सिफारिश की क्योंकि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और शिकायत वापस ले ली गई।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसा, निर्णय लिया।

92) सुश्री पूजा बंदु पाटिल
बेलगांम
कर्नाटक

बनाम

श्री एम.डी. मुल्ला
प्रेस रिपोर्टर साकाल, मराठी दैनिक
बेलगांव

संपादक साकाल,
मराठी दैनिक कोल्हापुर, महाराष्ट्र

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 22.4.2009 सुश्री पूजा बंदु पाटिल, बेलगांव, कर्नाटक द्वारा संवाद्दाता श्री मुल्ला और संपादक, साकाल, मराठी दैनिक के विरूद्ध उनके समाचार पत्र दिनांक 24.12.2008 में शीर्षक 'संजय पूजा, बेलगांव के 'बंटी बबली', दोनों भगोड़ेः बेलगांव

और गोवा में ठगी की'' (हिन्दी अनुवाद) से प्रकाशित झूठा और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में शिकायतकर्ता के अनुसार यह कहा गया है कि संजय काकटकर और उसकी प्रेमिका पूजा बंदु पाटिल ने रियल एस्टेट कंपनी के नाम से आम लोगों को करोड़ों रुपयों का चूना लगाया, पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में ऐसा बताया। उसने 70 लाख रु. की लागत से एक बंगले का निर्माण कराया और अपनी प्रेमिका पूजा के माध्यम से टाटा सफारी खरीदी, उसने हजारों निवेशकों को ठगा। यह भी बताया गया कि पूजा (शिकायतकर्ता) ने सीडी/डीवीडी की दुकान खोली और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके बैंक से ऋण लिया। उसने एडवोकेट की डिग्री प्राप्त की और जनता को यह कह कर ठगा कि वह अदालत में प्रैक्टिस करती है।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसके पिता भारतीय सेना में होने के कारण परिवार से अक्सर दूर ही रहते थे। श्री मुल्ला (साकाल का संवाददाता) जो उसका परिचित था, का उसके घर अक्सर आना-जाना था और उसने परिवार के मित्र के रूप में संबंध बना लिये थे। किंतु जब शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा उससे सम्बन्ध बढ़ाने के प्रति निहित स्वार्थ की आशंका की, तब उसने उससे सभी संबंध समाप्त कर दिये और उससे बोलचाल भी बंद कर दी। इसके विपरीत, श्री मुल्ला ने समाज में अफवाह फैला दी कि वह उससे प्यार करती है। उसने श्री मुल्ला के साथ परिवार के संबंध भी समाप्त कर दिये जिसका बदला लेने के लिये उसने कोशिश की। शिकायतकर्ता के अनुसार, उस समय पुलिस ऑनलाइन डॉलर घोटाले की जांच कर रही थी जो बेलगांव में चल रही थी, श्री मुल्ला ने बदले की भावना से उस घोटाले से उसका नाम जोड़ दिया और उसने समाचार पत्र साकाल में उसका नाम फोटोग्राफ के साथ मनगढंत कहानी के साथ प्रकाशित कर दिया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उस प्रकाशित समाचार से उसका निजी जीवन और व्यावसायिक जीवन बर्बाद हो गया तथा परिवार की छवि धूमिल हो गई। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि जब उसने पुलिस से सम्पर्क किया, उसने (श्री मुल्ला) एक शक्तिशाली रिपोर्टर होने के कारण, उन्होंने उसकी शिकायत को व्यर्थ बताया और उसे श्री मुल्ला से शादी करने की सलाह दी। उसने उल्लेख किया कि श्री मुल्ला ने बहुत क्रोधित होते हुए उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी। उसने पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क किया तब उसने भी श्री मुल्ला का ही पक्ष लिया।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने अंतिम उपाय के तौर पर, संपादक, समाचार पत्र पुढारी से टेलीफोन पर शिकायत की जहां श्री मुल्ला पहले काम करता था और उसे इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए समाचार पत्र से निकाल दिया गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसके बाद कथित रिपोर्टर साकाल से जुड़ गया और अपना अभियान जारी रखा तथा प्रथम लगातार तीन दिनों यथा 24 से 26 दिसम्बर, 2008 तक उसके विरूद्ध समाचार प्रकाशित किये कि वह भगोड़ी हो गई है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने एक कानूनी नोटिस दिनांक 30.6.2009 प्रतिवादी साकाल का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेजा और समाचार पत्र के मुख पृष्ठ पर खेद प्रकाशित करने का अनुरोध किया। शिकायतकर्ता के नोटिस के उत्तर में, प्रतिवादी साकाल ने अपने कानूनी नोटिस दिनांक 30.6.2009 द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों का खंडन किया और कहा कि समाचार को विभिन्न

स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रकाशित किया गया था और उसे जनहित में बिना किसी दुर्भावना के, प्रकाशित किया गया।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 3.11.2009 में उल्लेख किया कि कथित रिपोर्टर उसकी गतिविधियों पर नजर रखता है और धमकी दी कि यदि उसने कोई कानूनी कार्रवाई या मुकद्मा किया तो उसके छोटे भाई को नुकसान पहुंचाया जाएगा। शिकायतकर्ता ने सूचित किया कि कथित रिपोर्टर को पुलिस का सहयोग प्राप्त है और समाज विरोधी तत्वों से भी उसके सम्बन्ध हैं जो उसे और सम्पत्ति को आसानी से बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी संवाद्दाता के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिये परिषद् से अनुरोध किया।

संवाद्दाता का लिखित बयान

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 2.2.2010 के उत्तर में श्री मुल्ला, प्रतिवादी संवाद्दाता, साकाल ने अपने लिखित बयान दिनांक 20.2.2010 में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए उल्लेख किया कि वह अपने पूरे कार्यकाल में कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों को अनेकों भीषण अपराधों, अवैध और गैर कानूनी आतंकवादी गतिविधियों और अवैध वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के बारे में सूचित करता रहा है और उसके विरूद्ध कोई भी शिकायत, इस शिकायत को छोड़कर, नहीं है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि ऑनलाइन धन घोटाले में एक श्री संजय काकटकर शामिल था जो पूजा पाटिल का घनिष्ठ सहयोगी था और जो फिलहाल जमानत पर है तथा बेलगांव से विश्व मार्मिक नाम से एक मराठी समाचार पत्र का प्रकाशन कर रहा है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार 12 माह में धन दुगुना करने के बारे में आम लोगों को आगाह करने के लिये प्रकाशित किया गया था क्योंकि यह असंभव था। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता द्वारा उस पर लगाये गए आरोप झूठे, मनगढंत, दुखदायी और दमनकारी प्रकृति के हैं और शिकायत केवल इस आशंका और डर से की गई है ताकि वर्ष 2003-2008 के दौरान किये गये गलत कारनामों से बच सके। प्रतिवादी ने मामले में अगली कार्रवाई नहीं करने के लिये परिषद् से अनुरोध किया।

प्रति टिप्पणियां

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 3.3.2010 के उत्तर में शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 8.4.2010 में श्री एम.डी. मुल्ला, रिपोर्टर, साकाल की टिप्पणियों का उत्तर देते हुए उल्लेख किया कि वह अपनी शिकायत में पहले ही उल्लेख कर चुकी है कि प्रतिवादी श्री मुल्ला जो मात्र उसका एक परिचित था, अपने किये गये सहायता कार्यों के बदले में उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसने शारीरिक संबंध बनाने की उसकी मांग को मानने से इंकार कर दिया और उसके बाद से उसने उसके विरूद्ध यह अभियान शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी के बयान में उसके और उसके परिवार के सदस्यों के बारे में अश्लील टिप्पणियां, अकारण और अनुत्तरदायी कथन ही व्यावसायिक आदर्शों और पत्रकारिता के

कर्तव्य के प्रति उसकी निष्ठा और लापरवाही को दर्शाने के लिये पर्याप्त होंगे। उसने प्रतिवादी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिये परिषद् से अनुरोध किया।

साकाल (संपादक) का लिखित बयान

प्रतिवादी संपादक, साकाल पेपर्स लि. ने अपने पत्र दिनांक 5.7.2010 में उल्लेख किया कि विचाराधीन समाचार डॉलर घोटाले में शिकायतकर्ता के विरूद्ध अदालत में चल रहे मुकदमों की रिपोर्टों से प्राप्त सूचना पर आधारित है और जिसमें उसके विरूद्ध कोई अवमानना पूर्ण टिप्पणी नहीं की गई।

प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 30.9.2010 में उल्लेख किया कि प्रतिवादी द्वारा दायर उत्तर दिनांक 5.7.2010 बकवास है और बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उत्तर में समाचार प्रकाशित करने का औचित्य सिद्ध करने के बजाय उसका चरित्र हनन किया गया है। उत्तर असंगत है और उसका व्यवहार निन्दनीय व शोचनीय है। शिकायतकर्ता ने परिषद् से अनुरोध किया कि ऐसे अनर्गल, अवमाननापूर्ण और छवि धूमिल करने वाले प्रकाशन के लिये प्रतिवादी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

जांच समिति द्वारा सुनवाई

यह मामला चेन्नई में दिनांक 27.2.2012 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये पेश किया गया। सुश्री पूजा बी. पाटिल, शिकायतकर्ता स्वयं पेश हुई और उल्लेख किया कि साकाल, मराठी दैनिक में प्रकाशित अवमाननापूर्ण समाचार से उसकी प्रतिष्ठा और चरित्र को जनता और उसके परिवार की नजरों में गिरा दिया। श्री गोपाल आर. गावडा, सह-संपादक, साकाल ने बयान दिया कि रिपोर्टर की सेवाएं जिसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, समाप्त कर दी गई हैं और अब वह साकाल में नहीं है। हालांकि, जांच समिति ने कहा कि जहां तक अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने का संबंध है, उसके लिये न केवल रिपोर्टर उत्तरदायी है बल्कि संपादक/समाचार पत्र भी पीआरबी एक्ट, 1867 के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी होता है। जांच समिति ने साकाल को शिकायतकर्ता के विरूद्ध आरोपों को वापस लेते हुए आक्षेपित समाचार के लिये अनर्हक गहरा खेद प्रकाशित करने का निदेश दिया। यह कहने की जरूरत नहीं कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एक खजाना है जिसे मात्र एक कलम से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। अगली पेशी से पूर्व, जांच समिति साकाल को आरोपों को वापस लेते हुए एक अनर्हक खेद प्रमुखता के साथ प्रकाशित करने का निदेश देती है। इसबीच, शिकायतकर्ता अपने परिवार से परामर्श करने के लिये स्वतंत्र है।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 20.3.2012 में उल्लेख किया कि चूंकि उसकी छवि और प्रतिष्ठा को झूठा और अवमाननापूर्ण समाचार दिनांक 23.12.2008 प्रकाशित होने से भारी ठेंस पहुंची, उसने परिषद् से अनुरोध किया कि प्रतिवादी को साकाल समाचार पत्र दैनिक के प्रथम पृष्ठ पर उसके फोटोग्राफ के साथ बड़े स्पष्ट अक्षरों में 23.12.2008 को

प्रकाशित समाचार के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए कम से कम 2 दिन तक अनर्हक माफी प्रकाशित करने का निदेश दे, यह भी उल्लेख किया जाए कि कथित झूठा समाचार श्री एम. डी. मुल्ला, रिपोर्टर द्वारा दिया गया था। उसने प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति के लिये 1,50,00,000/- रु. की भी मांग की।

रिपोर्ट

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 27.8.2012 को मामले पर सुनवाई की। शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुई और अपना बयान दिया। जांच समिति ने पाया कि सी.एम. विधिक, साकाल ने अपने फैक्स दिनांक 24.8.2012 द्वारा पेशी को स्थगित करने का अनुरोध किया क्योंकि उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को किसी अन्य शासकीय कार्य के लिये जाना था। जांच समिति ने स्थगन के लिये इस मामूली आधार के लिये अपनी गहरी अप्रसन्नता प्रकट की। जांच समिति ने रिकार्ड पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद पाया कि शिकायतकर्ता के चरित्र पर गंभीर आरोप आक्षेपित समाचार में लगाये गये हैं। पिछली पेशी के समय प्रतिवादी के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन देने के बावजूद भी, समाचार पत्र ने उस वायदे को पूरा नहीं किया। अतएव, समिति ने परिषद् से शिकायत को सही मानने और प्रतिवादी समाचार पत्र साकाल, पुणे की परिनिंदा करने और संपादक, साकाल को बिना शर्त खेद एक माह के अंदर प्रमुखता से प्रकाशित करने का निदेश देने की सिफारिश की। शिकायतकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग पर विचार करना प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के दायरे से बाहर है अतः उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी संपादक, साकाल और उसके तत्कालीन संवाद्दाता श्री एम.डी. मुल्ला की परिनिंदा करने का निर्णय लिया। अधिनिर्णय की प्रतिलिपि डीएवीपी/आरएनआई, महाराष्ट्र सरकार को उचित कार्रवाई के लिये भेजी जाए, जैसा वे उचित समझें।

पाद टिप्पणी : श्री राजीव सावडे, सदस्य ने साकाल से सम्बद्ध होने के कारण आगे की कार्यवाही से स्वयं इंकार कर दिया।

93) कु0 अन्नम्मा वर्घीज *बनाम* **संपादक**
कोट्टायम **जाइमिन रियोटो,**
नैल्लोर

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 8.10.2010 एक प्रकाशित झूठे, भ्रामक और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के विरोध में दायर की गई है जिसमें डॉक्टर बनने के इच्छुक युवा

इंटर्न को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई। आक्षेपित समाचार में स्थानिक भाषा में यह साफ कहा गया है कि शिकायतकर्ता का नर्सिंग स्कूल के बस चालक ने शारीरिक रूप से और यौन उत्पीड़न किया जिन्होंने उसके पेट पर भी मारा जिस कारण वह बेहोश हो गई और नर्सिंग स्कूल के प्रबंधन कार्मिकों ने उसे अस्पताल में चुपचाप भर्ती कराया और आम लोगों से इस घटना को छिपाये रखा। आक्षेपित समाचार में यह भी उल्लेख किया गया कि नर्सिंग स्कूल के प्रबंधन कार्मिकों ने शिकायतकर्ता के माता-पिता को इस घटना का किसी से भी उल्लेख नहीं करने की धमकी दी और शिकायतकर्ता का पूरा इलाज गोपनीय तरीके से कराया।

यह मामला चेन्नई में 28.2.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। श्री राम कृष्ण प्रसाद, एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता के एडवोकेट श्री जी. राय ने एक पत्र दिनांक 23.2.2012 द्वारा सूचित किया कि शिकायतकर्ता ने सिविल अदालत में मुकदमा कर दिया है। एडवोकेट ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, मामले का निपटान करने का अनुरोध किया। श्री राम कृष्ण प्रसाद, एडवोकेट ने प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए बयान दिया कि इस घटना को मीडिया पर सविस्तार प्रसारित किया गया था। इसके अतिरिक्त अब मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

जांच समिति ने शिकायत पर विचार करने पर पाया कि हालांकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतः मीडिया को यौन उत्पीड़ित का नाम या पहचान प्रसारित नहीं करने के लिये सूचित करना अनिवार्य था। प्रतिवादी के एडवोकेट ने पीड़ित की पहचान के आरोप का उत्तर देने के लिये समय मांगा। सुनवाई स्थगित कर दी गई।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 27.8.2012 को पुनः जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि, डॉ. एस.वी. कृष्ण रेड्डी ने नर्सिंग स्कूल की ओर से एक फैक्स दिनांक 19.8.2012 भेजा कि उन्हें इस केस में पेश होने के लिये प्राधिकृत कर दिया गया है।

जांच समिति ने रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद परिषद् से सिफारिश की, कि शिकायत खारिज करने योग्य है। फिर भी, उसने मीडिया को कानून और प्रेस परिषद् द्वारा यौन उत्पीड़ित की पहचान करने के लिये निर्धारित नीतिगत मानदंडों का पालन करने का परामर्श दिया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और तदनुसार, निर्णय लिया।

94) प्रो0 वाई.आर. हर गोपाल रेड्डी
पूर्व - कुलपति
आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय
गुंटूर (आंध्र प्रदेश)

बनाम

संपादक
आंध्र ज्योति, हैदराबाद

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 9.8.2011 जनता की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा को गिराने और छवि को धूमिल करने की मंशा से कथित दुर्भावनापूर्ण, झूठे और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के विरोध में दायर की गई है। प्रकाशित समाचारों का विवरण नीचे दिये अनुसार हैः

क्रमांक	शीर्षक (हिन्दी अनुवाद)	दिनांक
1	सब कुछ मेरी पसंद के अनुसारः नागार्जुन विश्वविद्यालय कुलपति की सल्तनत अपनी पसंद के अनुसार	17.6.2011
2	केवल स्कोडा	18..2011
3	उनका रास्ता ..... गलत रास्ता	19.6.2011
4	बिना जरूरत के इमारत का निर्माण कराया जा रहा है दिल्ली के संविदाकार को निविदा दी गई सीपीडब्ल्यू द्वारा दिये 30 प्रतिशत का अतिरिक्त टेंडर विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को मोटा कमीशन ? परीक्षा पत्रों को फर्जी संगठन के नाम में तैयार कराया जा रहा है	20.6.2011
5	विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ सूचना के अधिकार के तहत जबावदेही नहीं मांगी गई, वे कहते हैं यह मंहगा सौदा है	21.6.2011

आक्षेपित समाचार में शिकायतकर्ता के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, पद का दुरूपयोग और कुप्रबंधन के आरोप लगाये गये हैं। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उनके विरूद्ध प्रकाशित आक्षेपित सामग्री अपमानजनक है, उनकी प्रतिष्ठा को गिराने और जनता की नजरों में उनकी छवि को धूमिल करने के इरादे से प्रकाशित की गई जिससे अपूर्णीय क्षति हुई, प्रकाशन-पूर्व तथ्यों की प्रमाणिकता ज्ञात करने के लिये कोई सत्यापन या जांच पड़ताल नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी संपादक को आरोपों के सबूत प्रस्तुत करने और बिना शर्त लिखित माफी मांगने और लगाये गये आरोपों को वापस लेने के लिए कानूनी नोटिस दिनांक 18.6.2011 और 24.7.2011 को भेजे किंतु कोई उत्तर नहीं मिला।

यह मामला चेन्नई में दिनांक 28.2.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। श्री गंगाधर प्रसाद, रिपोर्टर, आंध्र ज्योति, चेन्नई प्रतिवादी की ओर से पेश हुए और उनका लिखित बयान दायर किया तथा स्थगन का अनुरोध किया जो प्रदान कर दिया गया।

प्रतिवादी संपादक, आंध्र ज्योति ने अपने लिखित बयान में शिकायतकर्ता के आरोपों का खंडन किया कि आक्षेपित समाचार उसे बदनाम करने के इरादे से जानबूझकर प्रकाशित किया गया। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि सभी समाचार उनके न्यूज कांट्रीब्यूटर ''ऑनलाइन'' द्वारा किये पूरे सत्यापन के आधार पर सद्भाव से प्रकाशित किये गये और क्योंकि समाचार पत्र का यह कर्तव्य होता है कि ऐसे समाचार जनहित में प्रकाशित किये जाएं। प्रतिवादी ने परिषद् से याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया।

शिकायतकर्ता ने प्रति टिप्पणियां दिनांक 8.8.2012 को प्रस्तुत कीं और कहा कि आक्षेपित समाचार सनसनी फैलाने वाली पत्रकारिता के अलावा और कुछ नहीं था तथा प्रतिवादी ने इसे झूठ बताया।

रिपोर्ट

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 27.8.2012 को इस मामले पर पुनः सुनवाई की। शिकायतकर्ता की ओर से श्री मो0 वसय खान, एडवोकेट प्रस्तुत हुए। प्रतिवादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। जांच समिति ने पाया कि संपादक, आंध्र ज्योति ने स्थगन के लिये अनुरोध किया है क्योंकि उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को किसी अन्य शासकीय कार्य से जाना है। जांच समिति ने कहा कि स्थगन के लिये यह पर्याप्त कारण नहीं है। अतएव स्थगन का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। शिकायतकर्ता उपस्थित था। जांच समिति ने रिकार्ड पर गंभीरतापूर्वक विचार करने पर पाया कि आक्षेपित समाचार में शिकायतकर्ता के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाये गये हैं और प्रकाशन से पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया। तदनुसार, जांच समिति ने प्रतिवादी समाचार पत्र आंध्र ज्योति, हैदराबाद की परिनिंदा करने के लिये और संपादक, आंध्र ज्योति को उनके आदेश प्रमुखता से प्रकाशित करने का निदेश देने की परिषद् से सिफारिश की। शिकायत को सही पाया गया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी समाचार पत्र आंध्र ज्योति, हैदराबाद की परिनिंदा करने का निर्णय लिया। अधिनिर्णय की प्रतिलिपि डीएवीपी/आरएनआई और आंध्र प्रदेश सरकार को उचित कार्रवाई जो वे उचित समझें, के लिये भेजी जाए।

95) रजिस्ट्रार
आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय
गुंटूर, आंध्र प्रदेश

बनाम

संपादक
आंध्र ज्योति हैदराबाद
आंध्र प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 9.9.2011 रजिस्ट्रार, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर द्वारा संपादक, आंध्र ज्योति के विरूद्ध उनके समाचार पत्र में दिनांक 17.6.2011 से 21.6.2011

के बीच 'विद्यार्थियों को फेल होने दो'(हिन्दी अनुवाद) शीर्षक से प्रकाशित झूठे, अवमाननापूर्ण, दुर्भावनापूर्ण और मनगढंत समाचारों के विरोध में दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने तत्कालीन विश्वविद्यालय के कुलपति को निशाना बनाया। आक्षेपित समाचार के अनुसार, विश्वविद्यालय की एक सुनियोजित योजना के तहत विद्यार्थियों को एक दो अंकों से उन विषयों में फेल किया जाता है जिनमें उन्हें उत्तीर्ण होने की पूरी संभावना होती है। आक्षेपित समाचार में कहा गया कि विश्वविद्यालय ने कुछ समय पूर्व पुनर्मूल्यांकन की प्रणाली शुरू की जिसके अनुसार, प्रति पेपर 500 रु. से 700 रु. के बीच प्रभारित किये जाते हैं।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने जनता की नजरों में विशेषकर विद्यार्थी वर्ग में विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने और प्रतिष्ठा और विश्वास को कम करने के लिये जानबूझकर यह समाचार प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता ने अपने एडवोकेट के माध्यम से एक कानूनी नोटिस भेजकर प्रतिवादी संपादक, आंध्र ज्योति का ध्यान आकर्षित करते हुए एक स्पष्टीकरण प्रकाशित करने का अनुरोध किया किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। यह मामला चेन्नई में दिनांक 28.2.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। श्री गंगाधर प्रसाद, रिपोर्टर, आंध्र ज्योति, चेन्नई प्रतिवादी की ओर से पेश हुआ और उसका लिखित बयान प्रस्तुत किया तथा स्थगन के लिये अनुरोध किया। प्रतिवादी संपादक, आंध्र ज्योति ने अपने लिखित बयान में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों का खंडन किया कि आक्षेपित समाचार उसे बदनाम करने की मंशा से प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि सभी समाचार उनके समाचार प्रदाता 'ऑनलाइन' द्वारा किये गये सत्यापन पर आधारित थे तथा सद्भाव से प्रकाशित किये गए और समाचार पत्र का यह कर्तव्य होता है कि उन्हें जन हित में प्रकाशित किया जाए। प्रतिवादी ने परिषद् से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया।

fjikV

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 27.8.2012 को मामले पर सुनवाई की। सुश्री टाटिनी बसु, एडवोकेट शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुईं। प्रतिवादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। जांच समिति ने पाया कि संपादक, आंध्र ज्योति ने स्थगन के लिये अनुरोध किया क्योंकि उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को कुछ अन्य शासकीय कार्य से जाना था। जांच समिति की राय थी कि स्थगन के लिये यह पर्याप्त आधार नहीं था। अतः स्थगन का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। शिकायतकर्ता उपस्थित था। जांच समिति ने रिकार्ड पर विचार करने पर पाया कि आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर, आंध्र प्रदेश पर आक्षेपित समाचारों में गंभीर आरोप लगाये गये हैं। हालांकि, आरोपों को पर्याप्त ढंग से सिद्ध नहीं किया जा सका और तदनुसार, जांच समिति ने परिषद् से शिकायत सही मानते हुए प्रतिवादी समाचार पत्र, आंध्र ज्योति,हैदराबाद की परिनिंदा करने और संपादक, आंध्र ज्योति को समाचार पत्र में बिना किसी शर्त के खेद प्रमुखता से प्रकाशित करने का निदेश देने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट और कारणों को स्वीकार कर लिया और आंध्र ज्योति, हैदराबाद की परिनिंदा की और प्रतिवादी संपादक को बिना शर्त खेद प्रमुखता से एक माह के अंदर प्रकाशित करने का निदेश दिया। अधिनिर्णय की एक प्रति डीएवीपी/आरएनआई और राज्य सरकार, आंध्र प्रदेश को आवश्यक कार्रवाई के लिये, जैसाकि वे उचित समझें, भेजी जाए।

96) श्री राम सेवक वर्मा
अलीगंज
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

बनाम

संपादक
दैनिक हिन्दुस्तान लखनऊ
(उत्तर प्रदेश)

संपादक
अमर उजाला, लखनऊ
(उत्तर प्रदेश)

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 31.8.2010 श्री राम सेवक वर्मा, अलीगंज, लखनऊ द्वारा दैनिक हिन्दुस्तान और अमर उजाला के विरूद्ध उनके समाचार पत्र के अंक 28.7.2010 में क्रमशः 'वादी ने कहा, मैंने सूचनाएं नहीं मांगी और 'आर.टी.आई. का दुरूपयोग पड़ेगा मंहगा' शीर्षक से कथित एक पक्षीय और अवमानना पूर्ण समाचार प्रकाशित करने के विरोध में दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि समाचार से क्षेत्र के निवासियों को गलत संदेश देने से उसके निजी जीवन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आक्षेपित समाचार में यह प्रकाशित किया गया कि राज्य सूचना आयुक्त, लखनऊ ने डीआईजी/एसएसपी को उस मामले में जांच करने का निदेश दिया जिसमें आवेदक ने किसी मामले में आरटीआई अधिनियम के तहत 100 सूचनाएं मांगी। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसने दोनों समाचार पत्रों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने पत्रों दिनांक 30.7.2010 और 17.8.2010 में सही समाचार प्रकाशित करने का अनुरोध किया किंतु उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया।

कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.12.2010 के उत्तर में, प्रतिवादी, कार्यकारी संपादक, दैनिक हिन्दुस्तान, लखनऊ ने अपने लिखित बयान दिनांक 30.12.2010 में उल्लेख किया कि विचाराधीन समाचार राज्य सूचना आयुक्त द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.7.2010 के आधार पर प्रकाशित किया गया था जिसकी प्रतिलिपि शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं भेजी गई थी। समाचार में सभी सामग्री उसी आदेश से ली गई और जनता को सूचित करने के लिये प्रकाशित कर दिया गया। उन्हें शिकायतकर्ता के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है।

अमर उजाला ने अपने लिखित बयान दिनांक 9.4.2011 में उल्लेख किया कि शिकायत गलत है और कानूनन विचारणीय नहीं है तथा समाचार पत्र ने पत्रकारिता के किसी मानदंड का उल्लंघन नहीं किया है। प्रकाशित समाचार न तो आपत्तिजनक है और न ही शिकायतकर्ता को बदनाम करने की मंशा से प्रकाशित किया गया। समाचार राज्य सूचना

आयुक्त द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.7.2010 के आधार पर प्रकाशित किया गया। यह भी उल्लेख किया गया कि मौजूदा शिकायत प्रेस द्वारा लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिये राजनीतिक, सामाजिक पहलुओं पर भाषण देने और विचार अभिव्यक्ति की अनिवार्य आजादी के मौलिक अधिकार को बाधित करने का प्रयास है। शिकायतकर्ता ने कहा कि शिकायत समाचार पत्र पर दबाव डालने भर के लिये ही की गई है अतः खारिज करने योग्य है।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों में प्रतिवादी के लिखित बयान पर अपना असंतोष व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने एक पक्षीय घटना प्रकाशित की।

यह मामला लखनऊ में 28.3.2012 को जांच समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। श्री रामसेवक वर्मा, शिकायतकर्ता स्वयं पेश हुआ और श्री सुनील कुमार अवस्थी और पी. राजहंस, एडवोकेट प्रतिवादी, अमर उजाला की ओर से पेश हुए। शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि समाचार पत्र ने उसे आरटीआई का एक व्यावसायिक के रूप में चित्रित करके बदनाम किया है। उपस्थित प्रतिवादी ने दावा किया कि पहचान सूचना आयुक्त के आदेश पर आधारित थी जिसने शिकायतकर्ता के संगठन के पंजीकरण की जांच करने का आदेश दिया था। जांच समिति ने सुनवाई को स्थगित करते हुए दोनों पक्षों को निदेश दिया कि क्या सूचना आयुक्त के निदेश के उपरांत कोई रिपोर्ट दी गई थी।

रिपोर्ट

यह मामला लखनऊ में 28.3.2012 को और फिर नई दिल्ली में 27.8.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। श्री विजय समक्ष कुमार, एडवोकेट प्रतिवादी दैनिक हिन्दुस्तान और श्री अनिल चौधरी, प्रतिवादी अमर उजाला की ओर से पेश हुए। चूंकि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं था और न ही जांच समिति द्वारा मांगा गया विवरण प्राप्त हुआ था, अतः समिति ने अनुभव किया कि उसकी अनुपस्थिति के कारण शिकायत खारिज किये जाने योग्य थी।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट और कारणों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

97) डॉ0 जगदीश के. दधीच, एसईओ मुम्बई *बनाम* **संपादक मिड डे मुम्बई**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 11.11.2010 डॉ. जगदीश के. दधीच,एसईओ, मुम्बई द्वारा संपादक, 'मिड-डे', मुम्बई के विरूद्ध उनके समाचार पत्र दिनांक 5.9.2010 में शीर्षक ''नीम हकीम डाक्टरों का भंडाफोड़ ? नहीं'' (हिन्दी अनुवाद) से प्रकाशित झूठे, बेबुनियाद और

अवमाननापूर्ण समाचार के आरोप में दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि समाचार में झूठा आरोप लगाया गया है कि वह 'फर्जी' और/या 'नकली' और/या 'पायांडी' प्राइवेट डॉक्टर है। शिकायतकर्ता के अनुसार, समाचार का तात्पर्य यह संकेत करना भी है कि बॉम्बे नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग इस आरोप का स्रोत है कि जहां से उसने नकली डिग्री प्राप्त की और/या उसका पंजीकरण उचित प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया और यह समाचार जानबूझकर गुमराह करने वाला, गलत और विकृत है। उसने कहा कि कथित समाचार स्पष्टरूप से अवमाननापूर्ण है और उसका अपमान कारक है तथा उससे मूलतः असावधानी और जांच की कमी झलकती है। शिकायतकर्ता ने कहा कि आक्षेपित समाचार में यह उल्लेख किया गया है कि बड़ी संख्या में काम कर रहे फर्जी डॉक्टरों का भंडाफोड़ने के लिये बॉम्बे स्वास्थ्य विभाग ने शहर में काम कर रहे 50 से अधिक नकली डाक्टरों की सूची प्रकाशित की। 'मिड-डे' के पास वह सूची है, वह उन कथित अनेक क्लीनिकों में गया जिनमें से एक शिकायतकर्ता भी था। आक्षेपित समाचार में यह भी उल्लेख किया गया कि स्थानीय दवा की दुकानों से पूछताछ करने पर पता लगा कि शिकायतकर्ता पिछले तीन दशक से यहां काम कर रहा है और उसके नियमित रोगी हैं। आक्षेपित समाचार में यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता ने मिड-डे से स्वयं कहा कि उसकी बीआईएमएस की डिग्री मान्यता प्राप्त कोर्स नहीं है। उसने बताया कि यह बोर्ड वर्षों पहले बनवाया गया था। यह पोस्टल कोर्स था जो उसने दिल्ली से किया और उसके पास इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है। उसने यह भी बताया कि उसने जीएफएएम (आयुर्वेदिक दवाओं के संकाय से स्नातक) पोदार मेडीकल कालेज, वर्ली से 1971 में किया और उसके पास 'महाराष्ट्र मेडीकल काउंसिल आफ इंडियन मेडीसिन' द्वारा वैध पंजीकरण (नम्बर 17194ए) है। लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा दिखाये प्रमाण पत्र पर जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे और न कोई प्रमाण पत्र उसकी दीवार पर टंगा था, जो कानून के अनुसार, अनिवार्य है। उसके बावजूद, शिकायतकर्ता ने सगर्व कहा कि वह बीएमसी की ओर से 'मृत्यु का कारण प्रमाण पत्र' जारी करता है जो केवल पंजीकृत डॉक्टर ही जारी कर सकता है। शिकायतकर्ता ने कुछ संगत तथ्यों व घटनाओं का उल्लेख किया जो निम्नानुसार हैं :

शिकायतकर्ता ने बताया कि मई 2010 में या उसके आसपास डॉ. मधुसूदन, बीएमसी इंस्पेक्टर, बीएमसी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ उसके क्लीनिक पर आए और पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा कुछ अन्य कागजातों की मांग की। उसने अपने पुत्र और पुत्रबधु (दोनों डॉक्टर) के प्रमाण पत्र तुंत दिखा दिये जो उसके साथ क्लीनिक में काम करते हैं। उसने टीम को बताया कि उसका प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध नहीं हैं और दिखाने के लिये कुछ समय मांगा लेकिन बीएमसी इंस्पेक्टर ने उसी समय प्रमाण पत्र दिखाने का आग्रह किया। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में एक श्री लोखंडे, इन्स्पेक्टर, सहार पुलिस स्टेशन ने उन्हें बुलाया और बताया कि उन्हें उनकी जांच करने और मेडीकल पंजीकरण की जांच करने के संबंध में एक पत्र मिला है तथा उसने अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र और स्नातक का प्रमाण पत्र थानेदार को भेज दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि 13.8.2010 को एक श्री विनोद कुमार मेनन (संवाद्दाता) अपने एक सहयोगी के साथ उनके क्लीनिक पर आये और चिकित्सा करने के प्राधिकार मिलने के प्रमाण पत्रों की

प्रतियों की मांग की। उसने सभी अपेक्षित दस्तावेज शीघ्र प्रस्तुत कर दिये लेकिन श्री मेनन ने 'महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडिया मेडीसिन' द्वारा जारी डुप्लीकेट प्रमाण पत्र दिनांक 9 जनवरी, 1990 को तुंत उठा लिया जिसमें प्रमाणित किया गया था कि वह इंडियन मेडीकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1970 की धारा 17 के साथ पठनीय महाराष्ट्र मेडीकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1961 के तहत, रजिस्टर के भाग 1 में, पंजीकृत किये गए। शिकायतकर्ता ने बताया कि यह आरोप कि उनके द्वारा दिखाये गये प्रमाण पत्र पर जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे, सरासर झूठ है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी आपत्ति के बावजूद, श्री मेनन और उनके सहयोगी ने उनका फोटो लिया और प्रतिवादी समाचार पत्र द्वारा कथित समाचार के साथ फोटोग्राफ सहित पृष्ठ 4 पर प्रकाशित कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने श्री मेनन को सूचित किया कि उसके पास सभी संगत प्रमाण पत्र/दस्तावेज हैं किंतु उन्होंने जांच करने से इंकार कर दिया। उसने कथित संवाद्दाता को यह भी बताया कि बीआईएमएस कोर्स के प्रमाण पत्र के साथ अन्य दस्तावेज (घर में) पानी भर जाने के कारण नष्ट हो गये थे, यह घटना जुलाई 2005 के आसपास हुई थी।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने अपने एडवोकेट के माध्यम से प्रतिवादी को एक पत्र दिनांक 5.10.2010 भेजकर सभी संगत तथ्यों और घटनाओं से अवगत कराते हुए अनुरोध किया कि मिड-डे के मुम्बई संस्करण के आगामी अंक में एक खंडन और खेद उसी प्रकार प्रमुखता से प्रकाशित किया जाए जिस प्रकार अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित किया गया था। शिकायतकर्ता के एडवोकेट के पत्र दिनांक 5.10.2010 के उत्तर में, प्रतिवादी ने अपने उत्तर दिनांक 18.10.2010 में उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार में प्रकाशित सभी तथ्य और घटनाएं सत्य हैं और दुर्भावना रहित हैं।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि कथित समाचार निष्पक्ष और आदर्श पत्रकारिता के सभी मानदंडों का उल्लंघन करता है तथा प्रकाशन पूर्व सत्यापन किये बिना, उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की मंशा से समाचार प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता ने परिषद् से अनुरोध किया।

एक कारण बताओ नोटिस प्रतिवादी संपादक, मिड-डे, मुम्बई को दिनांक 28.12.2010 को भेजा गया।

लिखित बयान

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.12.2010 के प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान दिनांक 28.1.2011 में उस पर लगाये गये आरोपों से इंकार किया। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि समाचार मुम्बई नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सही तथ्यों और सूचना के आधार पर प्रकाशित किया गया अतः प्रकाशित समाचार न तो भ्रामक, गलत या विकृत है और न ही अवमाननापूर्ण या अपमानजनक है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि वे प्राधिकृत स्रोतों से तथ्यों की जांच करने के बाद ही किसी समाचार कहानी को प्रकाशित करते हैं अतः निष्पक्ष और आदर्श पत्रकारिता के आदर्शों और भारतीय प्रेस परिषद् की पत्रकारिता के आचरण के मानक के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया

कि वे सदैव अपनी शक्ति सीमा में रहते हैं और जनता के सभी लोगों के जीवन और मान प्रतिष्ठा का सदैव आदर करते हैं और उन्होंने कथित अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत कोई अपराध नहीं किया है और कहानी का खंडन/खेद प्रकाशित करने से इंकार कर दिया।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 28.4.2011 में अपनी शिकायत का पुनः उल्लेख किया और आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने निष्पक्ष और आदर्श पत्रकारिता आचरण के आदर्शों का उल्लंघन किया और पत्रकारिता के मानदंडों और लोक रूचि के स्तर के विपरीत कार्य किया। उसने प्रतिवादी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिये परिषद् से अनुरोध किया।

जांच समिति के समक्ष पेशी

यह मामला पुणे में दिनांक 27.4.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता डॉ. अमन जे. दधीचि के साथ स्वयं उपस्थित हुआ। श्री शिवकुमार वर्मा, प्रमुख प्रशासक, मुल्ला एंड मुल्ला एंड क्रैगी ब्लंट एंड करोये, श्री विपुल बिल्वे, मुल्ला एंड मुल्ला एंड क्रैगी ब्लंट एंड करोये पेश हुए। शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि उसने 1971 में अपना जीएफएएम (आयुर्वेदिक औषधि संकाय का स्नातक) किया था और उसका वैध पंजीकरण नम्बर 17194ए है। वह गुम हो गया और उसके बाद उसने डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के लिये आवेदन किया और महाराष्ट्र काउंसिल आफ इंडियन मेडीसिन ने दिनांक 9.1.1990 को जारी कर दिया था। डुप्लीकेट प्रमाण पत्र को फर्जी प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता है। वह पिछले 40 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा है और सभी तथ्य मिड-डे को उपलब्ध करा दिये गये थे फिर भी उन्होंने बदनाम किया। श्री विपुल बिल्वे, एडवोकेट, मिड-डे, ने बयान दिया कि आरटीआई एक्ट के तहत बीएमसी द्वारा उपलब्ध कराई गई फर्जी डॉक्टरों की सरकारी सूची में उसका नाम शामिल है।

चूंकि जांच समिति इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि बीएमसी द्वारा आरटीआई के तहत दिये उत्तर के साथ सूची भी संलग्न थी, आरटीआई के तहत उपलब्ध कराई सूची की वैधता को ज्ञात करने के लिये और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिये, महाराष्ट्र राज्य को यह पुष्टि करने के लिये एक नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया कि क्या वह सूची आरटीआई के उत्तर के साथ उपलब्ध कराई गई थी और उसकी प्रमाणिकता भी दें। महाराष्ट्र सरकार यह भी सूचित कर सकती है कि क्या शिकायतकर्ता के पास प्रैक्टिस करने के लिये वैध प्रमाण पत्र है। प्रतिवादी द्वारा पूरक उत्तर प्रस्तुत करने के लिये अनुमति दे दी गई। जांच समिति ने यह भी निर्णय लिया कि महाराष्ट्र सरकार से उत्तर प्राप्त होने के बाद, उसकी प्रति दोनों पक्षों को अपना पूरक उत्तर एक माह के अंदर प्रस्तुत करने के लिये भेजी जाए।

जांच समिति के निदेशों के अनुसरण में, पंजीयक (प्रभारी), महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडीसिन ने सूचित किया कि डॉ. दधीच जगदीश के. का पंजीकरण सं. । -7194-ए पर किया गया था। यह प्रमाण पत्र उन्हें आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडीसिन संकाय बॉम्बे से उत्तीर्ण जीएफएएम के आधार पर वर्ष 1971 में दिनांक 31.7.1971 को जारी किया गया था।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 27.8.2012 को सुनवाई हेतु पेश किया गया। श्री शिव कुमार सूरी, एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ, जांच समिति ने शिकायतकर्ता के इस अनुरोध पर कि वह वृद्ध है, सुनवाई को स्थगित करने से इंकार कर दिया और केस के रिकार्ड पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट दे दी। प्रतिवादी ने समाचार प्रकाशित किया था कि शिकायतकर्ता की मेडीकल डिग्री फर्जी है। समिति ने राज्य सरकार को यह जांच करने का निदेश दिया कि क्या डिग्री नकली है या नहीं और राज्य सरकार ने पुष्टि की, कि डिग्री असली है। अतः समिति अब संतुष्ट थी कि आक्षेपित समाचार गलत था, इसके अतिरिक्त क्या वह प्रतिवादी द्वारा दायर दस्तावेजों से संतुष्ट थी। अतः शिकायतकर्ता को अनुमति दी गई। जांच समिति ने 'मिड-डे' मुम्बई की परिनिंदा करने और प्रतिवादी को एक स्पष्टीकरण प्रमुखता से एक माह के अंदर प्रकाशित करने का निदेश देने के लिये परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा 'मिड-डे', मुम्बई की परिनिंदा करने के लिये दिये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी को शिकायतकर्ता का स्पष्टीकरण प्रमुखता से एक माह के अंदर प्रकाशित करने का निदेश दिया। अधिनिर्णय की एक प्रति डीएवीपी/आरएनआई और महाराष्ट्र सरकार को आवश्यक कार्रवाई, जैसा वे उचित समझें, करने के लिए भेजे।

98) लेफ्टि कर्नल ए.बी. सावरकर (सेवानिवृत), सचिव सेना कल्याण सहकारी आवास समिति, पुणे

बनाम

संपादक दैनिक न्यूज एवं एनालिसिस पुणे संस्करण पुणे

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 30.12.2010 लेफ्टि कर्नल ए.बी. सावरकर, (सेवानिवृत), सचिव, सेना कल्याण सहकारी आवास समिति, पुणे द्वारा संपादक, दैनिक न्यूज एवं एनालिसिस, पुणे के विरूद्ध उनके समाचार पत्र में निम्नलिखित शीर्षकों से प्रकाशित समिति को बदनाम व गुमराह करने वाले समाचारों के विरोध में दायर की गई है।

क्रमांक	शीर्षक (हिन्दी अनुवाद)	दिनांक
1	सालुंके विहार में धोखाधड़ी के आरोप	1.11.2010
2	सालुंके विहार निवासियों का एक ग्रुप पारदर्शिता चाहता है	14.11.2010

3	क्या सालुंके विहार का सहकारी समिति के रूप में गलत पंजीकरण हुआ है	15.11.2010
4	बंद आदेश पर सवाल उठे	16.11.2010
5	सालुंके विहार का प्रबंधन पैनल आरोप को स्पष्ट नहीं कर सकता है	19.11.2010
6	सालुंके विहार में स्टाम्प डयूटी बचाने की जांच चल रही है	2.12.2010
7	सालुंके विहार को स्टाम्प डयूटी का उल्लंघन स्पष्ट करना चाहिए	3.12.2010

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.2.2011 के प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी रेजीडेंट संपादक, डीएनए ने अपने लिखित बयान दिनांक 28.3.2011 में उल्लेख किया कि किसी उत्तरदायी समाचार पत्र का यह कर्तव्य होता है कि शिकायतकर्ता की सोसायटी (एडब्ल्यूसीएचएस), पुणे में कथित भूमि अनियमितताओं और स्टाम्प डयूटी उल्लंघन से संबंधित विवाद को सार्वजनिक किया जाए। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि आरोप किसी मुखबिर द्वारा लगाये जा रहे हैं, लेफ्टि कर्नल (सेवानिवृत), वी.के. जोहर जो इस आवास सोसायटी के सदस्य और निवासी हैं और उनके द्वारा सौंपे गये दस्तावेजों की डीएनए द्वारा जांच और सत्यापन किया गया और उन्हें सही पाया गया। दस्तावेजों से यह भी ज्ञात हुआ कि दो अन्य सरकारी अधिकारियों ने भी आरोपों को सही माना जिन्होंने मामले में जांच के आदेश दिये (1) उप महानिरीक्षक (पंजीकरण एवं स्टाम्प) श्री चिंतामणि जोशी और (2) एसडीओ, हवेली तालुक, पुणे जिला। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि प्रबंधन समिति के सदस्यों ने इस विषय में बात करने से तब इंकार कर दिया क्योंकि वे आग्रह कर रहे थे कि वे बात करने से पहले डीएनए के पास रखे दस्तावेजों को देखना चाहते हैं और क्योंकि दस्तावेज मुखबिर के थे तो उन्हें लगा कि प्रबंधन समिति के सदस्यों को उन दस्तावेजों के लिये उनसे बात करनी चाहिए। उसने यह भी उल्लेख किया कि उनके द्वारा प्रकाशित सभी समाचार सही हैं और दस्तावेजी साक्ष्य, विभिन्न प्राधिकारियों के बीच हुए पत्राचार, संबंधित प्राधिकरणों के अधिकारियों के बयानों, एडब्ल्यूसीएचएस के पूर्व सदस्यों तथा अन्य सदस्यों से साक्षात्कार पर आधारित हैं और ये पूर्णतया स्पष्ट है कि उन्होंने इस मुद्दे पर समाचार एकत्र करते समय पूरी सावधानी बरती और आक्षेपित समाचार प्रकाशित करते समय भी पूरी सावधानी व सतर्कता बरती।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 29.4.2011 द्वारा अपनी प्रति टिप्पणियां प्रस्तुत की और उल्लेख किया कि प्रतिवादी का यह तर्क कि वह निष्पक्षता से समाचार देने में ईमानदार है, गलत है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने उनकी सोसायटी को कभी सूचित नहीं किया कि दस्तावेज श्री वी.के. जौहर के हैं अतः सोसायटी को उनसे प्राप्त करने चाहिए। उसने यह भी कहा कि न तो सदस्यों के साथ या महाराष्ट्र राज्य के साथ कोई धोखाधड़ी की गई। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी को भूमि हस्तांतरण और भूमि के स्वामित्व के बीच भ्रम है।

प्रतिवादी स्थानीय संपादक, डीएनए ने अपने प्रव्युत्तर दिनांक 20.6.2011 में उल्लेख किया कि उन्होंने पूरा समाचार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मुखबिर द्वारा प्राप्त दस्तावेजों, संबंधित सरकारी प्राधिकारियों से की गई लम्बी बातचीत पर आधारित हैं और

कथित दस्तावेज सार्वजनिक अभिलेख है और प्रत्येक कहानी में उन्हें संदर्भित किया गया है और जिन्हें शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन शिकायतकर्ता और प्रबंधन समिति दस्तावेजों को रहस्य उजागर करने की कवरेज की पूरी अवधि के दौरान पत्रिका की बांह मरोड़ने के लिये बतौर चाल के इस्तेमाल करते रहे।

यह मामला पुणे में दिनांक 27.4.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। श्री एस.जे. खुरजेकर, एडवोकेट और ब्रिगेडियर एस.एस. देशपांडे, वीएसएम, अध्यक्ष, सेना कल्याण सहकारी आवास समिति, पुणे शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए। श्रीमती किनकर और श्री प्रसन्नवमार केसकर, एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। प्रतिवादी ने पूरक लिखित बयान दायर करने के लिये समय मांगा। जांच समिति ने बयान दायर करने के लिये एक माह का समय दे दिया।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 27.8.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। किसी भी पक्ष से कोई भी पेश नहीं हुआ। चूंकि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं था और स्थगन के लिये अनुरोध किया गया था, तो अनुपस्थिति के कारण शिकायत फाइल कर दी गई।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

99) सुश्री एम.सी. बोरवंकर
पुलिस आयुक्त पुणे, महाराष्ट्र

बनाम

संपादक
पुणे मिरर, पुणे

संपादक
मुम्बई मिरर, मुम्बई

अधिनिर्णय

सुश्री एम.सी. बोरवंकर, पुलिस आयुक्त, पुणे ने ये दो शिकायतें दिनांक 6.8.2011 (1) 'पुणे मिरर', और (2) मुम्बई मिरर' के खिलाफ उनके समाचार पत्रों में दिनांक 5.5.2011 को शीर्षकों 'कथित अंडरवर्ल्ड से संबंधों के लिये शीर्षस्थ पुलिस अधिकारी कटघरे में' पुणे मिरर और 'वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शकील को बिल्डर का केस लड़ने के लिये बुलाया' मुम्बई मिरर में प्रकाशित कथित झूठे, और दुर्भावनापूर्ण समाचारों के विरोध में दायर की गई हैं। आक्षेपित समाचारों में निश्चयतौर से कहा गया कि डीसीपी, प्रदीप सावंत, जिन्हें तेलगी कांड जांच के दौरान निलम्बित कर दिया गया था और मकोका के तहत भी आरोपों का सामना करना पड़ा था, पुलिस अंडरवर्ल्ड संबंधों की जांच में अब मुख्य व्यक्ति हैं। पुणे पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या सावंत गैंगस्टर छोटा शकील और पुणे के एक व्यापारी अनीस सोमजी को

अवैध वसूली के लिये मिली धमकियों से बचाव के लिये फरार डॉन दाऊद इब्राहीम के क्रिकेटर रिश्तेदार जावेद मियांदाद के सम्पर्क में था। यह भी बताया गया कि पुणे आयुक्त मीरन बोरवंकर और जांच से जुड़े अधिकारियों ने जांच करने से इंकार नहीं किया था किंतु और अधिक बात करने से मना कर दिया। पुणे पुलिस सूत्रों से कहा गया कि सावंत को मामले में पूछताछ के लिये बुलाया जा सकता है। समाचार में यह आरोप लगाया गया कि सावंत, सोमजी द्वारा सम्पर्क करने पर, ने अपराध शाखा में अपने पिछले स्रोतों से शकील और मियांदाद से सम्पर्क करके यह सुनिश्चित करने की कोशिश की, कि रुपया वसूली की धमकियां बंद हो गई हैं। बोरवंकर ने कहा 'जांच चल रही है। मैं इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूं।' पुणे अपराध शाखा के एक अन्य अधिकारी जो अपना नाम नहीं बताना चाहते, ने कहा ''डीसीपी के बारे में डाटा हमें स्थानीय पुलिस से मिल गया है और हम पूरी जांच पड़ताल के बारे में उनसे सम्पर्क बनाये हुए हैं तथा पुलिस अधिकारी को पूछताछ के लिये शीघ्र ही बुलाया जाएगा।'' उसने यह भी कहा कि सोमजी को यह नहीं मालूम था कि खुफिया एजेंसियां और पुणे पुलिस जानती थी कि क्या कुछ चल रहा है और पूरे मामले को किस प्रकार निपटाया गया। इस मामले में एक जांच बैठा दी गई है और सावंत उनके रडार पर आ गया है।

आक्षेपित समाचारों से इंकार करते हुए शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार में डीसीपी, श्री प्रदीप सावंत को शामिल बताया जाना सरासर झूठ और दुर्भावनापूर्ण है। शिकायतकर्ता ने ऐसी कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया कि 'जांच चल रही है, मैं इस मामले पर किसी भी पत्रकार या किसी अन्य के द्वारा सम्पर्क किये जाने पर 'कोई और टि प्पणी नहीं कर सकती हूं।' शिकायतकर्ता ने सूचित किया कि वस्तुतः वह उस अवधि के दौरान देश से बाहर थी। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि मामले के संबंध में दोनों प्रतिवादियों को दिनांक 13.5.2011 को सूचित कर दिया गया था, बाद में अनुस्मारक दिनांक 3.6.2011 भेजा किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

यह मामला पुणे में दिनांक 27.4.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत न हो पाने के लिये अपने पत्र दिनांक 18.4.2012 में अपनी असमर्थता प्रकट की क्योंकि उन्हें 9.4.2012 से 11.5.2012 तक प्रशिक्षण के लिये बाहर भेजा जा रहा है। श्री गीतेश एन. शेल्के, विशेष संवाद्दाता पुणे मिरर की ओर से पेश हुआ। मुम्बई मिरर की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। जांच समिति ने उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने के लिये सुनवाई स्थगित कर दी।

प्रतिवादी संपादक, मुम्बई मिरर ने अपने पत्र दिनांक 23.4.2012 द्वारा परिषद् को सूचित किया कि उन्होंने मुम्बई मिरर के अंक दिनांक 26.2.2012 में इस संबंध में एक स्पष्टीकरण प्रकाशित कर दिया है।

रिपोर्ट

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 27.8.2012 को मामले पर सुनवाई की। श्री निखिल बोरवंकर शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए। प्रतिवादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। शिकायतकर्ता के परामर्शदाता का बयान सुनकर, जांच समिति ने कहा कि हालांकि

सरकारी कर्मचारियों को सामान्यता आलोचनात्मक समाचारों की उपेक्षा कर देनी चाहिए, किंतु मौजूदा मामले में, चूंकि शिकायतकर्ता के मुंह में शब्द जैसे ठूंस दिये गये हों तो उसका स्पष्टीकरण प्रकाशित होना ही चाहिए। मुम्बई मिरर ने यह काम कर दिया है। अतः जांच समिति संपादक पुणे मिरर को शिकायतकर्ता का पत्र व खेद प्रमुखता से एक माह के अंदर प्रकाशित करने का निदेश देती है। शिकायत को मान्य पाया गया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और पुणे मिरर को उक्त निदेश जारी करते हुए, शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया।

100) मैसर्स ऑरबिट कार्पोरेशन लि. मुम्बई *बनाम* **संपादक बिजनेस मीडिया मुम्बई**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 6.4.2011 मैसर्स ऑरबिट कार्पोरेशन लि, मुम्बई द्वारा बिजनेस इंडिया पत्रिका, मुम्बई के विरूद्ध उनके अंक दिनांक 6.3.2011 में शीर्षक 'डिस्ट्रेस सेल' के तहत कथित झूठे, भ्रामक, दुर्भावपूर्ण और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में कहा गया है कि शिकायतकर्ता कंपनी आपाधापी में बिक्री की स्थिति का सामना कर रही है और विक्रेताओं को निकलने के लिये देने हेतु भारी ऋण ले रही है। लेख में शिकायतकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य भवन निर्माता/निगम का नाम नहीं लिया गया है।

यह मामला पुणे में दिनांक 27.4.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। श्री आशीष काबरा, एडवोकेट शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए और श्री ऋषिराज विवेकर, एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। जांच समिति ने लिखित बयान दायर करने के लिये एक माह का समय प्रदान कर दिया।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 27.8.2012 को जांच समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई लिखित अनुरोध दायर किया गया। अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज किया जा रहा है।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

101) श्री नवीन जिंदल *बनाम* **संपादक**
सांसद (लोक सभा) नई दिल्ली **पंजाब केसरी नई दिल्ली**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 25.2.2010 श्री नवीन जिंदल, सांसद (लोक सभा) द्वारा पंजाब केसरी, दिल्ली संस्करण के विरूद्ध उनके समाचार पत्र में निम्नलिखित शीर्षकों से प्रकाशित आक्षेपित समाचारों के विरोध में दायर की गई है।

क्रमांक	शीर्षक	दिनांक
1	सोनिया और राहुल ने दुत्कार कर चलता किया अति उत्साह में लदे नवीन जिन्दल के सियासत के दिन	27.1.2010
2	राहुल सखा पर सब मेहरबान, जिन्दल के लिए कानून ताक पर - शहर में खनन पट्टे को मंजूरी	06.02.2010
3	नवीन जिन्दल को जमीन, सीबीआई जांच की मांग	08.02.2010
4	राहुल गांधी के मित्रों को जमीन .... चीन नहीं अपने भी लूट रहे हैं	10.02.2010

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि 27.01.2010 को प्रकाशित आक्षेपित समाचार 'सोनिया और राहुल ने दुत्कार कर चलता किया अति उत्साह में लदे नवीन जिन्दल के सियासत के दिन' गलत जानकारी देने वाला है, किसी निकृष्ट उद्देश्य के लिये पूरी तरह प्रेरित है, झूठे और भ्रामक आरोपों से पूर्ण अत्यधिक अवमाननापूर्ण है और जिसे संबंधित पक्ष से सम्पर्क किये बिना ही प्रकाशित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, इसके सही होने और उद्देश्यमूलक होने के प्रति सावधानी बरते बिना ही प्रकाशित कर दिया गया और यह किसी प्रकार जनहित में नहीं है तथा यह सनसनीखेज, द्वेषपूर्ण और रोमांचकारी पत्रकारिता दर्शाता है। समाचार में कहा गया है कि 'श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा श्री नवीन जिन्दल को अपने घर से धक्का दे दिया गया', जो पूरी तरह गलत, झूठ, अत्यधिक अवमाननापूर्ण और लज्जाजनक है। श्री नवीन जिन्दल द्वारा चार कारें आयात की गई थीं और सीमाशुल्क से अनापत्ति में कुछ छूट लेने के लिये उन्होंने कहा था कि ये कारें श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रिंयका वढेरा के इस्तेमाल के लिये मंगाई गई हैं। समाचार में यह भी आरोप लगाया गया कि इस कारण से सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई और इस प्रकार श्री जिंदल को न्यूनतम सीमाशुल्क का भुगतान करके छुटकारा मिल गया।

समाचार ''.. .. ये चारों कारें उन्होंने विदेश से मंगवाई और कस्टम अधिकारियों को बताया कि ये सब कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने मंगवाई है .....'' और '' .. .. इन्हें बुलेट प्रूफ भी बनवा दिया और इनके ऊपर ड्यूटी भी लगभग न के बराबर लगी .....'' सरासर बिना किसी आधार के है, रिकार्ड में ऐसा नहीं है क्योंकि शिकायतकर्ता को छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में नक्सली इलाके में बहुत यात्रा करनी पड़ती है इसलिये सुरक्षा

और हिफाजत के लिये बख्तरबंद गाड़ियां मंगाईं जिन्हें पूर्णतया वातानुकूलित और बुलेट प्रूफ सुविधाओं के साथ बेचा जाता है।

आक्षेपित समाचार में यह भी कहा गया कि श्री नवीन जिन्दल ने हरियाणा सरकार से भी सरकारी जमीन अधिग्रहीत की है जिसे वह अपने पिता स्वर्गीय श्री ओ.पी. जिंदल के नाम पर स्मारक के रूप में परिवर्तित करके दुरूपयोग कर रहे हैं। इसमें यह भी झूठ, गलत और बिना संदर्भ के कहा गया है ''इतना ही नहीं .....जहां बैठकर वह दिल्ली वा हरियाणा की सियासत एक साथ करते हैं''। आक्षेपित समाचार में यह भी कहा गया कि श्री जिन्दल यह विश्वास कराने की भी चाल चल रहे हैं कि वह नेहरू-गांधी परिवार से संबंधित हैं। यह भी कि शिकायतकर्ता द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने को यह रंग दिया गया कि वह तिरंगे ओढ़ कर महात्मा गांधी बनने का ढोंग कर रहा है। इस प्रकार की पत्रकारिता से न केवल शिकायतकर्ता का अपमान होता है बल्कि राष्ट्रपिता का भी अपमान होता है।

आक्षेपित समाचार में शीर्षक ''राहुल सखा पर सब मेहरबान'' और ''जिन्दल के लिये कानून ताक पर, शहर में खनन पट्टे को मंजूरी'' प्रकाशित होने के बाद उनके समाचार पत्र दिनांक 8.2.2010 में शीर्षक ''नवीन जिन्दल को जमीन, सीबीआई जांच की मांग'' से एक और समाचार प्रकाशित किया गया। आक्षेपित समाचार दिनांक 6.2.2010 में कहा गया कि राज्य की कांग्रेस सरकार शिकायतकर्ता पर बहुत अधिक मेहरबान है, क्योंकि वे कांग्रेस महासचिव की युवा दिंग के सदस्यों में से एक हैं इसीलिये मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड को खनन पट्टा देने के लिये सभी नियमों व कानूनों को ताक पर रख दिया गया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जिम्मेदार अधिकारी ने कलैक्टर के उन आदेशों को बदलवाने की पूरी कोशिश की थी जिनके द्वारा क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन यह मामला कांग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी के मित्र के हितों से सीधे जुड़ा था, यह कथन सरासर गलत, झूठ, अत्यधिक अवमाननापूर्ण और लज्जाजनक है।

आक्षेपित समाचार दिनांक 8.2.2010 में उल्लेख किया गया कि शिकायतकर्ता के पक्ष में खनन पट्टे की मंजूरी, एक बहुत ही विशेष उद्योगपति और सांसद कांग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी के मित्र होने के नाते दिल्ली से जारी की गई। समाचार में कहा गया कि मैसर्स जिंदल सॉ लि. का खनन पट्टे के लिये आवेदन पर लागू कानूनों के सभी प्रावधानों की अनदेखी करते हुए कार्रवाई की गई और मंजूरी दी गई, यह कथन झूठ, घटिया और मनगढंत है।

शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि ये समाचार कुछ गलत सूचना प्राप्त संवाददाताओं, संभवतया दुर्भावना भरे और उन्हें बदनाम करने के लिये बाह्य दबाव से प्रेरित, द्वारा अनावश्यक और अकारण चलाया जा रहा अभियान है। समाचार पत्र ने वर्ष 2008 के आक्षेपित समाचार की एक बदनाम करने वाली श्रृंखला से भी कुछ समाचार लिये हैं और उस समय जब शिकायतकर्ता ने भारतीय प्रेस परिषद् से सम्पर्क किया था तो प्रतिवादी ने खंडन प्रकाशित करते हुए सही तथ्यों को दर्शाया था।

एक कारण बताओ नोटिस संपादक, पंजाब केसरी, नई दिल्ली को दिनांक 16.3.2010 को भेजा गया। कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.3.2010 के उत्तर में, निदेशक, पंजाब केसरी ने अपने लिखित बयान दिनांक 6.4.2010 में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने शासकीय पत्र शीर्ष पर प्रेस परिषद् को लिख कर अपनी हैसियत, प्राधिकार और शक्तियों का दुरूपयोग किया जो परिषद् को गुमराह, भ्रमित करने का प्रयास लगता है। शिकायतकर्ता ने संपादक, पंजाब केसरी को अवमानना नोटिस दिनांक 2.2.2010 और 9.2.2010 भेजे और यह कि शिकायत को प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 14(3) के प्रावधानों के अनुसार पहली दृष्टि में ही अस्वीकार कर दिया जाए। प्रतिवादी ने आगे नाम, पता आदि की घोषणा करने से संबंधित विनियम 3(i) के अनुपालन में तकनीकी गलती की ओर ध्यान आकर्षित किया जिस कारण यह सरसरी तौर पर अस्वीकार किये जाने योग्य है।

शिकायतकर्ता ने अपनी अदिनांकित प्रति टिप्पणियां प्रस्तुत की जो दिनांक 25.5.2010 को प्राप्त हुई, जिसमें मदवार खंडन करते हुए उल्लेख किया गया कि प्रतिवेदन सांसद के शासकीय पत्र शीर्ष पर इस मंशा से किया गया ताकि परिषद् को बताया जाए कि वह एक जन नेता है और उसका अपना जन समर्थन है, उसके रक्षक दल उसकी प्रतिष्ठा को जानबूझ कर बारबार गिरा रहे हैं तथा परिषद् 28 उच्च ख्याति प्राप्त विद् सदस्यों का एक स्वतंत्र, निष्पक्ष निकाय है जो शिकायतकर्ता के साथ, सांसद होने के कारण, पक्षपात नहीं कर सकता है।

शिकायतकर्ता की ओर से मात्र कानूनी नोटिस भेजे जाने से ही अदालत में मुकदमा लंबित नहीं माना जा सकता है। वस्तुतः, कथित कानूनी नोटिस परिषद् के विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप ही हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि सभी लिखित बयानों को गलत और झूठ होने के कारण नकार दिया गया क्योंकि लिखित बयानों में उठाई गई सभी आपत्तियां तकनीकी प्रकृति में हैं और शिकायतकर्ता द्वारा अनजाने में छूट गये और यह कथित विनियमों की अपेक्षाओं से अनभिज्ञ होने के कारण भूल से छूट गये, जिन्हें शिकायत को अस्वीकार करने का कारण नहीं बनाया जा सकता है, अन्यथा जो विचारणीय है तथा उनमें सचाई है, विशेषकर तब जब कथित विनियमों के विनियम 4 के तहत परिषद् शिकायतकर्ता को उन्हें सुधारने का अवसर दे सकती है। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने जानबूझकर उन विषयों पर टिप्पणियां नहीं की जिनका शिकायत में उल्लेख किया गया है, उनका कोई उत्तर नहीं दिया गया है, जिन्हें कानूनी नोटिसों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जा सकता है।

प्रति टिप्पणियों की एक प्रति प्रतिवादी को परिषद् के पत्र दिनांक 21.6.2010 के साथ सूचनार्थ/उत्तर, यदि कोई हो, के लिये भेजी गई। उसका अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

पेशी

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 19.9.2011 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। सर्वश्री कृष्णनन वेणुगोपाल, वरिष्ठ एडवोकेट, रजत जरीवाल, एडवोकेट और शशांक कुमार, वरि0 प्रबंधक, विधिक, जिंदल स्टील एंड पावर लि. शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता के एडवोकेट ने उन चारों समाचारों को प्रस्तुत किया जिनमें से तीन अदालत के विचाराधीन हैं, वह केवल एक समाचार जो 27.1.2010 को प्रकाशित हुआ था, का मामला प्रस्तुत करेंगे। एडवोकेट ने यह भी कहा कि उक्त उल्लिखित तारीख को प्रकाशित समाचार सरासर झूठा, बेबुनियाद और किन्हीं प्रयोजन से प्रेरित है और जो चरित्र हनन करने वाला है। उसने बयान दिया कि समाचार संबंधित व्यक्ति से तथ्यों का सत्यापन किये बिना ही प्रकाशित कर दिया गया। समाचार न केवल अवमाननापूर्ण है बल्कि प्रतिवादी द्वारा प्रयुक्त भाषा भी निन्दनीय है। परामर्शदाता ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता एक जन नेता है, प्रतिवादी समाचार पत्र द्वारा इस प्रकार का समाचार प्रकाशित करने के कारण समाज में उनकी छवि को ठेंस पहुंची है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने संपादक का ध्यान इन समाचारों की ओर आकर्षित किया था किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

श्री परविन्दर शारदा, उप-संपादक, पंजाब केसरी प्रतिवादी की ओर से पेश हुआ और बयान दिया कि समाचार जन हित में प्रकाशित किया गया और उसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं थी। उसने यह भी कहा कि नेताओं द्वारा किये जाने वाले गलत कामों के बारे में जनता को सूचित करने के लिये समाचार प्रकाशित किये जाते हैं। प्रतिवादी ने कहा कि वे शिकायतकर्ता का बयान प्रकाशित करने के लिये तैयार हैं।

जांच समिति ने केस की सुनवाई के दौरान पाया कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर उन मुद्दों पर नहीं है तथा निदेशक, हिन्द समाचार लि., ने अपने पत्र दिनांक 14.9.2011 द्वारा शिकायत को कायम रखने के लिये प्रारम्भिक आपत्तियां उठाईं क्योंकि यह मामला अपर मुख्य महानगरीय मैजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है। जांच समिति ने प्रतिवादी को दिनांक 27.1.2010 के समाचार के बारे में मदवार लिखित बयान दायर करने और उसकी प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को उनकी प्रति टिप्पणियों, यदि कोई हों, के लिये देने का निदेश दिया। उसने मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया।

जांच समिति के निदेशों को प्रतिवादी को दिनांक 14.10.2011 को सूचनार्थ भेज दिया गया।

30.1.2012 को एक स्थगन के बाद, यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 3.10.2012 को पुनः जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। श्रीमती सब्य साची पात्र, एडवोकेट शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुई। श्री परविन्दर शान्द्रा, मुख्य उप-संपादक, पंजाब केसरी प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। शिकायतकर्ता के एडवोकेट ने समिति को सूचित किया कि मामले को दोनों के बीच आपसी सहमति से निपटा लिया गया है। अतएव, जांच समिति ने, तदनुसार, मामले का निपटान कर दिया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और मामले को निपटाये जाने और वापस लेने के कारण बंद करने का निर्णय लिया।

102) श्री मितनराम प्रेमी
सब-इंस्पेक्टर (सेवानिवृत)
उत्तर प्रदेश पुलिस
जिला महोबा, उत्तर प्रदेश

बनाम

संपादक,
आज, कानपुर संस्करण
बंसमण्डी, उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 22.3.2010 श्री मितनराम प्रेमी, सब-इंस्पेक्टर (सेवानिवृत), उत्तर प्रदेश पुलिस, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश द्वारा आज, कानपुर संस्करण के विरूद्ध उनके समाचार पत्र में दिनांक 30.1.2010 में शीर्षक 'वाहन चोरी के आरोप में रिटायर्ड थानेदार का पुत्र व सिपाही का रिश्तेदार गिरफ्तार' से प्रकाशित कथित झूठे, भ्रामक और अवमाननापूर्ण समाचार के आरोप में दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचार आपत्तिजनक और उसके परिवार को भारी नुकसान पहुंचाने वाला था। समाचार में यह कहा गया था कि बांदा पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के पुत्र और सिपाही के रिश्तेदार को आल्हा चौक से बोलेरो कार की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, रिपोर्टर श्री नईम अंसारी ने तथ्यों अर्थात् वाहन का पंजीकरण नम्बर, चेसिस नम्बर पर गौर किये बिना समाचार प्रकाशित कर दिया जो उसी स्थान से मिल जाता जहां से वाहन चोरी हुआ था, और उस गाड़ी का मालिक कौन था ? यदि उसने इन तथ्यों की ओर उचित ध्यान दिया होता तो इस प्रकार की गलत रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होती। आक्षेपित रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता के पुत्र को आल्हा चौक, महोबा से गिरफ्तार किया गया था जो शिकायतकर्ता के अनुसार, सरासर गलत है क्योंकि उसके पुत्र को पुलिस दिनांक 28.1.2010 को उसके निवास से रात्रि 09.30 बजे ले गई थी। महोबा पुलिस ने बदले की भावना से और एक हवलदार की सांठगांठ से पुलिस कस्टडी में उसके पुत्र के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया।

कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.6.2010 के उत्तर में, प्रतिवादी संपादक, आज ने उल्लेख किया कि 30.1.2010 को कानपुर संस्करण में प्रकाशित आक्षेपित समाचार तथ्यों और महोबा पुलिस से प्राप्त सूचना पर आधारित था। सेवानिवृत्त उप-निरीक्षक श्री मितनराम प्रेमी का पुत्र, जिसकी तलाश बांदा जिला में गाड़ी चोरी के मामले में थी, बांदा पुलिस, महोबा द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस विवरण की पुष्टि श्री मितनराम प्रेमी द्वारा महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रेषित पत्र दिनांक 3.3.2010 से की जा सकती है जिसे सभी समाचार पत्रों और महोबा जिला में अन्य प्राधिकारियों को भेजा गया था। श्री मितनराम प्रेमी ने पत्र

में स्वयं उल्लेख किया था कि उसका पुत्र राजू उर्फ नरेन्द्र कुमार को श्री मुक्तेश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, एसएचओ, बांदा पुलिस के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था और उसकी रिहाई के लिये 50,000/-रु. की मांग की गई थी जिसके लिये 20,000/-रु. में समझौता हुआ। श्री मितनराम प्रेमी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसने पुत्र की रिहाई के लिये बांदा पुलिस को 20,000/- रु. का भुगतान किया गया था। पत्र में और बहुत कुछ कहा गया है। इन बातों के अतिरिक्त, श्री मितनराम प्रेमी ने कहा कि आक्षेपित रिपोर्ट गलत धारणाओं पर आधारित थी जो अनुत्तरदायित्वपूर्ण और निन्दनीय हैं विशेषकर उस स्थिति में कि वह स्वयं एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी है।

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 20.9.2011 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। दोनों ही पक्षों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 3.9.2011 द्वारा चिकित्सा आधार पर स्थगन के लिये अनुरोध किया जिसे प्रदान कर दिया गया। सुनवाई स्थगित कर दी गई।

अगली सुनवाई पर, दिनांक 30.1.2012 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष श्री मितन राम प्रेमी, शिकायतकर्ता श्री एस.के. गुप्ता, एडवोकेट के साथ पेश हुआ। प्रतिवादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने बताया कि समाचार पत्र में एक आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित किया गया जिससे समाज में उसकी बदनामी हुई। उसका पुत्र कार चोरी के आरोप में कभी शामिल नहीं था। जांच समिति ने निदेश दिया कि आगामी पेशी के समय प्रतिवादी या तो स्वयं पेश हो या अपना काउंसेल भेजे।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 3.10.2012 को जांच समिति के समक्ष अंतिम रूप से विचारार्थ पेश किया गया। प्रतिवादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। शिकायतकर्ता स्वयं अपने एडवोकेट श्री एस.के. गुप्ता के साथ पेश हुए और आपत्ति करते हुए कहा कि समाचार पत्र ने उसके पुत्र को हिरासत में लेने के बजाय गिरफ्तार शब्द का प्रयोग किया था क्योंकि उसके पुत्र को गिरफतार नहीं किया गया था बल्कि पुलिस द्वारा पूछताछ के लिये ले जाया गया था और जहां उसे प्रताड़ित किया गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि समाचार पत्र ने सरासर झूठा और बेबुनियाद समाचार प्रकाशित किया कि उसके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया जो महोबा पुलिस से प्राप्त सूचना पर आधारित था।

जांच समिति ने 'आज' के दिनांक 30.01.2010 के अंक में आक्षेपित समाचार, शीर्षक 'वाहन चारी के आरोप में रिटायर्ड थानेदार का पुत्र व सिपाही का रिश्तेदार गिरफ्तार' का सावधनी पूर्वक अवलोकन किया तथा गौर किया कि समाचार के शीर्षक में शिकायतकर्ता के बेटे को गिरफ्तार करने की बात बतायी गयी है जबकि समाचार की अंतर्वस्तु में साफ तौर पर यह स्पष्ट किया गया है कि पुलिस शिकायतकर्ता के बेटे को अभिकथित गाड़ी चोरी करने के आरोप मे ले जा चुकी थी उन्होंने गौर किया कि यह स्वीकार कर लिया गया है कि शिकायतकर्ता के बेटे से पुलिस द्वारा अभिकथित गाड़ी चोरी होने के मामले में पूछताछ

की गयी था। शिकायतकर्ता की मुख्य आपत्ति समाचारपत्र द्वारा प्रयुक्त शब्दावली थी परन्तु समाचारपत्र ने जिस घटना की खबर बनाई थी, उसकी अंतर्वस्तु का कोई महत्तपूर्ण प्रभाव नहीं पडा था। जांच समिति का यह मानना है कि घटना की खबर बनाने में आपत्तिजनक शब्दावली दुर्भावनापूर्ण कार्रवायी नहीं थी, इसलिए ऐसे तुच्छ मामलों के लिए समाचारपत्र को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अतः समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता का तर्क निराधार है तथा शिकायत खारिज किये जाने योग्य है। तदनुसार, उसने परिषद् से संस्तुति की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

103) श्रीमती मनोरमा घिलडियाल,
प्रिंसिपल प्राइमरी स्कूल, कठोला
पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड मार्फत
श्री हरीचरन मामगांई नई दिल्ली

बनाम

संपादक,
दैनिक जागरण
देहरादून उत्तराखंड

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 15.4.2010 श्रीमती मनोरमा घिलडियाल, प्रिंसिपल, प्राइमरी स्कूल, कठोला, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराख्ांड, मार्फत श्री हरीचरन मामगांई, नई दिल्ली द्वारा दैनिक जागरण, देहरादून के विरूद्ध उनके समाचार पत्र में दिनांक 19.3.2010 में शीर्षक 'तकदीर की इबारत पर फिर रहा झाड़ू' से प्रकाशित कथित झूठे, भ्रामक और अवमाननापूर्ण समाचार के आरोप में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल कठोला, बांगी तहलीसेन ब्लॉक के विद्यार्थी पढ़ाई के बजाय स्कूल के अन्य अनेकों काम करते हैं जैसे सफाई करना, मीलों दूर से पानी लाना और दोपहर का भोजन बनाना। उसके बाद ही पढ़ाई शुरू हो पाती है, इस कारण विद्यार्थियों का जीवन अंधकारमय बन रहा है। यह भी सूचित किया गया कि शिक्षा अधिकारी श्री तोताराम पोखरियाल ने स्वीकार किया कि चपरासी नहीं होने के कारण, स्कूल के विद्यार्थियों को ये सारे काम करने पड़ते हैं और इसके लिये उनका विभाग एनजीओ से बात कर रहा है।

आरोपों का खंडन करते हुए, श्री हरीचरन मामगांई ने आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचार प्राइमरी स्कूल कठोला के बारे में और विशेषकर श्रीमती मनोरमा घिलडियाल, स्कूल प्रिंसिपल, क्षेत्र की सुप्रतिष्ठित महिला, के विरूद्ध अफवाहों और झूठे आरोपों से भरा पड़ा है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार पर दुर्भावनापूर्ण ढंग से कार्रवाई की गई और उसमें दी गई सूचना की भलीभांति पड़ताल नहीं की गई क्योंकि स्कूल और श्रीमती घिलडियाल की प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचानी थी।

श्री मामगांई ने श्रीमती मनोरमा घिलडियाल द्वारा प्रतिवादी संपादक, दैनिक जागरण को भेजे गये नोटिस की प्रतिलिपि भी संलग्न की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आक्षेपित समाचार झूठा, निराधार है और दुर्भावना से प्रकाशित किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि आक्षेपित समाचार प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य उसका मनोबल गिराना और बदनाम करना था। उसने आरोप लगाया कि प्रतिवादी द्वारा प्रकाशन से पूर्व कोई पड़ताल नहीं की गई। श्रीमती घिलडियाल ने उल्लेख किया कि वह भारत के राष्ट्रपति से वर्ष 2007 में पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार प्राधिकारियों से भी समाज के लिये अध्यापक के रूप में उनकी अमूल्य सेवाओं के लिये उन्हें अनेक बार सम्मानित भी किया जा चुका है। उनके अनुसार, स्कूल की सफाई का कार्यक्रम प्राचीन भारत में प्रचलित आश्रम पद्धति के अनुसार, चलाया जाता है जिसमें विद्यार्थी को स्कूल के आसपास सफाई रखनी होती है और सरकारी प्राधिकारियों द्वारा इस कार्य के लिये किसी का चयन नहीं किया जाता है। उत्तराखंड राज्य के सभी प्राइमरी स्कूलों में इसी प्रथा का चलन है। उसने यह भी उल्लेख किया कि थलीसेन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने किसी भी समाचार पत्र को कोई बयान जारी नहीं किया। उनके अनुसार, दिनांक 17.3.2010 को 'चेतीचांद' के अवसर पर अवकाश था किंतु उनका स्कूल खुला था और कुछ विद्यार्थी भी प्रातः 9 बजे स्कूल पहुंच गये थे। प्रतिवादी पठानी संवाद्दाता स्कूल में आया और विद्यार्थियों से फोटोग्राफ के लिये पोज देने को कहा। जब उन्होंने पत्रकार से टेलीफोन पर सम्पर्क किया तो उसने बताया कि वह समाचार पत्र में एक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। श्रीमती घिलडियाल ने पत्रकार संपादक से प्रमुखता से एक खंडन प्रकाशित करने का अनुरोध किया लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 20.9.2011 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। श्री हरीचरन मामगांई, प्रतिनिधि और श्री रवि रंजन, एडवोकेट शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए। श्री बी.के. मिश्रा, एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से पेश हुए और समिति से अनुरोध किया कि लिखित बयान दायर करने के लिये दो सप्ताह का समय दिया जाए। जांच समिति ने पाया कि प्रतिवादी ने पिछली बार शिकायतकर्ता को परेशानी में डालकर सुनवाई स्थगित करवा दी थी। अतः उसने शिकायतकर्ता को 1000/- रु. का भुगतान करने की शर्त पर स्थगन की स्वीकृति दी। प्रतिवादी ने इस पर सहमति व्यक्त की और पेशी स्थगित कर दी गई।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 21.11.2011 और 7.1.2012 द्वारा परिषद् को सूचित किया कि प्रतिवादी ने उसे 1000/- रु. का भुगतान नहीं किया है।

नई दिल्ली में 30.1.2012 को अगली पेशी के समय जांच समिति के समक्ष दोनों पक्ष उपस्थित हुए।। जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुनने और केस के रिकार्ड पर विचार करने के बाद पाया कि दैनिक जागरण दिनांक 19.3.2010 में समाचार प्रकाशित होने के उत्तर में शिकायतकर्ता द्वारा एक नोटिस समाचार पत्र को यह उल्लेख करते हुए भेजा गया था कि समाचार में प्रकाशित सामग्री गलत है। प्रतिवादी ने इस उत्तर या उसके सारांश को प्रकाशित नहीं किया। पत्रकारिता मानदंडों के अनुसार, पीड़ित व्यक्ति को स्पष्टीकरण प्रकाशित कराने का अधिकार होता है। अतएव, जांच समिति ने प्रतिवादी को शिकायतकर्ता का उत्तर या उसका सारांश समाचार पत्र में प्रमुख स्थान पर शीघ्र प्रकाशित करने का निदेश दिया। शिकायतकर्ता को एक नया विस्तृत उत्तर तैयार करके प्रतिवादी को देने का निदेश दिया।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 3.10.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। श्री बी.के. मिश्रा, एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से पेश हुए और समाचार पत्र दिनांक 4.5.2012 की वह कतरन प्रस्तुत की जिसमें शिकायतकर्ता का कथन शीर्षक 'विद्यार्थियों से श्रम आश्रम पद्धति के तहत जायज' प्रकाशित किया गया था। समिति ने शिकायतकर्ता के उत्तर को पढ़ा और उसे पिछली पेशी के समय दिये गये निदेश के अनुरूप पाया। शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति यह संकेत करती थी कि वह मामले में और आगे कार्रवाई नहीं चाहती है। अतः उसने परिषद् से शिकायत को बंद करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद शिकायत को बंद करने का निर्णय लिया।

104)	**श्री सतीश कुमार शर्मा** **ग्वालियर** **मध्य प्रदेश**	*बनाम*	**संपादक** **राजस्थान पत्रिका,** **ग्वालियर मध्य प्रदेश**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 18.1.2011 श्री सतीश कुमार शर्मा, ग्वालियर द्वारा संपादक, राजस्थान पत्रिका, ग्वालियर के विरूद्ध उनके समाचार पत्र के अंक दिनांक 24.11.2010 में 'अनैतिक संबंध बनाओ नहीं तो .. .. ..' शीर्षक से प्रकाशित समाचार झूठा, बेबुनियाद और अवमानना पूर्ण होने के आरोप में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में यह कहा गया है कि श्री सतीश शर्मा को उद्योग विभाग के एक अधिकारी की पत्नी काजल (बदला नाम) की इस शिकायत पर पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया कि शिकायतकर्ता ने उस महिला को मोबाइल पर अवैध संबंध स्थापित करने की धमकी दी अन्यथा वह उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देगा। समाचार में यह भी उल्लेख किया गया कि एसएमई विभाग के किसी अधिकारी को 5000 रु. की रिश्वत लेते हुए सीबीआई द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया और इस घटना के बाद शिकायतकर्ता उसके पति की मदद करने के लिए उसकी पत्नी को फोन करने लगा। जांच रिपोर्ट में आरोप को सही पाया गया था और शिकायतकर्ता को जेल भेज दिया गया। आक्षेपित समाचार में यह भी कहा गया कि निलम्बित अधिकारी की पत्नी ने शिकायतकर्ता द्वारा पांच लाख रु. की मांग करने के बारे में एक शिकायत थाने में दर्ज कराई।

आक्षेपित समाचार में लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वह एक मेकेनिकल इंजीनियर है और वह भ्रष्टाचार तथा भ्रष्ट लोगों से नफरत करता है। उसने यह भी उल्लेख किया कि सीबीआई ने उसकी शिकायत के बाद छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। उसने उल्लेख किया कि इलाके के कुछ व्यक्तियों ने

पत्रकार से साठगांठ करके श्री डीसी साहू के विरूद्ध दायर अपनी शिकायत को वापस लेने के लिये उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया और जब उसने इंकार कर दिया तो उन्होंने उसके कारखाने के विरूद्ध शिकायत दर्ज कर दी। उसके कारखाने पर प्रदूषण विभाग और विद्युत विभाग द्वारा छापे मारे गये तथा उसके कारखाने का पंजीकरण निरस्त करा दिया तथा उसके विरूद्ध छेड़-छाड़ की झूठी शिकायत थाने में दर्ज करवा दी और उसे जून 2010 में एक दिन के लिये जेल में बंद कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि पांच माह पुरानी घटना को प्रतिवादी समाचार पत्र द्वारा इस प्रकार प्रकाशित किया गया जैसे घट ना कल की ही हो। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार प्रकाशित होने के कारण उसका समाज, परिवार और मित्रों द्वारा बहिष्कार कर दिया गया तथा उसका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 1.3.2011 के प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी रेजीडेट संपादक, पत्रिका, ग्वालियर ने अपने लिखित बयान में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने झूठा केस और झूठा हलफनामा दायर किया है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि विचाराधीन समाचार थाना महिला थाना, पडाव, ग्वालियर में दिनांक 16.11.2010 को दायर चार्जशीट के आधार पर समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया और यह मामला न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर के विचाराधीन है।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 18.6.2011 में अपनी शिकायत का पुनः उल्लेख करते हुए कहा कि प्रतिवादी का लिखित बयान सरासर झूठा और बेबुनियाद है।

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 31.1.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। श्री सतीश कुमार शर्मा, शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुआ। श्री इन्द्रेश शर्मा, एडवोकेट प्रतिवादी, राजस्थान पत्रिका की ओर से पेश हुए और लिखित बयान दायर किया। जांच समिति ने पाया कि पेशी के समय राजस्थान पत्रिका द्वारा उत्तर दायर किया गया और उसे शिकायतकर्ता को दिया गया। जांच समिति ने दोनों पक्षों को एक और अवसर देने के लिए सुनवाई को स्थगित करने का निर्णय लिया और शिकायतकर्ता को तीन सप्ताह में अपना उत्तर प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 3.10.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। श्री सतीश कुमार शर्मा, शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुआ। श्री प्रशांत शर्मा, एडवोकेट प्रतिवादी, राजस्थान पत्रिका की ओर से पेश हुए। जांच समिति को प्रतिवादी एडवोकेट द्वारा पुनः सूचित किया गया कि यह मामला न्यायिक मैजिस्ट्रेट (प्रथम), ग्वालियर, मध्य प्रदेश की अदालत में विचाराधीन है। जांच समिति में इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। अतः उसने न्यायालय से निर्णय होने तक मामले में कार्यवाही को वापस लेने का निर्णय लिया, उसके बाद शिकायतकर्ता, यदि चाहे तो भारतीय प्रेस परिषद् से सम्पर्क कर सकता है।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और शिकायत को वापस लेने का निर्णय लिया।

105) डॉ. आर.के. कोटनाला
सचिव
सोसायटी फॉर साइंटीफिक वैल्यूज
नई दिल्ली

बनाम

संपादक,
टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 15.11.2010 डॉ. आर.के. कोटनाला, सचिव, सोसायटी फॉर साइंटीफिक वैल्यूज, नई दिल्ली द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया के विरूद्ध उनके समाचारपत्र में दिनांक 30.10.2010 को शीर्षक 'पदम पुरस्कार विजेता आईआईटी-केजीपी प्रो0 द्वारा संचालित फर्जी संस्थान का हिस्सा' (हिन्दी अनुवाद) कथित झूठे और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में कहा गया है कि श्री पदमश्री के.एल. चोपड़ा, पूर्व निदेशक, आईआईटी-केजीपी और श्री एस.के. दुबे फर्जी संस्थानों जैसे विद्युत इंजीनियर्स संस्थान (आईईई) को संरक्षण दे रहे हैं। यह भी उल्लेख किया गया कि श्री चोपड़ा ने कहा कि आईईई का स्नातक एम.टेक/एमएस में प्रवेश के लिये जीएटीई परीक्षा में शामिल होने के लिये प्राधिकृत और पात्र होता है। एक पत्र दिनांक 24.12.1996 को संदर्भित करते हुए, आक्षेपित समाचार में कहा गया कि श्री चोपड़ा ने आईईई का परामर्शदाता बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि, श्री चोपड़ा ने यह दावा करते हुए आरोपों का खंडन किया कि दस्तावेज फर्जी हैं। शिकायतकर्ता ने आक्षेपित समाचार में लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए आरोप लगाया कि श्री अक्षय मुकुल, टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार ने पदमश्री प्रो0 के.एल. चोपड़ा जो वर्तमान में 'सोसायटी फॉर साइंटीफिक वैल्यूज' के अध्यक्ष हैं, की प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाने के लिये अनैतिक ढंग से आक्षेपित समाचार प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रो0 चोपड़ा पर एक नकली पत्र की सत्यता की जांच किये बिना, के आधार पर आरोप लगाये गये हैं। उसने यह भी उल्लेख किया कि फॉन्ट में भिन्नता और चोपड़ा के हस्ताक्षर तथा पत्र की विषय वस्तु के बीच एक पंक्ति इस पर संदेश करने के लिये पर्याप्त है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने तत्कालीन निदेशकों के नाम बिना उचित जांच पड़ताल किये या साक्ष्यों के बिना विवाद में जानबूझ पक्ति इस पर संदेह कर घसीट लिये। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने एक पत्र दिनांक 15.11.2010 प्रतिवादी को भेजकर एक अनर्हक खेद प्रकाशित करने के लिये भेजा था किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 1.3.2011 के उत्तर में प्रतिवादी संपादक, टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली के एडवोकेट ने अपने लिखित बयान दिनांक 6.5.2011 में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों से पूरी तरह इंकार किया। उसने यह भी कहा कि

विचाराधीन समाचार डॉ. के.एल. चोपड़ा की टिप्पणियों के साथ आम जनता की सूचना के लिये और जनहित में किसी के भी प्रति दुर्भावना के बिना प्रकाशित किया गया था जो विभिन्न स्रोतों से एकत्रित सूचना पर आधारित था। उसने उल्लेख किया कि पत्रकारिता के आदर्शों के अनुसार, उसके मुवक्किल ने स्रोत का उल्लेख नहीं किया है। उसने उल्लेख किया कि उसके मुवक्किल द्वारा आक्षेपित समाचार में 'सोसायटी फॉर साइंटीफिक वैल्यूज' के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा गया केवल डॉ. के.एल. चोपड़ा को सोसायटी का अध्यक्ष बताया गया, केवल इस प्रकाशन के लिये सोसायटी पर कोई आरोप लगाना किसी भी प्रकार सही नहीं माना जा सकता है। प्रतिवादी के एडवोकेट ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता का मुख्य उद्देश्य उसके मुवक्किल पर दबाव डालना है जिससे उसके मुवक्किल के समाचार पत्र में इस विषय पर अन्य कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया जा सके। प्रतिवादी के एडवोकेट ने यह उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार उपलब्ध दस्तावेजों और संबंधित पक्षों की टिप्पणियों पर आधारित था तथा इससे इंकार किया कि यह समाचार मुद्दे को किसी प्रकार सनसनीखेज बनाने के लिये प्रकाशित किया गया।

रिपोर्ट

दिनांक 30.1.2012 को एक स्थगन के बाद, यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 3.10.2012 को पुनः जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। डॉ. आर.के. कोटनाला, शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुआ। प्रतिवादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने 'सोसायटी फॉर साइंटीफिक वैल्यूज' संस्थान के अध्यक्ष के विरूद्ध धृष्टतापूर्ण समाचार प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता की मुख्य आपत्ति यह थी कि आक्षेपित समाचार में संस्थान 'सोसायटी फॉर साइंटीफिक वैल्यूज' का नाम अनावश्यक रूप से घसीटा गया और डॉ. के.एल. चोपड़ा के आईआईटी, खड़कपुर में पिछले कार्यकाल के दौरान की गई शिकायतों से संस्थान का कोई संबंध नहीं है। शिकायतकर्ता ने कहा कि डॉ. के.एल. चोपड़ा, संस्थान (एसएफएसवी) के अध्यक्ष ने अपने बयान में भी उन पर लगाये गये आरोपों से स्पष्ट इंकार किया है।

जांच समिति ने समाचार मद पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और पाया कि विचाराधीन समाचार डॉ. के.एल. चोपड़ा के विरूद्ध प्रकाशित किया गया जिन्होंने इस प्राधिकरण से सम्पर्क नहीं किया, संस्थान, सोसायटी फॉर साइंटीफिक वैल्यूज, के विरूद्ध कुछ प्रकाशित नहीं किया गया। अतएव वह मामले में अगली कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझती है। समिति ने शिकायत को खारिज करने के लिये परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

106) श्री रवीन्द्र द्विवेदी *बनाम* **संपादक**
राष्ट्रीय अध्यक्ष **तरूण भारत**
भ्रष्टाचार विरोधी समिति, थाणे **कोल्हापुर**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 4.7.2009 श्री रवीन्द्र द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भ्रष्टाचार विरोधी समिति, थाणे द्वारा संपादक, तरूण भारत, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के विरूद्ध उनके अंक दिनांक 18.6.2009 में झूठे, बेबुनियाद और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरूद्ध डकैती, हत्या और अपहरण आदि के 11 मामले दर्ज होने का आरोप लगाया गया है। भ्रष्टाचार विरोधी समिति पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध केस दर्ज करने के लिये दबाव डालती हैं और लोगों को भ्रमित करने के लिये भ्रष्टाचार विरोधी समिति की शाखाएं खोलती हैं। नवाब शेख, कोल्हापुर ने बताया कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्य करने के लिये एक अलग विभाग गठित किया है, विभाग के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्रवाई करने का प्राधिकार होता है। तथाकथित भ्रष्टाचार विरोधी समिति के विरूद्ध अनेक आपराधिक मामले दर्ज किये जा चुके हैं।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि श्री नवाब शेख, प्रतिवादी समाचार पत्र का रिपोर्टर, ने मोबाइल पर 1 लाख रु. की मांग की और धमकी दी कि वह उसके और उसकी संस्था के विरूद्ध झूठे समाचार प्रकाशित कर देगा। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि कथोक्त रिपोर्टर ने उसे मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने रिपोर्टर के विरूद्ध मुख्य मंत्री और पुलिस प्राधिकारियों को शिकायत की और उनसे प्रतिवादी के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार संघ में उसे बदनाम करने के इरादे से प्रकाशित किया गया और प्रतिवादी धन उगाही का काम करता है। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी का ध्यान 18.6.2009 को प्रकाशित आक्षेपित समाचार की ओर आकृष्ट किया और उससे उसका खंडन प्रकाशित करने का अनुरोध किया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।

कारण बताओ नोटिस दिनांक 15.4.2010 प्रतिवादी तरूण भारत, थाणे को भेजा गया किन्तु अनेक अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी कोई लिखित बयान दर्ज नहीं किया गया।

यह मामला पुणे में दिनांक 27.4.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सर्वश्री शंकर पी. पाटिल, अध्यक्ष, विश्वजीत एस. दियाम्ड्रे, राज्य अध्यक्ष, भ्रष्ट ाचार विरोधी समिति, थाणे शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित हुए। श्री दशरथ पारेकर, रेजीडेंट संपादक और श्री राहुल एल. शिंदे, प्रशासन प्रबंधक, तरूण भारत प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए। जांच समिति ने प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दर्ज करने के लिये सुनवाई स्थगित कर दी।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 3.10.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता की ओर से कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं होने और शिकायत पर अगली कार्रवाई की उसकी अनिच्छा को ध्यान में रखते हुए, परिषद् ने अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज कर दिया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

107)	**श्री रवीन्द्र द्विवेदी**	*बनाम*	**संपादक**
	राष्ट्रीय अध्यक्ष		**भूमि**
	भ्रष्टाचार विरोधी समिति थाणे		**जामनगर**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 13.03.2009 श्री रवीन्द्र द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भ्रष्टाचार विरोधी समिति, थाणे द्वारा संपादक, भूमि, गुजराती समाचार पत्र, जामनगर, गुजरात के अंक दिनांक 9.2.2009 में प्रकाशित मनगढंत और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा इस समाचार के अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, निजी वाहन मालिक ब्यूरो का बोर्ड लगा लेते हैं और भ्रष्टाचार विरोधी छापे मारते हैं, जनता में इसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने बताया कि निजी वाहनों को ऐसे बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है और इस प्रकार के बोर्ड लगाने वालों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार उसकी समिति को बदनाम करने के लिये प्रकाशित किया गया था। उसने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी समिति के सदस्य/कार्यकर्ता पूरे भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कार्य पिछले 11 वर्षों से कर रहे हैं और समिति के सदस्य अपने वाहनों पर ऐसे बोर्ड नहीं लगा सकते हैं। उसने उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने आक्षेपित समाचार उसकी समिति की छवि को धूमिल करने की मंशा से प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता ने दिनांक 11.2.2009 के पत्र के जरिये प्रतिवादी का ध्यानाकृष्ट किया और जब उससे इसका प्रतिवाद प्रकाशित करने का अनुरोध किया तब कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

रिपोर्ट

24.4.2012 को प्रथम स्थगन के बाद, जब जांच समिति ने लिखित बयान दायर करने के लिये समय दिया था, उसके बाद यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 3.10.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पुनः प्रस्तुत किया गया। दोनों ही पक्षों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी सूचना नहीं मिलना मामले में अगली कार्रवाई में अनिच्छा को दर्शाता है और इसलिए उसने परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

108) श्री परशुराम एम.दिवानंद *बनाम* **संपादक,**
पुणे, महाराष्ट्र **स्वरविहार**
पुणे, महाराष्ट्र

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 20.6.2010 श्री परशुराम एम. दिवानंद, राज्य युवा पुरस्कार विजेता एवं कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार विजेता, दंत चिकित्सा विभाग, सशत्र सेना चिकित्सा कॉलेज, पुणे, महाराष्ट्र द्वारा संपादक, श्री ज्ञानेश्वर सीताराम कराले, संपादक, स्वरविहार साप्ताहिक (मराठी) के विरूद्ध पत्रकारिता की आड़ में सरकारी अधिकारियों तथा निरपराध लोगों को धमकियां देने और ब्लैकमेल करने के आरोप में दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी करोड़ों की सम्पत्ति का मालिक है और जब उसने प्रतिवादी के संगठन 'मानवाधिकार संघ' के बारे में दिनांक 12.1.2010 को सूचना चैरिटी आयुक्त, पुणे के लिये मांगी तो उसने अपने अधीनस्थों द्वारा अपना आवेदन वापस लेने के लिये धमकियां देना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने एक झूठे मामले में उसे फंसाया है और उसके विरूद्ध एक एफआईआर दर्ज करा दी। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने राज्य सूचना आयुक्त से भेंट की जिसने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। शिकायतकर्ता ने एफआईआर की कुछ प्रतियां भी प्रस्तुत कीं जो स्थानीय लोगों द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध दायर की गई थीं। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी मानवाधिकार संघ का अध्यक्ष है जिसका पत्रशीर्ष लोगों को ब्लैकमेल करने के लिये प्रयोग किया जाता है। मानवाधिकार संघ का पंजीकरण संयुक्त चैरिटी आयुक्त द्वारा निरस्त कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब चैरिटी आयुक्त ने न्यासी के खिलाफ एक आपराधिक मामला दायर किया गया और प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, कि तो उसने अपने समाचार पत्र दिनांक 2.8.2010 में झूठे आरोप लगाते हुए एक समाचार प्रकाशित कर दिया और यह प्रकाशित करके महिला कर्मचारी कि छवि धूमिल की, कि अधीक्षक के उस महिला के साथ विवाहेतर संबंध हैं तथा करोड़ों रुपये के घोटाले में आयुक्त को भी शामिल कर लिया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने उसके और उसकी पत्नी के विरूद्ध झूठा और अपमानजनक समाचार प्रकाशित किया क्योंकि उन्होंने प्रतिवादी संपादक की मांगें पूरी नहीं की थीं। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने फिर दिनांक 26.8.2010 को एक और समाचार प्रकाशित किया कि शिकायतकर्ता मनोरोगी फौजी है इसीलिये भारतीय सेना के सभी बहादुर सैनिकों को बदनाम करता रहता है जो राष्ट्र पर अपना बहुमूल्य जीवन न्यौछावर कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने अपने समाचार पत्र की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अपने समाचार पत्र की प्रतियां आरएनआई को कभी प्रस्तुत नहीं कीं। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने दिनांक 30.8.2010 को संपादक का इस ओर ध्यान आकर्षित किया था किंतु कोई उत्तर नहीं मिला।

प्रतिवादी संपादक, स्वरविहार ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 13.4.2011 में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता भारतीय सेना में सेवारत है और उसकी पत्नी श्रीमती लैला डावाल शेख मंडल कार्यालय, निगडी में मंडल अधिकारी के पद पर कार्यरत है। उसने उल्लेख किया कि मई 2010 में, 'ए' विभागीय मंडल श्रीमती लैला डावाल शेख के कार्यालय ने श्री अशोक बेलीराम अग्रवाल, श्री रमेश गोवर्धन अग्रवाल, श्री नरेश गोवर्धन अग्रवाल और श्री दिलीप रामभाऊ बोबाडे को लाखों रुपये के गेहूं, चावल, चीनी, पामोई और मिट्टी के तेल की आपूर्ति की थी और घोटाले में मद्द की तथा सभी व्यवसायियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। शिकायतकर्ता और श्री आर.पी. भोसले ने दिनांक 13.10.2003 को उनके संघ के विरूद्ध एक शिकायत दर्ज की और उस शिकायत को झूठा पाया गया था। उनके विरूद्ध एक शिकायत डीसीपी, पुणे को राष्ट्रीय सर्वक्षमा संघ द्वारा दिनांक 18.2.2004 को और सुश्री अंजलि मुले द्वारा 26.2.2004 को दर्ज कराई गई जिन्हें आपूर्ति विभाग द्वारा साक्ष्य के अभाव के कारण निपटा दिया गया। उसने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता की पत्नी को पिम्परी थाने द्वारा अपराध सं. 495/10 में आईपीसी की धाराओं 420, 467, 468 और 471 के तहत सह-अभियुक्त बनाया गया किंतु शिकायतकर्ता ने कहा कि उसकी पत्नी की मनःस्थिति ठीक नहीं है।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 27.7.2011 में उल्लेख किया कि श्री ज्ञानेश्वर कराले एक धोखेबाज है और वह पहले से बदनाम है। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी जनता को और सरकार के साथ ब्लैकमेलिंग और अवैध उगाही करता है और गुमराह करता है।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.9.2011 के उत्तर में प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 11.10.2011 में लिखित बयान दायर किया जो स्थानीय भाषा में है। परिषद् ने उसके लिखित बयान के हिन्दी/अंग्रेजी बयान की मांग की। किंतु उत्तर नहीं मिला।

यह मामला पुणे में दिनांक 25.4.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुआ जबकि श्री ज्ञानेश्वर सीताराम कराले, संपादक, स्वरविहार, पुणे प्रतिवादी की ओर से पेश हुआ। जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुने और प्रथमदृष्टया पाया कि प्रतिवादी द्वारा प्रयुक्त भाषा अत्यधिक आपत्तिजनक थी और जो सिविल समाज के आदर्शों का उल्लंघन करती है। उसने जिलाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुणे को निदेश दिया कि मामले में जांच की जाए और परिषद् को सूचित करें कि क्या समाचार पत्र ब्लैकमेलिंग करता है और समाचार पत्र को प्रमाणिक होना सूचित करें।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 3.10.2012 को पुनः जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। शिकायतकर्ता श्री परशुराम एम. दिवानंद स्वयं उपस्थित हुआ। प्रतिवादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत को दोहराया। पुलिस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण) ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि प्रतिवादी आरटीआई एक्ट के तहत सरकारी कार्यालयों से अनावश्यक रूप से दुर्भावना से आदतन जानकारी लेता

रहता है ताकि सरकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल और परेशान किया जा सके। उसने यह भी उल्लेख किया कि यदि सरकारी कर्मचारी उसकी मांगों को पूरा करने से मना करते हैं तो वह अपने समाचार पत्र में उन अधिकारियों के विरूद्ध झूठे, अवमाननापूर्ण और परेशान करने वाले समाचार प्रकाशित कर देता है।

जांच समिति ने केस के रिकार्ड पर गंभीरतापूर्वक विचार करने पर पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप सही हैं कि प्रतिवादी निरपराध सरकारी कर्मचारियों को नियमित रूप से घमकियां देता और ब्लैकमेल करता रहता है जो पुलिस रिपोर्ट से भी सिद्ध होता है। अतः जांच समिति ने शिकायत को सही पाये जाने और प्रतिवादी संपादक, स्वरविहार, पुणे की परिनिंदा करने का निर्णय लिया। शिकायतकर्ता यदि चाहे, तो उपयुक्त विधिक प्राधिकारी के सम्मुख केस दायर कर सकता है। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी संपादक, स्वरविहार, पुणे की परिनिंदा करने का निर्णय लिया। निर्णय की एक प्रति राज्य सरकार महाराष्ट्र, डीएवीपी, आरएनआई, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, महाराष्ट्र सरकार और जिलाधीश, पुणे को भी कार्रवाई हेतु, जैसाकि वे उचित समझें, भेजी जाए।

109) डॉ. प्रभजोत कौर *बनाम* **संपादक**
गुरू नानक अस्पताल करनाल, **दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़**
हरियाणा

अधिनिर्णय

यह अदिनांकित शिकायत डॉ. प्रभजोत कौर, गुरू नानक अस्पताल, करनाल, हरियाणा द्वारा संपादक, दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़ के विरूद्ध उनके समाचार पत्र दिनांक 21.06.2011 में शीर्षक ''करनाल के डॉक्टर कटघरे में - आरटीआई सूचना से 60 वर्षीय द्वारा जुड़वां को जन्म देने का दावा खुला'' (हिन्दी अनुवाद) से प्रकाशित गलत, असत्यापित और अति आपत्तिजनक समाचार के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा किया गया एक बड़ा दावा कि एक 60 वर्षीय वृद्धा ने मासिक चक्र बंद होने के 20 वर्ष बाद आईवीएफ तकनीक से जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, आरटीआई एक्ट के तहत प्राप्त सूचना से दावा झूठा साबित हो गया क्योंकि प्राप्त सूचना के अनुसार, महिला की आयु लगभग 40 वर्ष थी। यह भी बताया गया कि विगत 30 अप्रैल को, डॉ. प्रभजोत ने एक 'करिश्मा' कर दिया जब जगदीश, निवासी ब्रिड अमीन गांव, कुरूक्षेत्र, ने स्वस्थ जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक बालक और एक बालिका थी। उसने दावा किया था कि महिला की आयु 60 वर्ष थी। दि मेडिकल एथिक्स फोरम, एनजीओ, ने उनके इस दावे को अविश्वसनीय बताया और मतदाता सूची की फोटो प्रति प्रस्तुत की जिसमें उसकी आयु 36 वर्ष लिखी थी लेकिन डॉ.

कौर ने अपने दावे को सही बताया और यह सिद्ध करने के लिये अस्पताल के कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किये कि महिला की आयु 60 वर्ष थी। उसने उल्लेख किया कि जगदीश कौर के पिता ने यह उल्लेख करते हुए एक हलफनामा दिया था कि उनकी बेटी की आयु लगभग 60 वर्ष है। यह भी उल्लेख किया गया कि लोगों को रोगी की गलत आयु बता कर गुमराह करके सस्ती लोकप्रियता पाने के लिये दि मेडिकल एथिक्स फोरम के निदेशक ने डॉक्टर को दोषी बताया तथा उसके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये संबंधित प्राधिकारियों को शिकायत की और महानिदेशक, (स्वास्थ्य सेवाएं), हरियाणा ने मामले में जांच करने के लिये आदेश दिये लेकिन डॉ. प्रभजोत कौर टिप्पणियों के लिये उपलब्ध नहीं थी।

आरोपों से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचार असत्यापित और अति आपत्तिजनक था। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह गुरू नानक अस्पताल, करनाल में एक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर चला रही है और एक रोगी, नाम श्रीमती जगदीश कौर, मासिक-चक्र समाप्त महिला, बच्चा न होने की शिकायत के कारण वर्ष 2008 से उसके इलाज में थी और लगातार उपचार के बाद उसने बिना किसी परेशानी के स्वस्थ जुड़वां को जन्म दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि तब से अनेक रिश्तेदार उसके अस्पताल आते रहे अतः प्रेस का भी उस ओर ध्यान आकर्षित हुआ। तदनुसार, यह समाचार संडे ट्रिब्यून में दिनांक 1.5.2011 को तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ तथा दूरदर्शन पर न्यूज चैनलों पर भी प्रसारित हुआ जो विवादास्पद नहीं हुए। शिकायतकर्ता ने यह भी सूचित किया कि चूंकि यह समाचार दूर-दूर फैल गया था तो 1.5.2011 को उसके अस्पताल दो व्यक्ति आये, एक ने स्वयं को श्री रमेश शर्मा, 'समय सहारा' न्यूज चैनल का संवाद्दाता, हिसार बताया और दूसरा उसका सहायक था। कथित श्री शर्मा ने उसका और उसकी रोगी श्रीमती जगदीश कौर जो उसके अस्पताल में भर्ती थी, तथा उसके रिश्तेदारों जो उस समय वहां मौजूद थे, का साक्षात्कार लिया जिन्हें बता दिया गया था कि वीडियो रिकार्ड के लिये क्या बोलना है। तत्पश्चात् श्री शर्मा ने उसे धमकियां देना शुरू कर दिया कि वह वीडियो रिकार्डिंग को अपनी मर्जी अनुसार बदल सकता है और प्रतिकूल समाचार बना देगा, उसने श्री इन्दर मोहन सिंह तथा अन्यों की उपस्थिति में उसे कुछ नकद भुगतान करने की शर्त रखी। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उससे अनेकों धमकियां भरी कॉल आने के बाद उसने स्थानीय पुलिस से सम्पर्क किया और इस बारे में एक शिकायत दायर कर दी। उसके बाद, श्री शर्मा ने एक उत्पाती एनजीओ मेडिकल एथिक्स फोरम के माध्यम से 'यू ट्यूब' पर और साथ ही प्रिंट मीडिया में अवमाननापूर्ण समाचार प्रसारित करने शुरू कर दिये। उसने आरोप लगाया कि श्री शर्मा ने उक्त समाचारों को प्रसारित करके तथा वीआईपी और अन्य लोगों को झूठी और सुनियोजित सीडी वितरित करके तथा 'यू ट्यूब' पर अपलोड करके, निहित स्वार्थों के कारण, उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, चूंकि रोगी की आयु स्वयं रोगी द्वारा बताई गई थी और उसे रोगी से कोई जन्म प्रमाण-पत्र या अन्य कोई साक्ष्य तो लेना नहीं था। कथित रोगी श्रीमती जगदीश कौर ने वर्ष 2008 में अपनी प्रथम ओपीडी के समय अपनी आयु 57 वर्ष दर्ज कराई थी और उसके बाद वह अपने रिश्तेदारों के साथ अनेक बार अस्पताल आई और

उसने अपनी आयु 40 वर्ष व कभी 46 वर्ष बताई और कभी 49 वर्ष बताई थी किंतु अंत में अपनी डिलीवरी से पहले उसने बताया था कि वे छह भाई बहनें हैं और उसके सबसे छोटे भाई का जन्म वर्ष 1958 में हुआ था और वह उन सबसे बड़ी है और उसकी आयु लगभग 60 वर्ष है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रोगी की आयु के कारण प्रेस द्वारा उसे बेकार में बहुत बदनाम किया गया जबकि प्रेस के किसी भी व्यक्ति ने समाचार प्रकाशित करने से पहले उससे सम्पर्क नहीं किया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने मेडिकल एथिक्स फोरम का पता और उसका गठन ढूंढने की कोशिश की लेकिन न तो उसका पता मिला और न ही उसके गठन का पता लगा और उस फोरम का संचालन किन्हीं श्री अनुराग द्वारा किया जाता है, कोई फर्जी निकाय लगता है और ऐसे संदिग्ध निकायों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए जबकि उसने भी उसके विरूद्ध अवमाननापूर्ण सामग्री प्रकाशित करने से पूर्व उससे कभी सम्पर्क नहीं किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस सबके बावजूद भी प्रतिवादी 'दि ट्रिब्यून' ने आक्षेपित समाचार प्रकाशित कर दिया और उसने भी इस बदनाम करने वाले समाचार को प्रकाशित करने से पूर्व उससे सम्पर्क नहीं किया जिसके फलस्वरूप आम लोग और उसके साथियों ने उससे दूरी रखनी शुरू कर दी, जिससे उसके क्लीनिक को भारी नुकसान हुआ जिसे पैसों में नहीं तोला जा सकता है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने ईमेल और डाक द्वारा प्रतिवादी 'दि ट्रिब्यून' से भी दिनांक 7.7.2011 को अनुरोध किया किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

प्रतिवादी मुख्य संपादक, दि ट्रिब्यून ने अपने लिखित बयान दिनांक 6.1.2012 में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों का खंडन किया। उसने बताया कि इस कहानी के प्रकाशित होने के कुछ दिन बाद, एक संगठन नामतः मेडिकल एथिक्स फोरम ने डॉ. प्रभजोत कौर के दावे का विरोध किया और शिकायतकर्ता से तदनुसार, उसका बयान लेने के लिये सम्पर्क किया जिसका दावा था कि उस महिला की आयु 60 वर्ष थी और उसी समय उसने कुछ लोगों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उससे अवैध तरीके से धन वसूली की कोशिश की थी। उसने उल्लेख किया कि मेडिकल एथिक्स फोरम का बयान प्रकाशित नहीं किया गया था जबकि कथित फोरम द्वारा अनेकों ईमेल भेजे गये थे। उसने यह भी उल्लेख किया कि फोरम ने समाचार के साथ 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार भी भेजा था और उसके रिपोर्टर ने करनाल में शिकायतकर्ता से सम्पर्क करने का प्रयास भी किया था जो 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार को जानने के लिये सामान्यतया उपस्थित होती थी किंतु वह उसके अनेकों प्रयास करने के बावजूद भी मिलने से बचती रही। उसने उल्लेख किया कि पत्रकारिता की भावना के अनुसार, मेडिकल एथिक्स फोरम के बयान दिनांक 22.6.2011 को प्रकाशित कर दिये गये। उसने कहा कि समाचारों में उसके दावों और उपलब्धियों को पूरी तरह कवर किया गया और प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार यह गलत है जबकि प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने झूठी शिकायत दर्ज की थी।

शिकायतकर्ता ने अपनी अदिनांकित प्रतिटिप्पणियों में कहा कि वह प्रतिवादी के लिखित बयान से संतुष्ट नहीं है। शिकायतकर्ता ने विवेचित किया कि 'द ट्रिब्यून' के संवादाता को

सभी तथ्यों के बारे में भली भांति जानकारी थी कि उसे कुछ लोगों द्वारा ब्लैकमेल किया गया था फिर भी उन्होंने मानहानिजनक और अवमाननापूर्ण समाचार छाप दिया। शिकायतकर्ता ने आगे यह बताया कि 'द टिब्यून' का लिखित बयान परस्पर विरोधी है क्योंकि पहले उन्होंने उसकी उपलब्धियों की अच्छी कवरेज की थी और तत्पश्चात् उन्होंने बताया कि डॉक्टरों को कई-कई वर्षो की कडी मेहनत के बाद प्रेम, सम्मान और अच्छी ख्याति प्राप्त होती है और अपने मरीजों के लिए दिन रात काम करके उनकी युवावस्था लगभग बीत जाती है। इस प्रकार रोगियों और समाज में अपनी साख बनाने में वर्षों लग जाते हैं जबकि इसे बिगाडने में कुछ पल ही लगते हैं।

जांच समिति के समक्ष यह मामला चंडीगढ में 13.8.2012 को सुनवाई के लिए पेश हुआ। श्री इन्दरमोहन सिंह (डॉ. प्रभजोत कौर के भाई) शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुआ। श्री अमित शर्मा, उप प्रबन्धक (विधि) प्रतिवादी 'द ट्रिब्यून' की ओर से पेश हुए। समिति ने श्री अमित शर्मा, उप प्रबन्धक (विधिक), 'द ट्रिब्यून' को सुना और मामले को उसके गुणों के आधार पर देखा। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उन्होंने दोनों पक्षों के वर्तन को छाप कर पत्रकारिता दायित्व का पर्याप्त अनुपालन किया है। प्रथम दृष्ट्या, समिति, शिकायत से संतुष्ट नहीं थी। हालाकि, शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त एक स्थगन आवेदन और प्रतिनिधि की चिकित्सीय प्रमाणपत्र के साथ देर से उपस्थिति के कारण समिति ने सुनवाई के लिए मामले के स्थगन की अनुमति दे दी।

रिपोर्ट

यह मामला फिर से जांच समिति के समक्ष नई दिल्ली में 30.10.2012 को सुनवाई के लिए पेश हुआ। डॉ. प्रभजोत कौर स्वंय उपस्थित हुई श्री अमित शर्मा, एप प्रबन्धक (विधिक) प्रतिवादी 'द ट्रिब्यून' की ओर से उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत को दोहराया और जोर दिया कि उसने 7.07.2011 को प्रतिवादी को प्रत्यत्तर भेजा था परन्तु उसे छापा नहीं गया।

जांच समिति ने दोनों पक्षों की बात सुनी और शिकायतकर्ता की मुख्य शिकायत, जो 21.06.2011 को प्रकाशित आक्षेपित समाचार के शीर्षक 'करनाल की डॉक्टर कटघरे में - आर0 टी0 आई0 सूचना से साठ वर्षीय द्वारा जुडवां को जन्म देने का दावा खुला' किया के विरूद्ध थी, पर गौर किया इसके लिए उन्होंने उपरोक्त समाचार के विरूद्ध प्रतिवादी संपादक, द ट्रिब्यून, चंडीगढ को 7.7.2011 को पहले से ही प्रत्युत्तर भेज दिया था। परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

जांच समिति ने प्रतिवादी के प्रतिनिधि का ध्यान पत्रकारिता के आचरण के मानक, संस्करण 2010 के मानक 14 (iv) की ओर आकृष्ट किया जो इस प्रकार है-

> *"प्रेस की स्वतंत्रता में पाठकों का जन-रूचि के किसी भी मुदे के सभी पहलुओं को जानने का अधिकार शामिल है। अतः संपादक को केवल इस आधार पर उत्तर या प्रत्युत्तर प्रकाशित करने से इन्कार नहीं करना चाहिए कि उसकी राय में समाचार में प्रकाशित कथा सच्ची है। इस बात का निर्णय*

पाठकों पर छोड़ देना चाहिए। किसी पाठक की अवहेलना करना भी संपादक को शोभ नहीं देता।"

तदनुसार, जांच समिति ने प्रतिवादी संपादक, दि ट्रिब्यून को पत्र दिनांक 7.7.2011 का सारांश समाचार पत्र में प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करने का निदेश दिया और संपादक, यदि चाहे, उस पर टिप्पणी संलग्न कर सकता है। आदेश का छह सप्ताह में अनुपालन होना चाहिए। समिति ने यह भी निदेश दिया कि उनके आदेश की प्रति दि ट्रिब्यून के अध्यक्ष को रिकार्ड के लिये प्रस्तुत की जाए। जांच समिति ने इन निदेशों के साथ शिकायत का निपटान करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी संपादक, दि ट्रिब्यून को उपर्युक्त निदेशों के अनुसार, स्पष्टीकरण प्रकाशित करने का निदेश दिया।

110) श्री इन्दर पाल सिंह
पंजीयक इंजीनियरिंग कॉलेज सेल
तकनीकी शिक्षा एवं प्रौद्योगिक
प्रशिक्षण निदेशालय, चंडीगढ़

बनाम

संपादक
हिन्दुस्तान टाइम्स
मोहाली

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 26.2.2011 श्री इन्दर पाल सिंह, पंजीयक, इंजीनियरिंग कॉलेज सेल, तकनीकी शिक्षा एवं प्रौद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय, चंडीगढ़ द्वारा संपादक, हिन्दुस्तान टाइम्स के विरूद्ध उनके समाचार पत्र दिनांक 26.2.2011 में शीर्षक ''दोषी विद्यमान-नहीं पदों पर पदोन्नत' (हिन्दी अनुवाद) से प्रकाशित झूठे, निराधार और अत्यधिक अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में कहा गया है कि शिकायतकर्ता को पंजीयक, इंजीनियरिंग कॉलेज सेल, एक राज्य स्तरीय पद पर पदोन्नत कर दिया गया। आरोप का खंडन करते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि 19 अक्तूबर, 2009 के बाद उसकी कभी पदोन्नति नहीं हुई और वह पंजीयक के पद पर पहले ही से कार्य कर रहा है और वह अभी भी उसी पद पर है। शिकायतकर्ता के अनुसार, वास्तविक स्थिति का बयान श्री प्रभजीत सिंह, संवाद्दाता, हिन्दुस्तान टाइम्स को व्यक्तिगत रूप से कर दिया गया था जो इस संबंध में दिनांक 24.2.2011 को उनके कार्यालय आये थे तब वह पंजीयक, बेयंत कॉलेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल, गुरदासपुर के पद पर तैनात थे, उन्हें कुछ बेईमान लोगों के कहने पर झूठे भ्रष्टाचार मामले में फंसाया गया था। तत्पश्चात्, कुछ निहित स्वार्थी स्टाफ सदस्यों ने उनके स्थानान्तरण के लिये एक प्रतिवेदन निदेशक, तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंजाब को प्रस्तुत किया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि कथित प्रतिवेदन के आधार पर उनका

स्थानान्तरण कर दिया गया और मुख्य कार्यालय, चंडीगढ़ में तैनाती कर दी गई तथा उनके स्थानान्तरण की सूचना सतर्कता विभाग और श्री राकेश कुमार, लैब अटैंडेंट को भेज दी गई। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वर्तमान स्थान पर तैनाती होने पर उनके स्थानान्तरण का किसी ने भी विरोध नहीं किया। हालांकि, उनके पक्ष को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने से उपेक्षा की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ये झूठे आरोप प्रतिवादी द्वारा उसकी छवि को धूमिल करने के लिये शरारती मंशा से प्रकाशित किये गये और अन्य प्रतिवादी भी उसकी छवि को बिगाड़ने के षड्यंत्र में शामिल हैं। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने एडवोकेट के माध्यम से एक कानूनी नोटिस दिनांक 26.2.2011 प्रतिवादियों को भेजकर आपत्तिजनक मामले की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया था किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 1.7.2011 के उत्तर में प्रतिवादी प्रधान संवाद्दाता, दि हिन्दुस्तान टाइम्स, मोहाली, पंजाब ने अपने लिखित बयान दिनांक 25.7.2011 में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता की यही शिकायत है कि उसे बेअंत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज, गुरदासपुर से निदेशालय मुख्यालय, चंडीगढ़ में स्थानान्तरित करते समय पदोन्नत नहीं किया गया। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने कहानी के किसी अन्य मुद्दे का विरोध नहीं किया जो मुख्यता इस बारे में था कि किस प्रकार मंत्री महोदय ने भ्रष्टाचार के मामले में उसके अभियोजन के लिये राज्य सतर्कता विभाग को राज्य सरकार की मंजूरी से संबंधित फाइल को रोका हुआ है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि तकनीकी शिक्षा एवं प्रौद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय में ऐसा कोई पद है ही नहीं जहां शिकायतकर्ता को भ्रष्ट ाचार के मामले में 57 दिन की जेल काटने और पांच माह से अधिक तक निलम्बित रहने के बाद स्थानान्तरित किया जाए। शिकायतकर्ता स्वयं को पंजीयक, इंजीनियरिंग कालेज सेल, तकनीकी शिक्षा एवं प्रौद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय, पंजाब सरकार बताता है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि अब यह परिषद् को तय करना है कि क्या शिकायतकर्ता निदेशालय में विद्यमान-नहीं पद धारण के विशेषाधिकार का लाभ उठा रहा है।

यह मामला चंडीगढ़ में दिनांक 13.8.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुआ। श्री प्रभजीत सिंह, प्रधान संवाद्दाता, हिन्दुस्तान टाइम्स प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि उसे इंजीनियरिंग कॉलेज का पंजीयक पुनः नियुक्त किया गया और फिर विभाग के अनुरोध पर निदेशालय में पंजीयक के एक मौजूदा पद पर तैनात किया गया। प्रतिवादी ने कहा कि स्थानान्तरण आदेश में उल्लेख नहीं है कि उसे निदेशालय में पंजीयक के रूप में स्थानान्तरित किया जा रहा है और इस कारण शिकायतकर्ता का खंडन प्रकाशित करने का अनुरोध विचारणीय नहीं है।

समिति ने रिकार्ड में नियुक्ति पत्र देखने के बाद निर्णय लिया कि नियुक्ति पत्र के बारे में एक स्पष्टीकरण उनके प्रधान सचिव के माध्यम से पंजाब सरकार से प्राप्त करना वांछनीय है और मामले में स्पष्टीकरण 3 सप्ताह में प्रस्तुत करने के लिये कहा। प्रतिवादी को भी कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की छूट दी गई, जो वह चाहे।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 3.10.2012 को जांच समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ पेश किया गया। शिकायतकर्ता श्री इन्दरपाल सिंह, पंजीयक, इंजीनियरिंग कॉलेज सेल, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय, चंडीगढ़ स्वयं पेश हुए। श्री राजीव पुरी, प्रभारी अधिकारी, इंजीनियरिंग कॉलेज सेल प्रधान सचिव, तकनीकी शिक्षा, पंजाब की ओर से पेश हुए। सुश्री शची कौशिक, एडवोकेट हिन्दुस्तान टाइम्स की ओर से पेश हुई किंतु पेशी होने से पहले ही चली गईं। प्रधान सचिव, तकनीकी शिक्षा, पंजाब के प्रतिनिधि ने पेशी के समय एक बयान दायर किया जिसमें पुष्टि की गई कि ''श्री इन्दरपाल सिंह, पंजीयक बेअंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गुरदासपुर को 19.10.2009 से निलम्बित किया गया था क्योंकि सतर्कता ब्यूरो पंजाब ने रिश्वत के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें जांच चलने तक पुनः नियुक्त किया गया और पंजीयक के पद पर बेअंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गुरदासपुर तैनात किया गया। किंतु सतर्कता विभाग पंजाब के परामर्श पर उन्हें गुरदासपुर से दूर किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया, उन्हें अस्थायी व्यवस्था के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज सेल में नियुक्त किया गया जिसे निदेशक कार्यालय, तकनीकी शिक्षा व औद्योगिक प्रशिक्षण पंजाब में स्नातक स्तर के कार्यक्रमों से संबंधित कार्यकलापों की देखभाल करने और राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेजों, एमएचआरडी, एआईसीटीई और उद्योग के साथ उचित समन्वय व सम्पर्क रखने का कार्य सौंपा गया, जबकि वह पंजीयक, बेअंत कॉलेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गुरदास के पद का अपना वेतन प्राप्त करते रहेंगे। यह उल्लेख करना भी संगत है कि निदेशालय, तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, पंजाब में इंजीनियरिंग कॉलेज सेल में पंजीयक का कोई संस्वीकृत पद नहीं है तथा इंजीनियरिंग कॉलेज सेल में समय-समय पर मंजूर किये गये पदों की सूची यहां संलग्न की जा रही है।'' शिकायतकर्ता ने प्रधान सचिव के प्रतिनिधि द्वारा दिये गये बयान की वस्तुतः सत्यता को चुनौती देते हुए मुख्य कार्यालय, चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज सेल में अपनी तैनाती के तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेश प्रस्तुत किये।

जांच समिति ने केस के रिकार्ड और प्रधान सचिव, तकनीकी शिक्षा, पंजाब द्वारा प्रस्तुत लिखित बयान पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और शिकायतकर्ता को सूचित किया कि वह पत्र के कथन की वस्तुतः सत्यता को अदालत में चुनौती दे सकता है, यदि उसे कोई शिकायत हो। पत्र दिनांक 3.10.2012 की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को दे दी गई। जांच समिति ने निर्णय दिया कि सरकार का बयान शिकायतकर्ता के पक्ष में नहीं है, शिकायत का निपटान कर दिया गया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और मामले का निपटान किया।

111) श्री मनोज मोंगा
प्राधिकृत हस्ताक्षरी
मैसर्स वीडियोकॉन उद्योग लि.
ओखला, नई दिल्ली

बनाम

संपादक
राज एक्सप्रेस
भोपाल, मध्य प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 12.7.2010 मैसर्स वीडियोकॉन उद्योग लि. द्वारा अपने एडवोकेट के माध्यम से यह आरोप लगाते हुए दायर की गई है कि प्रतिवादी समाचार पत्र ने अपने समाचार पत्र दिनांक 01.06.2010 और 02.06.2010 में क्रमशः शीर्षकों ''वीडियोकॉन बेच रही मौत'' और ''वीडियोकॉन ? बरसे उपभोक्ता, कंपनी मौन'' के तहत झूठे और अवमाननापूर्ण समाचारों के विरोध में दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि 13.05.2010 को किन्हीं श्री प्रकाश पटेल और उनकी पत्नी श्रीमती आशा पटेल की दया नगर कालोनी, जबलपुर में उनके मकान में विस्फोट होने से मृत्यु हो गई।

समाचार दिनांक 1.6.2010 में इस समाचार को प्रकाशित किया गया जिसमें यह आरोप लगाया गया कि पटेल परिवार के घर में विस्फोट कंपनी द्वारा निर्मित ''वॉशिंग मशीन'' के कारण हुआ। 2.6.2010 को पुनः एक ऐसा ही समाचार ''कौन वीडियो, उपभोक्ताओं में घबराहट, कंपनी चुप है।'' यह दुर्भावना पूर्ण है। वस्तुतः इसमें गुप्त मंशा झलकती है। शिकायतकर्ता द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि वॉशिंग मशीन के प्रयोग से यह विस्फोट होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

शिकायतकर्ता ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनकी कंपनी लाखों वॉशिंग मशीनें तथा अन्य उत्पाद बेचती है और एक साधारण व्यक्ति भी जानता है कि वॉशिंग मशीनों का उत्पादन करने में ऐसी किसी गैस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जिससे कोई विस्फोट हो जाए। उसने यह भी उल्लेख किया कि मृतक पति-पत्नी अपनी साइड बिजनेस के तौर पर पटाखे बनाते थे जो विस्फोट का कारण हो सकता है। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर इस तथ्य का सत्यापन करने के लिये, विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई और मशीन को सही पाया, जैसेकि श्री नलिन बुढोलिया, पोस्ट प्रभारी, थाना लार्ड गंज के पत्र दिनांक 4.6.2010 में उल्लेख किया गया है कि श्री प्रकाश पटेल और उनकी पत्नी श्रीमती आशा पटेल को जलने के घाव लगे और उससे उनकी मृत्यु हो गई, बाद में यह कहा गया कि शुरू में यह बताया गया था कि वॉशिंग मशीन चलते समय विस्फोट हुआ था लेकिन जांच करने पर ज्ञात हुआ कि इस दुर्घटना का वॉशिंग मशीन से कोई लेना-देना नहीं था क्योंकि विशेषज्ञों द्वारा जांच के समय मशीन को सही पाया गया था।

प्रतिवादी का ध्यान आकर्षित करते हुए, शिकायतकर्ता ने दिनांक 16.06.2010 को पत्र लिख कर खेद प्रकट किया किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस प्रकार की अनुत्तरदायी और गलत रिपोर्टिंग से कंपनी की प्रतिष्ठा और बिक्री को भारी नुकसान हुआ।

कारण बताओ नोटिस प्रतिवादी संपादक, राज एक्प्रेस को दिनांक 24.09.2010 को भेजा गया था किंतु दिनांक 16.3.2011 और 20.7.2012 को अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी कोई उत्तर नहीं मिला।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 3.10.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। श्री रजनीश कुमार शर्मा, एडवोकेट शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए। प्रतिवादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।

जांच समिति ने समाचारों और शिकायत पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और बचाव के लिये अनुपस्थित पाया। ब्लास्ट के कारणों की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, यह कहा गया कि समाचार पत्र ने पूरी लापरवाही के साथ समाचार प्रकाशित कर दिया था। जांच समिति इससे संतुष्ट थी कि समाचार लापरवाहीपूर्ण और अवमाननापूर्ण था। जांच समिति ने प्रतिवादी समाचार पत्र, राज एक्सप्रेस, भोपाल, मध्य प्रदेश की परिनिंदा करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और प्रतिवादी समाचार पत्र, राज एक्सप्रेस, भोपाल, मध्य प्रदेश की और परिनिंदा करने का निर्णय लिया। अधिनिर्णय की एक प्रति राज्य सरकार, मध्य प्रदेश, डीएवीपी, आरएनआई, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और जिलाधीश, भोपाल को कार्रवाई के लिये भेजी जाए जैसेकि वे उचित समझें।

112) श्री जवाहर शंकर कुमार *बनाम* **संपादक**
कार्यकारी अध्यक्ष **प्रभात खबर**
बिहार राज्य आशुलिपिक/लिपिक संघ **पटना, बिहार**
समस्तीपुर, बिहार

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 27.6.2009 श्री जवाहर शंकर कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य आशुलिपिक/लिपिक संघ, समस्तीपुर, बिहार द्वारा प्रभात खबर के विरूद्ध उनके समाचार पत्र दिनांक 23.6.2009 में शीर्षक ''शोक सभा आयोजित'' से प्रकाशित कथित

झूठे और भ्रामक समाचार के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में यह कहा गया कि समस्तीपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री एस.एम. नसीमुद्दीन के स्टेनो श्री निजामुल हसन की हार्ट अटैक के कारण अदालत परिसर में सोमवार को मृत्यु हो गई और अदालत के अनेक संघों ने अदालत परिसर में शोक सभा का आयोजन किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने श्री हसन के परिवार और सम्बन्धियों को मानसिक वेदना पहुंचाने वाला एक सरासर गलत और भ्रामक समाचार प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री एस.एम. नसीमुद्दीन के स्टेनो श्री निजामुल हसन पूर्णतया स्वस्थ थे। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने प्रतिवादी को उस समाचार का खंडन दिनांक 27.6.2009 प्रकाशित करने के लिये भेजा किंतु उसे न तो प्रकाशित किया गया और न ही कोई उत्तर दिया गया।

प्रतिवादी संपादक, प्रभात खबर को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 4.11.2009 को भेजा गया किंतु अनुस्मारक दिनाक 4.5.2010 भेजने के बावजूद भी उत्तर नहीं मिला।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 4.10.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। जांच समिति ने केस के रिकार्ड पर गंभीरतपूर्वक विचार करने पर पाया कि आक्षेपित समाचार शीर्षक ''शोक सभा आयोजित'' दिनांक 23.6.2009 समाचार पत्र द्वारा गलती से प्रकाशित कर दिया गया था। अधिकारी को हार्ट अटैक पड़ा था लेकिन वह ठीक हो गया था। चूंकि यह मामला तीन वर्ष पुराना है, जांच समिति पक्षों की अनुपस्थिति के कारण कार्रवाई नहीं कर सकी। फिर भी, जांच समिति ने पाया कि आक्षेपित समाचार से परिवार को वास्तव में दुख नहीं पंहुचाना चाहिए था। प्रतिवादी समाचार पत्र को भविष्य में सही जानकारी लेने के प्रति अधिक सचेत होना चाहिए। हालांकि, प्रतिवादी पर दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। उसने परिषद् से मामले का निपटान करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और उपर्युक्त दर्ज टिप्पणियों के आधार पर शिकायत का निपटान करने का निर्णय लिया।

113)	**श्री विजय कुमार ओझा** **उप निदेशक** **खान और भौगोलिक विभाग रांची**	*बनाम*	**संपादक** **दैनिक जागरण** **रांची**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 16.3.2010 श्री विजय कुमार ओझा, उप निदेशक, खान और भूगोलिक विभाग, रांची द्वारा संपादक, दैनिक जागरण, रांची के विरूद्ध उनके समाचार पत्र दिनांक 15.3.2010 में शीर्षक ''भूतत्व निदेशालय के कई अफसर निगरानी के दायरे में' से प्रकाशित झूठे और बेबुनियाद समाचार के आरोप में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में यह कहा गया है कि खान और भूगोलिक विभाग के शिकायतकर्ता तथा कई अन्य अधिकारियों पर सतर्कता बरती जा रही है।

आक्षेपित समाचार रिपोर्ट से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार से उप निदेशक, खान और भूगोलिक विभाग की प्रतिष्ठा को क्षति हुई। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 16.3.2010 द्वारा आक्षेपित समाचार की ओर प्रतिवादी का ध्यान आकर्षित किया। उसके उत्तर में प्रतिवादी संपादक दैनिक जागरण, रांची ने अपने अंक दिनांक 19.3.010 में उसका खंडन शीर्षक 'ओझा पर निगरानी परिवाद नहीं' से प्रकाशित कर दिया, शिकायतकर्ता इससे संतुष्ट नहीं था। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी संपादक ने संबंधित पत्रकार के खिलाफ किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने की गलती के लिये कोई कार्रवाई नहीं की, खंडन में शिकायतकर्ता का पूरा कथन और विवरण भी नहीं दिया गया कि सतर्कता विभाग द्वारा विभाग के पत्र दिनांक 2.7.2009 से संदर्भित आरोपित अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई है।

प्रतिवादी संपादक ने अपने लिखित बयान दिनांक 12.1.2011 में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गए आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार उप सचिव, सतर्कता, झारखंड सरकार, रांची द्वारा जारी पत्र पर आधारित था। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि जब शिकायतकर्ता ने उसे सूचित किया कि सतर्कता विभाग ने उसे क्लीन चिट दे दी है, उन्होंने उसे प्रकाशित किया और आक्षेपित समाचार को प्रकाशित करने का उद्देश्य आम लोगों को सूचित करना था न कि किसी को आहत करना था।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 4.10.2012 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता श्री विजय कुमार ओझा स्वयं पेश हुए। श्री बी. के. मिश्रा, एडवोकेट प्रतिवादी, दैनिक जागरण की ओर से पेश हुए। शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि झूठा और बेबुनियाद समाचार प्रकाशित करने का उद्देश्य जनता में उसकी छवि को धूमिल करना था। उसने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने उसके कथन को सही ढंग से प्रकाशित नहीं किया। प्रतिवादी के एडवोकेट श्री बी.के. मिश्रा ने बताया कि आक्षेपित समाचार उप सचिव, सतर्कता, झारखंड सरकार, रांची के आधार पर प्रकाशित किया गया और जब उन्हें शिकायतकर्ता का बयान मिला तो उसे भी प्रकाशित कर दिया गया।

जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद पाया कि शिकायत दिनांक 15.3.2010 को शीर्षक 'भूतत्व निदेशालय के कई अफसर निगरानी के दायरे में' के तहत प्रकाशित आक्षेपित समाचार से संबंधित है। उसने यह भी पाया कि प्रतिवादी संपादक दैनिक जागरण, रांची ने अपने समाचार पत्र दिनांक 19.3.2010 में उसका खंडन ''ओझा पर निगरानी परिवाद नहीं'' शीर्षक से प्रकाशित कर दिया था। शिकायतकर्ता इससे संतुष्ट नहीं था क्योंकि शिकायतकर्ता का कथन प्रकाशित नहीं किया गया था कि आरोपित अधिकारियों को सतर्कता विभाग द्वारा क्लीन चिट दे दी गई थी। जांच समिति ने मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद पाया कि जिस पत्र के आधार पर आक्षेपित समाचार प्रकाशित किया गया था वह दिनांक 21.5.2006 का था जबकि सतर्कता विभाग ने क्लीन चिट दिनांक 27.11.2009 को दी थी। यह आक्षेपित समाचार की तारीख से बहुत पहले दी गई थी और और समाचार पत्र को प्रकाशन से पूर्व तीन वर्ष पुराने केस की वर्तमान स्थिति ज्ञात करनी चाहिए थी। हालांकि, उसने शिकायतकर्ता का बयान शीघ्र प्रकाशित करके समाचार की गंभीरता कम कर दी थी। अतः उसने परिषद् से शिकायत का निपटान करने की सिफारिश की क्योंकि समाचार पत्र द्वारा सुधार कार्रवाई शीघ्र कर दी गई थी।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और तदनुसार, शिकायत का निपटान करने का निर्णय लिया।

114) डॉ. अशोक कुमार तोमर *बनाम* **संपादक,**
सेवा-निवृत प्रिंसिपल **दैनिक जागरण**
नेशनल इंटर कॉलेज शाहपुर, **झांसी**
मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश **उत्तर प्रदेश**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 20.10.2010 डॉ. अशोक कुमार तोमर, सेवा-निवृत प्रिंसिपल, नेशनल इंटर कॉलेज, शाहपुर, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा संपादक, दैनिक जागरण के विरूद्ध उनके समाचार पत्र दिनांक 27.9.2010 में शीर्षक ''भेल शिक्षा निकेतन के प्रधानाचार्य के खिलाफ जांच के आदेश'' से प्रकाशित झूठे और निराधार समाचार के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा अपने सेवाकाल में गैर कानूनी ढंग से मकान निर्माण कराने और स्कूल प्रबंधन को पूर्व सूचना दिये बिना बी.एड. की डिग्री लेने के खिलाफ जांच चल रही है। उस पर यह भी आरोप लगाये गये हैं कि प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत होने के बाद, उसने भेल शिक्षा निकेतन के प्रिंसिपल के पद पर भी लम्बे समय तक कार्य किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि समाचार उसे बदनाम करने के इरादे से प्रकाशित किया गया और संपादक, दैनिक जागरण को भेजे उसके पत्र दिनांक 27.9.2010 का भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला।

प्रतिवादी ने एक लिखित बयान दिनांक 5.5.2011 दायर किया जिसमें कहा गया कि प्रकाशित समाचार शिकायतकर्ता को बदनाम करने के लिये नहीं छापा गया बल्कि श्री एम.एल. वर्मा, जिला स्कूल निरीक्षक, झांसी द्वारा जारी लिखित आदेशों के बाद प्रकाशित किया गया।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 14.5.2011 में उल्लेख किया कि समाचार मामले में उसके विचार सुने बिना प्रकाशित कर दिया गया और जिला स्कूल निरीक्षक ने भी फर्जी शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दे दिये जिस पर न तो कोई तारीख है और न ही सत्यापित है। जिला स्कूल निरीक्षक ने उसे लिखित में सूचित किया कि उसके कार्यालय द्वारा समाचार पत्र को ऐसा कोई समाचार नहीं दिया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी संपादक ने झांसी के एक स्कूल से संबंध होने के कारण जिला स्कूल निरीक्षक से बिना किसी आधार के जानबूझकर शिकायत की थी और जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया तथा समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित कर दिया। उसने यह भी उल्लेख किया कि जांच अभी भी चल रही है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि संपादक से दूरभाष पर बात करने के बावजूद भी, प्रतिवादी संपादक ने उसका खंडन जानबूझकर प्रकाशित नहीं किया।

प्रतिवादी ने एक पूरक उत्तर दिनांक 17.6.2011 दायर किया कि यदि जांच अभी चल रही है तो यह समाचार पत्र की गलती नहीं है। उन्होंने आक्षेपित समाचार जांच के आदेश जारी होने के बाद ही प्रकाशित किया था। शिकायतकर्ता का यह आरोप कि आक्षेपित समाचार भेल शिक्षा निकेतन से दुश्मनी होने के कारण प्रकाशित किया गया, सरासर झूठ और बेवुनियाद है।

शिकायतकर्ता ने पुनः अपनी टिप्पणियां दिनांक 8.8.2011 प्रस्तुत कीं और उल्लेख किया कि उसने अपने खंडन का बयान प्रकाशित करने के लिये दिनांक 27.9.2010 भेजा था लेकिन प्रतिवादी संपादक ने उसका खंडन प्रकाशित नहीं किया।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 4.10.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से उसका भाई डॉ. सुकर्मपाल सिंह तोमर उपस्थित हुआ। श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रभारी संपादक प्रतिवादी की ओर से पेश हुआ। शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने बयान दिया कि प्रतिवादी स्वयं एक स्कूल चला रहा था और रंजिश के कारण, उसके विरूद्ध एक फर्जी शिकायत दर्ज कर दी गई तथा जिला शिक्षा अधिकारी ने उसके आधार पर जांच के आदेश दे दिये। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि इलाहबाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.9.2010 को जांच पर रोक के आदेश दिये और उसके बावजूद प्रतिवादी ने एक और समाचार दिनांक 27.9.2010 को प्रकाशित कर दिया। प्रतिवादी ने बयान दिया कि आक्षेपित समाचार जांच के आदेश के आधार पर प्रकाशित किया गया था और उसने यह नहीं कहा था कि शिकायतकर्ता पर लगाये गये आरोप सही हैं बल्कि

केवल यही प्रकाशित किया था कि जांच चल रही है। प्रतिवादी ने स्पष्ट इंकार किया कि उन्होंने किसी वैरभाव के कारण कोई झूठी शिकायत की थी, शिकायतकर्ता का स्कूल तो शहर से लगभग 20 किमी दूर है तथा वहां से उसके स्कूल के बीच अन्य अनेक स्कूल हैं अतः द्वेष का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

जांच समिति ने केस के रिकार्ड पर गंभीरतापूर्वक विचार करने पर पाया कि विचाराधीन समाचार में केवल यही उल्लेख किया गया है कि न्यायालय में जांच चल रही है जो वस्तुतः सही है। अतएव, जांच समिति ने केस में ऐसा कोई कारण नहीं पाया और केस को खारिज करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से संस्तुति की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

115) प्रिंसिपल
केन्द्रीय विद्यालय
मल्कानगिरी, (उड़ीसा)

बनाम

संपादक,
नई दुनिया
रायपुर संस्करण
रायपुर (मध्य प्रदेश)

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 19.1.2010 और 25.1.2010 प्रिंसिपल, केन्द्रीय विद्यालय, मल्कानगिरी, उड़ीसा द्वारा संपादक, नई दुनिया, रायपुर संस्करण के विरूद्ध उनके समाचार पत्र में दिनांक 17.1.2010 में शीर्षक 'केवी के प्राचार्य पर मनमानी का अरोप' से प्रकाशित झूठा, बनावटी बेबुनियाद और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई है। यह आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता की पत्नी केन्द्रीय विद्यालय में अध्यापिका हैं और उनके निदेश पर वह स्कूल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। अभिभावकों ने शिकायत की, कि वह प्राइमरी स्कूल नहीं आती है और उसका व्यवहार उनके व बच्चों के प्रति अच्छा नहीं है। आरोपों से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार झूठा और मनगढंत है जिससे स्कूल की छवि और प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंची। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि एक पत्र दिनांक 25.1.2010 प्रतिवादी को भेजा गया था लेकिन कोई उत्तर अभी तक नहीं मिला।

प्रतिवादी स्थानीय संपादक, नई दुनिया, रायपुर ने अपने लिखित बयान दिनांक 8.5.2010 में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 18.1.2010 और 25.1.2010 के प्रत्युत्तर में उनसे अपना विस्तृत बयान भेजने के लिये अनुरोध किया गया था लेकिन शिकायतकर्ता ने वह नहीं भेजा

और उसके खिलाफ दुर्भावना से परिषद् को शिकायत कर दी। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार केन्द्रीय विद्यालय अभिभावक संघ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर जन–हित में सद्भाव से प्रकाशित किया गया था।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 17.6.2010 में उल्लेख किया कि संपादक, नई दुनिया ने स्कूल से सम्पर्क किये बिना ही आक्षेपित समाचार प्रकाशित कर दिया था। संपादक ने कुछ अभिभावकों और बाहरी लोगों से गलत सूचना एकत्रित कर ली और उस बारे में स्कूल को नहीं बताया तथा झूठा और मनगढंत समाचार प्रकाशित कर दिया। शिकायतकर्ता ने परिषद् से अनुरोध किया कि संपादक से प्रिंसिपल, केन्द्रीय विद्यालय, मल्कानगिरी, उड़ीसा के विरूद्ध प्रकाशित झूठे और मनगढंत समाचार के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये कहा जाए।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 4.10.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। श्री बी के मिश्रा, एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। जांच समिति ने प्रतिवादी की ओर से उनके काउंसल के बयान सुने जिसने जांच समिति को सूचित किया कि मामले को दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से निपटा लिया गया है। जांच समिति ने शिकायतकर्ता को अनुपस्थित पाया और प्रतिवादी के काउंसल के बयान सुने और तब मामले में अगली कार्रवाई रोकने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

116) श्रीमती लक्ष्मीप्रिया बेहेरा *बनाम* **संपादक**
जाजपुर उड़ीसा **संवाद उड़ीसा**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 15.3.2010 श्रीमती लक्ष्मीप्रिया बेहेरा, जाजपुर द्वारा संपादक, 'संवाद' के विरूद्ध उनके समाचार पत्र के अंक दिनांक 8.3.2010 में 'बाल कल्याण मंत्री के क्षेत्र में बालिकाओं की बिक्री' शीर्षक से प्रकाशित समाचार झूठा, बेबुनियाद और अवमानना पूर्ण होने के आरोप में दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचार में कहा गया है कि श्रीमती लक्ष्मीप्रिया बेहेरा ने अपनी पुत्री को बेच दिया क्योंकि वह बालिका का पालन पोषण करने में असमर्थ थी और उसके पति ने भी कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को अपनी भाभी शशिरेखा बेहेरा को गोद दे दिया। आक्षेपित समाचार में यह भी कहा गया कि

उन्होंने बच्चे को गोद दिया या नहीं, जांच का विषय है क्योंकि शशिरेखा बेहेरा नामक महिला है ही नहीं। आरोप का खंडन करते हुए शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वह एक सुप्रतिष्ठित मध्यम वर्गीय परिवार की है। उसने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार ने समाज में उसे बदनाम कर दिया और उसके परिवार को सब ओर से बदनामी मिली। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 15.3.2010 द्वारा प्रतिवादी संपादक का ध्यान आकर्षित किया।

उप महाप्रबंधक (विधि), सम्वाद ने अपने लिखित बयान दिनांक 1.7.2010 में उल्लेख किया कि शिकायत तथ्यों के आधार पर भ्रान्ति रहित है और प्रकाशित समाचार को गलत समझना ठीक नहीं है। प्रतिवादी ने कहा कि विचाराधीन समाचार को प्रकाशित करने से पूर्व विभिन्न स्रोतों तथा शिकायतकर्ता व उनके पति तथा अन्यों से सम्पर्क करते हुए जांच पड़ताल की गई थी तथा उनके विचारों को भी समाचार में शामिल किया गया था। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि उनकी मंशा शिकायतकर्ता सहित किसी की भी प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाना नहीं है। समाचार को सार्वजनिक हित में प्रकाशित किया गया और उसका उद्देश्य सामाजिक बुराई को समाप्त करना था। विचाराधीन समाचार न तो झूठा है और न ही मनगढंत है जैसाकि शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है। विचाराधीन समाचार उनके रिपोर्टर द्वारा एकत्रित व प्राप्त प्राधिकृत सूचना के आधार पर पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के अनुसार, प्रकाशन पूर्व सत्यापन करने के बाद प्रकाशित किया गया था। अतः कथित समाचार किसी भी प्रकार अनुचित या गलत नहीं है।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 4.10.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। श्री रणजीत गुरू, संपादक संशोधन पृष्ठ प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। प्रतिवादी ने जांच समिति को बताया कि शिकायतकर्ता ने सिविल अदालत में उन पर अवमानना का मुकद्मा दायर कर दिया है जो अदालत में अभी विचाराधीन है।

जांच समिति ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बयान पर विचार किया और न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण सुनवाई स्थगित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण मामले को रोक देने का निर्णय लिया।

117) श्री दिलीप कुमार सिंह *बनाम* **संपादक**
उपाध्यक्ष **आज आगरा**
होटल व पर्यटन हेरीटेज संस्थान
आगरा

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 7.12.2009 श्री दिलीप कुमार सिंह, उपाध्यक्ष, होटल व पर्यटन हेरीटेज संस्थान, आगरा द्वारा संपादक, आज, आगरा के विरूद्ध उनके समाचार पत्र के अंक दिनांक 28.10.2009 में 'हेरीटेज इंस्टीट्यूटः जांच का शिकंजा कस्ते ही गुरू हुए गायब' शीर्षक से प्रकाशित समाचार झूठा और बेबुनियाद होने के आरोप में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में यह आरोप लगाया गया कि होटल व पर्यटन हेरीटेज संस्थान के मालिक ने विद्यार्थियों को मूर्ख बनाकर और नाटकीय ढंग से गायब होकर करोड़ों रु. कमाये । तदनुपरांत, पीड़ित विद्यार्थियों ने आयुक्त से भेंट की जिन्होंने जिलाधीश से संस्थान द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों की मान्यता तथा अन्य दस्तावेजों/फाइलों की जांच करने का लिये कहा। जांच पड़ताल के बाद यह पाया गया कि विद्यार्थियों को ठगा गया है और रिपोर्ट आयुक्त को प्रस्तुत कर दी गई। जिलाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की गंभीरता पर विचार करते हुए, आयुक्त ने जिलाधीश को जांच के लिये आदेश दिये। आक्षेपित समाचारों में यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आयुक्त को जानकारी मिली जिससे निदेशक, एचआईएचटी को बचने का कोई मौका नहीं था।

प्रतिवादी द्वारा लगाये आरोपों से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि कॉलेज पंजाब, तकनीकी विश्वविद्यालय से दूरगामी शिक्षा योजना के तहत सम्बद्ध है और फिर कोई भी विद्यार्थी आयुक्त से नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वह भारत/राज्य/जिला में ही मौजूद था और कुछ अवसरों को छोड़कर अपने कार्यालय में नियमित रूप से आता रहा। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि जो विद्यार्थी कोर्स उत्तीर्ण कर चुके थे और जो अपने कोर्सों के अंतिम सैमिस्टर में थे, प्रसिद्ध और स्टार होटलों जैसे कारसंस ग्रुप में नियुक्ति पा चुके थे। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी संपादक से सम्पर्क किया, पत्र दिनांक 14.12.2009 देखें और गलत व बेबुनियाद प्रकाशन के लिये खेद प्रकाशित करने का अनुरोध किया लेकिन धमकियां मिलीं। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि झूठे आरोपों से होटल प्रबंधन क्षेत्र में प्रतिष्ठित और अग्रणी कॉलेज और उसके उपाध्यक्ष की छवि को बड़ा नुकसान हुआ।

प्रतिवादी संपादक, आज ने अपने लिखित बयान में उल्लेख किया कि समाचार सत्य और तथ्यों पर आधारित था और उनके पास इसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि समाचार पत्र 90 वर्ष पुराना है और उत्तरदायी है।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों में प्रतिवादी के आरोपों से इंकार किया। उसने उल्लेख किया कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से ही यह स्पष्ट होता है कि रिपोर्ट में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई। उसने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार सरासर झूठा, बेबुनियाद और अवमाननापूर्ण है और उसे संस्थान की छवि को धूमिल करने की मंशा से ही प्रकाशित किया गया।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 4.10.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। श्री अरूण कुमार दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए। श्री आर.बी. सिंह यादव, संपादक, आज समाचार पत्र, आगरा प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि आक्षेपित समाचार में यह कहा गया कि होटल व पर्यटन हेरीटेज संस्थान द्वारा कराये जा रहे कोर्स पत्राचार के नहीं हैं लेकिन दूरगामी शिक्षा कार्यक्रम हैं। प्रतिवादी ने बताया कि दैनिक जागरण यह समाचार एक दिन पहले ही प्रकाशित कर चुका था और उसने आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 28.10.2009 को प्रकाशित किया। उसने यह भी कहा कि प्रकाशन सामान्य था और यह संस्थान और/या उसके निदेशक की छवि धूमिल करने की मंशा से प्रकाशित नहीं किया गया था।

जांच समिति ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के बयान सुने और 'आज' में प्रकाशित आक्षेपित समाचार में आरोपित समाचारों को पाया कि शिकायतकर्ता का संस्थान विद्यार्थियों को ठग रहा है और शहर जिलाधीश ने विस्तृत जांच के बाद पाया कि हेरीटेज संस्थान विद्यार्थियों को मूर्ख बनाकर धन ठग रहा है। जांच समिति ने शहर जिलाधीश की रिपोर्ट पर गंभीरतापूर्वक विचार करने पर पाया कि उसमें हेरीटेज संस्थान पर विद्यार्थियों से पैसा ठगने के आरोप का उल्लेख नहीं है। जांच समिति की राय थी कि प्रतिवादी ने पत्रकारिता के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए समाचार को सनसनीखेज बनाया। अतः उसने परिषद् से प्रतिवादी समाचार पत्र 'आज', आगरा की भर्त्सना की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और प्रतिवादी समाचार पत्र की भर्त्सना करने का निर्णय लिया।

118) श्री इन्द्रजीत बिशनोई
सदस्य, जिला परिषद् श्रीगंगानगर
राजस्थान

बनाम

संपादक
सांध्य बार्डर टाइम्स
श्रीगंगानगर
राजथान

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 3.3.2010 श्री इन्द्रजीत बिशनोई, सदस्य, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर द्वारा संपादक सांध्य बार्डर टाइम्स, श्रीगंगानगर के विरूद्ध उनके समाचार पत्र दिनांक 15.2.2010 में शीर्षक ''पैसे हमसे और मोहर दूसरे पर, नहीं चलेगा'' से प्रकाशित कथित झूठे और अवमाननापूर्ण समाचार के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में यह कहा गया कि उसने जिला गंगानगर के चुनाव में वोट डालने के लिऐ 38,00,000/- रु. लिये। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी रिपोर्टर ने दूरभाष पर स्वीकार किया कि आक्षेपित समाचार में उसके प्रति ही संकेत था शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसने इस बारे में दिनांक 23.2.2010 को एक प्रेस नोट जारी किया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।

प्रतिवादी संपादक, सांध्य बार्डर टाइम्स ने अपने लिखित बयान दिनांक 18.6.2010 में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार जिला परिषद् या जिला प्रमुख के चुनाव के बारे में नहीं है। उसने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता का यह कहना कि उसने संबंधित रिपोर्टर से बात की थी जबकि उसने स्वीकार किया था कि आक्षेपित समाचार उसके बारे में था, कहना गलत था । प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता द्वारा जारी प्रेस नोट प्रकाशित कर दिया जाता यदि समाचार उससे संबंधित होता। चूंकि समाचार का शिकायतकर्ता से कोई संबंध नहीं था अतः प्रेस नोट को प्रकाशित करना उचित नहीं था।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 4.10.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से श्री सत्यपाल बिशनोई उपस्थित हुए। श्री रामप्रकाश मील प्रतिवादी सांध्य बॉडर टाइम्स की ओर से पेश हुए। जांच समिति को शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि मामले को दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से निपटा दिया गया है और अब वे मामले में आगे कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं।

जांच समिति ने शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि के बयान को रिकार्ड पर लिया और शिकायत को निपटाया हुआ मानकर शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद

समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और शिकायत को 'निपटाया मानकर खारिज करने का निर्णय लिया।

119) श्री यूशू नारंग *बनाम* **संपादक**
हनुमानगढ़ राजस्थान **कानून के रखवाले**
हनुमानगढ़, राजस्थान

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 10.12.2009 श्री यूशू नारंग, सुपुत्र श्री अशोक नारंग, नारंग होटल के मालिक, हनुमानगढ़, राजस्थान द्वारा 'कानून के रखवाले' हिन्दी मासिक के विरूद्ध उनकी पत्रिका के अंक 1 दिसम्बर, 2009 में शीर्षक 'नगर परिषद् की सड़क पर बना नारंग होटल का सेफ्टी टैंक - कभी भी हो सकता है हादसा - प्रशासन है खामोश'' और ''कोई भी नियम लागू नहीं होता नारंग होटल पर'' से प्रकाशित झूठे, बेबुनियाद और अवमाननापूर्ण समाचारों के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचारों में यह आरोप लगाया गया कि नारंग होटल ने सरकारी नियमों और विनियमों का पालन नहीं किया और सीढ़ियां बाउंड्री मार्ग को छू रही हैं, इमारत की ऊंचाई निर्धारित सीमा से अधिक है और होटल के पीछे सीसी मार्ग के नीचे अवैध सेफ्टी टैंक बनाया गया है।

आरोपों से इंकार करते हुए शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने निर्माण कराने से पहले अपेक्षित सरकारी अनुमति ले ली थी। विवरण देते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उनके शहर में पिछले दिनों हुए नगरपालिका चुनावों के दौरान उन्होंने उम्मीदवार श्रीमती प्रेम लता का समर्थन किया जिसने अपनी विरोधी उम्मीदवार श्रीमती सुनीता सेठी को भारी मतों से हराया। कोई समर्थन नहीं होने के कारण श्री संजय सेठी, श्रीमती सुनीता सेठी के पति, इससे नाराज हो गये और उनके पिता को सार्वजनिक स्थान पर गालियां दीं। बाद में समाचार पत्र 'कानून के रखवाले' के मालिक, संपादक और मुद्रक श्री पुष्पेन्द्र सोनी जो श्री सेठी के घनिष्ठ मित्र भी हैं, उसके पिता को ब्लैकमेल किया और यह धमकी देते हुए रुपयों की मांग की कि वह उनके होटल के बारे में झूठे समाचार प्रकाशित कर देगा। अपनी मांग से इंकार मिलने पर, श्री सोनी ने एक विज्ञापन दिनांक 30.11.2009 किसी दूसरे समाचार पत्र 'बेपर्दा सच' दे दिया जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी समाचार पत्र एक समाचार प्रकाशित करने जा रहा है कि होटल नारंग का हनुमान मार्ग पर निर्माण सरकारी नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए किस प्रकार किया गया जिससे दुर्घटनाएं होती है। अगले ही दिन 1.12.2009 को, प्रतिवादी समाचार पत्र ने आवरण पृष्ठ पर शीर्षक ''कभी भी हो सकता है हादसा'' से पूरे पृष्ठ की एक झूठी कहानी होटल के फोटोग्राफ के साथ प्रकाशित कर दी।

उसने एक विशेषांक (अ-दिनांकित) भी निकाला जिसमें पूरे पृष्ठ पर एक कहानी शीर्षक ''कोई भी नियम लागू नहीं होता नारंग होटल पर'' से पूरे पृष्ठ पर प्रकाशित कर

दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी द्वारा रुपयों की बार-बार मांग करने पर भी भुगतान नहीं मिलने पर यह विशेषांक निकाला। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी संपादक ने समाचार पत्र के विशेषांक की प्रतियां उनके रिश्तेदारों के घरों में वितरित कीं और तीन प्रतियां उनके घर भेजीं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने अपनी गैर कानूनी मांगों के पूरा नहीं होने पर झूठे और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करके उन्हें और उनके होटल को बदनाम किया। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 30.1.2010 और अनुवर्ती अनुस्मारक दिनांक 29.4.2010 द्वारा प्रतिवादी संपादक का ध्यान आकर्षित करते हुए उसका खंडन प्रकाशित करने का अनुरोध किया किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

प्रतिवादी संपादक, 'कानून के रखवाले' हनुमानगढ़, ने अपने लिखित बयान दिनांक 5.8.2010 में आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि शिकायत निराधार है और निरस्त करने योग्य है क्योंकि विचाराधीन समाचार संबंधित विभागों से एकत्रित साक्ष्यों और सूचना के आधार पर जनहित में प्रकाशित किया गया। उसने सूचना पाने के लिये संबंधित विभागों को प्रेषित पत्रों की प्रतियां भी संलग्न कीं। शिकायतकर्ता के पिता, को ब्लैकमेल करने के आरोप के बारे में प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि ये सरासर झूठ है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रयुक्त शब्द 'ब्लैकमेलर' पर आपत्ति करते हुए, प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि उसे शिकायतकर्ता से कोई नोटिस या पत्र प्राप्त नहीं हुआ जैसाकि उसकी शिकायत में कहा गया है।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 4.10.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। दोनों ही पक्षों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति दर्शाती है कि वह शिकायत में आगे कार्रवाई करना नहीं चाहता है। उसने अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने के लिये परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

120½ Jh d-,y- lkuh io&ftyk v/;{k] chtih ;fuV eMlkj e/; in'k	*cuke*	likn d x|: ,Dlil eMlkj] e/; in'k

mifLFkfr

शिकायतकर्ता के लिये : श्री वी.के. ओहरी, शिकायतकर्ता के एडवोकेट
प्रतिवादी के लिये : श्री तुशार कोठारी, एडवोकेट और आशुतोष नवल, प्रतिवादी की ओर से

vf/kfu.k;

यह शिकायत दिनांक 16.3.2012 श्री के.एल. सोनी, राज्य महामंत्री, मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति, मंडसौर (मध्य प्रदेश) द्वारा संपादक, गुरू एक्सप्रेस के विरूद्ध उनके समाचार पत्र दिनांक 12.2.2011 में शीर्षक 'भाजपा जिलाध्यक्ष कारूलाल सोनी का सैक्स स्केंडल मामला', 'प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने मंदसौर जिलाध्यक्ष को किया निलंबित'' – 'अश्लील सीडी से भाजपा में हडकंप, कारूलाल ने कहा मैंने पहले ही दे दिया इस्तीफा' से प्रकाशित झूठे मनगढंत और अवमाननापूर्ण समाचारों के विरोध में की गई है। आक्षेपित समाचार में यह कहा गया है कि मंडसौर भाजपा इकाई के जिला अध्यक्ष को यौन स्कैंडल सीडी रो में लिप्त होने के कारण भाजपा के राज्य अध्यक्ष, मध्य प्रदेश द्वारा तुरंत प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया। आक्षेपित समाचार में यह भी कहा गया कि उक्त उल्लिखित सीडी क्लिपिंग को इंटरनेट से सीडी मैटर डाउनलोड करने के बाद एक मोबाइल से दूसरे मोबाइलों पर भेजा गया। भाजपा राज्य अध्यक्ष ने श्री षहवार को जांच अधिकारी नियुक्त किया और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा। श्री षहवार ने अपने बयान में कहा कि श्री सोनी ने जिला अध्यक्ष, मंडसौर के पद से स्वयं त्याग पत्र दे दिया है अतः इस मामले में जांच करने की कोई जल्दी नहीं है। भाजपा के राज्य अध्यक्ष ने भी कहा कि यदि जिला अध्यक्ष पर लगाये आरोप सही पाये गये तो उन्हें भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निलम्बित कर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने झूठी कहानियों की श्रृंखला भी प्रकाशित की कि उनकी पत्नी ने उनकी संदिग्ध हरकतों के कारण आत्महत्या कर ली, सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया और अवैध रूप से मालगोदाम का निर्माण करा लिया तथा दान में मिली रकम का गबन किया। उसने यह भी कहा कि प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता की छवि को धूमिल करने के लिये अपने समाचार पत्र दिनांक 13.2.2011 और 14.2.2011 में इसी प्रकार की अन्य झूठी कहानियां भी प्रकाशित कीं। दिनांक 31.12.2011 के समाचार पत्र में उनके फोटोग्राफ के साथ और भी अवमानना पूर्ण लेख प्रकाशित किये गये।

आरोपों से इंकार करते हुए शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि समाचार पूर्णतया निराधार, अवमानना पूर्ण हैं और उन्हें उनकी छवि धूमिल करने और उनका राजनीतिक जीवन नष्ट करने के लिये प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने प्रकाशक को पहले ही सूचित कर दिया था कि कथित सीडी पूरी तरह झूठी, नकली है। उन्हें जिला अध्यक्ष, भाजपा मंडसौर से हटाया नहीं गया था बल्कि उन्होंने स्वेच्छापूर्वक पद से त्याग पत्र दिया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उनकी पत्नी ने आत्महत्या नही की थी बल्कि उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मालगोदाम बनवाने के आरोप के बारे में, शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने ऐसे किसी गोदाम का निर्माण नहीं कराया। दान की रकम के घोटाले के बारे में लगाए गए आरोप को भी झूठा बताया। शिकायतकर्ता ने एक कानूनी नोटिस दिनांक 25.1.2012 प्रतिवादी संपादक, गुरू एक्सप्रेस को भेजकर एक स्पष्टीकरण प्रकाशित करने के लिये कहा लेकिन उसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

प्रतिवादी संपादक, गुरू एक्सप्रेस ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत झूठी, निराधार और सच से कोसों दूर है। समाचार पत्र का कोई भी कर्मचारी शिकायतकर्ता की नकली सेक्स सीडी बनाने में शामिल नहीं है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि अन्य अनेक समाचार पत्रों ओर पत्रिकाओं में यह घटना प्रकाशित की गई। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि उन्होंने शिकायतकर्ता का बयान भी प्रकाशित किया था। उसने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने समाचार प्रकाशित होने के 16 माह बाद झूठी और निराधर शिकायत की जो खारिज करने योग्य है।

शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा लगाये आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि समाचार पत्र ने समाज में सहयोगियों की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को गिराया है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि अन्य समाचार पत्रों ने वास्तविक तथ्यों को छिपाये बिना उसके कथन को ठीक से प्रकाशित किया और प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित किये अनुसार झूठी कहानियां भी प्रकाशित नहीं कीं। उसने यह भी आरोप लगाया कि समाचार पत्र बिना किसी आधार के झूठे, अवमाननापूर्ण और मनगढंत कहानियां बारबार प्रकाशित करता रहता है। उसने प्रतिवादी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिये परिषद से अनुरोध किया।

यह मामला दिनांक 21.12.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। जांच समिति ने दिनांक 21.12.2012 को आयोजित बैठक में दोनों पक्षों और प्रतिवादी के एडवोकेट के बयानों को सुना। शिकायत श्री के.एल. सोनी, पूर्व–जिला अध्यक्ष, भाजपा इकाई, मंडसौर, मध्य प्रदेश द्वारा दायर की गई और उनकी शिकायत है कि हिन्दी समाचार पत्र, गुरू एक्सप्रेस, मंडसौर में उनके विरूद्ध अवमाननापूर्ण सामग्री प्रकाशित की गई जिसमें उसके बारे में अश्लील और भद्दी तस्वीरें दी गईं और आरोप लगाये गए कि वह सैक्स स्कैंडल और भूमि घोटाले आदि में शामिल था। उसके पारिवारिक जीवन के बारे में भी टिप्पणियां की गईं। प्रतिवादी का यह उत्तर है कि उन्होंने जो कुछ प्रकाशित किया वह सीडी के आधार पर बड़े समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था जिसमें शिकायतकर्ता को आपत्तिजनक स्थिति में और अश्लील क्रियारत दर्शाया गया है। इस बारे में, हमारा कहना है कि यह सच है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में आ गया, चाहे वह राजनेता हो या सार्वजनिक पद पर हो, एक आम व्यक्ति की भांति प्राइवेसी नहीं बरत सकता है, सार्वजनिक जीवन में चाहे राजनेता, न्यायाधीश या ब्यूरोक्रेट के रूप में हो, प्रवेश करने पर व्यक्ति किसी एक आम व्यक्ति की भांति प्राइवेसी नहीं कर सकता है क्योंकि प्रजातंत्र में जनता उन पर नजर रखती है तथा मीडिया को जनता की ओर से ऐसे व्यक्तियों के कार्यकलापों की आलोचना करने का अधिकार होता है। हालांकि, इसके साथ ही, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी बहुमूल्य निधि होती है तथा किसी व्यक्ति के चरित्र पर टिप्पणी करने से पहले मीडिया को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अतएव, जब किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में मीडिया को शिकायत मिलती है तो मीडिया का यह कर्तव्य हो जाता है कि समाचार प्रकाशित करने से पूर्व मामले की उचित जांच पड़ताल कर ली जाए, अन्यथा उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अपूर्णीय क्षति होगी। मौजूदा मामले में, जब प्रतिवादी को सीडी मिली तो उसकी यह ड्यूटी थी कि उसकी प्रमाणिकता का सत्यापन करने के लिये उसे फारेंसिक विशेषज्ञ को भेजा जाता क्योंकि वह नकली, जाली हो सकती है। प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि उन्होंने समाचार प्रकाशित करने से पूर्व उसे जांच

के लिये किसी फारेंसिक विशेषज्ञ को नहीं भेजा था। हमारी राय में प्रतिवादी की यह एक गंभीर भूल थी। प्रतिवादी के एडवोकेट ने कहा कि यही समाचार अन्य अनेक बड़े समाचार पत्रों द्वारा भी प्रकाशित किया गया था। हम इस संबंध में यह कोई औचित्य नहीं समझते। यदि चोरी का आरोपी व्यक्ति कहे कि चोरी/डकैती तो अन्य अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाती है तो वह अपने बचाव में ऐसा बयान नहीं दे सकता है कि इस कारण उसे भी ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी प्रकार, यदि अन्य समाचार पत्रों ने यही सामग्री प्रकाशित की थी तो प्रतिवादी से यह नहीं कहा गया था कि वह भी गलती कर सकता है। अतएव, केवल इसलिये कि अन्य समाचार पत्रों ने मामले की सत्यता के बारे में उचित जांच किये बिना ही समाचार प्रकाशित किया था तो प्रतिवादी यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे सीडी की जांच कराने की जरूरत नहीं थी।

अतः जांच समिति निम्नलिखित सामान्य टिप्पणी करती हैः

किसी भी जन नायक के निजी जीवन के बारे में मीडिया द्वारा कुछ सीमा तक जांच पड़ताल की जा सकती है क्योंकि मीडिया एक लोक एजेंसी है और जन नेताओं चाहे वे राजनेता, न्यायाधीश, ब्यूरोक्रेट आदि हो, के निजी जीवन के बारे में कुछ सीमा तक जनता को अवगत कराने की उनकी ड्यूटी होती है। इसके साथ ही, किसी व्यक्ति की प्रतिश्ठा पर हमला करने से पूर्व मीडिया को उसके चरित्र आदि के बारे में आरोप प्रकाशित करने से पूर्व जांच पड़ताल करा लेनी चाहिए अन्यथा अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

चूंकि इस मामले में विचाराधीन सीडी की प्रमाणिकता के बारे में ऐसी कोई जांच पड़ताल नहीं की गई थी, अतः जांच समिति प्रतिवादी की भर्त्सना और निन्दा करने की सिफारिश करती है और समस्त मीडिया को उक्त उल्लिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिये सचेत करती है। प्रतिवादी को अपने समाचार पत्र में यह आदेश प्रमुखता से प्रकाशित करने के निदेश के साथ शिकायत की अनुमति दी जाती है। इस अधिनिर्णय की प्रतिलिपि समस्त मीडिया, समाचार संगठनों एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया, समाचार एजेंसियों, केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राज्य सूचना मंत्रियों और राज्य सूचना विभाग के सचिवों को भेजने के साथ–साथ विस्तृत प्रसार के लिये मीडिया में दिया जाए।

fu.k;

परिषद ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार और अंगीकार कर ली तथा भोपाल में दिनांक 21.12.2012 को आयोजित बैठक में की गई उक्त टिप्पणियों/निदेशों को रिकार्ड किया।

121)	**श्री रामेश्वर सोनी**	***बनाम***	**संपादक**
	सदस्य, रोगी कल्याण समिति		**नई दुनिया**
	कुशी, जिला धर मध्य प्रदेश		**इंदौर, मध्य प्रदेश**

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये : डॉ0 दिलीप सिंह (प्रतिनिधि)
प्रतिवादी के लिये : कोई नहीं

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 28.5.2009 श्री रामेश्वर सोनी, सदस्य, रोगी कल्याण समिति, जिला धर, (मध्य प्रदेश) द्वारा संपादक, नई दुनिया, इंदौर के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 18.12.2008 में शीर्षक ''नहीं हो सके नसबंदी ऑपरेशन - डाक्टर ने दिया चकमा'' से प्रकाशित निराधार और प्रेरित समाचार के आरोप में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में कहा गया है कि जो महिलाएं जिला अस्पताल, धर में नसबंदी के लिये बिना नाश्ता किये ही आ गई थीं, डाक्टर की अनुपलब्धता के कारण परेशान हो गईं। कुछ महिलाओं को आपरेशन के लिये स्टर्लाइज कर दिया गया था लेकिन डाक्टर के नहीं आने पर उनकी तबियत खराब होने लगी। आक्षेपित समाचार में यह भी उल्लेख किया गया कि डॉक्टर समय पर नहीं पहुंची थी क्योंकि वह धर की बजाय राजगढ़ में थीं।

सभी आरोपों से इंकार करते हुए शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि समाचारपत्र ने कथित समाचार प्रकाशित करके लोगों को गुमराह किया। उसने उल्लेख किया कि डॉक्टर द्वारा दिनांक 17.12.2008 को 41 आपरेशन किये गये जो जिला अस्पताल में सायं 4.15 बजे शुरू हुए थे और इस बात में बड़ा अंतर है कि ऑपरेशन नहीं किये गये और ऑपरेशन शुरू करने में देरी हुई। समाचारपत्र ने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का मजाक बनाकर उसे सनसनीखेज बना दिया था। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 18.12.2008 द्वारा प्रतिवादी का ध्यान आकर्षित किया था और उसका कथन समाचारपत्र में प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करने का अनुरोध किया था। प्रत्युत्तर में उनके रेजीडेंट संपादक, नई दुनिया ने अपने पत्र दिनांक 25.12.2008 द्वारा शिकायतकर्ता को सूचित किया कि समाचार रोगियों द्वारा उल्लिखित समस्याओं के आधार पर प्रकाशित किया गया था और स्वीकार किया कि उसने शिकायतकर्ता के कथन को प्रकाशित नहीं किया।

प्रतिवादी रेजीडेंट संपादक, नई दुनिया, इंदौर ने लिखित बयान दिनांक 13.5.2010 में उल्लेख किया कि समाचार डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण अस्पताल में रोगियों द्वारा बताई गई समस्याओं के आधार पर प्रकाशित किया गया था जो फोटो में देखा जा सकता है। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता को अवगत कराया कि ग्रामीणों को ऑपरेशन संबंधी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होती है इसलिये वे घबरा गये तथा रोगी कल्याण समिति के सदस्य के रूप में शिकायतकर्ता को ग्रामीणों को जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करनी चाहिए।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 9.6.2010 में उल्लेख किया कि प्रतिवादी का उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि उसने जनसंख्या नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में गलत और झूठा समाचार प्रकाशित किया था। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने अपने पत्र दिनांक 25.12.2008 द्वारा रेजीडेट संपादक को स्थिति से अवगत करा दिया था किंतु उसने न तो वर्तन प्रकाशित किया न ही इसके लिए क्षमायाचना की ।

भोपाल में 21.12.2012 को जांच समिति द्वारा मामले पर विचार किया गया। शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि का बयान सुनने के बाद, जांच समिति ने मामले में कोई औचित्य नहीं पाया क्योंकि यह सभी जानते हैं कि आपरेशन सायं शुरू किये गये थे हालांकि रोगी प्रातःकाल से प्रतीक्षा कर रहे थे और समाचारपत्र ने मामले को उजागर किया । तदनुसार, उसने शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया ।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली तथा शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

122) डॉ0 स्मृति रतन मिश्र
बी आर सी सी
जिला शिक्षा केन्द्र, धर,
मध्य प्रदेश

बनाम

संपादक, सिटी ब्लास्ट
मूंगर प्रकाशन, इंदौर, मध्य प्रदेश

संपादक, सांध्य दैनिक
6 पी.एम, इंदौर, मध्य प्रदेश

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये : कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये : श्री कमलेश कुमार जैन, सिटी ब्लास्ट का प्रतिनिधिं

अधिनिर्णय

यह शिकायत डॉ0 स्मृति रतन मिश्र, धर, मध्य प्रदेश द्वारा संपादक, सिटी ब्लास्ट और 6 पी.एम. सांध्य दैनिक के विरूद्ध सिटी ब्लास्ट में दिनांक 20.7.2009 को और 6 पी.एम. सांध्य दैनिक समाचारपत्र में दिनांक 21.7.2009 को शीर्षक ''बी.आर.सी.सी. स्मृति रतन मिश्र द्वारा प्रशिक्षण के नाम पर घोटालेबाजी'' से प्रकाशित झूठे, भ्रामक और निराधार समाचार के आरोप में 31.8.2009 को दायर की गई है।

प्रतिवादी संपादक, सिटी ब्लास्ट ने स्थिति स्पष्ट करते हुए एक लिखित बयान दिनांक 24.4.2010 प्रस्तुत किया कि समाचार पूर्णतया तथ्यों के आधार पर प्रकाशित किया गया था लेकिन आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता की समाचारपत्र के खिलाफ झूठी शिकायतें करने की आदत है।

प्रतिवादी संपादक, सिटी ब्लास्ट, शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 20.6.2010 द्वारा अनुरोध किया कि श्री संजय बाजपेयी, पत्रकार पर मुकदमा किया जाए क्योंकि उसने आक्षेपित समाचार दिया था।

भोपाल में 21.12.2012 को जांच समिति द्वारा मामले पर विचार किया गया। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 28.9.2012 में उल्लेख किया था कि वह अपनी शिकायत के बारे में अगली कार्रवाई करना नहीं चाहती है और उसे वापस लेना चाहती है। जांच समिति ने उनके अनुरोध को रिकार्ड में ले लिया और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली तथा शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

123) डॉ0 बीना सिंह
हेड, जीवविज्ञान विभाग
सरकारी केआरजी पीजी कॉलेज,
ग्वालियर
मध्य प्रदेश

बनाम

संपादक
1. पीपल्स समाचार
2. दैनिक भास्कर
3. राजस्थान पत्रिका
4. नई दुनिया, मध्य प्रदेश

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये : कोई नहीं

प्रतिवादी के लिये : श्री राहुल विजय तथा सुनील तेलंग, एडवोकेट, राजस्थान पत्रिका

: श्री राजीव सोनी, विशेष संवाददाता, नई दुनिया

अधिनिर्णय

ये चार शिकायतें दिनांक 6.10.2010 डॉ. बीना सिंह, हेड, जीवविज्ञान विभाग, केआरजी सरकारी पीजी कॉलेज, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा (1) पीपल्स समाचार, (2) दैनिक भास्कर, (3) राजस्थान पत्रिका, और (4) नई दुनिया के विरूद्ध उन में प्रकाशित कथित अवमाननापूर्ण, द्वेषपूर्ण और अपमानजनक समाचारों के आरोप में दायर की गई हैं।

आक्षेपित समाचार में कहा गया है कि केआरजी कॉलेज में न केवल विद्यार्थियों को बल्कि प्रोफेसरों को भी जीवविज्ञान की विभागाध्यक्षा की तानाशाही का शिकार होना पड़ता है। उनके धाकड़पन के कारण, कॉलेज प्रशासन भी उनके विरूद्ध कार्रवाई करने से हिचकिचाता है। यह भी आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता ने विभाग के एक प्रोफेसर को घर से बुलाया और विद्यार्थियों के सामने अपमानित किया, गालियां दी जिस कारण वह फूटफूट कर रोई। आक्षेपित समाचार के अनुसार, विद्यार्थियों ने घटना के बारे में प्रिंसिपल को सूचित किया तथा कॉलेज प्रशासन ने विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर जीवविज्ञान, केआरजी कॉलेज के बीच हुए विवाद के बारे में एक चेतावनी पत्र भेजा और कालेज ने जांच करने के लिये पांच सदस्यों की एक समिति का भी गठन किया। यह भी रिपोर्ट की गई कि विद्यार्थियों ने एबीवीपी के नेतृत्व में प्रिंसिपल के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया जिसमें उन्हें पद से हटाने की मांग की गई।

आक्षेपित समाचारों में उन पर लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि समाचार पूर्णतया पक्षपात पूर्ण हैं, कड़े परिश्रम से बनाई गई उनकी छवि व चरित्र को धूमिल करने के उद्देश्य से प्रकाशित किये गये। उनके अनुसार, यह एक सामान्य बात है कि उन्होंने अपने कनिष्ठ प्रोफेसर को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर फटकार लगायी। किंतु प्रतिवादियों ने घटना को पूरी तरह भिन्न रूप देकर प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसे पूरा विश्वास है कि इस घटना के समय उनके विभाग में कोई भी संवाददाता मौजूद नहीं था और आक्षेपित समाचार प्रकाशित करने से पूर्व मामले की कोई जांच पड़ताल नहीं की गई थी। उसने उल्लेख किया कि उसने प्रतिवादियों को अपने पत्र दिनांक 16.8.2010 में अपना विरोध व दुख

सूचित किया और कानूनी नोटिस दिनांक 25.8.2010 भेजे। न तो पत्रों का उत्तर दिया गया और न ही कोई स्पष्टीकरण समाचारपत्र में प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसने आरटीआई अधिनियम के तहत कॉलेज प्राधिकारियों से विभिन्न समाचारपत्रों को उनके द्वारा प्रेषित प्रेस नोट/समाचारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। कॉलेज प्राधिकारियों द्वारा उन्हें पत्र द्वारा सूचित किया गया कि घटना के बारे में कोई प्रेस नोट/समाचार नहीं भेजा गया था।

प्रतिवादियों को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9.12.2010 भेजे गये किन्तु अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद भी कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया।

जांच समिति ने भोपाल में दिनांक 21.12.2012 को मामले पर सुनवाई की। जांच समिति ने रिकार्ड पर विचार करने पर और शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रेस परिषद् अधिनियम के तहत शिकायत में कोई औचित्य नहीं पाया और मामले को खारिज करने का निर्णय लिया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के कारणों को स्वीकार कर लिया और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

124)	**श्री श्रीकांत चौधरी** **सिविल जज (सेवानिवृत्त)** **दमोह, मध्य प्रदेश**	***बनाम***	**संपादक** **दैनिक भास्कर** **भोपाल मध्य प्रदेश**

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये : कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये : कोई नहीं

अधिनिर्णय

दिनांक 10.8.2010 की यह शिकायत श्री श्रीकांत चौधरी, सिविल जज (सेवानिवृत्त), दमोह, मध्य प्रदेश द्वारा संपादक, दैनिक भास्कर के विरूद्ध उनके समाचारपत्र में दिनांक 8.6.2010 में भोपाल गैस कांड के बारे में शीर्षक ''भोपाल नरसंहार का बहुप्रतीक्षित फैसला - सजा सिर्फ 2 साल, 12 में से 8 दोषी फरार-सजा के बाद फौरन जमानत'' से प्रकाशित आलोचनात्मक समाचार के आरोप में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में यह प्रश्न उठाया गया कि भोपाल गैस कांड के अपराधियों को केवल दो वर्ष की ही सजा और प्रत्येक पर 1,01,750 रु. का जुर्माना क्यों लगाया गया। यह भी उल्लेख किया गया कि मुकदमा नं. 7 में निर्णय देने के कुछ मिनट बाद ही दोषी को केवल 25,000 रु. की छोटी रकम पर जमानत दे दी गई और उच्च अदालत में अपील करने के लिये उन्हें 30 दिन का समय दिया गया।

आक्षेपित समाचार में प्रतिवादी द्वारा लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि समाचार के शीर्षक में शब्द 'नरसंहार' का प्रयोग किया गया जो गलत था क्योंकि इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई या कुछ व्यक्ति नृशंस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों का कत्ल करे और जब कोई दुर्घटना किसी व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की लापरवाही या असावधानी वश हो तब इस शब्द का प्रयोग अनुचित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए उल्लेख किया कि लेख का शीर्षक गलत अर्थ दर्शाता है जैसेकि अदालत ने सभी दोषियों को मामूली सजा दी हो और अपराधी को जानबूझकर जमानत दी हो। उसने कहा कि अपराधी जमानत के लिये सीआरपीसी की धारा 389 के तहत आता था जिसके अनुसार, यदि अपराधी जमानत के लिये अपील करता है तो कानून के अनुसार, न्यायालय कुछ एक निर्धारित राशि के मुचलके पर जमानत दे सकती है। आईपीसी की धारा 304(ए) के अनुसार, अधिकतम सजा दो वर्ष है तो अदालत अपराधी को उससे अधिक सजा कैसे दे सकती थी। उसने आरोप लगाया कि संपादक ने आईपीसी की धारा 304(ए), 338 व 337 के तहत अधिकतम सजा 2 वर्ष के प्रावधान का कहीं उल्लेख नहीं किया जिससे समाचारपत्र के पाठकों को यह लगता है कि इतने बड़े नरसंहार के लिये अभियुक्त को अदालत द्वारा केवल मामूली सजा दी गई। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि समाचारपत्र ने इस प्रकार के अनुचित शीर्षक से समाचार प्रकाशित करके जनता की नजरों में अदालत की छवि/प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाने की कोशिश की । उसने इस विषय में संपादक को एक पत्र 30.6.2010 को भेजा था लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

प्रतिवादी-संपादक को कारण बताओ नोटिस दिनांक 10.12.2010 भेजा गया किन्तु अनुस्मारकों के बावजूद भी कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया।

जांच समिति ने भोपाल में दिनांक 21.12.2012 को मामले पर सुनवाई की। जांच समिति ने शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति के कारण मामले में आगे कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। तदनुसार, उसने परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा केस को खारिज करने का निर्णय लिया।

125) श्री दया शंकर श्रीवास्तव
अपर कार्यक्रम अधिकारी
मनरेगा डिन्डोरी,
मध्य प्रदेश

बनाम

संपादक
राज एक्सप्रेस
जबलपुर
मध्य प्रदेश

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये : श्री दया शंकर श्रीवास्तव स्वयं
प्रतिवादी के लिये : कोई नहीं

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 17.1.2011 श्री दया शंकर श्रीवास्तव, अपर कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम), डिन्डोरी, मध्य प्रदेश द्वारा संपादक, राज एक्सप्रेस के विरूद्ध प्रकाशित झूठे, भ्रामक और निराधार समाचार प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में यह उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जिला पंचायत में कार्यरत अधिकारी डाटा फीड करने में अनियमितताएं बरत रहे हैं और अपने तरीके से धोखा देने की चाल चल रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि श्री दया शंकर श्रीवास्तव, अपर कार्यक्रम अधिकारी ने ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच को धमकी दी और उनसे 50,000/- रु. का चेक ले लिया। यह भी आरोप लगाया गया कि श्री दया शंकर श्रीवास्तव ने उस राशि से 12 मोबाइल फोन खरीदे और इन्द्रा आवास योजना में अनियमितताएं पाई गईं।

समाचार में लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रकाशित समाचार पूर्णतया झूठे, बेबुनियाद और भ्रामक हैं तथा इन्हें उसकी छवि धूमिल करने के लिये प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता ने अपने एडवोकेट के माध्यम से समाचारपत्र राज एक्सप्रेस को एक नोटिस दिनांक 24.12.2010 इस अनुरोध के साथ भेजा कि स्पष्टीकरण और बिना शर्त खेद प्रकाशित किया जाए किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई।

प्रतिवादी संपादक को कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.2.2011 भेजा गया किन्तु अनुस्मारक दिनांक 19.10.2012 भेजे जाने के बावजूद भी कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया।

जांच समिति ने भोपाल में दिनांक 21.12.2012 को मामले पर सुनवाई की। जांच समिति ने शिकायतकर्ता के बयान सुने। जांच समिति ने पाया कि प्रतिवादी की ओर से न तो कोई पेश हुआ और न ही कोई लिखित बयान दायर किया गया, हालांकि प्रतिवादी को कई नोटिस भेजे गये थे। शिकायतकर्ता मनरेगा में अपर कार्यक्रम अधिकारी है और समाचारपत्रों में प्रकाशित आरोपों को बेबुनियाद होने का दावा किया गया। नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। जांच समिति के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि शिकायतकर्ता के आरोपों को स्वीकार कर लिया जाए। अतएव, जांच समिति ने शिकायतकर्ता को सही पाया और प्रतिवादी समाचारपत्र, राज एक्सप्रेस की परिनिंदा और भर्त्सना की तथा प्रतिवादी संपादक को शिकायतकर्ता का कथन प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करने का निदेश दिया। अधिनिर्णय की एक प्रति डीएवीपी, आरएनआई, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को कार्रवाई हेतु, जो वे मामले में उचित समझें, भेजी जाए।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों को स्वीकार कर लिया और जाँच समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा प्रतिवादी संपादक, राज एक्सप्रेस की परिनिंदा और **भर्त्सना** करने का निर्णय लिया।

126) डॉ0 अनिल कुमार भार्गव *बनाम* **संपादक**
भोपाल **शब्द डॉट कॉम भोपाल**

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - डॉ0 अनिल कुमार भार्गव
प्रतिवादी के लिये - श्री राम मोहन यादव, मुद्रक एवं प्रकाशक, शब्द डॉट कॉम

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 16.4.2012 डॉ. अनिल कुमार भार्गव, भोपाल द्वारा शब्द डॉट कॉम, मासिक पत्रिका, भोपाल के विरूद्ध उनके अंक दिनांक 1.12.2011 में शीर्षक ''भोज विश्वविद्यालय को अंगुलियों पर नचाता ऑपरेटर व अनियमितताओं में सिरमौर अनिल भार्गव ने पैसा भी कम नहीं कमाया है'' के तहत झूठे, बेबुनियाद, निन्दनीय और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में आरोप लगाया गया है कि बिना वांछित योग्ताओं के शिकायतकर्ता को विश्वविद्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त किया गया है और वह उस वेतन मान के अनुसार, वेतन प्राप्त कर रहा है जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि समाचारपत्र में भोज विश्वविद्यालय में अनुबंध आधार के बजाय नियमित कर्मचारी के रूप में उसकी नियुक्ति के बारे में और विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय के ड्राफ्ट चुराने, लम्बे समय से विश्वविद्यालय से अनुपस्थित रहने और एक बार निलम्बित होने का झूठा समाचार प्रकाशित किया गया। समाचारपत्र ने यह भी प्रकाशित किया था कि शिकायतकर्ता ने अवैध ढंग से रुपया कमाया और उसने एक मिनी बस तथा अपने गृह स्थान में कुछ भूमि खरीदी।

आक्षेपित समाचारों में लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि कंप्यूटर आपरेटर के पद पर नियुक्ति के लिये उसके पास अपेक्षित योग्यताएं हैं और वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, वेतन प्राप्त कर रहा है। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि भोज विश्वविद्यालय अधिनियम में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि केवल स्थायी कर्मचारियों की ही नियद्दक्ति की जाएगी, अनुबंध आधार पर नहीं तथा ड्राफ्ट घोटाले का कोई मामला नहीं हुआ क्योंकि ड्राफ्ट पंजीयक के नाम होते हैं और उन्हें बैंक में सीधे जमा कराया जाता है। उसने इस आरोप का भी खंडन किया कि वह कार्यालय को सूचित किये बिना ड्यूटी से अनुपस्थित रहा या उसे सेवा से निलम्बित किया गया था। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने न तो अवैध तरीके से धन अर्जित किया और न ही उसने कोई मिनी बस या जमीन खरीदी है। भोपाल से रेवा स्थानान्तरण के बारे में प्रकाशित समाचार के बारे में शिकायतकर्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि सभी आरोप उसकी छवि को समाज, मित्रों व परिवार में धूमिल करने के लिये प्रकाशित किये गये।

प्रतिवादी संपादक, शब्द डॉट कॉम, भोपाल को कारण बताओ नोटिस दिनांक 5.6.2012 भेजा गया था किन्तु कोई लिखित बयान प्राप्त नहीं हुआ।

जांच समिति ने भोपाल में दिनांक 22.12.2012 को मामले पर सुनवाई की। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके चरित्र के बारे में बहुत ही गंभीर आरोप मासिक पत्रिका, शब्द डॉट कॉम, भोपाल में प्रकाशित किये गये और कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि समाचार प्रकाशित करने से पूर्व, समाचारपत्र ने शिकायतकर्ता का बयान लेने के लिये सम्पर्क नहीं किया था और उसका बयान भी समाचार के साथ प्रकाशित नहीं किया था। प्रेस परिषद् मानदंड 2 (i) में उल्लिखित पत्रकारिता आदर्श- प्रकाशन पूर्व सत्यापन के तहत अपेक्षित है कि ''जनहित एवं लाभार्थ कोई रिपोर्ट या लेख मिलने पर जिसमें किसी नागरिक पर आरोप या टिप्पणियां की गई हों, तो संपादक को उसकी वास्तविकता के साथ-साथ उसके अन्य आधिकारिक स्रोतों की भी जांच संबंधित व्यक्ति या संगठन से मिलकर पूरी सावधानी के साथ करनी चाहिए ताकि वह उसे स्थिति स्पष्ट कर सके या अपना बयान, टिप्पणियां या प्रतिक्रिया दे सके और उसे प्राप्त रिपोर्ट में उपयुक्त संशोधन करके, जहां कहीं आवश्यक हों, प्रकाशित करे। ऐसी जानकारी नहीं मिलने या प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने पर, उस आशय की एक पाद टिप्पणी रिपोर्ट में दी जा सकती है।'' इस मामले में ऐसा नहीं करना स्वीकार किया गया।

केस के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, जांच समिति ने शिकायतकर्ता को यह निदेश देते हुए कि अपना बयान प्रतिवादी को पेशी की तारीख से 10 दिनों के अंदर सौंप दे, मामले का निपटान कर दिया और प्रतिवादी को भी निदेश दिया कि शिकायतकर्ता का बयान आगामी अंक में प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करे तथा परिषद् को उसकी रिपोर्ट करे।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों को स्वीकार कर लिया और जाँच समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा मामले का निपटान करने का निर्णय लिया।

127) श्री बालचंद जैन	***बनाम***	**संपादक**
करेली जिला नरसिंहपुर		**हरिभूमि, जबलपुर**
मध्य प्रदेश		**मध्य प्रदेश**

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - श्री बालचंद जैन
प्रतिवादी के लिये - डॉ0 शिशिर उपाध्याय, ब्यूरो चीफ, मध्य प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 18.8.2008 श्री बालचंद जैन, करेली, मध्य प्रदेश द्वारा संपादक, हरिभूमि, हिन्दी दैनिक, नरसिंहपुर संस्करण के विरूद्ध उनके अंक दिनांक 1.8.2009 में शीर्षक

''भीषण टक्कर - ट्रक और मारूति वैन में भिड़ंत, 1 मृत, 1 गंभीर'' के तहत झूठे, बेबुनियाद और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई। आक्षेपित समाचार में यह कहा गया कि ट्रक और मारूति कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। श्रीपाल जैन सुपुत्र श्री बालचंद को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह भी प्रकाशित किया गया कि प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, वैन के दो व्यक्तियों ने चलने से पहले एक ढाबे में डिनर किया और काफी मात्रा में शराब पी, अधिक शराब के नशे के कारण करेली शहर से लगभग आधा किलो मीटर की दूरी पर यह दुर्घटना हो गई।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसका बेटा कभी शराब नहीं पीता है और समाचार का प्रकाशन उसके पुत्र तथा उसके परिवार के सदस्यों को बदनाम करने की मंशा से किया गया। यद्यपि, प्रतिवादी ने दिनांक 3.8.2009 को उसका खंडन प्रकाशित कर दिया था किंतु उसने उसके लिये खेद प्रकट नहीं किया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वह खंडन से संतुष्ट नहीं है क्योंकि आक्षेपित समाचार दुर्घटना के फोटो सहित आमुख पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ था लेकिन खंडन समाचारपत्र के भीतर एक छोटे कॉलम में बिना खेद प्रकट किये हुए प्रकाशित किया गया था।

संपादक, हरिभूमि ने अपना उत्तर दिनांक 1.10.2012 को प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया कि समाचारपत्र ने दिनांक 3.8.2009 को ही प्रमुख स्थान पर स्पष्टीकरण प्रकाशित कर दिया था तथा समाचार को समाचारपत्र के संवाददाता द्वारा प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही प्रकाशित किया गया था। उसने यह भी उल्लेख किया कि समाचार प्रकाशित करने के पीछे शिकायतकर्ता की छवि धूमिल करने की कोई दुर्भावना नहीं थी।

जांच समिति ने भोपाल में दिनांक 22.12.2012 को मामले पर सुनवाई की और पाया कि रिपोर्ट प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों पर आधारित थी, शिकायतकर्ता का बयान कि उसका बेट शराब के नशे में नहीं था, समाचारपत्र में अगले ही दिन प्रकाशित कर दिया गया था। जांच समिति ने तदनुसार, केस के निपटान करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा मामले को बंद करने का निर्णय लिया।

128) श्री एस. फहीम अहमद
महाप्रबंधक
सरकारी अफीम एवं एल्केलॉयड वर्क्स
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग नीमच,
(मध्य प्रदेश)

बनाम

संपादक
दैनिक भास्कर
रतलाम
मध्य प्रदेश

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - सर्वश्री संदीप गुप्ता एवं आकाश तेलंग, एडवोकेट

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 16.12.2009 महाप्रबंधक, सरकारी अफीम एवं एल्केलॉयड वर्क्स, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नीमच द्वारा दैनिक भास्कर, रतलाम के विरूद्ध उनके समाचारपत्र के दिनांक 21.11.2009 और 22.11.2009 के अंकों में क्रमशः शीर्षक ''सीटू ने छेड़ी नारकॉटिक्स उपायुक्त के खिलाफ मुहिम'' और ''महिलाएं उतर आईं सड़क पर'' के तहत झूठे और बेबुनियाद समाचार प्रकाशित करने के विरोध में दायर की गई। पहले समाचार में आरोप लगाया गया कि उपायुक्त नारकॉटिक्स ने संगठन के कर्मचारियों को गालियां दीं और धमकी दी। इसके अतिरिक्त, उपायुक्त पर फैक्टरी अधिनियम के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। दूसरे समाचार में, शिकायतकर्ता पर फैक्टरी कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया गया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी उसके विरूद्ध दुर्भावनापूर्ण समाचार नियमित रूप रूप से प्रकाशित करता रहा है जिसका एकमात्र इरादा प्रबंधन को बदनाम करना है जो अपनी पूरी सावधानी, ईमानदारी और क्षमता से काम कर रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कोई श्री राकेश सोन तथ्यों और बुनियादी सच्चाई को जाने बिना ही असंतुष्ट तत्वों की सहायता करने की मंशा से फिजूल समाचारों की रिपोर्टिंग करता है।

कारण बताओ नोटिस संपादक, दैनिक भास्कर, रतलाम को दिनांक 19.4.2010 को भेजा गया लेकिन अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद भी कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया।

जांच समिति ने भोपाल में दिनांक 22.12.2012 को मामले पर सुनवाई की। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र द्वारा अनुरोध किया कि रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर मामले में निर्णय ले लिया जाए। जांच समिति ने शिकायत पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और प्रेस परिषद् अधिनियम के तहत मामले पर कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं पाया। तदनुसार, उसने परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार, निर्णय लिया।

129) श्री अखिलेश झा, आईपीएस *बनाम* **संपादक**
पुलिस अधीक्षक **राज एक्सप्रेस भोपाल,**
पंचमढ़ी मध्य प्रदेश **(मध्य प्रदेश)**

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - श्री महेश शर्मा, महाप्रबंधक (प्रशासन)

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 7.6.2010 पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, पंचमढ़ी द्वारा राज एक्सप्रेस, भोपाल के विरूद्ध उनके समाचारपत्र के दिनांक 24.5.2010 और 3.6.2010 के अंकों में क्रमशः शीर्षक ''दुर्गेश हत्याकांड - पुलिस अफसर भी जांच के घेरे में - गिरफ्तार होंगे एसपी झा'' और ''पूरी रात बात करते रहे पटेल व एस पी'' के तहत झूठे और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के विरोध में दायर की गई।

कारण बताओ नोटिस प्रतिवादी संपादक, राज एक्सप्रेस, भोपाल को दिनांक 18.10.2010 को भेजा गया लेकिन कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया।

जांच समिति ने भोपाल में दिनांक 22.12.2012 को मामले पर सुनवाई की। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 17.12.2012 द्वारा सूचित किया कि शिकायत बहुत पुरानी है और प्रतिवादी समाचारपत्र ने उसकी प्रतिष्ठा को भारी क्षति पहुंचाई थी तथा अब इस समय जांच पड़ताल करना व्यर्थ है। अतः शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस ले ली। जांच समिति ने शिकायतकर्ता से प्राप्त पत्र पर विचार किया और मामले को बंद करने की अनुमति दी ।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार, निर्णय लिया।

130) श्री पी.वी. सुधाकरन *बनाम* **संपादक**
प्रशासक, यूनीवर्सल इंस्टीट्यूट **हिन्दुस्तान टाइम्स**
ऑफ लीगल स्टडीज भोपाल **भोपाल मध्य प्रदेश**
मध्य प्रदेश

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - श्री राहुल नोरोन्हा, प्रधान संवाददाता

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 14.7.2009 श्री पी.वी. सुधाकरन, प्रशासक, यूनीवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा संपादक, हिन्दुस्तान टाइम्स, भोपाल के विरूद्ध उनके समाचार पत्र के दिनांक 16.6.2009 के अंक में शीर्षक ''लॉ प्रवेश परीक्षा में नीति को उच्च स्थान'' (हिन्दी अनुवाद) के तहत कथित झूठा और गुमराह करने वाला समाचार प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई। आक्षेपित समाचार में सभी उच्च रैंक पाने वाले उम्मीदवारों के नामों के साथ-साथ किन्हीं श्री चित्राक्षी जैन 99वां रैंक धारक का नाम भी दिया गया, जिसने कैरियर लॉन्चर्स, भोपाल में कोचिंग ली थी। आक्षेपित समाचार में वास्तविक परिशुद्धता को चुनौती देते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वे क्लैट प्रशिक्षुओं को भोपाल में कोचिंग देते हैं और क्लैट परिणाम की घोषणा के बाद, प्रतिवादी ने आक्षेपित समाचार दिनांक 16.6.2009 को प्रकाशित किया जिसमें दुर्भाग्य से एक गलती की गई जिससे उनके हितों को भारी क्षति हुई। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार में कहा गया कि भोपाल की चित्राक्षी जैन नाम की विद्यार्थी ने 99वां रैंक प्राप्त किया जिसने कैरियर लॉन्चर्स, भोपाल में कोचिंग ली थी लेकिन सचाई यह है कि चित्राक्षी जैन नाम की कोई विद्यार्थी इस संस्थान में कभी थी ही नहीं और वह वस्तुतः यूआईएलएस, भोपाल की विद्यार्थी थी। उसने कैरियर लॉन्चर्स, से कभी कोई शैक्षिक/ क्लैट कोचिंग नहीं ली थी। उसने आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचार पूर्णतया भ्रामक और अनैतिक था। जिसके कारण, कैरियर लॉन्चर्स, ने उसके नाम का गलत लाभ उठाया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने हिन्दुस्तान टाइम्स के श्री राजेश पाहुजा से सम्पर्क किया जिन्होंने सही ढंग से समाचार प्रकाशित करने का आश्वासन दिया। दिनांक 1.7.2009 को उसने प्रतिवादी प्राधिकारी से स्वयं सम्पर्क किया किन्तु गलती को सुधारने की कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जांच समिति ने भोपाल में दिनांक 22.12.2012 को मामले पर सुनवाई की। प्रतिवादी की ओर से श्री राहुल नोरोन्हा, प्रधान संवाद्दाता पेश हुए। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ अतः उसने अनुपस्थिति के कारण परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की ।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार, निर्णय लिया।

131) श्रीमती नीता जैन, एडवोकेट *बनाम* **संपादक**
अध्यक्ष **दैनिक नवभारत**
जल कार्य विभाग दुर्ग, छत्तीसगढ़ **रायपुर, छत्तीसगढ़**

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - कोई नहीं

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 5.6.2010 श्रीमती नीता जैन, पार्षद और अध्यक्ष, जल कार्य विभाग, दुर्ग, छत्तीसगढ़ द्वारा संपादक, दैनिक नवभारत, रायपुर के विरूद्ध दुर्ग नगरनिगम के खिलाफ झूठे, बेबुनियाद और गुमराह करने वाले समाचार प्रकाशित करने के विरोध में दायर की गई।

आक्षेपित समाचार के अनुसार, दीपक नगर वार्ड की महिलाओं ने वार्ड पार्षद श्रीमती मीना सिंह के विरूद्ध प्रदर्शन किया क्योंकि वार्ड में भेजे गये टैंकरों में भरा पानी नगर निगम द्वारा आपूर्तित गंदा टॉयलेट का पानी था। नगर निगम के अधिकारियों को जब इस बारे में सूचित किया गया तो उन्होंने इस शिकायत को मानने से इंकार कर दिया। जल कार्य विभाग के प्रभारी (शिकायतकर्ता) ने पहले कहा था कि यह शिकायत झूठी है किंतु उसने बाद में कहा कि संभवतः किसी के द्वारा रात्रि में टॉयलेट का गंदा पानी टैंकर में जानबूझकर डाल दिया गया होगा। दिनांक 16.4.2010 के समाचार में, शिकायतकर्ता ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि किसी ने जानबूझकर रात्रि के समय टैंकर में टॉयलेट का गंदा पानी डाला हो। निगम का जल कार्य विभाग जनता को फिल्टर्ड पानी की आपूर्ति करता है। उसके खिलाफ यह कोई षड्यंत्र हो सकता है। नगर निगम और उसके अधिकारी उत्तरदायी होते हैं यदि जनता को गंदे पानी की आपूर्ति की जाती है, उन्होंने फिल्टर प्लांट के चारों ओर एक बाउंडरी दीवार निर्माण कराने का प्रस्ताव किया।

आक्षेपित समाचार में लगाये गये सभी आरोपों से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि यह समाचारपत्र जनता में उसकी छवि धूमिल करने के लिये जल टैंक से संबंधित ऐसे समाचार अक्सर प्रकाशित करता रहता है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वह इस मुद्दे से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है और ऐसे झूठे और बेबुनियाद प्रकाशनों से वह मानसिक रूप से परेशान होती हैं। पार्षद ने अपना बयान प्रकाशित करने के लिये संपादक को दिनांक 15.4.2010 को पत्र भेजा था किंतु उसने 16.4.2010 को शीर्षक ''मैंने ऐसा नहीं कहा - नीता'' से उनके फोटोग्राफ के साथ एक झूठा समाचार प्रकाशित कर दिया। उसने संपादक को एक नोटिस दिनांक 30.4.2010 को भेजा जिसमें उनके बयान को प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया था लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया।

कारण बताओ नोटिस प्रतिवादी संपादक को दिनांक 6.10..2010 को भेजा गया लेकिन 10.9.2012 को अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद भी कोई उत्तर नहीं दिया गया।

जांच समिति ने भोपाल में दिनांक 22.12.2012 को मामले पर सुनवाई की। जांच समिति ने गुणदोषों के आधार पर मामले पर विचार किया और पाया कि शिकायतकर्ता एक जन नेता है और समाचारपत्र ने शिकायतकर्ता के बयान को प्रकाशित कर दिया था अतः प्रेस परिषद् अधिनियम के तहत कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। अतएव, जांच समिति ने शिकायत को खारिज का निर्णय लिया।

निर्णय

परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार और अंगीकार करते हुए उक्त टिप्पणियों/ निदेशों को रिकार्ड किया जो भोपाल में 22.12.2012 को आयोजित बैठक में लिये गये थे तथा तदनुसार, निर्णय लिया।

132)	**डॉ देवेन्द्र सिंह** **वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी** **जिला अस्पताल सीधी, मध्य प्रदेश**	***बनाम***	**संपादक** **नवभारत** **भोपाल मध्य प्रदेश**

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - श्री संजय पायसी, संपादक

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 25.6.2010 डॉ0 देवेन्द्र सिंह, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सीधी, मध्य प्रदेश द्वारा संपादक, नवभारत के विरूद्ध दिनांक 18.6.2010 को शीर्षक ''महिला डाक्टर ने मानवता को किया तार-तार, प्रसव के लिये भर्ती महिला के साथ अमानवीय व्यवहार कर मौत के मुंहाने पर पहुंचाया'' से प्रकाशित झूठे और निराधार समाचार के विरोध में दायर की गई। आक्षेपित समाचार में यह उल्लेख किया गया कि डॉ0 मंजू सिंह पत्नी डॉ0 देवेन्द्र सिंह ने श्रीमती सुनीता देवी का प्रसव ऑपरेशन इस प्रकार किया जिससे बच्चे का सिर महिला के पेट में अटक गया और बच्चे का शेष धड़ बाहर आ गया। इस घटना के बाद, डॉ. देवेन्द्र सिंह ने रोगी के संबंधियों पर गुस्सा किया और उन्हें अस्पताल से बाहर जाने को मजबूर किया तथा उनके साथ बहुत ही आक्रामक और गलत व्यवहार किया। यह भी आरोप लगाया गया कि दूसरे डॉक्टरों ने उस महिला रोगी का ऑपरेशन करने से इंकार कर दिया क्योंकि उस महिला की जान खतरे में थी तब उसे इलाज के लिये रीवा मेडीकल कॉलेज भेज दिया गया।

आक्षेपित समाचार में लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उक्त समाचार उसे ब्लैकमेल करने और पैसा ऐंठने के लिये प्रकाशित किया गया

था। यह पूर्णतया झूठ और निराधार आरोप है क्योंकि बच्चा लगभग 6-7 दिन पहले ही महिला के पेट में मर चुका था तथा शिशु अन्य कई बीमारियों से ग्रस्त था जिससे महिला की जिंदगी को खतरा था। लगभग 4-5 बोतल रक्त चढ़ा कर महिला को बचाया जा सका। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसने सीधी अदालत में चार पत्रकारों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 156(3), 34, 501, 294 व 506 के तहत उसे गाली दिये जाने और मारने की धमकी दिये जाने के आरोप में एक आपराधिक मुकदमा दिनांक 13.7.2010 को दायर किया था जिसके लिये अदालत ने पत्रकारों के खिलाफ एक आपराधिक केस पुलिस में दर्ज कराने का निदेश दिया। उसने एक प्रत्युत्तर दिनांक 25.6.2010 समाचारपत्र में प्रकाशित करने के लिये नवभारत टाइम्स के संपादक को भेजा जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कारण बताओ नोटिस प्रतिवादी संपादक को दिनांक 6.12.2010 को भेजा गया लेकिन 8.3.2011 को अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

जांच समिति ने भोपाल में दिनांक 22.12.2012 को मामले पर सुनवाई की। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। अतः उसने अनुपस्थिति के कारण केस को खारिज करने का निर्णय लिया और तदनुसार, परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया तथा अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

133)	**श्री सुखदेव सिंह जांगिद** **अध्यक्ष, अखिल भारतीय जांगिद** **ब्राह्मण महासभा,** **इंदौर, मध्य प्रदेश**	*बनाम*	**संपादक** **लॉर्ड विश्वकर्मा** **इंटरनेशनल टांक,** **राजस्थान**

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - श्री सुखदेव शर्मा
प्रतिवादी के लिये - कोई नहीं

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 15.10.2009 श्री सुखदेव सिंह जांगिद, अध्यक्ष, अखिल भारतीय जांगिद ब्राह्मण महासभा, इंदौर द्वारा संपादक, लॉर्ड विश्वकर्मा इंटरनेशनल, हिन्दी पाक्षिक, टांक, राजस्थान के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 1-14 सितम्बर और 15-30 सितम्बर, 2009 के अंकों में क्रमशः शीर्षक ''महासभा के प्रधान पद से हीरू भाई का त्यागपत्र - वृहन मुबंई महानगर सभा ने विशेष बैठक में किया प्रभुराम किंजा का अभिनन्दन'' और ''तदर्थ समिति का गठन प्रधान पद के पुनः चुनाव - 20 सितम्बर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक''

से प्रकाशित झूठे और गुमराह करने वाले समाचारों के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचारों में कहा गया कि श्री हीरू भाई, अखिल भारतीय जांगिद ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने वर्तमान पद से त्याग पत्र दे दिया और चुनाव दिनांक 7.2.2010 को होंगे तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 20.9.2009 को होगी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचार पूरी तरह झूठा, बेबुनियाद है जिसे अखिल भारतीय जांगिद ब्राह्मण महासभा, नई दिल्ली को बदनाम करने के लिये प्रकाशित किया गया।

आक्षेपित समाचार में लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि श्री हीरू भाई का त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव की नई तारीख अभी अखिल भारतीय जांगिद ब्राह्मण महासभा द्वारा घोषित नहीं की गई है किन्तु प्रतिवादी ने जांच किये बिना ही उसे प्रकाशित कर दिया। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 15.10.2009 द्वारा प्रतिवादी का ध्यान आक्षेपित समाचार की ओर आकर्षित किया और संघ के बारे में समाचार प्रकाशित करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

प्रतिवादी संपादक ने अपने लिखित बयान दिनांक 22.1.2010 में उल्लेख किया कि प्रकाशित समाचार सही है जो तथ्यों पर आधारित है तथा उसे किसी संस्था या व्यक्ति की छवि को धूमिल करने या नुकसान पहुंचाने के लिये प्रकाशित नहीं किया गया। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता अनेक गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त है और बादवानी अदालत में उस पर कई मुकदमे चल रहे हैं तथा मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेश दिनांक 24.11.2006 में कहा कि शिकायतकर्ता आपराधिक प्रकृति का लगता है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता संघ के चुनावों के कई वित्तीय घोटालों में भी शामिल था। प्रतिवादी ने अंत में कहा कि शिकायतकर्ता ने विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में अनेक शिकायतें दायर की हैं जो उसकी आदत है।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 15.3.2010 में प्रतिवादी द्वारा लगाये गये आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि समाचार का प्रकाशन उसकी छवि को धूमिल करने के लिये ही किया गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उच्च अदालत ने मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, बादवानी के आदेशों को उलट दिया था।

जांच समिति ने भोपाल में दिनांक 22.12.2012 को शिकायतकर्ता के बयान सुने। जांच समिति ने केस के रिकार्ड पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद मत व्यक्त किया कि उठाये गये मुद्दों की जड़ें बहुत गहरी हैं क्योंकि दोनों पक्ष एक ही समुदाय के हैं और प्रतिवादी समुदाय लक्षित प्रकाशन है। अतएव, शिकायत का उपचार अन्यत्र ही है। इसलिये जांच समिति ने परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

निर्णय

परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद केस को खारिज करने का निर्णय लिया।

134) श्री एन. के. जैन *बनाम* **संपादक**
भोपाल (मध्य प्रदेश) **राज एक्सप्रेस भोपाल (मध्य प्रदेश)**

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - श्री एन. के. जैन स्वयं
प्रतिवादी के लिये - श्री महेश शर्मा, महाप्रबंधक (प्रशासन)

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 1.10.2011 (पीआईएल) श्री एन. के. जैन, भोपाल द्वारा राज एक्सप्रेस, भोपाल के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 4.8.2011 के अंक में शीर्षक ''रंगरेलियां मनाते रहे डॉक्टर, मरते रहे मासूम'' से प्रकाशित गलत, बेबुनियाद, अशिष्ट और गुमराह करने वाले समाचार के विरोध में दायर की गई है। समाचार 'माई हॉस्पिटल' में डॉक्टरों की लापरवाही के बारे में है जिसके कारण मात्र 12 घंटों में तीन नवजातों की मृत्यु हो गई। यह अस्पताल जूनियर डॉक्टरों के बल पर चल रहा है और वे अपनी ड्यूटी ठीक प्रकार से नहीं निभाते हैं जिससे जनता को खामियाज़ा भुगतना पड़ता है।

आक्षेपित समाचार में लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता जो समाचार में उल्लिखित एक महिला डॉक्टर का पिता है, ने उल्लेख किया कि 'माई हॉस्पिट ल' मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा अस्पताल है जहां अस्पताल में अपना एक प्रशासन है जो सभी गतिविधियों की देखभाल करता है। नामक बच्चे 'प्रिंस' को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया था और उस समय ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टरों ने उसकी भलीभांति देखभाल की। 'माई हॉस्पिटल' में लापरवाही की शिकायत के बारे में जांच करने के लिये एक समिति का गठन किया गया, और समिति ने जांच पड़ताल करने के बाद पाया कि डॉक्टरों द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी तथा उन्हें क्लीन चिट दी गई।

प्रतिवादी संपादक राज एक्सप्रेस ने अपने लिखित बयान दिनांक 16.5.2012 में उल्लेख किया कि समाचार का प्रकाशन मृतक शिशु के सम्बन्धियों के बयानों पर प्रकाशित किया गया और उनकी ओर से कुछ भी प्रकाशित नहीं किया गया। शिशु की मृत्यु के बाद, अस्पताल में भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने डॉक्टरों तथा अस्पताल पर आरोप लगाये जिन्हें आक्षेपित समाचारों में प्रकाशित कर दिया गया। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार 'माई हॉस्पिटल' के डॉक्टरों और प्रशासन की लापरवाही के बारे में था।

यह मामला भोपाल में दिनांक 22.12.2012 को जांच समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जांच समिति ने शिकायतकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी के प्रतिनिधि श्री महेश शर्मा, महाप्रबंधक, राज एक्सप्रेस के बयानों को सुना। जांच समिति का मत था कि मृतक के सम्बन्धियों द्वारा लगाये आरोपों को ही रिपोर्ट का आधार नहीं बनाना चाहिए था जब तक कि

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी पुनः जांच नहीं कर ली जाती। इसके अतिरिक्त, शब्द 'रंगरेलियां' का प्रयोग इस परिप्रेक्ष्य में गलत और अनुचित था, विशेषकर तब जब उसमें महिला डॉक्टर का नाम दिया गया। अतएव, जांच समिति ने प्रतिवादी समाचार पत्र को भविष्य में सतर्कता बरतने के लिये चेतावनी देने का निर्णय किया। जांच समिति ने परिषद् से शिकायत को उक्त शर्तों के अनुसार, निपटान करने की सिफारिश की।

निर्णय

परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार और अंगीकार कर ली और तदनुसार, निर्णय लिया।

135)	**श्री उमाशंकर प्रसाद ठाकुर एवं अन्य, पटना बिहार**	***बनाम***	**संपादक आज, पटना बिहार**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 20.8.2009 श्री उमाशंकर प्रसाद ठाकुर एवं अन्य, पटना, बिहार द्वारा संपादक, आज, पटना के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 10.7.2009 के अंक में शीर्षक ''बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर के लिए दिखावे की वस्तु - गुरू के नक्शे कदम से बहुत दूर स्कूल ऑफ योगा के कुलपति'' से प्रकाशित झूठे, भ्रामक, बनावटी और अवमाननापूर्ण समाचार के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में मुंगेर स्थित योगा स्कूल के परमहंस स्वामी निरंजन, चांसलर मुंगेर की कारगुजारियों का उल्लेख किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि स्वामी के शिष्य योगा स्कूल में मस्तीभरा जीवन यापन कर रहे हैं।

एक कारण बताओ नोटिस प्रतिवादी संपादक, आज, पटना को दिनांक 27.10.2009 को भेजा गया था लेकिन अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद भी लिखित बयान दायर नहीं किया गया।

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 4.10.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। जांच समिति ने सुनवाई स्थगित कर दी।

जांच समिति के निदेश परिषद् के पत्र दिनांक 2.1.2013 द्वारा दोनों पक्षों को भेज दिये गये और सम्मन दिनांक 10.1.2013 जारी किये गये।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 21.1.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - कोई नहीं

दोनों पक्षों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। जांच समिति इस मामले को लंबित करना नहीं चाहती थी। उसने अनुपस्थिति के कारण केस को खारिज करने का निर्णय लिया और तदनुसार, परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये कारणों को स्वीकार और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया और अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

136) श्री ललित श्रीवास्तव *बनाम* **संपादक**
कानपुर उत्तर प्रदेश **आज, हिन्दी दैनिक**
कानपुर उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत श्री ललित श्रीवास्तव, कानपुर द्वारा संपादक, आज, हिन्दी दैनिक, कानपुर के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 10.1.2010 के अंक में शीर्षक ''राप्ती सागर में भिड़े युवक, एक को किया मरणासन्न'' से प्रकाशित झूठे, बेबुनियाद और अवमाननापूर्ण समाचार के विरोध में दायर की गई। आक्षेपित समाचार में यह कहा गया कि दो ग्रुपों के बीच लड़ाई के दौरान श्री ललित श्रीवास्तव (शिकायतकर्ता) निवासी बाबा मोहाल, पुखरया गंभीर रूप से घायल हो गये।

प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान दिनांक 11.6.2010 में यह स्वीकार किया कि आक्षेपित समाचार में प्रकाशित नाम ललित शिकायतकर्ता का था। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने श्री आर.पी. भीमसेन द्वारा दायर मामले से बचने के लिये शिकायत की थी।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों में उल्लेख किया कि प्रतिवादी का लिखित बयान मनगढंत है क्योंकि आक्षेपित समाचार प्रकाशित होने से जीआरपी ने उसके घर से नाम, जाति आदि मालूम कर ली थी। अपने इस मन्तव्य के पक्ष में उसने क्षेत्र के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के हलफनामे प्रस्तुत कर दिये।

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 4.10.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जांच समिति को सूचित किया गया कि शिकायतकर्ता से सुनवाई को स्थगित करने के लिये टेलीफोन पर संदेश प्राप्त हुआ है। "जांच समिति ऐसे सामान्य ढंग से स्थगन के अनुरोध पर खुश नहीं थी और उसने निदेश दिया कि स्थगन की मांग कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदन प्रस्तुत करके करनी चाहिए। आदेश की प्रति शिकायतकर्ता को भेजी जाए। समिति ने दोनों पक्षों को एक और अवसर प्रदान करने के लिये शिकायत को स्थगित करने का निर्णय लिया।"

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 21.1.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - कोई नहीं

दोनों पक्षों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। जांच समिति ने अनुपस्थिति के कारण मामले को खारिज करने का निर्णय लिया और तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये कारणों और समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

137) श्री अजय पाल सिंह
टेलीकॉम जिला प्रबंधक
भारत संचार निगम लि.
फतेहपुर, उत्तर प्रदेश

बनाम

संपादक
स्वतंत्र भारत
कानपुर, उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 13.7.2009 श्री अजय पाल सिंह, टेलीकॉम जिला प्रबंधक, भारत संचार निगम लि., फतेहपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वतंत्र भारत के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 26.5.2009, 27.5.2009 और 28.5.2009 के अंकों में क्रमशः शीर्षकों ''चार साल में 18 हजार से 18 सौ बचे बेसिक टेलिफोन'', ''बीएसएनएल की स्थानीय ईकाई में धांधागर्दी -मौजूदा टीडीएम अजय पाल सिंह की लापरवाही से पचास लाख गये पानी में'' और ''परिमण्डल मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में गलत रिपोर्ट दे रहा है टीडीएम'' से प्रकाशित झूठे, भ्रामक और अवमाननापूर्ण समाचारों के विरोध में दायर की गई।

प्रतिवादी संपादक, स्वतंत्र भारत को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9.11.2009 को भेजा गया लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

जांच समिति के सम्मुख यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 3.10.2012 और 21.1.2013 को विचारार्थ पेश किया गया।

दोनों ही अवसरों पर दोनों पक्षों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ, जांच समिति ने अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट अंगीकार कर ली और तदनुसार, शिकायत खारिज करने का निर्णय लिया।

138) श्री नरेन्द्र कुमार परमार *बनाम* **संपादक**
कार्यक्रम सहायक सांझा शिक्षा कार्यक्रम **दिव्य दमक**
जालौर, राजस्थान **जालौर, राजस्थान**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 22.9.2009 श्री नरेन्द्र कुमार परमार, कार्यक्रम सहायक और श्री श्याम सुन्दर सोलंकी, अपर जिला योजना समन्वयक, सांझा शिक्षा कार्यक्रम, जालौर (राजस्थान) द्वारा संपादक, दिव्य दमक, हिन्दी पाक्षिक, जालौर के विरूद्ध 2009 में प्रकाशित निराधार, प्रेरित और अवमानना पूर्ण समाचार के विरोध में दायर की गई।

प्रतिवादी संपादक, दिव्य दमक, जालौर ने अपने लिखित बयान में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये आरोपों से स्पष्ट इंकार किया। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने उगाही के बतौर 10,000/- रु. की मांग की, पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद है। लिखित बयान के उत्तर में, शिकायतकर्ता प्रतिवादी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुआ।

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 4.10.2012 और 21.1.2013 को जांच समिति के सम्मुख सुनवाई के लिए सूचिबद्ध किया गया।

चूंकि दोनों ही अवसरों पर दोनों पक्षों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ, अतः जांच समिति ने अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट अंगीकार कर ली तथा तदनुसार, शिकायत खारिज करने का निर्णय लिया।

139) डॉ0 चन्द्रपाल *बनाम* **संपादक**
जिला मूल **दैनिक मान्यवर**
शिक्षा अधिकारी **जौनपुर**
मऊ उत्तर प्रदेश **वाराणसी, उत्तर प्रदेश**

अधिनिर्णय

यह शिकायत डॉ0 चन्द्रपाल, जिला मूल शिक्षा अधिकारी, मऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा संपादक, दैनिक मान्यवर, जौनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध उनके समाचारपत्र

के दिनांक 25.7.2009 अंक में विद्यार्थी के साथ कथित अवैध सम्बन्ध के बारे में शीर्षक ''प्रशासनिक ट्रांसफर की साजिश में फिर पिटे बीएसए साहब'' से प्रकाशित विद्यार्थी के साथ अभिकथित अवैध सम्बन्ध के बारे में झूठे, भ्रामक और बेबुनियाद समाचार के विरोध में दायर की गई हैं।

प्रतिवादी संपादक को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.10.2009 को भेजा गया था किंतु कोई लिखित बयान दर्ज नहीं किया गया।

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 4.10.2012 और 21.1.2013 को विचारार्थ पेश किया गया। चूंकि दोनों ही अवसरों पर दोनों पक्षों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ, अतः जांच समिति ने अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट अंगीकार कर ली और अनुपस्थिति के कारण शिकायत खारिज करने का निर्णय लिया।

140) श्री अवदेश कुमार सिंह
गुड़गांव (हरियाणा)

बनाम

संपादक
दैनिक जागरण
गुड़गांव (हरियाणा)

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 28.8.2009 श्री अवदेश कुमार सिंह, गुड़गांव द्वारा संपादक, दैनिक जागरण गुड़गांव नगर संस्करण के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 31.7.2009 के अंक में शीर्षक ''लापरवाही ने छीन ली भाई-बहन की ज़िन्दगी, सांत्वना दी पर नहीं दिए फीस के सौ रुपये'' से प्रकाशित झूठे, बेबुनियाद और अवमाननापूर्ण समाचार के विरोध में दायर की गई। आक्षेपित समाचार में यह कहा गया कि किन्हीं श्री विजय कुमार के तीन बच्चों में से दो बच्चों नामतः अतुल (आठ माह) और तनु (ढाई वर्ष) की जनरल अस्पताल, गुड़गांव में डयूटी डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही के कारण मृत्यु हो गई।

प्रतिवादी को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 6.12.2010 को भेजा गया किंतु दिनांक 7.4.2011 को अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 21.1.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - श्री बी.के. मिश्रा, एडवोकेट

शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। अतः जांच समिति ने परिषद् से अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने के सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

141) श्री सुधीर कुमार शर्मा (उर्फ कल्लू) *बनाम* **संपादक**
जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश **थान्वी मुजफ्फरनगर टाइम्स**
मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 2.7.2010 श्री सुधीर कुमार शर्मा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश द्वारा संपादक, थान्वी मुजफ्फरनगर टाइम्स के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 14.6.2010 के अंक में शीर्षक ''मीरापुर क्षेत्र के गांव कैलारपुर में शिव होटल पर अफीम, चरस, सुल्फे, डोडो व शराब की बिक्री, पूरा गैंग करता है अवैध कार्य'' से प्रकाशित झूठे, बेबुनियाद और अवमाननापूर्ण समाचार के विरोध में दायर की गई।

प्रतिवादी संपादक को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 7.10.2010 को भेजा गया किंतु कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 21.1.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - कोई नहीं

दोनों पक्षों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। अतः जांच समिति ने शिकायत को अनुपस्थिति के कारण खारिज करने का निर्णय लिया। तदनुसार इसने परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

142) श्री सुखदेव शर्मा
अध्यक्ष, मध्य प्रदेश
अखिल भारतीय जांगिद ब्राह्मण महासभा
दिल्ली

बनाम

संपादक
सांझा लोकस्वामी
उज्जैन, मध्य प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत श्री सुखदेव शर्मा, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश अखिल भारतीय जांगिद ब्राह्मण महासभा द्वारा संपादक, सांझा लोकस्वामी, उज्जैन के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 13.6.2010 के अंक में शीर्षक ''लकड़ी चोर व पद से निष्कासित सुखदेव- आज दिलाएंगे नई कार्यकारिणी को शपथ'' से प्रकाशित बेबुनियाद और अवमाननापूर्ण समाचार के विरोध में दायर की गई।

प्रतिवादी को एक कारण बताओ नोटिस लिखित बयान दायर करने के लिये दिनांक 6.12.2010 को भेजा गया किंतु कोई लिखित बयान प्राप्त नहीं हुआ।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 21.01.2013

दोनों पक्षों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। अतः जांच समिति ने अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों और समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

143) डॉ0 सुधा सिंह
अध्यक्ष, यूनीक इंस्टीटयूट ऑफ
मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड एजूकेशन
गंगनहर, मुरादनगर
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

बनाम

संपादक
दैनिक जनवाणी
मेरठ, उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 1.8.2011 डॉ0 सुधा सिंह, अध्यक्ष, यूनीक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नालॉजी एंड एजूकेशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा संपादक, दैनिक जनवाणी के विरूद्ध उनके समाचार पत्र दिनांक 19.7.2011 के अंक में शीर्षक ''पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर धोखा'' से प्रकाशित झूठे, बेबुनियाद और अपमानजनक समाचार के विरोध में दायर की गई है।

आक्षेपित समाचार में यह कहा गया है कि कॉलेज की पत्रिका में एक गलत बात प्रकाशित की गई थी। कॉलेज जोकि मुरादनगर में स्थित है, की पत्रिका में यह प्रकाशित किया गया था कि कॉलेज की अध्यक्षा को भारत के वर्तमान राष्ट्रपति (अर्थात श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम) द्वारा कॉलेज में दिनांक 24.8.2007 को सम्पन्न एक समारोह में 'लाइफट ाइम एचीवमेंट' पुरस्कार प्रदान किया गया, किंतु एक एडवोकेट द्वारा दायर आरटीआई आवेदन के उत्तर से ज्ञात हुआ कि श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का कार्यकाल दिनांक 25.7.2007 को समाप्त हो गया था और वह 24.8.2007 को कॉलेज के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए थे।

समाचार में लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रकाशित समाचार पूर्णतया झूठा, बेबुनियाद और अवमाननापूर्ण था और उसे आम जनता में उनकी छवि धूमिल करने के लिये प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता ने यह माना कि गलती से, राष्ट्रपति के नाम के साथ 'पूर्व' शब्द प्रकाशित नहीं हुआ था और इस गलती का पता लगने के बाद पत्रिका के वर्ष 2008-09 के अंक में उसका संशोधन प्रकाशित कर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने संपादक के नाम अपने पत्र में प्रतिवादी से अनुरोध किया था कि इसे दिनांक 21.7.2011 के समाचारपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान दिनांक 8.5.2012 में आरोपों का खंडन किया और उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार में कॉलेज का नाम कहीं भी प्रकाशित नहीं किया गया था और आरटीआई उत्तर के आधार पर समाचार प्रकाशित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा 24.8.2007 को पुरस्कार प्रदान किया गया था जबकि उस समय वह भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि प्रकाशित समाचार झूठा और अवमाननापूर्ण नहीं था क्योंकि उसे एडवोकेट को आरटीआई के तहत प्राप्त सूचना के आधार पर प्रकाशित किया गया था।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.01.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - डॉ0 सुधा सिंह, शिकायतकर्ता
प्रतिवादी के लिये - श्री नीरज त्यागी, एडवोकेट

जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुने। शिकायतकर्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया कि मानवीय भूल से पूर्व शब्द कॉलेज पत्रिका में प्रकाशित पुरस्कार सूची में छूट गया था। इसे बाद में संशोधित कर दिया गया था जिस कारण जानबूझकर गुमराह करने का आरोप किसी भी प्रकार से नहीं लगाया जा सकता है। प्रतिवादी ने उस स्पष्टीकरण को प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की। तदनुसार, मामले का निपटान कर दिया गया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

144)	**श्री प्रशान्त गौतम** **उम्मीदवार/समन्वयक** **बहुजन समाज पार्टी मेरठ** **उत्तर प्रदेश**	***बनाम***	**संपादक** **दैनिक जनवाणी** **मेरठ उत्तर प्रदेश**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 19.10.2011 श्री प्रशान्त गौतम, मेरठ द्वारा संपादक, दैनिक जनवाणी के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 6.10.2011 के अंक में शीर्षक ''किला बचाने को जवाबी पुतलेबाजी'' से प्रकाशित झूठे, बेबुनियाद और अपमानजनक समाचार के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में यह कहा गया है कि शिकायतकर्ता का पुतला श्री योगेश वर्मा, एमएलए, द्वारा मवाना और हस्तिनापुर जिलों में जलाया गया, जिसकी प्रतिक्रिया में शिकायतकर्ता द्वारा भी श्री योगेश वर्मा, एमएलए और मुकुन्द का पुतला फूंका गया।

कारण बताओ नोटिस के उत्तर में संपादक और प्रतिवादी ने अपने उत्तर में इंकार किया कि आक्षेपित समाचार उनकी छवि को धूमिल करने के लिये प्रकाशित किया गया था। शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 5.6.2012 में उल्लेख किया कि समाचार में उसका पुतला जलाने वाले व्यक्तियों के नाम प्रकाशित नहीं किये गये थे तथा प्रतिवादी ने उन स्थानों को भी नहीं बताया था जहां घटना घटित हुई थी।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.01.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - श्री नीरज त्यागी, एडवोकेट

शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः जांच समिति ने अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया और तदनुसार, परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

145) मैसर्स यूनीकॉर्न सीक्योरिटीज प्रा.लि. नई दिल्ली *बनाम* **संपादक कर्णेश्वर करनाल हरियाणा**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 7.2.2011 मैसर्स यूनीकॉर्न सीक्योरिटीज (प्रा.) लि., नई दिल्ली द्वारा संपादक, कर्णेश्वर, करनाल, हिन्दी पाक्षिक पत्रिका के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 15.1.2011 के अंक में शीर्षक ''यूनीकोन अधिकारियों पर धमकी का आरोप'' से प्रकाशित झूठे और अवमाननापूर्ण समाचार के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में यह कहा गया कि यूनीकॉर्न सीक्योरिटीज (प्रा.) लि. के अधिकारियों ने महिलाओं को धमकी दी। यह भी बताया गया कि एक महिला द्वारा शुरू की गई माध्यस्थम कार्यवाही में और जिसे एनएसईआईएल में एकमात्र विवाचक (सेवानिवृत्त न्यायाधीश महमूद अली खान) के समक्ष संचालित किया गया, शिकायतकर्ता कंपनी के सी.ई.ओ. को दोषी पाया गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि सचाई यह है कि माननीय विवाचक द्वारा दिये गये निर्णय में यह स्पष्ट है कि कंपनी के सी.ई.ओ. को किसी भी प्रकार दोषी नहीं पाया गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसने प्रतिवादी का ध्यान आकर्षित करने के लिये दिनांक 23.2.2011 को पत्र भेजा था किंतु अभी तक कोई लिखित बयान प्राप्त नहीं हुआ है।

दिनांक 5.4.2011 को प्रतिवादी संपादक, कर्णेश्वर, करनाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया परन्तु अभी तक कोई लिखित बयान प्राप्त नहीं हुआ है।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.01.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - श्री मोहित कुमार, एडवोकेट
प्रतिवादी के लिये - कोई नहीं

जांच समिति ने शिकायतकर्ता के परामर्शदाता के बयान सुने। प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ हालांकि नोटिस भेजना चाहिए। बचाव पक्ष की अनुपस्थिति के कारण शिकायत में लगाये गये आरोपों को सही मान लिया गया। जांच समिति ने शिकायत को स्वीकार किया और परिषद् से प्रतिवादी की भर्त्सना करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा तदनुसार, निर्णय लिया।

146) श्री आर.एस. राणा *बनाम* **संपादक**
महासचिव **संदेश**
अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संगठन **गुजरात**
नई दिल्ली

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 29.12.2009 श्री आर.एस. राणा, महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संगठन द्वारा संपादक, संदेश, गुजरात के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 10.11.2009 के अंक में शीर्षक ''आसाराम को जयपुर आश्रम में यौनाचार करते देखा गया'' से संत आसाराम बापू के विरूद्ध झूठे और मनगढंत समाचार के प्रकाशन के विरोध में दायर की गयी है।

प्रतिवादी संपादक ने अपने लिखित बयान दिनांक 14.7.2010 में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये आरोपों से इंकार करते हुए उल्लेख किया कि शिकायत में प्रथम दृष्टया कोई भी सार और सत्य नहीं है, अतः इसे पूर्णतया अस्वीकार कर दिया जाये। प्रतिवादी ने ऐसी शिकायत को स्वीकार नहीं करने और उसके विरूद्ध अगली कोई कार्यवाही नहीं करने का अनुरोध किया।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.01.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - कोई नहीं

चूंकि दोनों ही पक्षों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, अतः जांच समिति ने अनुपस्थिति के कारण केस को खारिज करने का निर्णय लिया और तदनुसार, परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

147) श्री के. वी. सिंह *बनाम* **संपादक**
एडवोकेट एवं प्रबंधक **स्वतंत्र भारत**
श्रीमती तस्वीर कुंवर गर्ल्स इंटर कॉलेज **कानपुर उत्तर प्रदेश**
जालौन, उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 4.9.2010 श्री के. वी. सिंह, संपादक, एडवोकेट एवं प्रबंधक, श्रीमती तस्वीर कुंवर गर्ल्स इंटर कॉलेज, जालौन द्वारा संपादक, स्वंतत्र भारत के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 29.8.2010 के अंक में शीर्षक ''संत ग्यासीलाल के बाद अब एसटीके की छात्रा लापता'' से प्रकाशित झूठे, बेबुनियाद, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक समाचार के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में यह प्रकाशित किया गया कि संत ग्यासीलाल के बाद एक छात्रा श्रीमती तस्वीर कुंवर गर्ल्स इंटर कॉलेज से भाग गई और स्कूल प्रबंधन को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

प्रतिवादी संपादक, दैनिक स्वतंत्र भारत को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 9.12.2010 को भेजा गया लेकिन कोई लिखित बयान प्राप्त नहीं हुआ।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.01.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - कोई नहीं

चूंकि दोनों ही पक्षों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, अतः जांच समिति ने अनुपस्थिति के कारण केस को खारिज करने का निर्णय लिया और तदनुसार, परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

148) डॉ0 विवेक चौरसिया *बनाम* **संपादक**
वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ **दैनिक जागरण**
फतेहगढ़, फरूखाबाद **कानपुर**
उत्तर प्रदेश **उत्तर प्रदेश**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 12.7.2010 डॉ0 विवेक चौरसिया, वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ, फरूखाबाद द्वारा संपादक,दैनिक जागरण के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 4.7.2010 के

अंक में शीर्षक ''अफसर की कुर्सी पर निजी डॉक्टर को देख बिफरी डी एम'' से प्रकाशित झूठे और भ्रामक समाचार के विरोध में दायर की गई है।

आक्षेपित समाचार में लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि समाचार पूरी तरह झूठा और भ्रामक है और उसे समाज और मित्रों में उसकी छवि धूमिल करने के लिये ही प्रकाशित किया गया है।

प्रतिवादी संपादक, दैनिक जागरण, कानपुर को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.10.2010 को भेजा गया लेकिन कोई लिखित बयान प्राप्त नहीं हुआ।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.01.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - श्री बी.के. मिश्रा, एडवोकेट

प्रतिवादी उपस्थित हुआ। जांच समिति को प्रतिवादी द्वारा सूचित किया गया कि मामले को दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से निपटा दिया गया है। तदनुसार, उसने परिषद् से केस का फैसला हुआ मानकर निपटान करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

149) श्री नरेश कुमार वर्मा *बनाम* **संपादक**
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी **समय भास्कर**
फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश **फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 13.4.2011 श्री नरेश कुमार वर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा मुख्य संपादक/स्वामी/प्रकाशक, समय भास्कर, फिरोजाबाद के विरूद्ध प्रकाशित झूठे, बेबुनियाद और अवमाननापूर्ण समाचार जिसमें भ्रष्ट गतिविधियों के कारण शिक्षा के गिरते स्तर का आरोप लगाया गया है, के विरोध में दायर की गई है।

प्रतिवादी मुख्य संपादक, समय भास्कर ने अपने लिखित बयान दिनांक 25.6.2011 में उल्लेख किया कि प्रकाशित समाचार विश्वसनीय त्रों और साक्ष्यों पर आधारित था।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.01.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - श्री अभिषेक मिश्रा

चूंकि शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ अतः जांच समिति ने परिषद् से अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया और अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

150) श्री सूर्य प्रकाश पांडेय *बनाम* **संपादक**
सहायक अध्यापक **स्वतंत्र चेतना**
किसान इंटर कॉलेज, **गोरखपुर**
रसूलपुर, बस्ती, (उत्तर प्रदेश) **उत्तर प्रदेश**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 8.7.2010 श्री सूर्य प्रकाश पांडेय, सहायक अध्यापक, किसान इंटर कॉलेज, रसूलपुर, बस्ती, उत्तर प्रदेश द्वारा संपादक, स्वतंत्र चेतना, गोरखपुर के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 5.7.2010 के अंक में शीर्षक ''फर्जी डिग्री के आधार पर बीस वर्षों से नौकरी'' से प्रकाशित झूठे, बेबुनियाद और अवमाननापूर्ण समाचार जो अवकाश रिक्ति पर सहायक अध्यापक के पद पर फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में है, के विरोध में दायर की गई है।

प्रतिवादी संपादक, स्वंतत्र चेतना को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.10.2010 को भेजा गया लेकिन कोई लिखित बयान प्राप्त नहीं हुआ।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.01.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - कोई नहीं

चूंकि दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष जांच समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ इसलिये जांच समिति ने अनुपस्थिति के कारण परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा अनुपस्थिति के कारण शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

151)	**श्री राम दयाल** **अपने एडवोकेट** **एसवाई. जुल्फिकार हुसैन नक्वी के जरिये** **फतेहपुर, उत्तर प्रदेश**	***बनाम***	**संपादक** **अमर उजाला** **कानपुर,** **उत्तर प्रदेश**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 3.5.2011 श्री राम दयाल द्वारा अपने एडवोकेट एसवाई. जुल्फिकार हुसैन नक्वी, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के माध्यम से संपादक, अमर उजाला, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 1.3.2011 के अंक में शीर्षक ''मानक विहीन कालोनियों से बिगड़ी शहर की शक्ल, भूमाफिया कर रहे मनमानी प्लॉटिंग'' से प्रकाशित झूठे, बेबुनियाद और अवमाननापूर्ण समाचार के विरोध में दायर की गई है।

श्री अवदेश द्विवेदी, जिला पत्रकार, अमर उजाला और प्रतिवादी संपादक, अमर उजाला पब्लिकेशन्स लि. ने अपने पत्रों क्रमशः दिनांक 20.8.2011 और 25.8.2011 द्वारा आरोपों से इंकार करते हुए अपने लिखित बयान दायर किये और कहा गया कि आक्षेपित समाचार तथ्यों पर आधारित था।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.01.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं

प्रतिवादी के लिये - सर्वश्री पी.आर. राजहंस, एडवोकेट और ललित चतुर्वेदी, कंपनी सचिव, अमर उजाला

चूंकि शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जांच समिति ने अनुपस्थिति के कारण परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

152) श्री मल्खे दीक्षित
सब-इंस्पेक्टर
एस.ओ.जी. टीम
पुलिस क्लब, सिविल लाइन
ललितपुर, उत्तर प्रदेश

बनाम

संपादक
ललित मशाल साप्ताहिक
ललितपुर
उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 25.5.2010 श्री मल्खे दीक्षित और पूरी टीम, मेहरौनी थाना, ललितपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा संपादक, ललित मशाल साप्ताहिक, ललितपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 23-30 मई, .2010 के अंक में शीर्षक ''नहीं होने दूंगा जुआ सट्टा शराब : एन चौधरी'' से प्रकाशित झूठे, बेबुनियाद और अवमाननापूर्ण समाचार जिसमें एस.जी.ओ.टीम पर अपराधियों से धन ऐंठने का आरोप लगाया गया है, के विरोध में दायर की गई है ।

आक्षेपित समाचार में लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आरोप पूर्णतया झूठे, बेबुनियाद और अवमाननापूर्ण हैं क्योंकि एस.जी.ओ. टीम को एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करने पर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक, ललितपुर द्वारा पुरस्कृत किये जाने का सम्मान प्राप्त है, गिरोह मूर्तियों की चोरी किया करता था।

प्रतिवादी सम्पादक ने अपने लिखित पत्र दिनांक 21.08.2010 में लगाये गये आरोपों से इन्कार किया है और कहा है कि उसने शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 1.7.2010 का उत्तर दिया था।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.01.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - कोई नहीं

जांच समिति ने पाया कि एक हलफनामा दिनांक 20.1.2013 प्राप्त हुआ है जिसमें आपसी सहमति से मामले का निपटान करने की सूचना भारतीय प्रेस परिषद् के समक्ष एक प्रति-शिकायत, नम्बर 13/24/10-11 में दी गई। अतएव उसने शिकायत को निपटाया हुआ मान कर, तदनुसार, परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

153) श्री अमिताभ ठाकुर, आईपीएस
एवं श्रीमती नूतन ठाकुर,
सामाजिक कार्यकर्ता
गोमती नगर लखनऊ,
उत्तर प्रदेश

बनाम

संपादक
दैनिक जागरण
मीरा बाई मार्ग
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 9.5.2011 श्री अमिताभ ठाकुर, आईपीएस एवं उनकी पत्नी श्रीमती नूतन ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार द्वारा संपादक, दैनिक जागरण के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 10.4.2011 के अंक में शीर्षक ''असली राज- सत्ता के गलियारे से'' से प्रकाशित झूठे, बेबुनियाद और अवमाननापूर्ण समाचार के विरोध में दायर की गई है।

आक्षेपित समाचार में कहा गया है कि आईपीएस अधिकारी का एक नया शगूफा है कि उसने अपने उपनाम में जातिवाचक शब्द को हटाने के लिये सरकार को एक शपथपत्र प्रेषित किया और भविष्य में भी, यदि उन्हें जाति लिखना आवश्यक ही हो तो उस कोष्ठक में कोई जाति नहीं' लिखा जाना चाहिए। इस कार्रवाई के पीछे, उनका उद्देश्य समाज को जाति रहित बनाना था। आक्षेपित समाचार में यह भी कहा गया कि पुलिस विभाग के अनुसार, इसका कुछ और ही कारण ज्ञात हुआ। उन्होंने कहा कि उनके बॉस के जाति सूचक उपनाम से भ्रम पैदा होता है, जैसेकि कभी-कभी उन्हें बिहार के एक पूर्व-मुख्य मंत्री का संबंधी माना गया और इस कारण उन्हें जनता को अनेक बार स्पष्टीकरण देना पड़ा। एक अन्य कारण यह भी पता लगा कि एक अन्य आईपीएस अधिकारी का भी यही नाम है जिन्हें श्री अमिताभ ठाकुर की पत्नी श्रीमती नूतन ठाकुर के संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ और तभी खबर फैल गई कि ''मेम साहब ने घर का इनाम घर में ही रख लिया'' और उन्हें इस बारे में सफाई देने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक अन्य कारण भी ज्ञात हुआ कि श्री अमिताभ ठाकुर का उपनाम चुनाव आयोग के अधिकारियों को दिल से याद रहता है और इसी कारण उन्हें विधान सभा चुनाव से संबंधित प्रशासनिक मामलों में, उनके निर्धारित होने से पहले ही, हस्तक्षेप करने की अनुमति मिल जाती है।

आक्षेपित समाचार में लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि यद्यपि उनका नाम और उनकी पत्नी का नाम समाचारों में नहीं दिया गया, किंतु समाचार में दिये गये तथ्यों से यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि जिसे पढ़कर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि यह किसके बारे में कहा गया है। उसने उल्लेख किया कि उसने इस मामले में सभी समाचारपत्रों को एक प्रेस विज्ञप्ति प्रमुखता से प्रकाशित करने के लिये भेजी। सभी अन्य समाचारपत्रों ने उस प्रेस विज्ञप्ति को ज्यों का त्यों प्रकाशित कर दिया, किंतु दैनिक जागरण ने उसे अपनी टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया। उसने यह भी उल्लेख किया कि वह समाचार उसे तथा उसकी पत्नी को जनता में बदनाम करने की मंशा

से बिना किसी आधार के प्रकाशित किया गया था और प्रतिवादी उसके खिलाफ इस प्रकार के समाचार पहले भी प्रकाशित करता रहा है।

प्रतिवादी संपादक को टिप्पणियों के लिये पहला नोटिस दिनांक 23.6.2011 को भेजा गया। चूंकि उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कारण बताओ नोटिस दिनांक 6.1.2012 प्रतिवादी को भेज कर लिखित बयान मांगा गया।

प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान दिनांक 30.1.2012 में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी का नाम समाचार में कहीं भी नहीं दिया गया था। उसने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता का यह आरोप कि दैनिक जागरण उसके खिलाफ ऐसे समाचार पहले भी प्रकाशित करता रहा है, पूरी तरह झूठ है और इसी कारण प्रेस परिषद् को शिकायतकर्ता द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 10.3.2012 में उल्लेख किया कि समाचार बिना किसी आधार और बिना किसी औचित्य के प्रकाशित किया गया, जिसके लिये संबंधित पत्रकार द्वारा याचिकाकर्ता से बात करने का भी प्रयास नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा लगाये गये आरोपों से इंकार किया।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.01.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - श्री अतुल कुमार ठाकुर, प्रतिनिधि
प्रतिवादी के लिये - श्री बी.के. मिश्रा, एडवोकेट

जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुने। प्रतिवादी के परामदाताएडवोकेट ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया जिसे अवमाननापूर्ण माना जाए। जिस समाचार पर शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति की गई है वह हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। जांच समिति ने यह भी पाया कि प्रतिवादी के एडवोकेट श्री बी.के. मिश्रा ने स्पष्टीकरण प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की जिसे शिकायतकर्ता प्रकाशित कराना चाहे। जांच समिति ने निर्णय लिया कि शिकायतकर्ता द्वारा एक स्पष्टीकरण प्रतिवादी को दे दिया जाए और प्रतिवादी उसे शीघ्र प्रकाशित करे। तदनुसार, उसने शिकायत का निपटान करने का निर्णय लिया और परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा शिकायत का निपटान करने का निर्णय लिया।

154) श्री भवनजी रामजी गाला *बनाम* **संपादक**
दादर (पूर्व) **बॉम्बे समाचार,**
मुम्बई **गुजराती दैनिक मुम्बई**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 8.1.2009 श्री भवनजी रामजी गाला, मुम्बई द्वारा संपादक, बॉम्बे समाचार, गुजराती दैनिक के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 8.8.2008 के अंक में शीर्षक ''ईमानदार खुदरा व्यापारियों को मॉल से नहीं घबराना चाहिए-निःशुल्क उपहार योजना का आकर्षण-शेयरधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया'' से प्रकाशित करके खुदरा अनाज व्यापारियों की सहकारी समिति की आम सभा से संबंधित कार्यवाही की कथित गलत रिपोर्टिंग करने के विरोध में दायर की गई है। समाचारों में यह प्रकाशित किया गया कि वार्षिक आम सभा (खुदरा अनाज व्यापारी समिति) के बाद सामान्य बातचीत के दौरान श्री रमणीक लाल (अध्यक्ष) ने कहा कि यह सच है कि मॉल कल्चर के कारण खुदरा व्यापारियों को नुकसान हुआ है। यह भी प्रकाशित किया गया कि (भवनजी रामही ने कहा कि) सोसायटी का उद्देश्य छोटे बाजारों को चीनी, तेल, धी आदि की आपूर्ति करना था जो 1962 में कंट्रोल के दौरान दी जाती थी और उस समय सोसायटी को भी उससे लाभ होता था। जब भवनजी रामजी कथित भाषण दे रहे थे तो उन्हें मंच से नीचे उतार दिया गया।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वह खुदरा अनाज व्यापारी सहकारी समिति का सदस्य है, जिसे वर्ष 1962 में मुख्यतया इसलिए गठित किया गया था ताकि दैनिक उपभोग की आवश्यक खाद्य मदों के मूल्यों में कुछ व्यापारियों द्वारा गलत तरीके से मूल्य वृद्धि पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने उल्लेख किया कि सोसायटी के सदस्यों की एक आम सभा की बैठक का आयोजन 7.8.2008 को किया गया, जिसमें सोसायटी के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य किसी को भाग लेने का अधिकार नहीं था। शिकायतकर्ता ने आक्षेपित समाचार में गलत बयान पर आपत्ति की, कि उन्हें अभिभाषण के समय मंच से उतार दिया गया जब वह सोसायटी का मूल उद्देश्य भुला देने की बात कह रहे थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गलत समाचार प्रकाशित करके उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 22.8.2008 और अनुवर्ती अनुस्मारक दिनांक 10.10.2008 द्वारा प्रतिवादी संपादक का इस ओर ध्यान आकर्षित किया किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

लिखित बयान

प्रतिवादी संपादक, बॉम्बे समाचार को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.9.2009 भेजा गया। प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान दिनांक 28.9.2009 में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने समाचार की प्रतिक्रिया में कोई भी बयान प्रकाशित करने के लिये उसे नहीं भेजा था जिसे वह वस्तुतः ठीक कहता है और उनके कार्यालय के अभिलेख में ऐसा कुछ

नहीं मिला जो शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त होना दर्शाता हो। प्रतिवादी ने परिषद् से अनुरोध किया कि वह शिकायतकर्ता को अपना एक संक्षिप्त प्रत्युत्तर भेजने के लिये कहे।

प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 23.11.2009 में उल्लेख किया कि उसे यह जानकर धक्का लगा और आश्चर्य हुआ कि प्रतिवादी ने अपने समाचार को वस्तुतः सच ही नहीं बताया बल्कि एक कदम और आगे बढ़ गया व विवाद को यह कह कर बढ़ा दिया कि उसने अपनी शिकायत के साथ कोई पत्र ही नहीं भेजा था। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि कथित पत्र प्रतिवादियों नामतः सुश्री पिंकी दलाल और श्री एम.आर. कामा को कूरियर से भेजे गये थे तथा उसने कूरियर कंपनी की रसीदें भी प्रस्तुत कीं। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने प्रतिवादी को टेलीग्राफिक मैसेज भेजा था। शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी सत्य प्रकाशित करना नहीं चाहता है।

प्रत्युत्तर

प्रतिवादी ने अपने उत्तर दिनांक 16.2.2010 में उल्लेख किया कि कूरियर की तथाकथित डिलीवरी रसीदों में परेषिती का कोई नाम, दिनांक या हस्ताक्षर नहीं दिये गये हैं जिससे उसका पिछला कथन सही सिद्ध होता है कि कथित पत्र प्राप्त नहीं हुए। प्रतिवादी ने कहा कि वे शिकायतकर्ता पक्ष की घटना को इस बयान के साथ प्रकाशित कराने के लिये अभी भी इच्छुक हैं कि जो कुछ उन्होंने पहले लिखा था, सही है।

शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 22.8.2008 की प्रति प्रतिवादी को पत्र दिनांक 19.5.2010 के साथ उचित कार्रवाई करने और परिषद् व शिकायतकर्ता को सूचित करने के अनुरोध के साथ भेज दी गई किन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.01.2013

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - श्री बी.आर. गाला, शिकायतकर्ता
प्रतिवादी के लिये - श्री वी.के. चोपड़ा, प्रतिनिधि

जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुने। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह अपने अपमान से दुखी हुआ तथा उसकी मुख्य शिकायत यह थी कि पत्रकारिता का स्तर दिन व दिन गिरता जा रहा है जिसे सुधारने की जरूरत है।

जांच समिति ने पाया कि प्रतिवादी शिकायतकर्ता के कथ्न को अपने समाचारपत्र में प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करने के लिये सहमत है। तदनुसार, उसने इस प्रस्ताव को रिकार्ड करने का निर्णय लिया और परिषद् से केस का निपटान करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिये गये कारणों को स्वीकार कर लिया और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा उक्त शर्तों के अनुसार, शिकायत का निपटान करने का निर्णय लिया।

प्रेस और नैतिकता

155) श्री बी.एम राय, मुंबई *बनाम* **संपादक, मुंबई मिरर, मुंबई**

अधिनिर्णय

दिनांक 03/03/2010 की यह शिकायत श्री बी.एम राय, मुंबई द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से ''मुंबई मिरर'' और ''मिड डे'' के खिलाफ दायर की गई है। इस शिकायत में यौन संबंधी भ्रामक विज्ञापनों के रूप में मित्रता क्लब/एस्कॉर्ट में मालिश करने वालों के बारे में दिए गए विज्ञापनों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इस शिकायत में दिनांक 10/11/2009 के मुंबई मिरर और मिड डे के अंकों में दिए भ्रामक विज्ञापनों का उल्लेख किया गया है और उन पर रोक लगाने की मांग की गई है।

दिनांक 13/08/2010 के परिषद् के कारण बताओ नोटिस के उत्तर में प्रतिवादी मुंबई मिरर ने शिकायतकर्ता के सभी आरोपों से इनकार करते हुए दिनांक 18/09/2010 के अपने लिखित वक्तव्य में कहा है कि उसने किसी भी तरीके से पत्रकारिता के आचरण के किसी मापदंड को नहीं तोड़ा या उल्लंघन नहीं किया है। उसे जारी किया गया कारण बताओ नोटिस अनावश्यक और अवांछित है और अकारण दिया गया है। प्रतिवादी ने इस बात से भी इनकार किया है कि ये विज्ञापन यौन संबंधी भ्रामक विज्ञापन हैं। यह सर्वविदित है कि समाचारपत्रों के विज्ञापन राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं। प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया है कि युवा पाठक या अपरिपक्व उम्र के लोग इन विज्ञापनों को पढ़ेंगे और इनसे वे भ्रमित होंगे तथा इस प्रकार के मित्रता क्लबों के सदस्य बनेंगे और उनकें एस्कॉर्ट बनेंगे जिनसे अंततः उनका जीवन और भविष्य बर्बाद होगा। प्रतिवादी के अनुसार, इस प्रकार के विज्ञापन विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों और विज्ञापनदाताओं द्वारा जारी किए जाते हैं और समाचारपत्रों में विभिन्न कॉलमों में प्रकाशित किए जाते हैं। प्रतिवादी ने कहा है कि एक समाचारपत्र को समाचारपत्र के विभिन्न कॉलमों में मुद्रण/प्रकाशन के लिए सैंकड़ों विज्ञापन प्राप्त होते हैं और इस प्रकार व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं होता है कि इन सभी विज्ञापनों की यथार्थता की जांच की जा सके और उस प्रयोजन का पता लगाना भी संभव नहीं होता है, जिसके लिए ये विज्ञापन जारी किए जाते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अधीन समाचारपत्र को यह अधिकार प्राप्त हो कि वह उनकी यथार्थता या प्रयोजन की संवीक्षा करने के बाद उन विज्ञापनों को स्वीकार या अस्वीकार करे। इसके अलावा, विज्ञापनों की मात्रा इतनी होती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए प्रत्येक विज्ञापन को पढ़ पाना संभव नहीं होता। प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि उसने इस संबंध में समुचित नीति, प्रक्रिया और प्रणाली तय कर रखी है ताकि विज्ञापनों के प्रकाशन के बारे में लागू सांविधिक

प्रावधानों को सुनिश्चित किया जा सके। प्रतिवादी के अनुसार, समाचारपत्र किसी दावे की यथार्थता या विज्ञापन के प्रयोजन के बारे में विज्ञापनदाताओं से कोई पूछताछ नहीं करता है। इसलिए, समाचारपत्र को विज्ञापनदाता के क्रियाकलापों की जानकारी नहीं होती है। ऐसे विज्ञापन जिनमें मसाज पार्लर, फ्रेंडशिप क्लब और एस्कॉर्ट के बारे में स्पष्ट रूप से विज्ञापन समाचारपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं, जो गैर-कानूनी नहीं हैं और जो किसी अन्य क्रियाकलाप के बारे में नहीं हैं। ऐसे विज्ञापन को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के बारे में उसका कोई दुरुपयोग होने की स्थिति में उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता या उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। प्रतिवादी ने यह भी निवेदन किया है कि इस प्रकार के विज्ञापन देश के लगभग सभी प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जा रहे हैं और प्रत्येक समाचारपत्र का विशेष प्रकार के विज्ञापनों के लिए एक अलग कॉलम/स्थान होता है और यह एक सामान्य परिपाटी है कि समाचारपत्रों में सभी प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं क्योंकि समाचारपत्र अपने विज्ञापनदाताओं की सत्यनिष्ठा पर कोई शंका नहीं करता है। प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि सभी विज्ञापन विज्ञापनदाता की सदाशयता पर शंका किए बिना सदाशयता से प्रकाशित किए जाते हैं। यदि विज्ञापनदाता कुछ ऐसा कर रहे हैं जो गैर-कानूनी है या कानून के विपरीत है या उन्होंने क्या विज्ञापित किया है, विज्ञापनदाताओं के इन कार्यों के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसका इस प्रकार के कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और विज्ञापनदाता ही अपने क्रियाकलापों और/या दावों के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि समाचारपत्र की जिम्मेदारी केवल यह है कि वह मीडिया के कानूनों या ऐसे अन्य कानूनों से संबंधित मुद्दों की जांच करे जिनके अधीन आपत्तिजनक विज्ञापन प्रकाशित करने का निषेध है और जिनसे देश के कानूनों का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन होता हो। ये विज्ञापन देश के किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। उसके अनुसार, उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि शिकायतकर्ता ने पत्र लिखे हैं या नहीं। वह परिषद् से अनुरोध करता है कि वह इस मामले में आगे की कार्यवाही को बंद कर दे।

जांच समिति ने दिनांक 25/04/2012 को पुणे में इस मामले की सुनवाई की। चूंकि कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं था, अतः जांच समिति परिषद् से सिफारिश करती है कि जारी न रखने के कारण इस शिकायत को खारिज कर दिया जाए।

प्रेस परिषद् इस मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों और समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है और मामले को बंद करने का निर्णय लेती है।

156) सुश्री प्रतिभा नैथानी, मुंबई, *बनाम* **संपादक, आउटलुक, नई दिल्ली**

अधिनिर्णय

दिनांक 19/01/2010 की यह शिकायत सुश्री प्रतिभा नैथानी, मुंबई द्वारा आउटलुक पत्रिका के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें इस पत्रिका के दिनांक 06/12/2010 के अंक

में याना गुप्ता नामक नायिका का अश्लील फोटोग्राफ प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी ने प्रेस परिषद् पत्रकारिता मानकों का उल्लंघन किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि यह संभव नहीं है कि नायिका की जानकारी के बिना फोटोग्राफ लिया गया हो। शिकायतकर्ता ने इस प्रकार के फोटोग्राफ को प्रकाशित करने के औचित्य का प्रश्न उठाया है। शिकायतकर्ता ने प्रेस से अनुरोध किया है कि वह प्रतिवादी पत्रिका के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि भविष्य में महिलाओं की गरिमा को कम करने वाले ऐसे अश्लील फोटोग्राफ उनके द्वारा प्रकाशित न किए जाएं। प्रतिवादी आउट लुक को दिनांक 01/03/2011 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन कोई लिखित वक्तव्य दाखिल नहीं किया गया है।

जांच समिति ने दिनांक 27/04/2012 को पुणे में इस मामले पर विचार किया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए जांच समिति ने जारी न रखने के कारण इस शिकायत को खारिज कर दिया।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और तदनुसार, निर्णय लिया।

157) श्री विक्रम इम्मान्युइल अमोलिक *बनाम* **संपादक,**
एडवोकेट, **दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया,**
पुणे **पुणे**

अधिनिर्णय

श्री विक्रम इम्मान्युइल अमोलिक, एडवोकेट, पुणे ने दिनांक 26/10/2010 की अपनी शिकायत दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया, पुणे के खिलाफ दायर की, जिसमें दिनांक 22/10/2010 के इसके वर्गीकृत कॉलम में आपत्तिजनक विज्ञापन प्रकाशित करके पत्रकारिता की स्वीकृत नैतिकता को भंग करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी मसाज पार्लर और एस्कॉर्ट्स से संबंधित विज्ञापन नियमित रूप से प्रकाशित कर रहा है और इस प्रकार पत्रकारिता की नैतिकता के स्वीकृत मापदंडों का उल्लंघन कर रहा है और इस प्रकार वह प्रथम दृष्टया देह व्यापार और वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन दे रहा है।

परिषद् के दिनांक 21/04/2011 के कारण बताओ नोटिस के उत्तर में प्रतिवादी के वकील ने दिनांक 17/06/2011 के अपने लिखित वक्तव्य के जरिए निवेदन किया है कि उल्लिखित तारीख को समाचारपत्र के पास मुद्रण/प्रकाशन के लिए समाचारपत्र के विभिन्न कॉलमों के अधीन सैंकड़ो विज्ञापन प्राप्त हुए थे और इस प्रकार इन विज्ञापनों की यथार्थता की प्रति जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है और यह सुनिश्चित करना भी संभव नहीं है कि ये विज्ञापन किस प्रयोजन से प्रकाशित किए जा रहे हैं। उसने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो समाचारपत्र को यह अधिकार देता हो कि विज्ञापन की यथार्थता या प्रयोजन की

संवीक्षा करने के बाद वह उसे स्वीकार करे या अस्वीकार, इसके अलावा विज्ञापनों की मात्रा इतनी होती है कि प्रत्येक विज्ञापन को पढ़ पाना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि ये ऐसे विज्ञापन सभी प्रमुख समाचारपत्रों द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। प्रतिवादी के अनुसार, ये विज्ञापन विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों और विज्ञापनदाताओं द्वारा जारी किए जाते हैं और समाचारपत्र में विभिन्न कॉलमों के अधीन प्रकाशित किए जाते हैं। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि उसने ऐसी समुचित नीति, प्रक्रिया और प्रणाली तय कर ली है ताकि उसके प्रकाशन में विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में लागू विधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रतिवादी के अनुसार, समाचारपत्र विज्ञापन के दावे या प्रयोजन की यथार्थता के बारे में विज्ञापनदाता से पूछताछ नहीं करता है। अतः, समाचारपत्र को विज्ञापनदाता के क्रियाकलापों की जानकारी नहीं होती है। उनके समाचारपत्र में मसाज पार्लर, मित्रता क्लब और एस्कॉर्ट्स सर्विस के बारे में ऐसे स्पष्ट विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं जो गैर-कानूनी नहीं हैं और किसी अन्य क्रियाकलाप के बारे में नहीं हैं। यदि ऐसे विज्ञापन का दुरुपयोग किया जाता है तो ऐसे गलत प्रस्तुतीकरण के लिए उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता या उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

जांच समिति ने दिनांक 27/04/2012 को पुणे में इस मामले पर विचार किया। चूंकि मामले पर बल देने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं था, अतः जांच समिति ने परिषद् से सिफारिश की है कि वह इस शिकायत को खारिज कर दे।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और तदनुसार, निर्णय लिया।

158) सुश्री अनिता वर्मा सिंह,
सदस्य-सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

बनाम

संपादक
टाइम्स ऑफ इंडिया,
लखनऊ उत्तर प्रदेश

अधिनिर्णय

इस मामले में यह शिकायत सदस्य-सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया के लखनऊ संस्करण के खिलाफ दायर की गई है। शिकायत यह है कि दिनांक 02/12/2010 के दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया के अंक में भारतीय मॉडल सुश्री लक्ष्मी मेनन और दो अन्य महिलाओं के नग्न फोटोग्राफ के साथ 'ऑल ये मेन, प्रेजेंटिंग मेनन' शीर्षक के अधीन ये फोटोग्राफ प्रकाशित किए गए थे और इसका उप-शीर्षक था कि वह 'मिथिकशास्त्र' नामक पिरेली कैलेंडर में प्रदर्शित की जाने वाली पहली भारतीय मॉडल बन गई है।

दिनांक 12/01/2011 को प्रतिवादी संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके उत्तर में प्रतिवादी संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से एक वकील ने इन आरोपों से इनकार करते हुए दिनांक 16/02/2011 के अपने लिखित वक्तव्य में कहा कि आक्षेपित चित्र अश्लील नहीं था और इससे समाज या उसकी संस्कृति

पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिवादी ने इस बात से भी इनकार किया कि इस प्रकार के चित्रों से महिलाओं का चरित्र हनन होता है और कहा कि आक्षेपित चित्र पिरेली कैलेंडर 2011 के लिए गए चित्रों में से एक था जिसकी शुरुआत कई धनी और प्रसिद्ध वार्षिक कैलेंडरों की घटना में एक उपस्थिति का प्रतीक था। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि कैलेंडर का थीम मिथिकशात्रीय था और कलाकार द्वारा रोम और ग्रीक की महिला, देव और देवी को चित्रित करने का प्रयास था। उसने कहा कि समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित किसी चित्र/लेख का मूल्यांकन वर्तमान समय की साहित्यिक प्रवृत्तियों को और लोक रुचि के विषयों को भी ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

जांच समिति ने दिनांक 26/03/2012 को लखनऊ में इस शिकायत पर विचार किया और उसकी राय है कि प्रकाशित सामग्री अश्लील नहीं है। अतः समिति परिषद् से सिफारिश करती है कि इस मामले को बंद कर दिया जाए।

प्रेस परिषद् मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद इन कारणों और समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है और तदनुसार, निर्णय लेती है।

159) श्री नलिन कांत वाजपेयी
महासचिव
मध्य प्रदेश कार्यकारी
पत्रकार संघ, भोपाल
मध्य प्रदेश

बनाम

संपादक
बालाघाट टुडे
बालाघाट मध्य प्रदेश

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - कोई नहीं

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 20.9.2009 श्री नलिन कांत वाजपेयी, महासचिव, कार्यकारी पत्रकार संघ द्वारा संपादक, बालाघा टुडे के विरूद्ध उनकी पत्रिका के जून, अगस्त और सितम्बर 2009 अंक में अशिष्ट भाषा के साथ महिलाओं के अभद्र तथा अश्लील फोटो प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यह पत्रिका अश्लील साहित्य पत्रिका के समान लगती है। उसने उल्लेख किया कि यह पत्रिका बुक स्टालों पर खुली बिक रही है जो समाज के बच्चों, युवाओं और महिलाओं के मस्तिष्क को प्रभावित करेगी। उसने यह भी उल्लेख किया कि उसे इस मामले में पत्रिका के विरूद्ध अनेक शिकायतें मिली हैं।

प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान दिनांक 28.3.2010 में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि उसने न तो शिकायतकर्ता के या बालाघाट के लोगों के विरूद्ध कुछ प्रकाशित किया। उसने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी मंत्री,

श्री संजय म्हास्के और उनके साथियों ने इस शिकायत के द्वारा उसकी छवि को धूमिल करने के लिये अभियान चलाया है क्योंकि उसने भ्रष्ट मंत्रियों और उच्चाधिकारियों के बारे में सचाई को अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया। उसने यह भी उल्लेख किया कि वह शिकायतकर्ता को जानता तक नहीं है और उसने उस पर एक अश्लील पत्रिका प्रकाशित करने का आरोप लगाया। उसने यह भी उल्लेख किया कि उसकी मंशा समाज के कुछ भ्रष्ट लोगों के समाज विरोधी कार्यों को अपनी पत्रकारिता के द्वारा उजागर करने की थी न कि किसी को बदनाम करने की।

जांच समिति ने भोपाल में दिनांक 22.12.2012 को मामले पर सुनवाई की। जांच समिति ने गुणदोषों के आधार पर केस पर विचार किया और पाया कि शिकायत में आपत्तिजनक फोटोग्राफ प्रकाशित करने के आरोप का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। उच्चाधिकारियों और शक्तिशालियों के कारनामों को उजागर करना इस मामले में विचारणीय नहीं है। प्रतिवादी ने 'बालाघाट टुडे' में आपराधिक कहानियों के साथ अभद्र फोटोग्राफ प्रकाशित किये जो बहुत ही अश्लील हैं और निश्चित रूप से आपत्तिजनक है जिस कारण जांच समिति इस आदेश में ब्योरा प्राप्त करना नहीं चाहती है। तदनुसार, जांच समिति ने प्रतिवादी संपादक, बालाघा टुडे की परिनिंदा करने के लिये परिषद् से सिफारिश की। इसके अतिरिक्त इस आदेश की एक प्रति शिकायत की प्रतिलिपि के साथ जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक, बालाघाट को कानून के अनुसार, उचित कार्रवाई के लिये भेजी जाए और सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार की सामग्री का प्रकाशन भविष्य में नहीं किया जाए। निर्णय की एक प्रति डीएवीपी, आरएनआई और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को कार्रवाई हेतु, जो वे मामले में उचित समझें, भेजी जाए।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया तथा प्रतिवादी समाचारपत्र बालाघाट टूडे, बालाघाट, मध्य प्रदेश की परिनिंदा करने का निर्णय लिया। अधिनिर्णय समिति की सिफारिशों के अनुसार, राज्य प्राधिकारियों को भेजा जाए।

160) डॉ0 अरविंद जैन *बनाम* **संपादक**
भोपाल **दैनिक भास्कर**
मध्य प्रदेश **भोपाल मध्य प्रदेश**

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - कोई नहीं
प्रतिवादी के लिये - सर्वश्री आकाश तेलंग एवं संदीप गुप्ता, एडवोकेट, भोपाल

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 10.9.2009 डॉ. अरविंद जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा दैनिक भास्कर, भोपाल के विरूद्ध समाचारपत्र के विभिन्न अंकों में कथित अभद्र और अश्लील

विज्ञापन और फोटोग्राफ प्रकाशित करने के विरोध में दायर की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक टॉनिकों और सैक्स तथा स्तन बढ़ाने के तेलों के बारे में होते हैं। ये विज्ञापन आपत्तिजनक होते हैं और ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 तथा प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडियन मेडीसिन (स्टैंडर्डस ऑफ प्रोफेशनल कान्डक्ट, एटीकेट् और कोड आफ एथिक्स) रेगुलेशन, 1982 का भी उल्लंघन है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ऐसे विज्ञापनों से यौनाचार की घटनाएं बढ़ती हैं और त्री जाति का अपमान होता है। दिनांक 26.8.2009 को, शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी संपादक का इन विज्ञापनों की ओर ध्यान आकर्षित किया था लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.4.2010 प्रतिवादी संपादक को भेजा गया लेकिन कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया।

जांच समिति ने भोपाल में दिनांक 22.12.2012 को मामले पर सुनवाई की। जांच समिति को प्रतिवादी के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि 2009 के बाद से प्रतिवादी समाचारपत्र ने इस प्रकार के विज्ञापनों को प्रकाशित करना बंद कर दिया है। अतः जांच समिति ने शिकायत को बंद करने का निर्णय लिया और तदनुसार, परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार, निर्णय लिया।

सांप्रदायिक, जातीय, धर्म विरोधी और राष्ट्रविरोधी लेखन

161) डॉ. आई.ए. खान अंजाना
अध्यक्ष,
खानकाहा सूफी दिदार शाह
चिश्ती, थाणे (महाराष्ट्र)

बनाम

संपादक,
सप्तपर्णी,
गोरखपुर (उ.प्र.)

अधिनिर्णय

यह शिकायत डॉ. आई.ए. खान अंजाना, अध्यक्ष, खानकाहा सूफी दिदार शाह चिश्ती, थाणे (महाराष्ट्र) द्वारा हिंदी मासिक सप्तपर्णी, के खिलाफ दायर की गई है। इस शिकायत में इस पत्रिका के नवंबर-दिसंबर, 2009 के अंक में 'विचार संदेश' शीर्षक के अधीन पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ अति आपत्तिजनक कहानी प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है। इस कहानी में पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ कामुकता का आरोप लगाया गया है। आक्षेपित कहानी से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने पैगम्बर

मोहम्मद के पवित्र और आदर्श चरित्र का हनन किया है और इस प्रकार की अपमानजनक और भ्रामक बातों से मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके अलावा, यह लेख पूर्णतः भ्रामक और काल्पनिक विचारों पर आधारित था जिसमें पैगम्बर मोहम्मद के बारे में गलत विचार और भावनाएं व्यक्त की गई हैं। शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया है कि दिनांक 19/03/2010 और 24/04/2010 को प्रतिवादी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था, जिसने दिनांक 07/04/2010 के अपने उत्तर के जरिए सूचित किया है कि उन्होंने केवल संतों और लेखकों के विचारों/चिंतन को ही प्रकाशित किया था और उन्होंने अपने विचार प्रकाशित नहीं किए थे।

दिनांक 01/06/2010 के परिषद् के कारण बताओ नोटिस के उत्तर में प्रतिवादी - संपादक, सप्तपर्णी, ने दिनांक 30/06/2010 के अपने लिखित वक्तव्य में दिनांक 07/04/2010 के पत्र में दी गई बातों को दोहराते हुए, आरोप लगाया है कि मुसलमान भी हिंदू देवताओं/ देवियों के खिलाफ भ्रामक और आपत्तिजनक कहानियां प्रकाशित करते हैं और उन्हें मदरसों में वितरित करते हैं। प्रतिवादी ने यह भी आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता और मुस्लिम संगठनों ने उसके कार्यालय पर हमला किया और उसे तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि उसने पुलिस स्टेशन, कोतवाली, गोरखपुर में इस संबंध में शिकायतकर्ता और अन्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अधीन प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

दिनांक 23/08/2010 की अपनी प्रति टिप्पणियों में शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रतिवादी के विचारों से मुस्लिम समुदाय के प्रति उसकी बदले की भावना और पूर्वाग्रहपूर्ण प्रवृत्ति का ही पता चलता है।

जांच समिति ने दिनांक 27/04/2012 को पुणे में इस मामले पर विचार किया। हालांकि प्रतिवादी इसमें अनुपस्थित रहा, परंतु शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत को दोहराया और इस बात का उल्लेख किया कि आक्षेपित प्रकाशन से मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

जांच समिति ने अभिलेखों को देखा और पाया कि आक्षेपित प्रकाशन काफी आपत्तिजनक था और उससे उक्त समुदाय की भावनाओं और विश्वास को ठेस पहुंचने की संभावना थी। मात्र यह कह देने से कि इसमें अन्यों के विचारों को उद्धृत किया गया था, से संपादक अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता कि उसे प्रकाशन के लिए सामग्री का चयन जिम्मेदारी के साथ और विशेषतः सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। प्रेस परिषद् ने पत्रकारिता संबंधी अनुचित और अनैतिक कार्य के खिलाफ रक्षा हेतु प्रेस के लिए दिशानिर्देश पहले ही जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (क) विभिन्न धर्मों या विश्वासों या उनके संस्थापकों के संदर्भ में अनादरपूर्ण, मानहानिकारक या अपमानजनक टिप्पणियां करना; और (ख) ऐसे मामले पर बल देना जिससे सांप्रदायिक घृणा और दुर्भावना पैदा होती हो या समुदायों के बीच भावनाओं को नुकसान पहुंचता हो, के खिलाफ सलाह दी गई है। परिषद् इस बात से संतुष्ट है कि संपादक,

सप्तपर्णी, ने नवंबर-दिसंबर, 2009 के अंक में बहुत आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित की है और परिषद् द्वारा उल्लिखित मापदंडों का उल्लंघन किया है। इसलिए जांच समिति इस शिकायत को सही ठहराती है और परिषद् से यह सिफारिश करने का निर्णय लेती है कि वह संपादक, सप्तपर्णी,की भर्त्सना करे।

निर्णय

मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने पर परिषद् ने समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया है और संपादक, सप्तपर्णी, गोरखपुर की भर्त्सना करने का निर्णय लिया है। उसने यह भी निर्णय लिया है कि परिषद् के अधिनिर्णय की एक प्रति इस मामले में यथा अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए डीएवीपी, आरएनआई और सूचना तथा जन संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को भी भेजी जाए।

162) श्री सोहन दास
राज्य सचिव
हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति
रोहतक, हरियाणा

बनाम

संपादक दैनिक जागरण
हिसार (हरियाणा)

अधिनिर्णय

यह अदिनांकित शिकायत श्री सोहनदास, राज्य सचिव, हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति, रोहतक, हरियाणा द्वारा संपादक, दैनिक जागरण, हिसार के विरूद्ध उनके समाचार पत्र दिनांक 8.8.2010 और 10.8.2010 में क्रमशः शीर्षक 'दुलीनकांड : गायों की खाल उतारने वाले पांच को भीड़ ने मार डाला - दोषी करार'' और ''दुलीनीकांड - सात दोषियों को उम्र कैद - यह था मामला'' से प्रकाशित झूठे और भ्रामक समाचारों के विरोध में दिनांक 7.10.2010 को दायर की गई है।

आक्षेपित समाचार में मुख्यता यह उल्लेख किया गया कि 15.10.2002 को पुलिस ने 5 व्यक्तियों को उस समय गिरफ्तार किया जब वे गायों की खाल उतार रहे थे। भीड़ ने इस अफवाह पर थाने पर हमला कर दिया कि जिंदा गाय की खाल उतारी जा रही है तथा सभी पांच व्यक्तियों को जान से मार दिया गया। इस घटना के बाद इस कांड को साम्प्रदायिक रंग दे दिया गया और सभी बड़े छोटे राजनीतिक दलों ने घटना स्थल का दौरा किया और क्षेत्र के सभी लोग दोषी की पहचान नहीं करने के लिये एक मत हो गये, बड़ी मुश्किल से दोषी की पहचान की गई और तब से यह मामला न्यायालय के विचाराधीन था।

शिकायतकर्ता ने कहा कि निर्णय से यह बात स्पष्ट हो गई कि सभी पांचों व्यक्ति गाय चर्म के अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यापारी थे, वे जीवित गाय की खाल नहीं उतार रहे थे। जांच से यह स्पष्ट हो गया था कि पुलिसकर्मियों ने मृतकों से घूस मांगी थी और जब उन्होंने रिश्वत देने से मना कर दिया तो अफवाह फैला दी गई कि उन्हें तब गिरफ्तार किया गया जब वे गाय की खाल उतार रहे थे। शिकायतकर्ता ने आपत्ति व्यक्त की, कि इस टिप्पणी से 'दलितो पर अत्याचार' झलकता है।

प्रतिवादी ने मामले में कोई भी लिखित बयान दायर नहीं किया।

तर्क

यह मामला चंडीगढ़ में दिनांक 13.8.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किया गया। शिकायतकर्ता श्री सोहन दास स्वयं उपस्थित हुए जब कि श्री राजेश कुमार दुबे, प्रबंधक, विधिक, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए।

समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुने। शिकायतकर्ता ने कहा कि आक्षेपित समाचार प्रकाशित करके प्रतिवादी ने अनुसूचित जाति को लक्ष्य बनाया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसने यह शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से दायर की है। प्रतिवादी ने बयान दिया कि समाचार एफआईआर के आधार पर प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि वे इसका खंडन प्रकाशित करने को तैयार हैं, विशेषकर मामले में दिये गए निर्णय का उल्लेख करते हुए। प्रतिवादी द्वारा दिये गये हलफनामे को ध्यान में रखते हुए समिति ने मामले का निपटान कर दिया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

163)	**श्री बिनोद कुमार सिन्हा** **धनबाद** **झारखंड**	***बनाम***	**संपादक** **पब्लिक पत्रिका** **नई दिल्ली**

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 31.3.2008 श्री विनोद कुमार सिन्हा, धनबाद द्वारा संपादक, पब्लिक पत्रिका, नई दिल्ली के विरूद्ध उनके अक्तूबर 2007 अंक में शीर्षकों 'प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाने पर यदि मनु व तुलसी जीवित होते, तो जहर खाकर मर जाते' और 'सुप्रीम कोर्ट में दिया पहला हलफनामा सही है, तो दूसरा झूठ का पुलिंदा' से प्रकाशित समाचारों के विरोध में दायर की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, आक्षेपित समाचारों के शीर्षकों और उनकी सामग्री से हिन्दू समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेंस पहुंची।

प्रतिवादी संपादक ने अपने लिखित बयान दिनांक 12.1.2009 में उल्लेख किया कि शिकायत बेबुनियाद है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि रामायण में अनेक अनैतिक और गलत बातें दी गई है जिनसे भेदभाव पैदा होता है और यदि इस लेख के प्रकाशन से किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेंस पहुंची हो तो वे इसके लिये खेद व्यक्त करते हैं।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 18.11.2011 और 27.8.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। अतः जांच समिति ने परिषद् से, अनुपस्थित आधार पर शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

164) श्री एस.सी. कपूर *बनाम* **संपादक**
विंग कमांडर (सेवा निवृत) **टाइम्स ऑफ इंडिया**
नोयडा, उत्तर प्रदेश **नई दिल्ली**

अधिनिर्णय

विंग कमांडर, एस.सी. कपूर (सेवा निवृत) द्वारा यह शिकायत दिनांक 5.6.2010 टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के विरूद्ध उनके अंक दिनांक 9.4.2010 में एक कथित आपत्तिजनक कार्टून शीर्षक ''कृपया, रेड कॉरीडोर में सेना या वायुसेना की भूमिका नहीं। नक्सलियों को टैंक, मिसाइलें, विमान, हेलिकॉप्टर ... क्यों दो'' प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने आक्षेपित समाचार में दर्शाया है (क) भौचक्के सुरक्षा कार्मिकों का एक ग्रुप-उनमें से एक अपनी चोट पर पट्टी बंधी बाजू को दिखा रहा है-अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पर (कार्टून में जिसे प्रमुखता दी गई है) एक बड़े से रेड क्रॉस संकेत चिह्न के साथ खड़ा है और रक्त चढ़ाने वाली यूनिटें पूरी तरह दिखाई दे रही हैं, और (ख) एक राजनीतिक नेता एक संवाद्दाता सम्मेलन में भाषण दे रहा है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि कार्टून में यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि यदि सेनाओं ने नक्सलियों के विरूद्ध कार्रवाइञ्ज की तो वे मारे जाएंगे।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.5.2010 के उत्तर में, प्रतिवादी टाइम्स ऑफ इंडिया ने (अपने एडवोकेट के द्वारा) शिकायतकर्ता के आरोपों से इंकार करते हुए एक लिखित बयान दिनांक 16.8.2010 प्रस्तुत किया कि उसने पत्रकारिता के व्यावसायिक मानदंडों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन या प्रतिकूल कार्य नहीं किया है। प्रतिवादी ने इंकार किया कि आक्षेपित कार्टून किसी भी प्रकार से भारतवासियों का विश्वास रक्षा सेनाओं में कम नहीं करता है या थल सेना, वायुसेना या नौसेना को किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं बताता है या उनका मनोबल गिराता है, पत्रकारिता के आदर्शों का उल्लंघन नहीं होता है या सैनिकों का किसी भी प्रकार से अपमान नहीं करता है या उनकी कुर्बानियों को कम नहीं आंकता है जो उन्होंने राष्ट्र का गौरव बनाये रखने के लिये दी हैं। प्रतिवादी के अनुसार, आक्षेपित

कार्टून सार्वजनिक हित में निष्पक्ष टिप्पणी की श्रेणी में आता है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूहों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखी गई है। प्रतिवादी ने इस मामले में अगली कार्रवाई नहीं करने के लिये परिषद् से अनुरोध किया।

रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 18.11.2011 और 27.8.2012 को जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। दोनों ही अवसरों पर किसी भी पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। समिति ने निर्णय लिया कि चूंकि शिकायतकर्ता अपने केस के पक्ष को रखने के लिये उपस्थित नहीं हुआ अतः शिकायत, को अनुपस्थिति के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

165) श्री रूबाबुद्दीन शेख *बनाम* **संपादक**
उज्जैन **स्वदेश, इंदौर**
मध्य प्रदेश

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - श्री रूबाबुद्दीन शेख, शिकायतकर्ता स्वयं और श्री आशुतोष सुरना, एडवोकेट

प्रतिवादी के लिये - श्री एस.के. चौरसिया, एडवोकेट

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 28.10.2009 श्री रूबाबुद्दीन शेख, उज्जैन, मध्य प्रदेश द्वारा संपादक, स्वदेश, हिन्दी दैनिक, इंदौर के विरूद्ध उनके समाचारपत्र के दिनांक 24.10.2009 के अंक में शीर्षक ''सिमी कार्यकर्ताओं एवं उनके रिश्तेदारों का प्रमुख केन्द्र है नागदा'' के तहत प्रकाशित झूठे, भ्रामक और बेबुनियाद समाचार प्रकाशित करने के विरोध में दायर की गई। आक्षेपित समाचार में कहा गया है कि सोहराबुद्दीन मुठभेड़ वाले मामले से यह स्पष्ट है कि नागदा शहर आतंकवादियों की शरणस्थली बन गया है और वे शहर में आजादी से रह रहे हैं तथा सिमी से जुड़े लोगों को पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं है। यह भी कहा गया कि प्रधान मंत्री के एक प्रमुख अधिकारी ने इसकी पुष्टि की, कि सोहराबुद्दीन के आतंकवादी लश्करे-तायबा से सम्बन्ध हैं और आतंकवादियों के अनेकों रिश्तेदार नागदा शहर में बेखौफ रह रहे हैं।

आक्षेपित समाचार में लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता जो सोहराबुद्दीन का भाई है, ने उल्लेख किया कि समाचार पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद है तथा

इसे उसके परिवार के सदस्यों को जनता में बदनाम करने के लिये प्रकाशित किया गया। उसने समाचारपत्र के संपादक को दिनांक 10.3.2010 को अपना बयान प्रकाशित करने के लिये भेजा था किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

स्वदेश, इंदौर ने अपने लिखित बयान दिनांक 13.7.2010 में उल्लेख किया कि समाचार जनहित में प्रकाशित किया गया था न कि शिकायतकर्ता को बदनाम करने के लिये। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि अन्य समाचारपत्रों में भी यह समाचार प्रकाशित हुआ था। प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता की मानसिकता आपराधिक है और वह पत्रकारों को अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करने के लिये धमकी देकर प्रेस की आजादी पर रोक लगाता है। शिकायतकर्ता ने ईमानदार व्यक्ति के विरूद्ध झूठी शिकायत की है और परिषद् के समक्ष झूठी घोषणा की, जबकि इसी मामले में कई मुकदमे अदालत में चल रहे हैं।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 4.10.2010 में आरोपों से इंकार करते हुए उल्लेख किया कि प्रकाशित समाचार पूरी तरह झूठा और निराधार है। प्रतिवादी ने उसके भाई और उसके परिवार के बारे में बिना किसी आधार के समाचार प्रकाशित कर दिया। यह आरोप कि शिकायतकर्ता आपराधिक प्रकृति का है, सरासर गलत है, जबकि समाचारपत्र का स्थानीय पत्रकार, श्री मेरूलाल टांक स्वयं ही आपराधिक प्रकृति का है।

जांच समिति ने भोपाल में दिनांक 22.12.2012 को मामले पर सुनवाई की। उसने पाया कि समाचार प्रकाशित करने में समाचारपत्र ने पूरे शहर और एक विशेष समुदाय विशेष को एक साथ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में लिप्त कर दिया। वह इस प्रकार टिप्पणी करती है : इस पर गहरा खेद है कि भारत में मीडिया का एक वर्ग साम्प्रदायिकता को, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फैला रहा है। यह विविधताओं वाला देश है और इसे समृद्ध बनाने के लिये, यह नितान्त आवश्यक है कि समाज के सभी समुदायों और वर्गों को समान सम्मान देना चाहिए। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी ने जिम्मेदारी पूर्वक कार्य नहीं किया और समाचार इस प्रकार से दिया जो स्वयं में राष्ट्र विरोधी कार्य है। शिकायतकर्ता सोहराबुद्दीन का भाई है जो एक कथित नकली मुठभेड़ में मारा गया था। 24 अक्तूबर, 2009 का विचाराधीन प्रकाशन, समाचारपत्र 'स्वदेश' इंदौर में है। जांच समिति ने समाचार जो हिन्दी में है, पर गंभीरतापूर्वक विचार किया। उसमें यह भी आरोप लगाया गया :

1. कि नागदा आतंकवादी गतिविधियों का केन्द्र बन गया है,
2. कि सिमी जैसे कुख्यात संगठन नागदा से गतिविधियां चला रहे हैं और प्रशासन उनसे बेखबर है,
3. मदरसा आतंकवादी गतिविधियों के लिये होते हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया का एक वर्ग ऐसे समाचार प्रकाशित करता है जिनमें बिना साक्ष्य के एक साथ आरोप लगाये जाते हैं। इस प्रकार से समाचार प्रकाशित करने से नागदा जिला आतंकवादियों का स्पष्ट तौर से केन्द्र लगता है। आजमगढ़ के बारे में इसी प्रकार के समाचारों से यह धारणा बनी थी कि आजमगढ़ आतंकवादियों का केन्द्र है।

स्वभावतया ही इससे आजमगढ़ के सभी लोग आतंकवादी लगने लगे। जांच समिति का यह मत है कि प्रकाशित समाचार साम्प्रदायिक और राष्ट्र-विरोधी व समाज-विरोधी होने के कारण अत्यधिक आपत्तिजनक है। अतः जांच समिति शिकायत की अनुमति देती है और प्रतिवादी 'स्वदेश', इंदौर की परिनिंदा करने के लिये परिषद् से सिफारिश करती है।

जांच समिति ने इस अधिनिर्णय को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को तथा अन्य सभी प्रेस संगठनों और समाचार एजेंसियों तथा डीएवीपी/आरएनआई को उनके रिकार्ड के लिये भेजने का भी निर्णय लिया।

निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार, निर्णय लिया।

166) प्रो0 एन.के. जैन *बनाम* **संपादक**
पंजीयक **दैनिक जागरण**
डॉ0 हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय **भोपाल, मध्य प्रदेश**
सागर, मध्य प्रदेश

उपस्थित

शिकायतकर्ता के लिये - प्रो0 एन.के. जैन स्वयं
प्रतिवादी के लिये - श्री वी.के. वर्मा, कार्मिक अधिकारी जागरण और श्री आर.के. अवस्थी, क्षेत्रीय प्रभारी

अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 12.1.2012 प्रो0 एन.के. जैन, पंजीयक, डॉ0 हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश द्वारा संपादक, दैनिक जागरण के विरूद्ध उनके समाचारपत्र दिनांक 17.11.2011 के अंक में शीर्षक ''भाजपा युवा मोर्चा की नगर टीम तैयार'' जिसका उप-शीर्षक ''कुलपति अछूत हैः गौरव'' से प्रकाशित समाचार के तहत कुलपति के बारे में अपमानजनक समाचार के विरोध में दायर की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने पत्रकारिता के सभी आदर्श मानदंडों व आम रूचि का तिरस्कार किया और डॉ. हरीसिंह गौड़, विश्वविद्यालय के कुलपति को ''अछूत'' सम्बोधित करते हुए अत्यधिक हानिकर राष्ट्र विरोधी, अभद्र और असंवैधानिक व निन्दनीय टिप्पणी की। यह कुलपति की सामाजिक प्रतिष्ठा को अनुसूचित जाति का उल्लेख करके अपमानित करना है। आक्षेपित समाचार में यह भी कहा गया कि कुलपति को गौड़ की वर्षगांठ पर 29 नवम्बर, 2011 को प्रतिमा पर फूलमाला पहनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी अन्यथा यदि कुलपति माला पहनाते हैं, मूर्ति को दूध और पानी से धोकर शुद्ध किया जाएगा। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि डॉ0

हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय एक सुविख्यात केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और इसके कुलपति का चयन उन विद्वानों में से किया गया है जिन्होंने शैक्षिक क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान दिया। वर्तमान कुलपति प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हैं जिन्हें जनता बहुत सम्मान देती है तथा सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्हें इस प्रकार के सार्वजनिक विवादों में नहीं डालना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कुलपति ने एक प्रत्युत्तर/स्पष्टीकरण प्रकाशित करने के लिये प्रतिवादी समाचारपत्र को दिनांक 5.11.2011 को भेजा था जिसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.3.2012 प्रतिवादी संपादक को भेजा गया लेकिन अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

जांच समिति ने भोपाल में दिनांक 22.12.2012 को मामले पर सुनवाई की। जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुने। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दैनिक जागरण, भोपाल में शीर्षक ''भाजपा युवा मोर्चा की नगर टीम तैयार'' जिसका उप-शीर्षक ''कुलपति अछूत हैः गौरव'' से समाचार प्रकाशित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि भारतीय युवा मोर्चा कुलपति, डॉ0 हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के संस्थापक की मूर्ति को हार नहीं पहनाने देंगा क्योंकि वे अनुसूचित जाति के हैं। निःसंदेह जांच समिति की यह राय है कि इस प्रकार की कार्रवाई एससी/एसटी अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया एक आपराधिक जुर्म है। हालांकि, इस मामले में समाचारपत्र ने केवल बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी का बयान प्रकाशित किया है। अतः, उसे जातिवाद फैलाने या किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यदि शिकायतकर्ता को कोई शिकायत है तो वह कार्रवाई के लिये एससी/एसटी फोरम से सम्पर्क कर सकता है। इन टिप्पणियों के साथ, जांच समिति ने शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

निर्णय

परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार, निर्णय लिया।